राजकीय सेवा सम्बन्धी नियमावली / शासनादेश / कार्यालय ज्ञाप का संकलन

तृतीय खण्ड

(कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

प्रस्तावना

राजकीय सेवा संबंधी मामलों पर कार्मिक विभाग के शासनादेशों का संकलन प्रथम खण्ड के रूप में वर्ष 2005 में प्रकाशित कराया गया था, जिसमें राज्य गठन की तिथि से वर्ष 2005 तक कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये गये शासनादेशों एवं सेवा नियमावलियों को सम्मिलित किया गया था। वर्ष 2013 में शासनादेशों के संकलन के द्वितीय खण्ड का प्रकाशन कराया गया, जिसमें प्रथम खण्ड के प्रकाशन के पश्चात् जारी किये गये शासनादेशों एवं सेवा नियमावलियों को सम्मिलित किया गया था।

2— प्रथम एवं द्वितीय खण्ड के प्रकाशित होने के उपरान्त राजकीय सेवा से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष 2014—2020 की अवधि में अनेक नवीन शासनादेशों एवं नियमावलियों को जारी किया गया है जिसके कारण इसका एक अद्यावधिक नवीन संकलन प्रकाशित कराना अपरिहार्य हो गया है। अतः प्रथम खण्ड एवं द्वितीय खण्ड के प्रकाशित होने के पश्चात् अब तक विभिन्न विषयों पर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण शासनादेशों एवं नियमावलियों को संकलित करके इसका नवीन संकलन तृतीय खण्ड के रूप में प्रकाशित कराया जा रहा है, जिसमें द्वितीय खण्ड में प्रकाशित होने में छूटे हुए कतिपय शासनादेश आदि को भी सम्मिलित किया गया है।

3— संकलन में सेवा संबंधी मामलों, शासनादेशों तथा नियमावलियों को सम्मिलित किया गया है। संदर्भ की सुविधा के लिए इसे 17 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका उल्लेख विषय सूची में है।

4— यह संकलन श्री महावीर सिंह, संयुक्त सचिव एवं श्री सन्दीप शर्मा, अनुभाग अधिकारी, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग—2 के निर्देशन में समीक्षा अधिकारी श्री अभिनव भट्ट तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग—2 के सहायकों द्वारा अथक प्रयास कर तैयार किया गया है तथा श्री अभिनव भट्ट, समीक्षा अधिकारी का विशेष योगदान रहा है, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

5— आशा है कि सेवा संबंधी मामलों के त्वरित निस्तारण एवं नियमाकूल आवश्यक निर्णय लेने में पूर्व की भांति यह संकलन उत्तराखण्ड राज्य के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

दिनांकः— 23.03.2021

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव,
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

संक्षिप्त विषय–सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले सेवाओं से संबंधित शासनादेश एवं नियमावली	1–7
2.	लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु नियमावली एवं शासनादेश	8–65
3.	लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति से संबंधित शासनादेश एवं नियमावलियां	66–78
4.	मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली एवं शासनादेश	79–85
5.	सीधी भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण	86–149
6.	निलम्बन, आरोप–पत्र, अनुशासनिक कार्यवाही एवं शास्ति के निर्धारण से संबंधित शासनादेश एवं नियमावली	150–157
7.	वार्षिक प्रविष्टियों का अंकन, प्रतिकूल प्रविष्टियों एवं प्रत्यावेदन से संबंधित शासनादेश एवं नियमावली	158–170
8.	आयु सीमा, आयु सीमा में छूट से संबंधित शासनादेश एवं नियमावली	171–176
9.	अनिवार्य, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अधिवर्षिता आयु	177–189
10.	दैनिक वेतन/संविदा/आउटसोर्स से संबंधित शासनादेश	190–219
11.	राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, सरकारी सेवक स्थाईकरण नियमावली, ज्येष्ठता नियमावली, सरकारी सेवक त्याग–पत्र नियमावली एवं सेवा समाप्ति नियमावली	220–221
12.	रोस्टर नीति	222–244
13.	वार्षिक स्थानान्तरण नीति	245–279
14.	निःशक्त व्यक्तियों के लिए शासनादेश	280–315
15.	लिपिक संवर्गीय पदों का पुनर्गठन एवं पदोन्नति हेतु पात्रता	316–217
16.	चल, अचल सम्पत्ति का विवरण	218–321
17.	विविध	322–380

विषय–सूची

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
	भाग–1 **लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले सेवाओं से संबंधित शासनादेश एवं नियमावली**		
1.	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (प्रारम्भिक परीक्षा) (संशोधन) नियमावली–2014	234 / XXX–(2) / 2014–30(17) / 2014, 21.05.2014	1
2.	उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ प्रारम्भिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र (सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा) को केवल क्वालीफाइंग प्रकृति का किये जाने के संबंध में।	201 / XXX(2) / 18 / 30(17) / 2017, 01.08.2018	3
3	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) (संशोधन) नियमावली, 2016	222 / XXX(2) / 16–55(27) / 2002, 01.09.2016	4
4.	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं / चयनों हेतु पर्यवेक्षकों / पेपर सेटर्स / विषय विशेषज्ञों आदि की पारिश्रमिक / मानदेय / यात्रा भत्ता की दरों के पुनर्निधारण के संबंध में।	255 / XXX(2)2014, 30.05.2014	5
	भाग–2 **लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु नियमावली एवं शासनादेश**		
5.	राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिये आवेदन करने हेतु आवेदन / परीक्षा शुल्क में वृद्धि किये जाने के संबंध में।	03 / XXX(4) / 2015–03(3) / 2015, 04.09.2015	8
6.	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अन्तर्गत समूह 'ग' में भर्ती के संबंध में।	188 / XXX(2) / 2015, 13.05.2015	9
7.	समूह 'ग' के पदों हेतु सेवायोजन कार्यालय में अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में।	170 / XXX(2) / 2017, 06.06.2017	11
8.	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकारों / लेखा परीक्षकों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन में अनिवार्य अर्हताओं में से ''ओ'' लेवल सर्टिफिकेट की बाध्यता को समाप्त करने के संबंध में।	188 / XXX(2) / 2018, 29.06.2018	13
9.	अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018	121 / XXX(2) / 2018–30(44) / 2017, 21.05.2018	14
10.	अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2021	16 / XXX(2) / 2021–30(44) / 2017, 22.02.2021	34
11.	राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के पदों पर साक्षात्कार समाप्त करते हुए वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित किये जाने के संबंध में।	243 / XXX(2)2019–30(12) / 19, 05.08.2019	37
12.	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019	59 / XXX–2 / 19 / 01(17) / 2012, 07.02..2019	38

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
13.	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019	164/XXX–2/19–01(17)/2012, 28.06.2019	39
14.	उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019	124/XXX–2/19/30(2)/2018, 12.06.2019।	43
15.	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिये अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम 4(1) का स्पष्टीकरण।	72/XXX(2)/2014, 10.02.2014	63
16.	लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर चयन के संबंध में केवल एक बार के लिए अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान किया जाना।	420/XXX(2)/2020–30(10)2019, 09.12.2020	64
	भाग–3 **लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति से संबंधित शासनादेश एवं नियमावलियां**		
17.	उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015	153/XXX(2)/2015–3(2)2010, 09.04.2015	66
18.	उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2015	264/XXX(2)/2015–3(6)/2012, 17.08.2015	69
19.	उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 तथा संशोधित सेवा नियमावली, 2015 के संबंध में।	257/XXX–2/17/03(06)2013 टी.सी,. 04.09.2017	70
20.	उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2018	149/XXX(2)/2018–30(10)/2018, 21.05.2018	71
21.	उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2016	348/XXX(2)/2016–03(02)का0–2/2010, 22.12.2016	75
22.	उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2018	272/XXX(2)/2018–3(1)/2007, 07.09.2018	76
	भाग–4 **मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली एवं शासनादेश**		
23.	राज्य कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के संबंध में।	154/XXX(2)/2015–55(08)/2002, 16.04.2015	79
24.	उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002)(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017	275/XXX–2/17/55(21)/2002 टी.सी. 2, 18.10.2017	81

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
25.	उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974(संशोधन) नियमावली, 2019	217 / XXX(2) / 2019–55(21)2002, 04.09.2019	83
	भाग–5 सीधी भर्ती / पदोन्नति में आरक्षण		
26.	राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत आरक्षित श्रेणी के पूर्व से चली आ रही रिक्तियों के बैकलॉग को भरे जाने के संबंध में।	83 / XXX(2) / 2014–3(16)2012, 26.02.2014	86
27.	राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पूर्व से चली आ रही रिक्तियों के बैकलॉग को भरे जाने के संबंध में।	149 / XXX(2) / 2016, 20.06.2016	88
28.	विभागों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बैकलॉग के संबंध में दी जाने वाली सूचना विषयक।	241 / XXX(2) / 2016 / 30(15)16, 28.09.2016	90
29.	सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों को प्राथमिकता से भरे जाने के संबंध में।	176 / XXX(2) / 2017, 01.06.2017	91
30.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय / अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019	397 / XXX(2) / 2019–30(2) / 2019, 17.12.2019	92
31.	राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण हेतु आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र।	123 / XXX(2) / 2019–30(1) / 2019, 29.04.2019	96
32.	उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019	64 / XXXVI (3) / 2019 / 19(1) / 2019, 07.03.2019	98
33.	उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण)(संशोधन) अधिनियम, 2020	27 / XXXVI (3) / 2021 / 74(1) / 2020, 27.01.2021	111
34.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	325 / XXX(2) / 30(12) / 2020, 15.10.2020	117
35.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय / शासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020	10 / XXX(2) / 2020–30(2) / 2019, 05.02.2020	118
36.	राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं में पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने के संबंध में।	94 / XXX(2) / 2020–55(47) / 2004, 18.03.2020	119

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
37.	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की अनुसूची दो (छः)(क) में संशोधन।(क्रीमिलेयर)	203 / XXX(2) / 2018–55(46) / 2004, 25.09.2018	123
38.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2019	04 / XXXVI (3) / 2020 / 73(1) / 2019, 03.01.2020	125
39.	लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई0डब्ल्यू0एस0) के अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क के संबंध में।	286 / XXX(2) / 19 / 55(35) / 2003, 07.01.2020	131
40.	राज्य सरकार के अन्तर्गत गठित विभिन्न आयोगों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के संबंध में।	224 / XXX(2) / 2016 / 30(15) / 2016, 30.08.2016	132
41.	राज्याधीन सेवाओं में पदों में आरक्षण की गणना करते समय राउण्डिंग ऑफ के सिद्धान्त के अनुपालन के संबंध में।	145 / XXX(2) / 18 / 30(58) / 2015, 28.05.2018	133
42.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जतियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की अनुसूची–एक में विर्निदिष्ट 90 प्रविष्टियों में अन्य पिछड़ी जातियों / वर्गों की पुनरीक्षित अनुसूची।	130 / XVII-2 / 2020 / 5(OBC) / 2015, 28.01.2020	134
	भाग–6 निलम्बन, आरोप–पत्र, अनुशासनिक कार्यवाही एवं शास्ति के निर्धारण से संबंधित शासनादेश एवं नियमावली		
43.	अनुशासनात्मक कार्यवाही के शीघ्र निस्तारण करने के संबंध में।	279 / XXX(2) / 2014, 16.06.2014	150
44.	लोक सेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में।	262 / XXX(2) / 2017, 08.08.2017	152
45.	निलम्बनकाल के वेतन भत्तों के संबंध में।	191 / XXX(2) / 17–30(12) / 2017, 28.06.2017	155
	भाग–7 वार्षिक प्रविष्टियों का अंकन, प्रतिकूल प्रविष्टियों एवं प्रत्यावेदन से संबंधित शासनादेश एवं नियमावली		
46.	वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों का समयबद्ध अंकन सुनिश्चित कराया जाना।	445 / XXX(2) / 2014–55(26) / 2002, 23.09.2014	158
47.	उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा / संतोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ट वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का प्रकटीकरण एवं उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा), नियमावली, 2015	155 / XXX(2) / 2015–30(39)2014, 28.04.2015	160

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
48.	राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को संसूचित किये जाने के संबंध में।	198/XXX(2)/2016, 08.08.2016	166
49.	पदोन्नति हेतु आयोजित की जाने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पूर्व वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के संसूचित किये जाने तथा प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण के संबंध में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।	273/XXX(2)/2016/30(39)/2014, 28.10.2016	168
50.	पदोन्नति हेतु आयोजित की जाने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पूर्व वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के संसूचित किये जाने तथा प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।	277/XXX–2/2017, 22.09.2017	170
	भाग–8 **आयु सीमा, आयु सीमा में छूट से संबंधित शासनादेश एवं नियमावली**		
51.	उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2014	12/XXX(2)/2014–55(41)2004, 31.01.2014	171
52.	उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014	107/XXX(2)/2014/55(41)2004, 25.02.2014	172
53.	राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'ग' के उच्च पदों पर भर्ती हेतु आवेदन में आयु सीमा में छूट दिये जाने के संबंध में	406/XXX(2)/2021–55(41)/2004, 18.01.2021	173
54.	कतिपय श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों को उनके लिए आरक्षित सिविल सेवा में शैक्षिक अर्हता में समक्षता/छूट के सम्बन्ध में।	38/XXX(2)/2021–30(21)/2018, 18.02.2021	175
	भाग–9 **अनिवार्य, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अधिवर्षिता आयु**		
55.	राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति।	217/XXX(2)/2017/55(2)2001, 06.07.2017	177
56.	राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति।	256/XXX(2)/2019–55(02)2001, 14.08.2019	179
57.	राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति।	218/XXX(2)/19–55(2)2001, 24.07.2019	180
58.	उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवा संवर्गों के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में।	51/XXX(2)/2020–55(2)/2001, 05.05.2020	182
	भाग–10 **दैनिक वेतन/संविदा/आउटसोर्स से संबंधित शासनादेश**		
59.	दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों के विनिमितीकरण नियमावली, 2013 के संबंध में।	37/रिट/XXX(2)/2014, 29.05.2014	190

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
60.	राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू किया जाना।	426/XXX(2)/2014–3(15)/2012, 12.09.2014	192
61.	दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 2013	1298/XXX(2)/2013–3(1)/2006 30.12.2013	194
62.	दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली, 2016	337/XXX(2)/2016/03(01)2006, 14.12.2016	199
63.	रिट याचिका संख्या– 616/एस0 बी0/2018 श्री नरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्देश के अनुपालन विषयक (विनियमितीकरण नियमावली, 2013 के संबंध में)	385/XXX(2)/18/03(01)/2006, 01.01.2019	200
64.	विनियमितिकरण (संशोधन) नियमावली, 2016 के अन्तर्गत विनियमित कार्मिकों को सीधी भर्ती में वेटेज प्वाईंट एवं आयु सीमा में छूट नियमावली, 2018	03/XXX–2/19/3(01)/2006, 07.01.2019	201
65.	राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत आउट सोर्सिंग के कार्मिकों को संविदा पर रखे जाने विषय।	354/XXX(2)/2016/31(20)/2016, 27.12.2016	203
66.	राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कार्मिकों को संविदा पर रखे जाने विषयक।	323/XXX(2)/2016/31(20)/2016, 19.12.2016	205
67.	विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के संबंध में दिशा–निर्देश।	111(1)/XXX(2)/2018–30(12)/ 2018, 27.04.2018	207
68.	विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के संबंध में दिशा–निर्देश।	167(1)/XXX(2)/2018–30(12)/ 2018, 14.06.2018	218
	भाग–11 **राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, सरकारी सेवक स्थाईकरण नियमावली, ज्येष्ठता नियमावली, सरकारी सेवक त्याग–पत्र नियमावली एवं सेवा समाप्ति नियमावली**		
69.	उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के संबंध में।	64/XXX(2)/16–30(07)2015, 29.02.2016	220
	भाग–12 **रोस्टर नीति**		
70.	राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/ निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण।	276/XXX(2)/2019–53(01)/2001, 11.09.2019	222

क्र.	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
71.	राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/ निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण।	124/XXX(2)/2020–53(01)/2001, 22.05.2020	231
72.	राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/ निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का अनुपालन के संबंध में दिशा–निर्देश।	51/XXX(2)/2021–53(01)/2001, 09.02.2021	241
	भाग–13 **वार्षिक स्थानान्तरण नीति**		
73.	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017	12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, 05.01.2018	245
74.	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–8 के संबंध में स्पष्टीकरण।	159/XXX(2)/18/30(13)/2018, 25.05.2018	268
75.	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–1 वर्ष 2018) के अनुपालन में विभिन्न विभागों के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा–निर्देश।	30/XXX(2)/2018/30(13)/2017, 06.02.2018	269
76.	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत कतिपय विभागों को स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों से छूट दिये जाने के संबंध में।	163/XXX(2)/18/30(11)/2018, 06.06.2018	274
77.	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत कतिपय विभागों को स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों से छूट दिये जाने के संबंध में।	206/XXX(2)/2020/30(13)/2017 टी0सी0 31.08.2020	278
	भाग–14 **निःशक्त व्यक्तियों के लिए शासनादेश**		
78.	निःशक्तजन को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के संबंध में।	32/XXX(2)/2014–03(11)/2012, 06.05.2014	280
79.	राज्याधीन सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत स्वीकृत पदो के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में क्षैतिज आरक्षण के प्राविधान लागू किया जाना।	102–A/XXX(2)/2014/30(5)2014, 30.06.2014	281
80.	राज्याधीन सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत स्वीकृत पदो के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में क्षैतिज आरक्षण के प्राविधान लागू किया जाना।	143/XXX(2)/2015–30(5)2014, 26.03.2015	283

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
81.	राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगों के लिये निर्धारित प्रतिशत के अंतर्गत स्वीकृत पदो के सापेक्ष रिक्तियों की गणना करते हुये बैकलॉग पूर्ण किया जाना।	148/XXX(2)/2016, 20.06.2016	284
82.	राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगों के लिये निर्धारित प्रतिशत के अंतर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्तियों की गणना करते हुये बैकलॉग पूर्ण किये जाने के संबंध में।	210/XXX(2)/2017, 03.07.2017	286
83.	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण संबंधी रोस्टर का क्रियान्वयन किये जाने के संबंध में।	209/XXX(2)/2017, 03.07.2017	288
84.	राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में दिव्यांगों के लिए निर्धारित 03 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 04 प्रतिशत किये जाने के संबंध में।	312(1)/XXX(2)/17/30(5)/2014 टी.सी. 27.10.2017	290
85.	राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगों को समूह क, ख, ग तथा घ के पदों में पदोन्नति में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।	112/XXX–2/2018–30(05)2014, 14.06.2018	292
86.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993)(संशोधन) अध्यादेश, 2019	232/XXXVI(3)/2019/44(1)/2019, 24.09.2019	295
87.	लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों में आवेदन हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क के संबंध में।	17/XXX(2)/19/55(35)/2003, 15.02.2019	299
88.	दिव्यांगजन हेतु विकलांगता की श्रेणी हेतु निहित प्राविधान के अन्तर्गत राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देश संबंधी कार्यालय ज्ञाप।	232/XXX(2)/2018/30(05)/2014, 26.09.2018	300
89.	दिव्यांगजन हेतु विकलांगता की श्रेणी हेतु निहित प्राविधान के अन्तर्गत राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देश संबंधी संशोधित कार्यालय ज्ञाप।	392/XXX(2)/2020/30(05)2014, 12.11.2020	305
90.	राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु लिखित परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक (लेखन सहायक) एवं अतिरिक्त सयम की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।	374/XXX(2)/2019–30(5)/2014 टीसी, 20.11.2019	308

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
	भाग–15 **लिपिक संवर्गीय पदों का पुनर्गठन एवं पदोन्नति हेतु पात्रता**		
91.	राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न संबंधी कार्यालय ज्ञाप।	355(I) / XXX(2) / 15–30(51)2015, 06.10.2015	316
92.	राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न संबंधी कार्यालय ज्ञाप।	90 / XXX(2) / 2016–30(51)15, 26.07.2016	317
	भाग–16 **चल, अचल सम्पत्ति का विवरण**		
क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
93.	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत् समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा अचल सम्पत्ति का प्रेषण।	408 / नि0स0 / प्र0स0का0 / 2014, 21.08.2014	318
94.	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत् समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा अचल सम्पत्ति का प्रेषण।	418 / XXX(2) / 2014, 28.08.2014	320
	भाग–17 **विविध**		
95.	श्रेणी 'ख' तथा 'ग' के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।	450 / XXX(2) / 2014, 03.11.2014	322
96.	सेवायोजन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने हेतु निर्देश संबंधी कार्यालय ज्ञाप।	522 / XXX(2) / 2014–30(78)2014, 11.12.2014	324
97.	कर्मचारी संगठनों से उनके सेवा संबंधी मामलों में वार्ता करने के संबंध में।	278 / XXX(2) / 2014, 16.06.2014	325
98.	कैम्प कार्यालयों में संबद्धीकरण से संबंधित।	187 / रिट / XXX (2) / 2014–31(13)2014, 08.12.2014	326
99.	विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने के संबंध में।	277 / XXX(2) / 2014, 16.06.2014	327
100.	विभागीय पदोन्नति समिति (डी0पी0सी0) की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित विभाग / शासन द्वारा नामित सदस्यों की सूचना लोक सेवा आयोग, हरिद्वार कार्यालय को प्रेषित किये जाने के संबंध में।	223 / XXX(2) / 2014, 19.05.2014	328

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
101.	राजकीय विभागों में तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों को अधिमान दिया जाना।	276/XXX(2)/2014–30(13)/2014, 27.06.2014	329
102.	राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन गठित आयोगों/निगमों/संस्थाओं में पुनर्नियुक्ति/अनुबंधात्मक रूप से नियुक्ति के संबंध में।	140/XXX/(2)2014–3(1)/2012, 27.03.2014	330
103.	राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के स्थानान्तरण, कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण के संबंध में।	442/XXX(2)/2014, 20.10.2014	331
104.	लोक सेवकों को कर्तव्यों के निर्वहन हेतु टी0आर0एस0 सुब्रमण्यम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में।	46/XXX(2)/2014, 30.01.2014	334
105.	उर्दू अनुवादकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने के संबंध में।	110/XXX(2)/2014–30(7)/2014, 03.03.2014	336
106.	उत्तराखण्ड कलक्ट्रेट मिनिस्टीरियल कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में।	161/रिट/XXX(2)/2014, 03.11.2014	337
107.	एक शासकीय विभाग से दूसरे शासकीय विभाग में तैनाती पर प्रास्थिति।	490/XXX(2)/2015, 21.12.2015	339
108.	सेवा नियमावलियों के प्रख्यापन से पूर्व लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने के संबंध में।	190/XXX(2)/2015, 21.05.2015	341
109.	सेवा नियमावली प्रख्यापन के संबंध में।	80/XXX(2)/2015, 04.03.2015	343
110.	सेवा नियमावलियों में बदलते परिवेश तथा नवीनतम उपाधियों के अनुरूप शैक्षिक अर्हताओं का पुनर्निर्धारण किये जाने के संबंध में।	112/XXX(2)/2015, 24.07.2015	345
111.	विभागीय संरचनाओं के संबंध में।	55/XXX(2)/2015, 06.02.2015	347
112.	राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित व्यक्तियों को समूह 'ग' के पद हेतु आवेदन करने के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण से छूट प्रदान करने विषयक।	310/XXX(2)/2015, 28.07.2015	349
113.	राज्य सरकार के अन्तर्गत गठित विभिन्न आयोगों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के संबंध में।	224/XXX(2)/2016/30(15)/2016, 30.08.2016	350
114.	विभिन्न संवर्ग में रिक्त पदों पर विभागीय चयन समिति की बैठक के संबंध में।	381/XXX–2/2017–30(48)/2017, 15.12.2017	351
115.	सेवा संघों/परिसंघों को मान्यता दिये जाने के संबंध में।	385/XXX(2)/2017–03(9)/2012 26.12.2017	353
116.	राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाले अभिलेखों के प्रमाणीकरण के संबंध में।	322/XXX–2/2017/30(78)2014, 02.11.2017	354
117.	सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के समान राजकीय वाहन चालकों को शासकीय व्यय पर न्यायालय में चल रहे वादों के प्रतिवाद की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।	09/XXX(2)/2017/30(56)/2015, 03.01.2017	355
118.	भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक (उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी) के आश्रितों की राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन नियमावली, 2018	261/XXX(2)/18–30(05)/2018, 20.11.2018	356

क्र.	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
119.	भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक (उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी) के आश्रितों की राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन (संशोधन) नियमावली, 2019	163/XXX–2/19–30(5)/2018, 01.07.2019	361
120.	अधिवर्षिता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों को पुनर्नियुक्ति अथवा अनुबन्धात्मक रूप से तैनाती प्रदान किये जाने के संबंध में।	152/XXX(2)/2020/30(1)/2012, 08.09.2020	364
121.	उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग(Forgo) नियमावली, 2020	223/XXX(2)/2020–30(22)/2018, 07.08.2020	367
122.	रिट याचिका(पी0आई0एल0) संख्या–67/2011 के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.2013 विषयक। (राज्य आंदोलनकारियों से संबंधित)	1130/XXX(2)/2013, 23.12.2013	373
123.	जनहित याचिका 67/2011 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के संबंध में।	54/XXX(2)/2017, 23.02.2017	374
124.	रिट याचिका संख्या–67/2011 के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दि0 07.03.2018 को पारित निर्णय के अनुपालन विषयक। (राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण से संबंधित)	364/XXX(2)/18/30(36)/2014, 05.12.2018	375
125.	विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा किये जाने वाले कार्यबहिष्कार विषयक प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 के अनुपालन के संबंध में।	280/XXX(2)2018/04/का0–2/13, 13.12.2018	376
126.	साक्षात्कार की व्यवस्था न रखने संबंधी कार्यालय ज्ञाप।	752/XXX(2)/2007, 25.04.2007	378
127.	समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार समाप्त करते हुए वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित किये जाने के संबंध में।	1209/XXX(2)/2007, 10.07.2007	380

भाग—1

लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले सेवाओं से संबंधित शासनादेश एवं नियमावली

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक विभाग–2

संख्याः 234/XXX–(2)/2014–30(17)/2014
देहरादूनःदिनांक 21 मई, 2014

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (प्रारम्भिक परीक्षा) नियमावली, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (प्रारम्भिक परीक्षा) (संशोधन) नियमावली–2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

1(1)इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (प्रारम्भिक परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2014 है।

2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–3 के उपनियम (4) के खण्ड (एक) व (दो) का संशोधनः–

2. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (प्रारम्भिक परीक्षा) नियमावली, 2002 के नियम 3 के उपनियम (4) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान खण्ड(एक) एवं (दो) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड (एक) एवं (दो) रख दिये जायेगें, अर्थातः–

स्तम्भ–1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(एक) प्रारम्भिक परीक्षा में, दो घण्टे की अवधि के बराबर–बराबर अंक के दो प्रश्न–पत्र होंगे। इनमें एक प्रश्न–पत्र सामान्य ज्ञान तथा दूसरा प्रश्न–पत्र उन विषयों में से एक का होगा, जिसका विकल्प अभ्यर्थी द्वारा उस सेवा के मुख्य परीक्षा के लिये अनुमत वैकल्पिक विषयों में से किया जायेगा।	(एक) सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के प्रारम्भिक परीक्षा में, दो घण्टे की अवधि के बराबर–बराबर अंक के दो अनिवार्य प्रश्न–पत्र होंगे, इनमें एक प्रश्न–पत्र सामान्य अध्ययन तथा दूसरा प्रश्न–पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा का होगा, किन्तु अन्य सेवाओं के चयन

विशेष– शासन द्वारा अधिसूचना संख्या–956/xxx(2)/2009, दिनांक 24 अगस्त, 2009 द्वारा निम्नवत् संशोधन किया गया था:–

मूल नियमावली के नियम– 3 के उपनियम (4) के खण्ड (एक) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्

"परन्तुक यह कि विशेष परिस्थिति में आयोग शासन के पूर्वानुमोदन से सामान्य ज्ञान के केवल एक प्रश्न–पत्र के आधार पर भी प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित करा सकेगा"।

(दो) उस दशा में जहां केवल साक्षात्कार द्वारा ही चयन विहित हो, प्रारम्भिक परीक्षा में दो घण्टे की अवधि का एक प्रश्न–पत्र सामान्य ज्ञान और पद पर कार्य की प्रकृति से सुसंगत विषय पर होगा।

विशेष– अवगत कराना है कि आयोग के पत्र संख्या: 140/पाठ्यक्रम/समूह 'ग'/सीधी भर्ती/अतिगोपन–2/2012–13 दिनांक 07.08.2012 के क्रम में शासन के पत्र संख्या 854/XXX(2)/2012 दिनांक 11 सितम्बर, 2012 को इस खण्ड में निम्नवत् संशोधन किया गया था:–

(दो) उस दशा में जहां केवल साक्षात्कार द्वारा ही चयन विहित हो, प्रारम्भिक परीक्षा में दो घण्टें की अवधि का एक प्रश्न–पत्र सामान्य ज्ञान विषय पर होगा।

(उत्तराखण्ड राज्य न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) को छोड़कर) हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रारम्भिक /स्क्रीनिंग परीक्षा में दो घण्टे की अवधि का एक प्रश्न–पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा का होगा।

परन्तु यह कि जहां किसी चयन हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में शासन द्वारा प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम अनुमोदित है, वहां अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर दो घण्टे की अवधि का एक प्रश्न –पत्र प्रारम्भिक/ स्क्रीनिंग परीक्षाओं के लिये होगा।

(दो) उस दशा में जहां केवल साक्षात्कार द्वारा ही चयन विहित हो, स्क्रीनिंग परीक्षा में दो घण्टे की अवधि का एक प्रश्न–पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा का होगा, किन्तु जहां केवल साक्षात्कार के माध्यम से किसी पद विशेष पर चयन हेतु शासन द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम अनुमोदित है, वहां अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर दो घण्टे की अवधि का एक प्रश्न–पत्र स्क्रीनिंग परीक्षा के लिये होगा।

आज्ञा से,

(डॉ0 एस0एस0संधु)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /XXX(2)/18/30(16)/2014

प्रेषक,

एस०एस०वल्दिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 01 जुलाई, 2018

विषयः–उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ प्रारम्भिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र (सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा) को केवल क्वालीफाइंग प्रकृति का किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या–96/पाठ्यक्रम/AG-2-UKPSC/ 2017–18 दिनांक 07.03.2018 के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र (सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा) को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा की भाँति केवल क्वालीफाइंग प्रकृति का किये जाने एवं इसी क्रम में पाठ्यक्रम के अनुमोदन के अनुरोध संबंधी आयोग के प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा की आगामी परीक्षा में प्रारम्भिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र अर्हकारी प्रकृति का होगा, जिसमें न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम उक्त प्रस्तर–1 में दी गयी सहमति के अधीन अंततः प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट के अनुसार किया जायेगा।

भवदीय,

(एस०एस०वल्दिया)
अपर सचिव

संख्या 201/XXX(2)/18/30(17)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 292/XXX(2)/16–55(27)/2002
देहरादून दिनांक 01.09, 2016

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तरांचल लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) (संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) (संशोधन) नियमावली, 2016 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

उत्तरांचल शब्द के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

2 उत्तरांचल लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, में जहां–जहां ''उत्तरांचल'' शब्द आया है वहां वह शब्द ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा।

नियम 11 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 11 के उपनियम (3) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
चयन समिति 11 (3) उसी विभाग या किसी अन्य विभाग का सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई ज्येष्ठ अधिकारी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्यपाल नियुक्ति प्राधिकारी हों तो 'सामान्यतया' उक्त विभाग का विभागाध्यक्ष इस खण्ड के अधीन नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।	**11.चयन समिति** 11 (3) उसी विभाग या किसी अन्य विभाग का सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई ज्येष्ठ अधिकारी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्यपाल नियुक्ति प्राधिकारी हों तो 'सामान्यतया' उक्त विभाग का विभागाध्यक्ष इस खण्ड के अधीन नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। परन्तु अपरिहार्य परिस्थिति में विभागाध्यक्ष द्वारा अपने अधीन कार्यरत एक पंक्ति नीचे के अधिकारी का नाम निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव

संख्या 955 /XXX(2) 2014

प्रेषक,

रमेश चन्द्र लोहनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
जनपद–हरिद्वार।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 30 मई,2014

विषय–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं/चयनों हेतु पर्यवेक्षकों/पेपर सेटर्स/विषय विशेषज्ञों आदि की पारिश्रमिक/मानदेय/यात्रा भत्ता की दरों के पुनर्निधारण के संबधं मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक–50/अतिगोपन–1/2013–14, दिनांक 08 अगस्त, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1241/XXX(2)/2011 दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 74/XXX(2)/2012 दिनांक 13 फरवरी, 2012 द्वारा आयोग में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं/चयनों हेतु पर्यवेक्षकों/पेपर सेटर्स/विषय विशेषज्ञों आदि की पारिश्रमिक/मानदेय/यात्रा भत्ता की दरें निम्नवत कालम–4 के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान दरें	पुनरीक्षित दरें
1	2	3	4
01	पेपर सैटर्स	रू0 2250/– प्रति प्रश्न पत्र	रू0 3250/– प्रति प्रश्न पत्र
02	मॉडरेटर्स	रू0 1500/– प्रति प्रश्न पत्र	रू0 2500/– प्रति प्रश्न पत्र
03	परीक्षक	(1) सामान्य अध्ययन विषय से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं जिनमें एक दिन में अधिकतम 35 उत्तर पुस्तिकाऐं हों, के सम्बन्ध में रू0 700/–प्रतिदिन तथा रू0 37/– प्रति उत्तर पुस्तिका, (3) किसी प्रश्न पत्र/विषय के सम्बन्ध में एक दिन में 35 से कम उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराने की दशा में न्यूनतम कुल धनराशि 1500/– प्रतिदिन	(1) सामान्य अध्ययन विषय से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं जिनमें एक दिन में अधिकतम 35 उत्तर पुस्तिकाऐं हों, के सम्बन्ध में रू0 1500/– प्रतिदिन तथा रू0 70/– प्रति उत्तर पुस्तिका, किसी प्रश्न पत्र/विषय के सम्बन्ध में एक दिन में 35 से कम उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराने की दशा में न्यूनतम कुल धनराशि 2500/– प्रतिदिन

		(नियमानुसार टी0ए0/ डी0ए0 केन्द्रीय मूल्यांकन की दशा में)	(नियमानुसार टी0ए0/डी0ए0 केन्द्रीय मूल्यांकन की दशा में)
04	प्रश्नांश लेखक (Item Writers)	(1) रू0 37/– प्रति आईटम व अनुमोदित होने पर कुल रू0 60/– प्रति अनुमोदित आईटम (2) आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर आईटम तैयार करने की स्थिति में रू0 375/– प्रतिदिन तथा 37 प्रति आईटम व अनुमोदित होने पर कुल रू0 60/– प्रति अनुमोदित आईटम। इसके अतिरिक्ति नियमानुसार टी0ए0/ डी0ए0	(1) रू0 70/– प्रति आईटम वं अनुमोदित होने पर कुल रू0 100/– प्रति अनुमोदित आईटम (2) आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर आईटम तैयार करने की स्थिति में रू0 750/– प्रतिदिन तथा 70 प्रति आईटम व अनुमोदित होने पर कुल रू0 100/– प्रति अनुमोदित आईटम। इसके अतिरिक्ति नियमानुसार टी0ए0 / डी0ए0
05	आयोग कार्यालय में पेपर सैटर्स एवं समीक्षकों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए।	रू0 1500/– प्रति कार्यदिवस तथा नियमानुसार टी0ए0/ डी0ए0	रू0 2500/– प्रति कार्यदिवस तथा नियमानुसार टी0ए0/डी0ए0
06	आयोग कार्यालय में केन्द्रीय मूल्यांकन में पधारे मुख्य परीक्षकों/प्रादर्श उत्तर निर्माताओं हेतु	रू0 1500/– प्रत्येक कार्यदिवस तथा नियमानुसार टी0ए0/ डी0ए0	रू0 2500/– प्रत्येक कार्यदिवस तथा नियमानुसार टी0ए0/डी0ए0
07	साक्षात्कार हेतु अथवा अन्य कार्य हेतु आयोग में बुलाये गये विषय विशेषज्ञ/अन्य विशेषज्ञ/परामर्शदाता	रू0 1500/– प्रत्येक कार्यदिवस तथा नियमानुसार टी0ए0/डी0ए0	रू0 2500/– प्रत्येक कार्यदिवस तथा नियमानुसार टी0ए0/डी0ए0
08	पर्यवेक्षक समन्वयी	रू0 750/– प्रतिदिन	रू0 1500/– प्रतिदिन
09	सहायक समन्वयी पर्यवेक्षक	रू0 500/– प्रतिदिन	रू0 1000/– प्रतिदिन
10	पर्यवेक्षक/अतिरिक्त पर्यवेक्षक (आयोग प्रतिनिधि)	रू0 500/– प्रतिदिन	रू0 1000/– प्रतिदिन
11	सहायक पर्यवेक्षक	रू0 400/– प्रतिदिन	रू0 800/– प्रतिदिन
12	अन्तरीक्षक	रू0 300/– प्रतिदिन	रू0 500/– प्रतिपाली या एक से अधिक पाली होने की दशा में रू0 700/– प्रतिदिन

13	लिपिक व अन्य समकक्ष कर्मचारी	रू0 250/– प्रतिदिन	रू0 500/– प्रतिदिन या एक से अधिक सत्र की दशा में प्रति सत्र रू0 350/–
14	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अथवा अन्य समकक्ष कर्मचारी	रू0 150/– प्रतिदिन	रू0 250/– प्रतिपाली या एक से अधिक पाली होने की दशा में रू0 350/– प्रतिदिन
15	यात्रा भत्ता	रू0 6.75/– प्रति किलोमीटर	रू0 10/– प्रति किलोमीटर

2– उक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

3– भविष्य में दरों में वृद्धि का प्रस्ताव प्रेषित करने के पूर्व लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की उक्त दरों का विवरण प्राप्त करके ही औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

4– इस संबंध में होने वाला व्यय संबंधित वित्तीय आय–व्ययक के अनुदान संख्या–09, आयोजनेत्तर के लेखाशीर्षक–2051–लोक सेवा आयोग–102–राज्य लोक सेवा आयोग–03 राज्य लोक सेवा आयोग के सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–576/xxxvii(7)/2014 दिनांक 29 मई,2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

संख्या /XXX(2) 2014 , तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4– वित्त(वे0आ0सा0नि0) अनुभाग–7
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
6– विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

भाग–2

लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु नियमावली एवं शासनादेश

संख्या 03 /XXX(4)/2015 03(3)/2015

प्रेषक

अतर सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सचिव
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्मिक अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांक 04 सितम्बर, 2015

विषयः– राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिये आवेदन करने हेतु आवेदन/परीक्षा शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–150/ले0–2(25).(शु0निर्धा0)/2015–16, दिनांक 21 जुलाई, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिये आवेदन करने हेतु आवेदन/परीक्षा शुल्क में वृद्धि किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2– आवेदन/परीक्षा शुल्क में वृद्धि के उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 द्वारा निर्धारित दरों को संशोधित करते हुये राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिये आवेदन करने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु ₹ 150.00 प्रति आवेदन एवं सामान्य/अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु ₹ 300.00 प्रति आवेदन परीक्षा शुल्क तत्काल प्रभाव से पुनः निर्धारित किया जाता है ।

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या– 03 /XXX(4)/2015–03(3)/2015, तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
2– प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड ।
3– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
4– सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।
5– महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
6– सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, हरिद्वार ।
7– अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून/ गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या– 188 / XXX(2) / 2015

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 13 मई, 2015

विषयः– उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अन्तर्गत समूह 'ग' में भर्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–20 वर्ष 2014) प्रख्यापित किया गया है जिसकी धारा–2 में की गयी व्यवस्था के अनुसार इस अधिनियम के उपबन्ध लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह 'ग' के समस्त सीधी भर्ती के पदों पर लागू होगी। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या अन्य निकाय के समूह 'ग' के पदों को भी आयोग की परिधि में रख सकती हैं अथवा हटा सकती है।

2– उपर्युक्त से स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह 'ग' के समस्त पदों को उक्त अधिनियम के प्राविधान के अन्तर्गत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 71 / XXX(2) / 2012 दिनांक 07.05.2012 में समूह 'ग' के पदों को वर्गीकृत किया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 की ऊपर उल्लिखित धारा के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समस्त समूह 'ग' के पद उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आ गये हैं।

3– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह 'ग' के पदों पर अपने अधीनस्थ विभागों के अन्तर्गत चयन की कार्यवाही हेतु अधियाचन कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित अधियाचन प्रारूप संख्या–1 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संबंधित पदों के चयन के संबंध में कार्यवाही की जा सकें।

क्रमश.....2

4— आपसे यह अनुरोध है कि कृपया उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किये जाने वाले अधियाचन परिपत्र के साथ रिक्त पदों की सूचना, आरक्षण की गणना तथा संबंधित पदों की सेवा नियमावली भी सम्प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या— /XXX(2)/2015/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य निर्वाचन परिसर, लाडपुर रिंग रोड देहरादून, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

File-1

संख्या-170/XXX(2)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

3— समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

4— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 6 मई, 2017

विषयः—समूह 'ग' के पदों हेतु सेवायोजन कार्यालय में अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम–4 में निम्न प्राविधान किया गया है :—

नियम–4—लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय पंजीकृत होगा।

परन्तु यह कि जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।

2— उपर्युक्त नियमावली भारत का संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके प्रख्यापित की गयी है। नियमावली के नियम–2 में यह भी प्राविधान किया गया है कि "किसी अन्य सेवा नियमावली के नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे" अर्थात् उक्त नियमावली का अध्यारोही प्रभाव सभी सेवानियमावलियों तथा आदेशों पर होगा।

3— शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के संबंध में उपर्युक्त नियमावली के अनुसार भर्ती के लिए पंजीकरण को हटाये

जाने के लिए समूह 'ग' के पदों को राजपत्रित घोषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जो कि उचित नहीं है। इस प्रकार की कार्यवाही को शासन द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर भर्ती हेतु नियमावली, 2010 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या— / XXX(2)/2017/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्याः 188 / XXX(2) / 2018

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लाडपुर, रिंग रोड़,
देहरादून।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 29 जून, 2018

विषयः– उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकारों / लेखा परीक्षकों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन में अनिवार्य अर्हताओं में से "ओ" लेवल सर्टिफिकेट की बाध्यता को समाप्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–233, दिनांक 02.06.2017 तथा पत्र संख्या–317 / परीक्षा–अधियाचन / 2018, दिनांक 10.05.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जारी की गई विज्ञप्ति दिनांक 30.02.2016, दिनांक 03.08.2016 तथा दिनांक 21.09.2016 के क्रम में सहायक लेखाकार के पदों हेतु "ओ" लेवल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त कर सभी विभागों के लिए एक समान सेवा नियमावली (अध्यारोही प्रभाव से) जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध मे उल्लेखनीय है कि यद्यपि अधीनस्थ कार्यालयों के सहायक लेखाकार के पद पर राज्याधीन सेवाओं में सहायक लेखाकार की समान सेवा नियमावली प्रख्यापित किया जाना विचाराधीन है किन्तु ऐसी सेवा नियमावली का पूर्वगामी प्रभाव नहीं होगा।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के संबंध में तत्समय विभिन्न विभागों के अंतर्गत प्रवृत्त सेवा नियमों में उल्लिखित प्राविधानानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा। तद्नुसार यथा प्रक्रिया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी),
अपर मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 21 /XXX(2)/2018–30(44)/2017
देहरादूनः 21 मई, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्य में अधीनस्थ सरकारी कार्यालयों में वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018

भाग–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा नियमावली का लागू होना

2. (1) इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक के पदों से भिन्न निम्नवत् श्रेणी के वैयक्तिक सहायक वर्गीय पदों पर भर्ती (जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो और जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर हो) नियंत्रित होगी, किन्तु इसके द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण से बाहर और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान के पद नियंत्रित नहीं होंगे।

(2) ऐसे वैयक्तिक सहायक वर्गीय पदों पर जिन पर यह नियमावली लागू होती है, सभी रिक्तियों के प्रति भर्ती इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

अन्य नियमों से असंगतता का प्रभाव

3. इस नियमावली और किसी विशिष्ट सेवा नियमावली के बीच कोई असंगति होने की दशा में–

(एक) इस नियमावली के उपबन्ध असंगति की सीमा तक अभिभावी होंगे यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों; और

(दो) विशिष्ट नियमों के उपबन्ध उस दशा में अभिभावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् बनाये जायें।

परिभाषायें

4. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी अधीनस्थ कार्यालय में किसी वैयक्तिक सहायक वर्गीय पद के सम्बन्ध में, उस प्राधिकारी से है जो उस पद पर सुसंगत नियमों या आदेशों के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त हो;

(ख) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ग) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "उच्च न्यायालय" से उच्च न्यायालय, नैनीताल अभिप्रेत है;

(च) "कार्यालय अध्यक्ष" से किसी कार्यालय के सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) "वैयक्तिक सहायक वर्गीय कर्मचारी वर्ग" से अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे वैयक्तिक सहायक कर्मचारी अभिप्रेत हैं जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करना अपेक्षित हो;

(ज) "अधीनस्थ कार्यालय" से सरकार के नियंत्रण में सभी कार्यालय अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान नहीं हैं;

(झ) "छंटनी किया गया कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है–

(एक) जो राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये जिसमें से कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए, नियोजित था,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अभिमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है, और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

किन्तु, इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है;

(ट) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो

सेवा का संवर्ग

सेवा संवर्ग

5. किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में वैयक्तिक सहायक वर्गीय कर्मचारी सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये :

परन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद या पदों के किसी वर्ग को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा :

परन्तु, यह और कि सरकार का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से समय–समय पर किसी विभाग/कार्यालय में ऐसे स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकता है जिन्हें आवश्यक समझा जाये।

भाग–तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत

6. किसी अधीनस्थ कार्यालय में वैयक्तिक सहायक वर्गीय कर्मचारी सेवा की निम्नतम् श्रेणी में भर्ती नियम 9 में यथा उपबन्धित शैक्षिक और अन्य उपलब्धियों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन संस्था के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

भाग–चार

अर्हताएं

आरक्षण

7. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य–श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

राष्ट्रीयता

8. इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का, ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश–केन्या, युगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु, उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु, यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से ही इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हताएं

9. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, के साथ–साथ हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी।

अधिमानी अर्हता

10. अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो;

(तीन) स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

आयु

11. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

भूतपूर्व सैनिकों और कुछ अन्य श्रेणियों के लिये छूट

12. भूतपूर्व सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों, उत्तराखण्ड सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों, खिलाड़ियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताओं में या भर्ती की किन्हीं प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियमों और आदेशों के अनुसार होगी।

चरित्र

13. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

14. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसका एक से अधिक पति जीवित है :

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

15. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये मूलनियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

भाग–पाँच
भर्ती की प्रक्रिया

प्रक्रिया

16. सभी अधीनस्थ कार्यालयों में वैयक्तिक सहायक वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती समूह "ग" के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया नियमावली में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार एक ही साथ की जायेगी।

सीधी भर्ती द्वारा

17. वैयक्तिक सहायक के पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ प्रतियोगी परीक्षा सरकार द्वारा नामित संस्था उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किया जायेगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को, उनकी प्रवीणता–कम में, लिखित परीक्षा व प्रतियोगिता परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग के आधार पर एक सूची तैयार की जायेगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की यह सूची विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

भर्ती प्रति वर्ष की जायेगी

18. इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन प्रतिवर्ष या जब कभी आवश्यक हो, किया जायेगा।

रिक्तियों की अवधारणा

19. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–7 के अधीन आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। रिक्तियों की सूचना उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजी जायेगी।

चयन प्रक्रिया

20. विभागीय चयन समिति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह "ग" के पदों के लिये चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह 'ग" के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2008 में विहित की गयी हो।

भाग–छः
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति

21. नियम 17 में निर्दिष्ट चयन सूची चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चयन में प्राप्त कुल अंक उल्लिखित किये जायेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम अभ्यर्थियों की योग्यतानुसार एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये जायेंगे और नियुक्ति का प्रस्ताव उसी क्रम में किया

जायेगा जिसमें उनके नाम सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये हों। चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी।

परिवीक्षा

22.(1) जहां किसी विशिष्ट सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों से अन्यथा उपबन्धित हो, उसके सिवाय विभाग/कार्यालय में, किसी स्थायी रिक्ति में, किसी पद पर नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा :

परन्तु, यह कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये:

परन्तु, यह और कि परिवीक्षा अवधि किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को उस पद के लिये परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

23. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा–अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण अच्छा पाया जाये, उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

24(1) एतद्पश्चात यथाउपबन्धित के सिवाय इस नियमावली के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी :

परन्तु, यह कि यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु, यह कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग–सात
वेतन इत्यादि

वेतनमान

25(1) विभाग/कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हों, या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

26. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन–वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो:

परन्तु, यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु, यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ
अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

27. पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया

जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से, अपनी अभ्यर्थता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

28. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

29. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलों में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

30. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no।९।/XXX(2)/2018-30(44)/2017 dated९।..May, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel Section-2
No- ।९।/XXX(2)/2018-30(44)/2017
Dehradun, Dated९। May, 2018

Notification

Miscellenous

In exercise of the Powers conferred by the provisions to Article 309 of "the constitution of India" and in Suppression of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules for regulating the recuritment of Personal Assistant Staff Service Cadre in Subordinate Governement Office in the State-

The Subordinate Office Personal Assistant Staff Service Cadre (Direct Recruitment) Rules, 2018

Part-1

General

Short title and Commencement

1.(1) These rules may be called Subordinate Office, Personal Assistant Staff Service Cadre (Direct Recruitment) Rules, 2018

(2) It shall come into force at once,

Application of Service Rules

2.(1) Under this Rules, the recruitment of the following Personal Assistant Category posts other than the posts of clerks in all subordinate office under the control of the Government (which is expected to be filled by direct recruitment and which is outside the purview of Public Service Commission) shall be controlled, but the Uttarakand Secretariat, State Legislative, Lokayukta, Public Service Commission, High Court, Subbordinate Courts, outside the control and supridence of High court, office of Advocate General and the post in establishment under the control of Advocate General shall not be controlled, through it.

(2) Such Personal Assistant Category Posts on which this Rules apply, recuritment to all vacancies shall be made according to the Provisions of this rules.

Effect of inconsistency with other rules:

3. In case of any inconsistency between this rules and any specific service rules -

(i) The provision of these rule shall prevail to the extent of inconsistency if specific rules have been made before the commencement of this rules.

(ii) The provision of specific rules shall prevail, if they are made after the commencement of this Rules.

Definitions

4. Unless the context, otherwise requires in this Rules.

(a) "Appointing Authority" means, in relation to the Personal Assistant category post, in subordinate office, such authority empowered to appoint on the post under the relevant rules and orders.

(b) "Constitution" means the Constitution of India.

(c) "Governor" means the Governor of Uttarakhand.

(d) "Government" means the State Government of Uttarakhand.

(e) "High Court" means the High Court Nainital.

(f) "Head of the Office" means highest Gazzeted Officer of the office.

(g) "Personal Assistant Staff Class" means such personal assistant staff of subordinate offices which are required to appoint by direct recruitment.

(h) "Subordinate Office" means all offices under the control of Government, but it does not include Uttarakhand Secretariat, State Legislature, Lokayukt, Public Service Commission, High Court, Subordinate Courts under the control and Superintendence of High Court, Office of Advocate General, Uttarakhand and establishment under Control of Advocate General.

(i) "Retrenchment employee" means such person-

(i) Who, under the power of making rules by Governor, employed in any post, permanent, temporary or in officiating form for a minimum period of one year for which atleast three months of service should have been as continuous service

(ii) Who may or may be released from the service due to lack of deprivation or liquidation in establishment.

(iii) In respect of which the certificate issued by Appointing Authority to be retrenchment employee; Provided that, there is no person employed only on adhoc basis, under it.

(J) "Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part-2

Cadre of Service

Cadre of Service

5. The strength of service of Personal Assistant staff class in specific Department/office and of each category shall be as such as may be determined by the Government from time to time.

Provided that the Appointing Authority may leave unfilled any vacant post or categories posts or the Governor may held in abeyance, without thereby entitling any person to compensation;

Provided further that any administrative Department of Government with the consult of Personal Department and Finance Department may create such permanent or temporary post in any department/office which are considered necessary from time to time.

Part-3

Recruitment

Source of recruitment

6. In the subordinate office recruitment in the lowest category of personal assistant category service, shall be made on the basis of academic and other achievements as provided in rule 9 by direct recruitment through the selection institution specified in rule 17.

Part IV

Qualification

Reservation

7. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward classes and other categories, of the Uttarakhand shall be in accordance with the orders of Government in force at the time of recruitment.

Nationality

8. A candidate for direct recruitment to appointment in services under the provisions of this Rules, must be-

(a) A citizen of India

(b) A Tibetan refugee who came over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India,

(c) A person of Indian origin migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the East African Country of Keneya, Uganda or United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) must be a person in whose favour Certificate of eligibility has been issued by the State Government.

Provided further that a candidate belonging to category (b) shall also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch Uttarakhand:

Provided also that, if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility shall be issued for a period of more than one year and such a candidate be retained in the service for a period exceeding one year subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note: A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate obtained by him or issued in his favour.

Educational Qualification

9. For direct recruitment, it is necessary that the candidate has passed the Intermidiate examination of Uttar Pradesh Secondary Education Board or Uttarakhand Education and Examination Board or any other examination declared by the Government as its equivalent, alongwith it minimum speed of 80 words per minute in hindi shorthand and minimum 4000 Key Depression per hour speed in hindi typing on computer and it is compulsory to pass one year computer course from recognized institute.

Preferential Qualification

10. Other things being equal, in the matters of direct recruitment preference shall be given to the candidate-

(a) Who has served in the Territorial Army for a minimum period of two years: or

(b) Who has obtained a 'B' or 'C' certificated of the National Cadet Corps;

(c) Who has obtained Graduation/Post Graduation degree.

Age

11. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and not more than 42 years on the first day of July in which recruitment are to be made.

Provided that the upper age limit in the case of candidate of scheduled cast,

scheduled tribe, other backward classes and such other categories as may be notified by the Government time to time, shall be greater by such number of years as specified.

Relaxation for ex-serviceman and some other category

12. In favour of Ex-serviceman, Paramilitary force, disabled soldier, dependent of dead soldier in the war, after the death of the Uttarakhand Government servant, during service, their dependent, sportsman, scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes and other categories, relaxation in maximum age limit, educational qualification or any procedural requirement in recruitment, if any, according to the general rules and order of the Government in force at the time of recruitment.

Character

13. For direct recruitment, the character of a candidate must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy himself on this point.

Note:- A person dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a corporation or Body, owned or controlled by the Union Government or a State Government, shall not be eligible for appointment to a post in the Service, a person convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

14. A male candidate shall not be eligible for the appointment to any post in the Service who has married more than one wife living and a female candidate shall not be eligible who has married more than one Husband living.

Provided that the Government may, if satisfied that there exists a special ground for doing so exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness

15. No candidate shall be appointed to a post in the service unless to be in good mental and

bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally recommended for appointment, he/she is required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under fundamental rule 10 contained in chapter III of Financial handbook, volume II, Part III.

Provided further that in order of section 33, post identified for this Purpose and the disabled in identified categories included in Section 34 the rule of The Right Person with Disability Act, (Act No. 49 of 2016) shall not be denied for appointment as per rules.

Part V

Procedure for Recruitment

Procedure

16. In all subordinate offices, recruitment of Personal Assistant class shall be made according to the procedure given in procedure for recruitment of Group 'C' Post rules, at a time.

By Direct recruitment

17. For the purpose of recruitment to the post of Personal Assistant, competitive examination shall be done by Govt. nominated institution, Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission. A list of candidates shall be prepared based on the aggregate of marks obtained by each candidate in written examination and competitive examination in the proficiency order by the commission. The list of candidates shall be forwarded to the Head of Department by the commission. If two or more candidates obtain equal marks in aggregate then the name of the candidate obtaining more marks in the written examination shall be placed at higher position in the list.

Recruitment shall be made every year

18. Selection for recruitment under this rules shall be made year or when necessary.

Determination of vacancies

19. The appointing authority shall determine and number of vacancies to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved under rule-7. Intimation of vacancies shall be sent to the Uttarakhand subordinate Service Selection Commission.

Selection Procedure

20. Selection procedure for the Group 'C' posts, vacancies to be filled through departmental selection committee shall be as such as prescribed in 'Group C' post outside the purview of Uttarakhand Public Service Commission, Direct recruitment rules, 2008.

Part – VI

Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

Appointment by Appointing Authority

21. The selection list prescribed in rule 17 shall be forwarded to Appointing Authority, by the selection committee, in which aggregate marks obtained in selection shall be mentioned. The name of General and reserved candidates shall be listed in one common list meritwise in proper order by the Appointing Authority and proposal of appointment shall be in such order as their names are listed in the common list. Selection list shall be valid for one year from the date of selection.

Probation

22.(1) Where it is otherwise provided, rules applicable to any service or post, except it every person appointed on any permanent post in department/office shall be placed on probation for one year.

Provided that the appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is extended.

Provided further that the period of probation shall not be extended beyond one year in any circumstance.

(2) If it appears to the Appointing Authority at any time or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to the post, on which he holds lien and if he does not hold lien on any post, his services shall be dispensed. He shall not be entitled to any compensation, in any condition.

(3) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre, to be taken into account for purpose of computing the period of probation.

Confirmation

23. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if his work and conduct is reported to be satisfactory, his integrity is certified and Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

24.(1) Except as hereinafter provided the seniority of persons appointed under this rule shall be determined by the date of order of substantive appointment and if two or more persons are appointed together, by the order in which there names are arranged in the appointment order.

Provided that if any previous particular date of substantive appointment is specified in appointment order of any person, then it shall be deemed as the date of order of substantive appointment and in other cases it means the date of issue of order.

(2) The seniority inter se of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the selection committee.

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reasons shall be final.

Part VII

Pay etc

Scales of pay

25.(1) The scales of pay admissible to Person appointed to the various categories of posts in the department/offices, whether in a substantive or officiating capacity or on a temporary measure, shall be such as determined by the Government, time to time.

Pay during Probation

26.(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary a person on probation if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment only when he is confirmed.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not be counted for increment, unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The Pay during Probation of a person who has already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant rules.

(3) The pay during probation of a person who was already holding a permanent post under the Government, shall be regulated by the relevant rules applicable to Government Servants generally serving in connection with the affairs of the State.

Part VIII

Other Provision

Canvassing

27. No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidate shall disqualify him for appointment.

Regulation of Other matters

28. In regard to the matters not specifically covered by these Rules or special orders, persons appointed in Post of different departments/office shall be governed by the rules, regulation and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation in the conditions of service

29. Where the Government is satisfied that the operation of any rule regulating the condition of service of the persons appointed in different departments offices causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in these rules applicable to the case by order, relax or dispense with the requirements of that rule to such extent and subject to such condition as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings

30. Nothing in these Rules shall affect reservation and concession required to be provide for the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,

(Radha Raturi)
Principal Secretary

The Subordinate Office Personal Assistant Staff Service Cadre (Direct Recruitment) (Amendment) Rules, 2021

Short title and Commencement

1.(1) These rules may be called the Subordinate Office, Personal Assistant Staff Service Cadre (Direct Recruitment) (Amendment) Rules, 2021.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 7

2. In the Subordinate Office Personal Assistant Staff Service Cadre (Direct Recruitment) Rules, 2018 (hereinafter referred to as the principal Rules), after the words "Other Backward classes" the words "Economically Weaker Sections" shall be inserted.

Amendment of rule 9

3. In the principal rule the existing rule 9 as set out in Column-1 below, the rules as set out in Column-2 shall be substituted, namely-

Column-1 Existing Rules	Column-2 Rules hereby as Substituted
9. For direct recruitment, it is necessary that the candidate has passed the Intermidiate examination of Uttar Pradesh Secondary Education Board or Uttarakhand Education and Examination Board or any other examination declared by the Government as its equivalent, alongwith it minimum speed of 80 words per minute in hindi shorthand and minimum 4000 Key Depression per hour speed in hindi typing on computer and it is compulsory to pass one year computer course from recognized institute.	9. For direct recruitment, it is necessary that the candidate has passed the Intermidiate examination of Uttar Pradesh Secondary Education Board or Uttarakhand Board of School Education or any other examination declared by the Government as its equivalent, alongwith it minimum speed of 80 words per minute in hindi shorthand and minimum 4000 Key Depression per hour speed in hindi typing is compulsory.

By Order,

RADHA RATURI,
Additional Chief Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 कार्मिक / 101–2021–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

नियम 7 का संशोधन

2. अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया) के नियम 7 में शब्द "अन्य पिछड़ा वर्ग" के पश्चात् शब्द "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" को अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा।

नियम 9 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, के साथ–साथ हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी।	9. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, के साथ–साथ हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of "The Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No. **16/XXX(2)/2021-30(44)/2017,** dated February 22, 2021 for general information:

No. 16/XXX(2)/2021-30(44)/2017
Dated Dehradun, February 22, 2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of "the Constitution of India" the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Subordinate Office Personal Assistant Staff Service Cadre (Direct Recruitment) Rules, 2018 :-

क्रम संख्या–15 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, सोमवार, 22 फरवरी, 2021 ई0
फाल्गुन 03, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

संख्या 16/XXX(2)/2021–30(44)/2017
देहरादून, 22 फरवरी, 2021

अधिसूचना

सा0प0नि0–07

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति प्रयोग करके अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भ नियमावली, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्याः /XXX(2)/2019-30(12)/19

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 05 अगस्त, 2019

विषय : राज्याधीन सेवाओं मे समूह 'ग' के पदों पर साक्षात्कार समाप्त करते हुए वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 752/XXX(2)/2007 दिनांक 23 अप्रैल, 2007 एवं परिपत्र संख्याः 1209/XXX(2)/2007 दिनांक 10 जुलाई, 2007 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार परीक्षा समाप्त करते हुए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective) रखे जाने तथा तद्नुसार ही सम्बन्धित सेवा नियमावली में संशोधन करने के निर्देश दिये गये, जिससे चयन में एकरूपता के दृष्टिगत प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक तथा प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिये जाने का प्राधिान रखे जाने के निर्देश दिये गये थे।

2– शासन के संज्ञान में आया है कि लोक सेवा आयोग के स्तर पर अभी भी समूह 'ग' के पदों पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से कराये जा रहे हैं तथा मा0 न्यायालयों के समक्ष विधिक वाद योजित हो रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा पूर्व निर्गत आदेशों के अनुपालन में सम्बन्धित सेवा नियमालियों में संशोधन करते हुए साक्षात्कार के स्थान पर वस्तुनिष्ठ (Objective) लिखित परीक्षा का प्राविधान करते हुए चयन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा रही है अथवा नहीं।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 752/XXX(2)/2007 दिनांक 23 अप्रैल, 2007 एवं परिपत्र संख्याः 1209/XXX(2)/2007 दिनांक 10 जुलाई, 2007 के बाद भी किन–किन प्रशासकीय विभागों द्वारा समूह 'ग' के पदों पर साक्षात्कार की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी हैं की सूचना एक सप्ताह के भीतर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग एवं सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के साथ एक बैठक प्रस्तावित है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 913(1)/XXX(2)/2019-30(12)/19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या 59 /XXX–2/19/01(17)/2012
देहरादून, 07 फरवरी, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ– 1(1). इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (तृतीय संशोधन), नियमावली 2019 है।

(2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 में नियम 4 उपनियम (1) के पश्चात् उपनियम 2 निम्नवत् अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

नियम 4 का उपनियम (2)		(2) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए, वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, तथा राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवासरत हैं, स्वयं तथा इनके पुत्र/पुत्री, समूह "ग" के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या 164 / XXX–2 / 19–01(17) / 2012
देहरादून, २९ जून, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थात्

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ–	1(1).	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019 है।
	(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 4 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4(2) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए, वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो,	4(2) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए, वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों तथा राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवासरत हैं, स्वयं तथा इनके पुत्र/पुत्री, समूह "ग" के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।	परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे; परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause(3) of the article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No \64 /XXX-2/ 19-01(7)/2012 Dated 28 June, 2019 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel and Vigilance Section-2
No. \64 /XXX-2/ 19-01(7)/2012
Dehradun, Dated 28 June , 2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of "The Constitution of India" the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the "The Essential/Desirable Qualification for the recruitment of Group "C" posts within the purview of Uttarakhand Public Service Commission and Outside the purview of the Public Service Commission Rules, 2010 ;namely

"The Essential/Desirable Qualification for the recruitment of "Group "C" Posts within the purview of Uttarakhand Public Service Commission and Outside the purview of the Public Service Commission . . Amendment) Rules, 2019.

Short title and commencement	**1.**	(1)	These Rules may be called "The Essential/Desirable Qualification for the recruitment of "Group "C" posts within the purview of Uttarakhand Public Service Commission and Outside the purview of the Public Service Commission (Amendment) Rules, 2019.
		(2)	They shall come into force at once.
Amendment of rule 4	**2.**		In "The Essential/Desirable Qualification for the recruitment of "Group "C" Posts within the purview of Uttarakhand Public Service Commission and Outside the purview of the Public Service Commission Rules, 2010, the sub rule (2) of the existing rule 4, set out column-1 below, the rule as set out in column 2, shall be substituted; namely

Column 1	**Column 2**
Existing Rule	**hereby Substituted Rule**
4(2) only such candidates shall be eligible to apply for recruitment of Group "C" posts within the purview of Uttarakhand Public Service Commission and Outside the purview of the Public Service Commission, who has acquired his High School and Intermediate or any other equivalent education, from the recognized Institution, situated in the State of Uttarakhand: Provided that the personnel working in Army/Paramilitary forces and personnel appointed on regular posts regularly in State Government or Government/Non Government organization established under it and such personnel serving in the State of Uttarakhand on regular posts regularly of Central Government or in public	4(2) only such candidates shall be eligible to apply for recruitment of Group "C" posts within the purview of Uttarakhand Public Service Commission and Outside the purview of Public Service Commission, who has passed his High School and Intermediate or any other equivalent education, from the recognized Institution, situated in the State of Uttarakhand, Provided that the personnel working in Army/Paramilitary force and personnel appointed on regular posts regularly in State Government or Government/ Non Government organization established under it and such personnel serving in the state of Uttarakhand on regular posts regularly in Central Government or

in public enterprises of Central Government and whose services could not be transferred outside the State of Uttarakhand and the permanent resident of the state, who are residing outside the state for livelihood, himself and his son/daughter, shall be eligible to apply for Group "C" posts.	in public enterprises of Central Government and whose services could not be transffered outside the State of Uttarakhand, himself/herself or his/her husband/wife, as the case may be and his/her son/daughter shall be eligible to apply for selection in direct recruitment in Group"C" posts under State Government; Provided further that the permanent resident of Uttarakhand who are residing outside Uttarakhand for livelihood/ education, himself/herself or his/her husband/wife, as the case may be and his/her son/daughter, shall be eligible to apply for direct recruitment of Group "C" posts.

(Radha Raturi)
Additional Chief Secretary

उत्तराखण्ड शासन,
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2,
संख्या– 124 / XXX–2 / 19 / 30(2) / 2018
देहरादून, दिनांक 12 जून, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1.(1) यह नियमावली उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह नियमावली मा० उच्च न्यायालय, महाधिवक्ता कार्यालय, राज्यपाल सचिवालय, राज्य सचिवालय, राज्य विधान मण्डल कार्यालय, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग और उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा अधिकरण को छोड़कर, सरकार के नियंत्रण में सभी राजकीय विभागों में अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. किसी अन्य सेवा नियमावली या तत्समय लागू आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

सेवा की प्रास्थिति

3. उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें

4. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ख) **"भारत का नागरिक"** से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(ग) **"आयोग"** से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है;

(घ) **"संविधान"** से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ङ) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) **"विभागाध्यक्ष"** से संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ज) **"सेवा का सदस्य"** से, इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) **"सेवा"** से उत्तराखण्ड राजकीय अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार, चयन के पश्चात् की गयी हो; तथा

(ट) **"भर्ती का वर्ष"** से किसी कलैन्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

5(1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) अधीनस्थ लेखा संवर्ग के संयुक्त संवर्ग में सहायक लेखाकार और लेखाकार के पद सम्मिलित होंगे।

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार आस्थगित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ख) राज्यपाल ऐसे स्थाई एवं अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्त्रोत

6. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्न स्रोतों से की जायेगी:--

(1)सहायक लेखाकार	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(2) लेखाकार	विभागीय चयन समिति के माध्यम से मौलिक रूप से, नियुक्त ऐसे सहायक लेखाकारों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करते हुये, विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

7. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4--अर्हता

राष्ट्रीयता

8 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से एक जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो, होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, यूगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है, तो प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी – जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएं

9. सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बी०बी०ए० (Bachelor In Business Administration) अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन एकाउण्टेंसी तथा हिन्दी टंकण में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होनी चाहिए।

अनिवार्य / वांछनीय अर्हताएं

10. लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पदों पर आवेदन हेतु अनिवार्य / वांछनीय अर्हताएं, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 तथा समय–समय यथा संशोधित नियमावलियों के अनुसार होंगी।

अधिमानी अर्हताएं

11. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयुः

12. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिये विज्ञापित की जाय, उस वर्ष की पहली जुलाई को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्रः

13. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए में सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थितिः

14. ऐसा पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होंगे।

परन्तु, यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक योग्यताः

15. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे सेवा के अन्य मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–3 के अध्याय–3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है,

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गए अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण--पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

परन्तु यह भी कि निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा--34(1) के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने से मना नहीं किया जायेगा।

भाग पांच--भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा:

16. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की नियम 7 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया:

17. इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अनुसार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया:

18. पदोन्नति द्वारा भर्ती निम्नलिखित आधार पर की जायेगी :--

(1) लेखाकार के पदों पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर निम्नलिखित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी :--

(क) नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट 02 अधिकारी	सदस्य
(ग) वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी	सदस्य

किन्तु यदि उपरोक्तानुसार गठित चयन समिति में अध्यक्ष अथवा सदस्य में से कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति का नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/जनजाति में से किसी अधिकारी को जो संयुक्त निदेशक से निम्न न हो, सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेख चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे जो उचित समझे जाय।

(3) चयन समिति द्वारा उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति, चयनित किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्तिः

19. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसे यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो या जैसा कि उस संवर्ग मे हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो।

परिवीक्षाः

20. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर पद नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुये, जब तक अवधि बढ़ायी गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होगे। परन्तु उपबन्ध यह कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी हो।

स्थायीकरण

21. (1)नियम 20 के उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि :–

(क) विहित विभागीय परीक्षा यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली गयी हो,

(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है, तथा

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि वह स्थायी किये जाने हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

जहां उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

22. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथा संशोधित, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग छः—वेतनमान

वेतनमान

23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट "क" में दिये गये है।

परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन

24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवायें प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय, तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

2. ऐसा व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों के द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवायें प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय, तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

3. ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थनः

25. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमनः

26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों का शिथिलीकरणः

27. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले मे असाध्यक् कठिनाई होती है, वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें व मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जाएगा।

व्यावृत्तिः

28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबंध किया जाना अपेक्षित हो।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

परिशिष्ट–"क"

उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान
1	2	3
(1)	सहायक लेखाकार	वेतन मैट्रिक्स में लेवल–5 (29200–92300)
(2)	लेखाकार	वेतन मैट्रिक्स में लेवल–6 (35400–112400)

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

In pursuance of the provisions of clause(3) of the article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.1.24/XXX.(2)/2018 Dated...12/..6/19...for general information.

Government of Uttarakhand
Personal and Vigilance Section-2
No.- 124/XXX-2/ 19/30(2)/2018
Dehradun, Dated 12 June, 2019

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of "The Constitution of India" and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules, regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Government Department Subordinate Accounts Cadre:-

"The Uttarakhand Government Department Subordinate Accounts Cadre (Non Gazetted) Services Rules, 2019.

Part-I - General

Short title and commencement 1. (1) These Rules may be called "The Uttarakhand Government Department Subordinate Accounts Cadre (Non Gazetted) Services Rules, 2019.

(2) They shall come into force at once.

(3) They shall apply to the posts of Subordinate Accounts Cadre of all the Government department except Hon'ble High Court of Uttarakhand, Office of Advocate General, Governor Secretariat State Secretariat, Office of State legislative Assembly Public Service Commission of Uttarakhand and State Public Service Tribunal.

Overriding effect 2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other Rules or Orders.

Status of the service 3. "Uttarakhand Government Department Subordinate Accounts Cadre (Non Gazetted) Service is a service in which Group "C" posts are included.

Definitions 4. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) **'Appointing authority'** means the Head of the Deparment/ Head of the office;

(b) **'Citizen of India'** means a person who is or deemed to be a citizen of India or Part (II) of Constitution of India;

(c) **'Commission'** means Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission;

(d) **'Constitution'** means the Constitution of India;

(e) **Government'** means the Government of Uttarakhand;

(f) **'Governor'** means the Governor of Uttarakhand;

(g) **"Head of the Department"** means Head of the Department of concerned Department;

(d) **'Member of the Service'** means a person substantively appointed under these rules or rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the Service;

(e) **'Service'** means Uttarakhand Government Department Subordinate Accounts Cadre (Non Gazetted) Service;

(f) **"Substantive appointment"** means an appointment not being an ad-hoc appointment on a post in the cadre of the Service made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government ;

(g) **'Year of recruitment'** means period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part-II-Cadre

Cadre of Service

5. (1) The strength of the member in service and the each category of posts therein shall be such as may be determined by the government from time to time.

(2) Until orders varying the source are issued under sub rule (1) the number of posts in each category shall be such as given in Annexure;:-

Provided that the appointing authority may leave any post vacant in any category unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

Provided further the Governor may create such additional temporary or permanent post in each category as he may consider proper.

Part-III-Recruitment

Source of recruitment

6. Recruitment to posts of various categories in the service shall be made from following sources:-

(i)	**Assistant Accountant**	By Direct recruitment through Commission,
(ii)	**Accountant**	By Deparmental promotion Committee, amongest the assistant accountant, who have completed the service of 7 years as such and have passed the departmental examination, if any, rejecting the unfit, on the basis of seniority, by promotion.

Reservation 7. Reservation for the candidates belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward class and other categories belonging to the state of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Part IV Qualification

Nationality 8. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be :-

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee, who came over to India before January, 1, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and The United Republic of Tanzania(formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of settling in India.

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the state Government.

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand.

Provided also that if a candidate belongs to category(c) above no certificate of eligibility shall be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a
period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship

Note- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, but the same has not been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favor.

Academic Qualification 9. A candidate, for recruitment to the post of Assistant Accountant must possess A Bachelor degree in Commerce or B.B.A (Bachelor in Business Administration) or post graduate in Accountancy from a recognized university and must have the speed of 4000 key depression/ hour in Hindi typing.

Essential / Desirable qualification 10. For the recruitment on the post of Accountant and Assistant Accountant, the essential /desirable qualification will be in accordance with essential /desirable qualification for the direct recruitment in Group "C" posts under the purview of Uttarakhand Public Service Commission and outside the purview of Uttarakhand Public service Commission rules' 2010 as amended from time to time.

Preferential Qualification 11. A candidate, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment, if he has:

(a) Served in the Territorial Army for a minimum period of two

years, or

(b) Obtained a 'B' or 'C' certificate of National Cadet Corps.

Age **12.** A candidate for direct recruitment, must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 42 years on July 1st of the year of calendar, in which vacant post are advertised by the authority for direct recruitment.

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Schedule Castes, Schedule Tribes, other backward classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by the number of year as may be specified.

Character **13.** The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a local authority or a Corporation or a Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status **14.** A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service.

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness **15.** No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defects likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III.

Provided, that a person appointed by promotion shall not be required to produce a medical certificate of fitness.

Provided also, that the posts identified under the section 33 and category identified under section 34(1) of the THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016, shall not be denied to give appointment to disable according to rules.

Part- V – Procedure for Recruitment

Determination Of Vacancies **16.** The appointing Authority shall determine the number of vacancies in each category to be filled during the course of a year as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward

class, Economically weaker Sections and other categories belonging to the state of Uttarakhand under Rule 7 and will inform the commission.

Procedure for Direct recruitment by Commission **17** Direct recruitment under these rules on the post of direct recruitment, shall be made in accordance with Procedure of Uttarakhand (Out side the purview of Uttarakhand Public Service Commission) Group "C" post direct recruitment rules, 2008

Procedure for Selection by promotion **18** Recruitment by promotion shall be made on the following basis

(1) Recruitment by promotion, on the post of Accountant shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, through the following selection committee :-

(a) **Appointing Authority** **Chairman**

(b) **02 Officers nominated by the chairman** **Member**

(c) **Finance Controller /Finance Officer** **Member**

Provided if in the Committee, the Chairman or any member is not from the Scheduled Castes/ Scheduled tribes, Appointing Authority shall nominate an officer not below the rank of Joint Director, from Scheduled Castes/ Scheduled tribes,

(2) The Appointing Authority shall Prepare an eligibility list of candidates arranged in order of seniority, and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them , as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of the records, referred to in sub rule (2), and, if it considers necessary, if may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in the order of seniority and forward the same to the Appointing Authority.

Part – VI – Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

Appointment **19** (1) The Appointing Authority shall make appointments by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared by the commission under Rule 17 or 18.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection a combined order shall be issued mentioning the name of persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre or category from which they are promoted.

Probation **20** (1) A person substantively appointed to the post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two year.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded,

extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted;

Provided that, same in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two year.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation that probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold any lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer whose services are dispensed with under sub rule (3), shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

21 (1) Subject to the provisions of the sub rule (2) of rule 20, A Probationer shall be confirmed in his appointment at the end of probation or the extended period of probation, if-

(a) He has passed the prescribed departmental examination, if any.

(b) He has successfully undergone the prescribed training, if any.

(c) His work and conduct is reported to be satisfactory,

(d) His integrity is certified and

(e) The Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Where confirmation is not necessary according the provisions of the Uttarakhand Government Servant confirmation Rules, 2002 as amended from time to time the order declaring under sub-rule(3) of rule 5 of the said rules that the respective person has successfully completed the probation period and shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

22 The seniority of persons substantively appointed in any category of post shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants seniority rules, 2002 as amended from time to time.

Part VII -- Pay Etc.

Pay Scale

23 (i) The scale of pay admissible to persons appointed to various categories in the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(ii) The scales of pay at the time of the commencement of these Rules are given in Appendix 'A'.

Pay during Probation 24 (1) Notwithstanding any provision in the fundamental rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and under gone training, where prescribed and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointment Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules;

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the state.

Part VIII – Other Provisions

Canvassing 25 No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service. will be taken into consideration. Any attempt on the part of the candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.

Regulation of other matters 26 In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service 27 Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the condition of Service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, not withstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Provided that, if the rules are framed in the consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Savings	**28**	Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to the provided for the candidates belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward classes, Economically Weaker Sections and other special categories in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,

(Radha Raturi)
Additional Chief Secretary

Appendix "A"

"The Uttarakhand Government Department Subordinate Accounts Cadre (Non Gazetted) Services

S.No.	Name of the Post	Pay Scale
1	2	3
(1)	Assistant Accountant	Pay Scale level–5 (29200–92300)
(2)	Accountant	Pay Scale level–6 (35400–112400)

(Radha Raturi)
Additional Chief Secretary

संख्या-72 /XXX(2)/2014

प्रेषक,

डॉ0 एस0एस संधु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनःदिनांक 10 फरवरी, 2014

विषयः– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिये अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम 4(1) का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संदर्भित नियमावली के नियम 4(1) में यह प्राविधान है कि **"लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।"**

2– उपरोक्त प्राविधान के संदर्भ में विभिन्न माध्यमों से यह जिज्ञासायें की जा रही हैं कि अभ्यर्थी का सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण समूह 'ग' के सीधी भर्ती के विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि को होना चाहिये या विज्ञापन में अंकित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण होना चाहिये या किसी अन्य निर्धारित तिथि तक पंजीकरण होना चाहिये।

3– इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि **समूह–ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त पदों के प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि तक राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।**

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 एस0एस0 संधु)
प्रमुख सचिव।

संख्या (1)/XXX(2)/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
2– सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की हरिद्वार
3– निदेशक, सेवायोजन निदेशालय उत्तराखण्ड।
4– समस्त सेवायोजन कार्यालय, उत्तराखण्ड।
5– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
7– अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी सचिवालय परिसर देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव।

संख्याः /XXX(2)/2020–30(10)2019

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
   उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
4. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
5. सचिव, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 07 दिसम्बर, 2020

विषयःलोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर चयन के संबंध में केवल एक बार के लिए अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु विभिन्न आयोगों/चयन संस्थाओं को प्रेषित अधियाचन के सापेक्ष वैश्विक महामारी कोविड–19 से वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 में चयन की कार्यवाही बाधित हुई है, जिस कारण कतिपय अभ्यर्थियों के निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने की पात्रता से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

2– इस संबंध में उत्तरांचल लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 2003 के नियम 3. में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु वर्ष 2020 में निर्गत विज्ञप्तियों में संबंधित सेवानियमावलियों में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में केवल एक बार के लिए आयु की गणना 01 जनवरी, 2020 के आधार पर किये जाने की छूट प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पद विशेष के लिए एक बार यह लाभ प्रदान करने के उपरांत प्रकाशित होने वाली अगली विज्ञप्ति/चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

3— लोक सेवा सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के जिन पदों पर वर्ष 2020 में चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है, किन्तु प्रतियोगितात्मक परीक्षा संपन्न नहीं हुई है, उन पदों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में छूट संबंधी उपरोक्त निर्णय के आलोक में ऐसे अभ्यर्थियों जो कि आयु सीमा में छूट की परिधि के अन्तर्गत आते हैं, को संबंधित पदों के लिए आवेदन किये जाने का अवसर प्रदान करने के संबंध में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने के संबंध में भी कार्यवाही कर ली जाय।

4— कृपया लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर चयन के संबंध में उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(भूपाल सिंह मनराल)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या 420 /XXX(2)/2020—30(10)2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2.निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

3.प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर।

4.गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

भाग–3

लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति से संबंधित शासनादेश एवं नियमावलियां

क्रम संख्या–70 (क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0ए-10 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 09 अप्रैल, 2015 ई0
चैत्र 19, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 153 / XXX(2) / 2015–3(2) 2010
देहरादून, 09 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0–33

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, "उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011" में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015' है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3(ङ) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 के नियम 3(ङ) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3(ङ) **"अधीनस्थ पदों"** से कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक तथा प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है।	3(ङ) **"अधीनस्थ पदों"** से कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है।

नियम 4 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण:–	4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण:– **4(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा।**
4(1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	4(2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(2) प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(3) प्रशासनिक अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(3) मुख्य सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(4) प्रधान सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(4) प्रवर सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(5) वरिष्ठ सहायक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

नियम 5 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5. पदनाम परिवर्तन– नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहाँ–जहाँ पदनाम, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक/ प्रधान लिपिक/ मुख्य लिपिक–1/प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ–वहाँ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होगा।	5. पदनाम परिवर्तन– नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहाँ–जहाँ पदनाम कनिष्ठ सहायक, **प्रवर सहायक, मुख्य सहायक,** प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ–वहाँ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, **वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक,** प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा।

आज्ञा से,

पी0एस0 जंगपांगी,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 कार्मिक/231–2015–100+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 264/XXX(2)/2015–3(6)/2012
देहरादूनः 17 अगस्त, 2015

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010" में अग्रेत्तर संशोधन के दृष्टिगत निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2015 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 के नियम 4 में एक परन्तुक और जोड़ दिया जायेगा; अर्थात–

"परन्तु, यह भी कि समूह 'ग' सेवा संवर्ग के पद धारकों को पदोन्नति के लिये यथा स्थिति निम्नतर पद या पदों पर पदोन्नति के लिये यथास्थिति परिवीक्षा अवधि को छोड़कर ऐसी विहित न्यूनतम अवधि में 50 प्रतिशत तक यथोचित रूप से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष उनकी अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें वित्त नियन्त्रक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे, की संस्तुति पर शिथिलीकरण कर सकेंगे।"

आज्ञा से,
(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 257/XXX–2/17/03(06)2011

प्रेषकः

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 04 अगस्त, 2017

विषयः–उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 तथा संशोधित सेवा नियमावली, 2015 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन की अधिसूचना संख्या–1674/XXX(2)/2010 दिनांक 23.11.2010 एवं सख्या–264/XXX (2)/2015-3(6)/2012 दिनांक 17.08.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 तथा संशोधन नियमावली, 2015" प्रख्यापित की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या –240/XXX(2)/16-3(06)2012 दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 के द्वारा कार्मिकों के सेवा संबंधी विभिन्न विषयों यथा शिथिलीकरण, स्थानापन्न पदोन्नतियों, सेवा नियमावली में एकरूपता लाने एवं सीधी भर्ती के विभिन्न पदों के पदोन्नति के सोपानों हेतु समान रूप से पात्रता अवधि निर्धारित किये जाने हेतु कामन नियमावली तैयार किये जाने आदि के विधिक, वित्तीय, व्यवहारिक एवं अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर विचार कर संस्तुति देने हेतु कार्मिक, वित्त एवं न्याय को सम्मिलित करते हुए समिति गठित की गयी है। समिति की संस्तुतियाँ प्राप्त होने पर यथा प्रक्रिया निर्णय लिया जायेगा। प्रकरण में अंतिम निर्णय लिये जाने तक स्थानापन्न पदोन्नतियों व अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण को स्थगित रखा जायेगा।

अतः इस संबंध में प्रश्नगत प्रकरणों पर उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

संख्या– /XXX-2/17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल एवं सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी को सूचनार्थ।
2. मण्डलायुक्त, कुमाँऊ एवं गढ़वाल मण्डल/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच०पी०तिवारी)
अनु सचिव

संख्याः 257/XXX–2/17/03(06)2011

प्रेषकः

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 04 अगस्त, 2017

विषयः–उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 तथा संशोधित सेवा नियमावली, 2015 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन की अधिसूचना संख्या–1674/XXX(2)/2010 दिनांक 23.11.2010 एवं सख्या–264/XXX (2)/2015-3(6)/2012 दिनांक 17.08.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 तथा संशोधन नियमावली, 2015" प्रख्यापित की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या –240/XXX(2)/16-3(06)2012 दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 के द्वारा कार्मिकों के सेवा संबंधी विभिन्न विषयों यथा शिथिलीकरण, स्थानापन्न पदोन्नतियों, सेवा नियमावली में एकरूपता लाने एवं सीधी भर्ती के विभिन्न पदों के पदोन्नति के सोपानों हेतु समान रूप से पात्रता अवधि निर्धारित किये जाने हेतु कामन नियमावली तैयार किये जाने आदि के विधिक, वित्तीय, व्यवहारिक एवं अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर विचार कर संस्तुति देने हेतु कार्मिक, वित्त एवं न्याय को सम्मिलित करते हुए समिति गठित की गयी है। समिति की संस्तुतियॉ प्राप्त होने पर यथा प्रक्रिया निर्णय लिया जायेगा। प्रकरण में अंतिम निर्णय लिये जाने तक स्थानापन्न पदोन्नतियों व अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण को स्थगित रखा जायेगा।

अतः इस संबंध में प्रश्नगत प्रकरणों पर उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

संख्या– /XXX-2/17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल एवं सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी को सूचनार्थ।
2. मण्डलायुक्त, कुमॉऊ एवं गढ़वाल मण्डल/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच०पी०तिवारी)
अनु सचिव

(3) नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए यह नियमावली उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के सिवाय, राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन वैयक्तिक सहायक वर्गीय संवर्ग के पदोन्नति कोटे के पदों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु अर्हता (जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो) और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हो, आच्छादित होंगी, किन्तु इसके उपबन्ध उत्तराखण्ड सचिवालय, राज्य विधान सभा, लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता के कार्यालय और उसके नियंत्रण में अधिष्ठान के पद आच्छादित नहीं होंगे।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ख) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "वैयक्तिक सहायक कर्मचारी संवर्ग" से राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसे वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जो मुख्य वैयक्तिक अधिकारी, वैयक्तिक अधिकारी, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक तथा वैयक्तिक सहायक के पदों पर नियुक्त हो;

(ङ) "अधीनस्थ पदों" से वैयक्तिक सहायक, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक तथा वैयक्तिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है;

वैयक्तिक सहायक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण।

4.(1) मुख्य वैयक्तिक अधिकारी–
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(2) वैयक्तिक अधिकारी–
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(3) वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक–
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

पदनाम परिवर्तन

5. नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहाँ–जहाँ पदनाम आशुलिपिक, वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 एवं वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 हैं, वहाँ–वहाँ पदनाम क्रमशः वैयक्तिक सहायक, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, वैयक्तिक अधिकारी एवं मुख्य वैयक्तिक अधिकारी होगा।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of "the constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 149/XXX(2)/2018-30(10)/2018,** Dated May 21, 2018 for general information :

No. 149/XXX(2)/2018-30(10)/2018
Dated Dehradun, May 21, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the Powers conferred by the provisions to Article 309 of "the constitution of India" and in Suppression of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules for regulating the period of eligibility for promotion on the Posts of cadre of Personal Assistant Category under the State of Uttarakhand Services:

The Uttarakhand Determination of eligibility period for the Promotion of Personal Assistant Category posts under State, Rules, 2018

Short title and Commencement

1.(1) These rules may be called the Uttarakhand Determination of eligibility for the promotion of personal Assistant category posts, under State, Rules, 2018

(2) It shall come into force at once,

(3) Subject to rule 2 this Rules except for the posts under the purview of Uttarakhand Public Service Commission, under the powers of the Governor to make rules, shall be applicable to the promotion of Personal Assistant category Cadre quota Posts.

Over riding effect

2. By this rules, eligibility for the promotion on Personal Assistant Cadre posts in all the subordinate offices under the control of Government (which are expected to be filled up by promotion) and outside of the purview of Uttarakhand Public Service Commission, shall be covered but its provisions shall

not cover the posts in the office and control of Uttarakhand Secretariat, State Assembly, Lokayukta, Public Service Commission, High Court, High Court Advocate General.

Defination

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the Subject or context-

(a) "Constitution" means "the Constitution of India";

(b) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;

(c) "Government" means the State Government of Uttarakhand;

(d) "Personal Assistant Staff Cadre" means such Personal Assistant Staff cadre in all the Subordinate offices under the control of State Government, appointed on the posts of Chief Personal Officer, Personal Officer, Senior Personal Assistant and Personal Assistant;

(e) "Subordinate Posts" means the service on any of the posts of Personal Assistant, Senior Personal Assistant and Personal Officer;

Determination of eligibility Service Period for Promotion On Promotion of Posts of Personal Assistant Staff Cadre

4.(1) Chief Personal Officer;
By promotion, from amongst Substantively appointed Personal Officer who have completed minimum 01 year of Service on such Capacity on the first day of the year of recruitment and have completed at least 25 years of service on subordinate posts, on the basis of Seniority subject to the rejection of unfit.

(2) Personal Officer:-
By Promotion, from amongst substantively appointed Senior Personal Assistant, who have completed minimum 02 years of service on such capacity on the first day of the year of recruitment or have completed at least 20 years of service on subordinate posts, on the basis of Seniority subject to the rejection of unfit.

(3) Senior Personal Assistant:-
By promotion, from amongst substantively appointed Personal Assistant, who have completed minimum 06 years of Services on such capacity, on the basis of Seniority Subject to the rejection of unfit.

Change of Designation

5. Subject to rule 2, all departments under the control of State Government, where ever the designation Stenographer, Personal Assistant Grade-2 and Personal Assistant Grade-1, there shall be the designation Personal Assistant, Senior Personal Assistant, Personal Officer and Chief Personal Officer respectively.

By Order,

RADHA RATURI,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 कार्मिक / 306–2018–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–348/XXX(2)/2016–03(02)का0–2/2010
देहरादूनः २२ दिसम्बर, 2016

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, "उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2015" में संशोधन करने की उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2016' है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 के 4(1) का संशोधन

2– उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2015 के नियम 4 के उपनियम 4(1) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4(1)– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	4(1)– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हयॉकी)
प्रभारी सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्याः 272/XXX(2)/2018–3(1)/2007
देहरादून दिनांकः 07 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, ''उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रकिया नियमावली, 2013'' में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रकिया (संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रकिया (संशोधन) नियमावली, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3(4) का प्रतिस्थापन

2. उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रकिया नियमावली, 2013 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के उपनियम 4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(4) यदि उपनियम (2) के अनुसार विगत 05 वर्ष में से किसी भी एक वर्ष में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अथवा अन्यथा किसी कार्मिक की सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो, तो ऐसे कार्मिक को पदोन्नति हेतु 'उपयुक्त' नहीं समझा जायेगा। सत्यनिष्ठा संदिग्ध अंकित होने से 5 वर्ष तक सम्बन्धित कार्मिक को पदोन्नति के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया जायेगा।	(4) यदि उपनियम (2) के अनुसार विगत 05 वर्ष में से किसी भी एक वर्ष में वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि हो, अथवा अन्यथा किसी कार्मिक की सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो, तो ऐसे कार्मिक को पदोन्नति हेतु 'उपयुक्त' नहीं समझा जायेगा। सत्यनिष्ठा संदिग्ध अंकित होने से 5 वर्ष तक सम्बन्धित कार्मिक को पदोन्नति के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 272/XXX (2)/2018-3(1)/2007 dated 07 September, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel Section-2
No. 272/XXX(2)/2018-3(1)/2007
Dehradun Dated 07 September, 2018

Notification

Miscellaneous

In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to make the following Rules with the view of amendments in the Uttarakhand procedure of selection for promotion in the State Services (Outside the Purview of the Public Service Commission) Rules, 2013 :-

The Uttarakhand Procedure of Selection for Promotion in the State Services (Outside the Purview of the Public Service Commission) (Amendment) Rules, 2018

Short title and commencement

1. (1) These Rules may be called The Uttarakhand Procedure of Selection for Promotion in the State Services (Outside the Purview of the Public Service Commission) (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of Rule 3(4)

2. In the Uttarakhand Procedure of Selection for Promotion in the State Services (Outside the Purview of the Public Service Commission) Rules, 2013 for the existing sub rule 4 of rule 3 as set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted as follows, namely-

Column-1 Existing Rule	Column-2 Rule as hereby substitute
(4) According to sub rule 2 if in any year of the past 5 years, the annual	(4) According to sub rule 2 if there is adverse entry in annual

confidential entry or the integrity of the employee in mentioned as doubtful, such employee shall not be eligible for promotion. The integrity mentioned as doubtful, such employee shall not be declared eligible for promotion up to 5 years.

confidential report or, otherwise the integrity of the any employee is mentioned doubtful in any year from the previous five years such employee shall not be deemed fit for promotion. Concerned employee shall not be declared fit for promotion up to 5 years on mentioning the integrity doubtful.

By Order,

(Radha Raturi)
Additional Chief Secretary

भाग–4

मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली एवं शासनादेश

संख्याः– 154/xxx (2)/2015–55(08)/2002

प्रेषक,

राधा रतूडी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 16 अप्रैल, 2015

विषयः– राज्य कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के भर्ती नियमावली, 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) द्वारा सरकारी सेवक के सेवाकाल में मृत हो जाने की दशा में मृत सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य को नियमानुसार राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों (यथा समूह 'ग' एवं 'घ') पर सेवायोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2. इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 877 XXVII(7) च0श्र0/2011 दिनांक 24–03–2011 के माध्यम से समूह 'घ' के पदों को मृत संवर्ग घोषित किया गया, तदोपरान्त वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 63 XXVII(7) 27(8)/2011 दिनांक 05–07–2011 के द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया गया, कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24–03–2011 के द्वारा समूह 'घ' के पदों को मृत संवर्ग घोषित करने के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के भर्ती नियमावली, 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

3. शासन के सज्ञांन में यह तथ्य आया है कि वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 24–3–2011 के सम्बन्ध में समूह 'घ' के पदों पर मृतक आश्रितों के सम्बन्ध में पुनः शासनादेश दिनांक 5–7–2011 द्वारा स्पष्टीकरण ज़ारी करने के पश्चात भी कतिपय विभागों द्वारा अभी भी समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यता रखने वाले मृतक आश्रितों को समूह 'घ' का पद मृत संवर्ग होने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि मृतक आश्रितों के भर्ती नियमावली 1974 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति करने के लिए मृत संवर्ग घोषित होने वाला वित्त विभाग का शासनादेश लागू नही है।

4. अतः इस सम्बन्ध में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24–3–2011 द्वारा घोषित समूह 'घ' के पद के लिए उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित भर्ती नियमावली 1974 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पद पर किसी मृतक आश्रित के समूह 'घ' के लिए पात्र होने पर नियुक्ति हेतु डाईग कैडर नहीं माना जायेगा, बल्कि समूह 'घ' के लिए पात्र होने की दशा में मृतक आश्रित को समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी, और इस सीमा तक समूह 'घ' का संवर्ग पुनर्जीवित माना जायेगा।"

5. कृपया उपरोक्त निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव

संख्या 154/XXX(2)/2015–55(08)2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त , उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिदेशक, सूचना विभाग , उत्तराखण्ड देहरादून।
5. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. सचिवालय, के समस्त अनुभाग।
7. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

(11)

उत्तराखण्ड शासन,
कार्मिक अनुभाग–2,
संख्या–275/XXX–2/17/55(21)/2002 टी.सी.2
देहरादून : दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

विविध

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:–**

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2(ग) का संशोधन:–

2 (ग) उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 (वर्तमान खण्ड)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
"कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:– (1) पत्नी या पति; (2) पुत्र; (3) अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ। (4) मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।	"कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:– (1) पत्नी या पति; (2) पुत्र; (3) अविवाहित पुत्रियाँ, विधवा पुत्रियाँ तथा तलाकशुदा पुत्रियाँ। (4) मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

(10)
4-TC

In pursuance of the provisions of Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order publication of the following English Translation of Notification No. 275/XXX-2/17/55(21)/2002TC II dated 18 October, 2017

Government of Uttarakhand
Personnel Section-2
No.275 /XXX-2/17/55(21)/2002TC II
Dehradun:Dated : 18 October, 2017

Notification

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttar Pradesh Recrutiment of Dependants of Government Servants dying in Harness Rules, 1974 (Adaptation and Modification) order, 2002 in relation to the State of Uttarakhand:-

Short Title and Commencement

1.(1)These rules may be called The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974 (Adaptation and Modification) order, 2002 (Second Amendment) Rules, 2017.

(2)They shall come into force at once.

Amendment of Rule 2(c)

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974 (Adaptation and Modification) order, 2002 (Amendment) Rules, for the existing clause (c) of rule 2, set out in Column 1 below, the clause as set out in Column 2 shall be substituted, namely:

Column 1	Column 2
(Existing clause)	**Rule as hereby substituted**
"Family" of a Deceased Government Servant dying in harness includes the following members:- (1) Wife or husband (2) Son (3) Unmarried daughters and widow daughters (4) Unmarried brother, unmarried sister and widow mother dependent on deceased Government servant, if in case the deceased Government Servant was unmarried.	"Family" of a Deceased Government Servant dying in harness includes the following members:- (1)Wife or husband (2)Son (3)Unmarried daughters, widow daughters and divorced daughters. (4)Unmarried brother, unmarried sister and widow mother dependent on deceased Government servant, if in case the deceased Government Servant was unmarried.

by order,

(Radha Raturi)
Principal Secertary

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 317 /XXX(2)/2019-55(21)2002
देहरादूनः दिनांकः 04 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (संशोधन) नियमावली, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2(ग) का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 2 के खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :– (1) पत्नी या पति; (2) पुत्र; (3) अविवाहित पुत्रियॉं, विधवा पुत्रियॉं तथा तलाकशुदा पुत्रियॉं; (4) मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन	(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :– (1) पत्नी या पति; (2) पुत्र; (3) पुत्री; (4) मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन

और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

In pursuance of the provisions of Clause(3) of article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order publication of the following English Translation of Notification No. 217/XXX-2/19-55(21)/2002 dated 04 september, 2019

Government of Uttarakhand
Personnel and Vigilance Section-2
No. 217 /XXX-2/19-55(21)/2002
Dehradum:Dated : 04 september, 2019

Notification

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants dying in Harness Rules, 1974 (Adaptation and Modification) order, 2002:-

The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974 (Amendment) Rules, 2019

Short Title and Commencement

1.(1)These rules may be called The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974 (Amendment) Rules, 2019.

(2)They shall come into force at once.

Amendment of Rule 2(c)

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974 (Adaptation and Modification order, 2002), for the existing clause (c) of rule 2, set out in Column 1 below, the clause as set out in Column 2 shall be substituted, namely:

Column 1 Existing clause	Column 2 Clause hereby substituted
"Family" of a Deceased Government Servant dying in harness includes the following members:- (1)Wife or husband; (2)Son; (3)Unmarried daughters, widow daughters and divorced daughters. (4)Unmarried brother, unmarried sister and widow mother dependent on deceased Government servant, if in case the deceased Government Servant was unmarried.	"Family" of a Deceased Government Servant dying in harness includes the following relatives:- (1)Wife or husband; (2)Son; (3) Daughter; (4)Unmarried brother, unmarried sister and widow mother dependent on deceased Government servant, if in case the deceased Government Servant was unmarried.

by order,

(Radha Raturi)
Additional Chief Secertary

भाग–5

सीधी भर्ती / पदोन्नति में आरक्षण

तत्काल / समयबद्ध

संख्या 83 / XXX / (2) / 2014–3(16)2012

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 26 फरवरी, 2014

विषयः–राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत आरक्षित श्रेणी के पूर्व से चली आ रही रिक्तियों के बैकलॉग को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के आरक्षित श्रेणी के चिन्हित रिक्त पदों के बैकलॉग को भरे जाने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 874 / XXX(2) / 2008, दिनांक 02 जुलाई, 2008, शासनादेश संख्या 105 / XXX(2) / 2010, दिनांक 28 जनवरी, 2010, शासनादेश संख्या 1552 / XXX(2)/2010, दिनांक 18 अक्टूबर 2010, शासनादेश संख्या 429 / XXX(2)/2012, दिनांक 15 मई, 2012, शासनादेश संख्या 729 / XXX(2)/2012, दिनांक 6 अगस्त, 2012, तथा शासनादेश संख्या 1109 / XXX(2)/2012, दिनांक 8 नवम्बर, 2012 द्वारा व्यापक निर्देश दिये गये हैं।

2– उक्त के अतिरिक्त अद्यतन शासनादेश संख्या 1028 / XXX(2)/2013, दिनांक 25 सितम्बर, 2013 द्वारा विशेष अभियान चलाकर आरक्षित रिक्तियों को बैकलॉग सहित आगणित करते हुए अधियाचन तैयार कराकर समयबद्ध रूप से लोक सेवा आयोग तथा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

3– इस सम्बन्ध में अभी तक विभिन्न विभागों द्वारा सीधी भर्ती के आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है। यह स्थिति शासन के आरक्षण नीति के प्रतिकूल है।

4– शासन द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

(1) लोक सेवा आयोग की परिधि की अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों में विभिन्न सेवा संवर्गों में जहाँ–जहाँ अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति का सीधी भर्ती के सापेक्ष बैकलॉग है, वहाँ बैकलॉग को पूर्ण करने के लिये शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करते हुये बैकलॉग के पदों के लिये अधियाचन तत्काल प्रेषित किये जायं।

(2) लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को आगणित कर अधियाचन प्रेषित करके श्रृंखलाबद्ध रूप से विज्ञप्तियॉ प्रकाशित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायं।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन की सूचना कार्मिक विभाग को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या /XXX(2)/2014–3(16)2012,तद्दिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूं, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
3. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की, हरिद्वार।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून को वैबसाईड में प्रदर्शित करने हेतु।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

संख्या– 149 / XXX(2) / 2016

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

3. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून , दिनांक 20 जून, 2016

विषयः– राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पूर्व से चली आ रही रिक्तियों के बैकलॉग को भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर विभिन्न विभागों के अन्तर्गत राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के लिये अनुसूचित जाति / जनजाति के रिक्त पदों के बैकलॉग को भरे जाने के संबंध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–874 / XXX(2) / 2008 दिनांक 02 जुलाई, 2008, संख्या–105 / XXX(2) / 2010 दिनांक 18 अक्टूबर, 2008, शासनादेश संख्या–429 / XXX(2) / 2012 दिनांक 15 मई, 2012, शासनादेश संख्या–729 / XXX(2) / 2012 दिनांक 06 अगस्त, 2012 तथा शासनादेश संख्या– 1109 / XXX(2) / 2012 दिनांक 08 नवम्बर, 2012 में निर्देश दिये गये है। उक्त शासनादेशों के माध्यम से यह भी निर्देश दिये गये थे कि विशेष अभियान चलाकर बैकलॉग आगणित करते हुये चयन की कार्यवाही सम्पन्न करायें।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उपर्युक्त निर्देशों के पश्चात् अभी भी कतिपय विभागों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का बैकलॉग बना हुआ है।

3– अतः इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक विभाग अपने विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति

क्रमश.....2

की सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार रिक्तियों को आगणित करेंगे और ऐसी रिक्तियों को आगणित करके निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगेः–

(1)– लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों में विभिन्न सेवा संवर्गो में जहां–जहां अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति का सीधी भर्ती के सापेक्ष बैकलॉग है, वहां बैकलॉग को पूर्ण करने के लिये शीघ्रतिशीघ्र कार्यवाही करते हुये बैकलॉग के पदों के लिये अधियाचन तत्काल प्रेषित किये जायें।

(2)– लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को आगणित कर अधियाचन प्रेषित करके श्रृंखलाबद्ध रूप से विज्ञप्तियां प्रकाशित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(3)– उपर्युक्त समस्त कार्यवाही अगले 03 माह के अन्दर प्रत्येक विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाये।

3– कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव

संख्याः /XXX(2)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. सचिवालय के समस्त अनुभागं
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

संख्याः-241 / xxx (2) / 2016 / 30(15)16

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव
उत्तराखंड शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी
उत्तराखंड।
4– समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 28 सितम्बर,2016

विषयः–विभागों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बैकलाग के संबध में दी जाने वाली सूचना विषयक।

महोदय,

उपयुक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत बैकलाग रिक्तियों के संबध में जो सूचनाये दी जा रही है उनमें बैकलाग की वास्तविक रिक्तियॉ आगणित न करके कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को ही बैकलाग में दर्शाया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप बैकलाग के पदोंकी संख्या अधिक दिखाई जा रही है जबकि वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है। इस संबध में अवगत कराना है कि बैकलाग रिक्तियों के अंतर्गत केवल वही रिक्त पद सम्मिलित किये जाते है, जिनके संबध में **किसी चयन सस्था द्वारा विधिवत् विज्ञापन करते हुये चयन की कार्यवाही पूर्ण की गई हो, परन्तु अर्ह अभ्यर्थी न मिलने अथवा अन्य कारणों से रिक्तिया अगले चयन हेतु अग्रेनीत की गई हों। यदि अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित 19% से अधिक पद रिक्त है, अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 4% से अधिक पद रिक्त है तथा अन्य पिछडा वर्ग के लिए निर्धारित 14% से अधिक पद रिक्त है तब इस प्रकार निर्धारित प्रतिशत से अधिक रिक्त पदों में से अवशेष प्रतिशत को बैकलाग माना जायेगा।**

उदाहरण के लिए यदि रिक्त पद अनुसूचित जाति में 22% है तब बैकलाग 3% माना जायेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सूचनाओं व अन्य उद्देश्य हेतु बैकलाग पदो की गणना उपयुक्त के अनुसार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव

संख्या 476 / XXX(2) / 2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त / समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक 01 मई, 2017**

विषयः– सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों को प्राथमिकता से भरे जाने के संबधं मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति / जनजाति के रिक्त रह गये पदो को बैकलॉग को भरे जाने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर बैकलॉग पदों को आगणित करते हुए चयन की कार्यवाही सम्पन्न करायें जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। शासनादेश दिनांक 20 जून,2016 द्वारा निम्नवत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैः–

(1)– लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों में विभिन्न सेवा संवर्गों में जहां–जहां अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति का सीधी भर्ती के सापेक्ष बैकलॉग है, वहां बैकलॉग को पूर्ण करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करते हुए बैकलॉग के पदों के लिए अधियाचन तत्काल प्रेषित किये जायें।

(2)– लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को आगणित कर अधियाचन प्रेषित करके श्रृंखलाबद्ध रूप से विज्ञप्तियां प्रकाशित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। जिन पदों हेतु विज्ञप्तियॉ प्रकाशित की जा चुकी है, उन पर चयन की कार्यवाही शीघ्रता से सुनिश्चित की जाय।

(3)– उपर्युक्त समस्त कार्यवाही 03 माह के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2– इस संबधं में शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय विभागों में अभी भी बैकलॉग के रिक्तियॉ विद्यमान है। अतः कृपया उक्त दिशा–निर्देशानुसार अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आरक्षित बैकलॉग के पदों को अविलम्ब भरने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीया

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 397 /XXX(2)/2019–30(2)/2019
देहरादून दिनांकः 17 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सपठित अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में सेवायोजित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं मे क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं मे क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियमावली का लागू होना

2. यह नियमावली राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त कार्यालयों में राजकीय/अशासकीय सेवाओं में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के सम्बन्ध में लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

3. यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषाऐं

4. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से सम्बन्धित सेवा नियमावली में किसी ऐसी श्रेणी अथवा श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में जिस पर यह नियमावली लागू होती है, में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "अनाथ बच्चों" से उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित तथा पंजीकृत स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों से है, जिनके माता–पिता एवं माता–पिता पक्ष के किसी भी रिश्तेदारों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी अभिप्रेत है;

अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में सेवायोजन हेतु क्षैतिज आरक्षण एवं प्रमाण पत्र

5. (1) उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग निदेशालय अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को, जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से करते हुये सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात् विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों का रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धित जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर समुचित अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में कराना आवश्यक होगा।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the "Constitution of India," the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 dated 17 December, 2019 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel and Vigilance Section-2
No.397/XXX(2)/2019-30(2)/2019
Dehradun Dated: 17 December, 2019

Notification

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso of article 309 read with article 162 of the "Constitution of India," the Governor is pleased to make the following rules with the objective of providing employment in government/non-government services to orphan children residing in government/voluntary homes functional under Department Women Empowerment & Child Development in Uttarakhand State:-

The Horizontal Reservation in Government/non-government Services to Orphan Children Residing in Government/Voluntary Homes Functional in the State of Uttarakhand Rules, 2019

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called "The Horizontal Reservation in Government/non-government Services to Orphan Children Residing in Government/voluntary Homes Functional in the State of Uttarakhand Rules, 2019"

(2) These shall come into force at once.

Application of Rules

2. These Rules shall apply to non-reserved, direct recruitment posts in all government/non-government offices services under control of State Government.

Overriding Effect

3. These Rules shall be applicable inspite of any adverse provision under other Rules or Orders.

Definations

4. In these rules, unless there is anything repugnant in the Subject or context-

(a)"Appointing Authority" means appointing authority as mentioned in concerned Service Rules of posts under any such category or categories on which these Rules are applicable;

(b)"Constitution" means the Constitution of India;

(c)"Government" means the Government of Uttarakhand;

(d)"Orphan Children" means orphan children residing in government/ voluntary homes functional and registered under Department of Women empowerment & Child Development in State of Uttarakhand with no information whatsoever is available about their mother-father and any relative on the side of mother-father;

(e)"Competent Authority" means District Magistrate of the concerned district;

Horizontal Reservation for Orphan Children for employment under government/non-government services and Certificate

5. (1) Five percent horizontal reservation in Uttarakhand public services for employment shall be provided to orphan children residing in government/voluntary homes, functional under Department of Women Empowerment and child Development in State of Uttarakhand whose verification through requisite documents shall be done by the Competent Authority and on recommendation of District Probation Officer, a certificate to this effect has been issued by an officer not below Sub District Magistrate;

(2) After promulgation of these rules, compulsory registration shall be done in the office of concerned District Magistrate, of orphan children residing in government/voluntary homes, functional under the Department, whose verification through requisite documents shall be done on recommendation of concerned District Probation Officer.

By Order,

(Radha Raturi)
Additional Chief Secretary.

संख्याः /XXX(2)/2019-30(1)/2019

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   सचिव/सचिव (प्रभारी),
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 29 अप्रैल, 2019

विषयः **राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण हेतु आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र।**

महोदय,

राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019 में की गयी है। अधिनियम की धारा 7 में यह प्राविधानित है कि आरक्षण के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रमाण–पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में सम्बन्धित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा वहाँ उसका जन्म हुआ हो, द्वारा सभी वाँछित औपचारिकतायें पूर्ण कराकर निर्धारित प्रपत्र में अपने हस्ताक्षर से जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी होंगे।

3. उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र के प्रयोजन से परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों/शहरों में अर्जित भूमि और सम्पत्ति को संयोजित (Club) करते हुए सम्यक परीक्षणोपरान्त आवेदक को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर) निर्गत किये जायेंगे।

4. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सेवा नियमों के अनुसार, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के साथ–साथ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र का भी सत्यापन कराये जाने तक अभ्यर्थी की नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) रखी जायेगी। यदि आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र धारक अभ्यर्थी का प्रमाण–पत्र जाली/गलत पाया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र सम्बन्धित पद के विज्ञापन में आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

Mahi Singh

6. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ विभागों के अन्तर्गत अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करायें। जनपद के प्रत्येक जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार उक्त नीति के अनुसार इस प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित व्यक्तियों को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में तथा अनुमन्य आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने में कोई असुविधा न हो।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 123 (1)/XXX(2)/2019-30(1)/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू, पौड़ी/नैनीताल।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

6. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ विभागों के अन्तर्गत अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करायें। जनपद के प्रत्येक जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार उक्त नीति के अनुसार इस प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित व्यक्तियों को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में तथा अनुमन्य आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने में कोई असुविधा न हो।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 123 (1)/XXX(2)/2019-30(1)/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू, पौड़ी/नैनीताल।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2019)

"भारत का संविधान" का अनुच्छेद 15(6) एवं अनुच्छेद 16(6) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) प्रकिया निर्धारित करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में –

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" से संविधान का अनुच्छेद 15(6) एवं अनुच्छेद 16(6) में विनिर्दिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभिप्रेत है;

(ग) "परिवार" से आरक्षण चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता–पिता, 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई–बहनों के साथ–साथ उनके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे सम्मिलित हैं, अभिप्रेत हैं;

(घ) "लोक सेवाओं और पदों" से राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवा और पद अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित सेवायें और पद भी सम्मिलित हैं :–

(एक) स्थानीय प्राधिकारी,

(दो) उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खण्ड (अ) जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अश पूँजी के इक्यावन प्रतिशत से कम न हो,

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तराखण्ड राज्य के अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई कानूनी निकाय, जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूँजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो,

(चार) भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है,

(ङ) "भर्ती का वर्ष" से किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि, जिसके भीतर ऐसे रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये, अभिप्रेत है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में आरक्षण

3. (1) लोक सेवाओं और पदों में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (4) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, **दस प्रतिशत** आरक्षित किया जायेगा।

(2) (क) लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में उत्तराखण्ड राज्य के उन स्थायी निवासियों को आरक्षण प्राप्त होगा, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति जिनके परिवारों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹ 8.00 लाख से कम हो, आरक्षण के इस प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में चिन्हित हैं। परिवार की आय में सभी स्रोतों से अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से प्राप्त आय सम्मिलित होगी। उक्त आय लाभार्थी द्वारा आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए आय होगी;

परन्तु यह कि जिनके पास या जिनके परिवार के पास निम्नलिखित सम्पत्ति में से कोई भी सम्पत्ति है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के पात्र नहीं होंगे :–

(I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या

(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या

(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या

(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

(3) यदि, भर्ती के किसी वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाये तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए विशेष भर्ती, की जायेगी।

(4) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा, एक रोस्टर जारी करेगी जो अनवरत् रूप से लागू रहेगा, जब तक वह समाप्त न हो जाये।

(5) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसे वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्ति

4. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा, उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

(2) राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

शास्ति

5. (1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह, दोषसिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की, स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

अभिलेख मांगने की शक्ति

6. यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह आता है कि धारा 3 की उपधारा (1) उल्लिखित वर्गों का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकेगी और ऐसी कार्यवाही कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

प्रमाण–पत्र

7. इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रमाण–पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा;

परन्तु यह कि आय और सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र तहसीलदार से अन्यून अधिकारी द्वारा सभी प्रासंगिक नियमों का सावधानी पूर्वक सत्यापन करने के बाद उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया जायेगा।

कठिनाईयों के निवारण की शक्ति

8. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

9. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

आदेशों इत्यादि का रखा जाना

10. धारा 3 की उपधारा (3), धारा 4 और धारा 8 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे उत्तराखण्ड के किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

अपवाद

11. (1) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे;

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायेगी, जहाँ सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती;

(एक) जहाँ केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर; या

(दो) जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर,

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 तथा भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक (उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी) के आश्रितों की राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन नियमावली, 2018 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

12. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

निरसन और व्यावृत्ति

13. (1) उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2019 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019
Dated Dehradun, March 07, 2019

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2019' (Act No. 07 of 2019).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 05 March, 2019.

The Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2019

(Uttarakhand Act No. 07 Year 2019)

An

Act

to determine the procedure for Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) under the Article 15(6) and Article 16(6) of the Constitution of India;

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Seventieth year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called 'The Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

Definitions

2. In this Act,:-

(a) "Appointing Authority" in relation to public services and posts means the Authority empowered to make appointment to such services and posts;

(b)"Economically weaker Sections" means economically weaker sections specified in Article 15(6) and Article 16(6) of the Constitution;

(c)"Family" means person demanding reservation, their husband/wife and children of less than 18 years of age along with his parents, his siblings less than of 18 years of age, as well as it includes his husband/ wife and children of less than 18 years of age;

(d)"Public Services and Posts" means the services and posts in connection with the affairs of the state and includes following posts and services:-

(i) Local Authority;

(ii) Clause (a) of Section 2 of the Uttarakhand Co-operative Committee Act, 2003 in which not less than 51 percent of share capital of Holding Share Committee by the State Government;

(iii) Any board or any corporation or any legal body established by the any central or Uttarakhand State Act which is under the owner ship or control of the State Government or Government company defined in the Company Act, 2013,in which not less than 51 percent paid up share capital by the state;

(iv) any educational institute under ownership and control of the State Government or which receives grants in aid from the State Government including a university established by or under Act of Uttarakhand State, except any institute established and administered by minority section specified in clause (1) of article 13 of the Constitution of India ;

(e) "Year of recruitment" in relation to a vacancy means a period of 12 months commencing on first of July of a year, within which the process of direct recruitment against such vacancy is initiated;

Reservation in favour of economically weaker sections

3. (1) In public services and posts, on the order of direct recruitment vacancies to be recruited in accordance with the roster specified in sub-section (4), 10 percent shall be reserved in the favour of concerned persons of the economically weaker sections.

(2) (a) In public services and posts, the reservation in favour of economically weaker sections shall be given to such permanent residents of the State of Uttarakhand, which are not included in the existing reservations schemes for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Socially and Educationally Backward Classes.

(b) The persons of such economically weaker sections are identified for the reservation as economically weaker section, whose gross annual income of family, from all sources is less than ₹ 8.00 lakh (₹ eight lakh). Family income includes income received form all sources namely- salary, agriculture, profession, business etc.The said income shall be income of the previous financial year, from the year of application, by the beneficiary ;

Provided that the person or their family possess any property, from the following properties, shall not be eligible for the reservation as economically weaker sections:-

(i) 5 acre of agricultural land or above; or

(ii) residential building of 1000 sq. feet or above; or

(iii) residential plot of 100 sq. yards or above in notified municipalities; or

(iv) residential plot of 200 sq. yards or above in areas other than the notified municipalities.

(3) If, in respect of any year of recruitment, any vacancy reserved for any category of persons under sub-section (1) remains unfilled, the special recruitment shall be made for filling such vacancy from amongst the persons belonging to that category.

(4) The State Government shall, for applying the reservation under sub-section (1), by notified order issue a roaster which shall continuously apply, till it is exhausted.

(5) If a person belonging to economically weaker sections as mentioned in sub-section (1), get selected on the basis on merit in an open completion with general candidates, he/she shall not be adjusted against the vacancies, reserved for such category, under sub-section (1).

Responsibility and power for compliance of Act

4. (1) The State Government may by notified order entrust the appointing authority or any officer or employee with responsibility of ensuring the compliance of the provisions of this Act.

(2) The State Government may in the like manner west the appointing authority or officer referred in sub section (1) with such power or authority as may be necessary for effective discharging the responsibility entrusted to him under sub section (1).

Penalty

5. (1) Any appointing authority or officer or employee entrusted with the responsibility under sub-section (1) of Section 4, willfully acts in manner to contravene or defeat the purposes of this Act shall, on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to 3 months or with fine which may extend to ₹ 20000 or both;

(2) No court shall take the cognizance of any offence under this section except with the previous sanction of the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government by order ;

(3) An offence punishable under sub section (1) shall be tried summarily by a Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate of First class and provision of sub section (1) of Section 262, Section 263, Section 264 and Section 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall *mutatis mutandis* apply.

Power to call records

6. If it come to the notice of the State Government that any person of category mentioned in sub section (1) of Section 3 is adversely effected due to compliance with order of Government for its purposes or provision of this Act or rules made under it than it can demand such records and shall take action which it deems necessary.

Certificate

7. For the purposes of reservation provided under this Act, certificate of economically weaker section shall be issued by such officer or authority and in such manner and form as the State Government shall, by order, provide ;

Provided that certificate regarding income and property shall be issued by officer not below the rank of Tahsildar, following the proper procedure after carefully verifying the all relevant rules,.

Power to remove difficulties

8. (1) If any difficulties arises in giving effect to the provision of this Act, State Government may by notified order shall make such provisions not inconsistent with the provision of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulties;

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

Protection of action taken in good faith

9. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against State Government or any person, for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or rules made thereunder.

Laying of orders etc.

10. Every order made under sub-section (3) of Section 3, Section 4 and Section 8 shall be laid, as soon as may be, before State Legislative Assembly and the provisions of sub section (1) of Section 23(a) of Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (as applicable in Uttarakhand) shall apply as they apply in respect of the rules made by the State Government under any Uttarakhand Act.

Savings

11. (1) The provisions of this Act shall not be apply to cases in which selection process has been initiated before the commencement of this Act and such cases shall be dealt in accordance with the provisions of law and Government orders as they stood before such commencement;

Explanation- For the purpose of this sub section selection process shall be deemed to be initiated where, under relevant service rules, recruitment is to be made on the basis of :-

(i) written exam or interview only, the written test or interview, as the case may be, has started, or

(ii) both written exam and interview, the written test has started.

(2) The provisions of this Act shall not be apply to the appointment, to be made under Uttar Pradesh Recruitment of Dependant of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974 and The Dependant of martyr soldiers of Indian Army/ Paramilitary Forces (Permanent Resident of Uttarakhand) on compassionate basis in State Services Employment Rules, 2018.

Power to make rules

12. The State Government may by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Repeal and Savings

13. (1) The Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Ordinance, 2019 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance specified in sub section (1) shall be deemed to have been done under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

D.P. GAIROLA,
Principal Secretary.

उद्देश्य व कारणों का कथन

चूंकि उत्तराखण्ड राज्य में सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का लोक सेवा एवं पदों में प्रतिनिधित्व अन्य वर्गों की तुलना में अनुपातिक रूप से पर्याप्त नही है, अतः उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिये लोक सेवाओं में अवसर की समानता उपलब्ध कराने हेतु विधेयक पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

2– प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 2019 का प्रतिस्थानी विधेयक है।

3– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 विधायी/147–2019–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–08

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 27 जनवरी, 2021 ई0

माघ 07, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 27 / XXXVI (3) / 2021 / 74(1) / 2020

देहरादून, 27 जनवरी, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2020'** पर दिनांक 22 जनवरी, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 03, वर्ष– 2021** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2021)

उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019 संशोधन करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमि होः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेव (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019 में धारा 3 की उपधारा (3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

(3) यदि, किसी भर्ती वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण बिना भरे रिक्त रह जाती है, तो सम्बन्धित भर्ती वर्ष की ऐसी रिक्ति अगले भर्ती वर्ष हेतु Backlo के रूप में अग्रेणीत नहीं की जायेगी और इस प्रकार की रिक्ति सामान्य श्रेणी के उपयुक्त अभ्यर्थी से भरी जायेगी।

यदि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कोई व्यक्ति संदर्भित दिव्यांगजनों/पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोट के सापेक्ष चयनित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति क आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित रोस्ट क्रमांक के सापेक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य व कारणों का कथन

किसी भर्ती वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित कोई पद रिक्त रहने की दशा में सामान्य श्रेणी के उपयुक्त अभ्यर्थी से भरे जाने का उपबन्ध करने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 3 में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

2— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री।

No. 27/XXXVI(3)/2021/74(1)/2020
Dated Dehradun, January 27, 2021

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) (Amendment) Act, 2020' (Act No. 03 of 2021).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 22 January, 2021.

The Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) (Amendment) Act, 2020

(Uttarakhand Act No. 03 Year 2021)

An

Act

to amend the Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2019

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventyfirst Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called 'the Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) (Amendment) Act, 2020.
(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 3

2. In Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2019, the sub-section (3) of section 3 shall be substituted as following, namely:-

(3) If in any recruitment year any vacancy reserved for Economically Weaker Sections cannot be filled up due to non availability of a suitable candidate, then such vacancies for that particular recruitment year shall not be carried forward to the next recruitment year as backlog and such vacancy shall be filled up from a suitable candidate belonging to General category.

If, any person belonging to Economically Weaker Sections selected against the quota reserved for persons with benchmark disabilities/ex-servicemen then such person shall be placed against the roster points earmarked for Economically Weaker Sections.

By Order,

HIRA SINGH BONAL,
Principal Secretary.

Statement of Objects and Reasons

For making provision of filling any vacancy reserved for Economically Weaker Sections in case not filled due to non availability of a suitable candidate then, suitable candidate belonging to General category in any recruitment year, it is required to amend the section 3 of the Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2019.

2. The Proposed Bill is fulfills the above objectives.

Trivendra Singh Rawat
Chief Minister

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 विधायी / 53–2021–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

संख्याः 325/XXX(2)/30(12)/2020

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 **समस्त अपर मुख्य सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

2 **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),** उत्तराखण्ड शासन।

3 **सचिव,**
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

4 **सचिव,**
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
देहरादून।

5 **सचिव,**
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 15 **अक्टूबर, 2020**

विषयः– **उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 21.09.2020 को सम्पन्न बैठक में आयोगों द्वारा अवगत कराया गया कि विभागों द्वारा सीधी भर्ती के पदों हेतु प्रेषित अधियाचनों में अनाथ बच्चों को "**उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/ अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019**" के अन्तर्गत 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य नहीं किया जा रहा है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत समस्त राज्याधीन सेवाओं में अनाथ बच्चों को 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Om Prakash
(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 10 /XXX(2)/2020-30(2)/2019
देहरादून, 05 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2020

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020 है;

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 1 का संशोधन

2. मूल नियमावली के नियम 1 के उपनियम (2) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
1 संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1 संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
1 (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	1 (2) यह नियमावली चयन वर्ष 2020–21 की प्रथम जुलाई से प्रवृत्त होगी।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः /XXX(2)/2020-55(47)/2004

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 18 मार्च फरवरी, 2020

विषय : राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्यशासी संस्थाओं में पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः 297/XXX(2)/2019-55(47)/2004 दिनांक 11 सितम्बर, 2019 द्वारा रिट याचिका (एस/बी) संख्या 117/2019 ज्ञान चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 01.04.2019, रिट याचिका संख्या 351 (एस0/बी0)/2019 उत्तराखण्ड एस0सी0/एस0टी0 इम्पलॉईज फैडरेशन व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.08.2019 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष योजित पुनर्विलोकन याचिका में पारित होने वाले निर्णय एवं तत्क्रम में राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में लिये जाने वाले नीतिगत निर्णय तक राज्याधीन सेवा के समस्त संवर्गों में पदोन्नति सम्बन्धी प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया था।

2– रिट याचिका संख्या–117/एस0बी0/2019 में योजित पुनर्विलोकन याचिका संख्या–389/2019, ज्ञान चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2019 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष योजित विशेष अनुज्ञा याचिकाओं Civil Appeal No. 1226 of 2020 [Arising out of S.L.P. (Civil) No. 23701 of 2019] Mukesh Kumar & Anr. .... Appellant(s) Versus The State of Uttarakhand & Ors. . Respondent(s) WITH Civil Appeal No. 1227 of 2020 [Arising out of S.L.P. (Civil) No. 22640 of 2019] Civil Appeal No. 1228 of 2020 [Arising out of S.L.P. (Civil) No. 25508 of 2019] Civil Appeal No. 1229 of 2020 [Arising out of Dy. No.39572 of 2019 @S.L.P. (Civil) No. 3668 of 2020] Civil Appeal No. 1230 of 2020 [Arising out of S.L.P. (Civil) No. 27715 of 2019] Civil Appeal No. 1231 of 2020 [Arising out of S.L.P. (Civil) No. 28039 of 2019] Civil Appeal No. 1232 of 2020 [Arising out of S.L.P. (Civil) No. 27735 of 2019] Civil Appeal No. 1233 of 2020 [Arising out of S.L.P. (Civil) No. 28947 of 2019] में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2020 को पारित निर्णय का कार्यात्मक अंश निम्नवत् है :–

15. The High Court committed an error by striking down the proceeding dated 05.09.2012 by which a decision was taken not to provide reservation in promotions without giving any reasons, except stating that the said decision is contrary to the judgments of this Court in Jarnail Singh and Indra Sawhney (supra). A perusal of the proceeding dated 05.09.2012 would show that the decision taken by the State Government was by way of implementation of the judgment of the High Court of Uttarakhand in Vinod Prakash Nautiyal (supra) by which Section 3(7) of the 1994 Act, relating to the provision of reservation in promotion, was struck down. By its judgment dated 10.07.2012 in Vinod Prakash Nautiyal (supra), the High Court declared Section 3 (7) of the 1994 Act as contrary to the law laid down by this Court in M. Nagaraj (supra). There was a further declaration that no promotion can be given by the State of Uttarakhand by taking recourse to Section 3 (7) of the 1994 Act. However, the State Government was given liberty to bring out another legislation in accordance with the mandate of the Constitution of India, by following the judgment in M. Nagaraj (supra). This Court dismissed the SLP filed against the said judgment. At this juncture, it is relevant to mention that certain notifications were issued after the formation of the State of Uttarakhand by which reservation in promotion to public posts as provided in the State of Uttar Pradesh was adapted with certain modifications. As stated above, the Government of Uttarakhand appointed a Committee for collection of quantifiable data pertaining to the adequacy or inadequacy of representation of the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in public services in the State. The Committee submitted its report, according to which the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is inadequate. The State Cabinet approved the recommendation of the Committee on 12.04.2012. Ultimately, the State Government by a proceeding dated 05.09.2012 decided to set aside all previous Government orders relating to reservation in promotions to Government services in the State. As the Government is not bound to provide reservation in promotions, we are of the opinion that there is no justifiable reason for the High Court to have declared the proceeding dated 05.09.2012 as illegal.

16. The direction that was issued to the State Government to collect quantifiable data pertaining to the adequacy or inadequacy of representation of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government services is the subject matter of challenge in some appeals before us. In view of the law laid down by this Court, there is no doubt that the State Government is not bound to make reservations. There is no fundamental right which inheres in an individual to claim reservation in promotions. No mandamus can be issued by the Court directing the State Government to provide reservations. It is abundantly clear from the judgments of this Court in Indra Sawhney, Ajit Singh (II), M. Nagaraj and Jarnail Singh (supra) that Article 16 (4) and 16 (4-

A) are enabling provisions and the collection of quantifiable data showing inadequacy of representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in public service is a sine qua non for providing reservations in promotions. The data to be collected by the State Government is only to justify reservation to be made in the matter of appointment or promotion to public posts, according to Article 16 (4) and 16 (4-A) of the Constitution. As such, collection of data regarding the inadequate representation of members of the Scheduled Castes and Schedules Tribes, as noted above, is a pre requisite for providing reservations, and is not required when the State Government decided not to provide reservations. Not being bound to provide reservations in promotions, the State is not required to justify its decision on the basis of quantifiable data, showing that there is adequate representation of members of the Scheduled Castes and Schedules Tribes in State services. Even if the underrepresentation of Scheduled Castes and Schedules Tribes in public services is brought to the notice of this Court, no mandamus can be issued by this Court to the State Government to provide reservation in light of the law laid down by this Court in C.A. Rajendran (supra) and Suresh Chand Gautam (supra). Therefore, the direction given by the High Court that the State Government should first collect data regarding the adequacy or inadequacy of representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government services on the basis of which the State Government should take a decision whether or not to provide reservation in promotion is contrary to the law laid down by this Court and is accordingly set aside. Yet another direction given by the High Court in its judgment dated 15.07.2019, directing that all future vacancies that are to be filled up by promotion in the posts of Assistant Engineer, should only be from the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, is wholly unjustifiable and is hence set aside.

17. The submission made on behalf of the reserved category candidates that the judgment of this Court in Suresh Chand Gautam (supra) needs reconsideration is without substance in view of the findings recorded above. We are in agreement with the decision of this Court in Suresh Chand Gautam (supra) in which it was held that no mandamus can be issued by the Court to the State to collect quantifiable data relating to adequacy of representation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in public services.

18. The High Court was not informed about the appointment of a Committee for collection of quantifiable data and the completion of such exercise by the Committee, which was approved by the State Cabinet. However, the State Government took a conscious decision not to provide reservation in promotions. The direction given by the High Court to collect quantifiable data, therefore, is wholly unnecessary as the State is already in possession of the said data.

19. In view of the aforesaid, the impugned judgments of the High Court in Writ Petition (S/B) No.351 of 2019, Writ Petition (S/B) No.117 of 2019 and Review Application No.389 of 2019 in Writ Petition (S/B) No.117 of 2019 are set aside.

20. The Appeals are disposed of accordingly.

3– उपरोक्तानुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के विषयगत पारित आदेशों को अपास्त किये जाने के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्यशासी संस्थाओं में पदोन्नति में स्थगन सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 297/XXX(2)/2020-55(47)/2004 दिनांक 11 सितम्बर, 2019 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्याः 902/XXX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी. दिनांक 05 सितम्बर, 2012 के अनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्याः 94 (1)/XXX(2)/2020-55(47)/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, मा0 राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड।
5. मण्डलायुक्त कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्याः 203/XXX(2)/2018-55(46)/2004
देहरादून दिनांकः 25 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उक्त अधिनियम की अनुसूची–दो (छः) (क) को स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 के अनुसार निम्नवत् संशोधित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान उपबन्ध)	स्तम्भ–2 (प्रतिस्थापित उपबन्ध)
(छः) आय या सम्पत्ति मानदण्ड	**(छः) आय या सम्पत्ति मानदण्ड**
(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियॉं, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 6.00 लाख रूपये अथवा उससे अधिक है अथवा सम्पत्ति कर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट की सीमा से अधिक सम्पत्ति रखते हैं।	उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियॉं– (क) जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये अथवा उससे अधिक है अथवा सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 में यथा निर्धारित छूट की सीमा से अधिक सम्पत्ति रखते हैं।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India," the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 203/XXX(2)/2018-55(46)/2004 dated 25 September, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel Section-2
No. 203/XXX(2)/2018-55(46)/2004
Dehradun Dated: 25 September, 2018

Notification

In exercise of the powers conferred by section 13 of the Uttar Pradesh Public Service (Scheduled Caste, Schedule Tribe and Other Backward Class Reservation) Act, 1994 (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to accord sanction to amend Schedule-(II) (VI) (a) set out in column- 1 below as set out in column-2 as follows namely:-

Column-1 (Existing provision)	Column-2 (Substituted provision)
(VI) Income or Wealth Criteria	**(VI) Income or Wealth Criteria**
Son(s) and daughter(s) of	Son(s) and daughter(s) of
(a) persons having gross annual income of Rs. 6.00 lack or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for period of three consecutive years.	(a) the persons having gross annual income of Rs. 8.00 lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act, 1957 for a period of three consecutive years.

By Order,

(Radha Raturi)
Additional Chief Secretary.

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India," the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 203/XXX(2)/2018-55(46)/2004 dated 25 September, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel Section-2
No. 203/XXX(2)/2018-55(46)/2004
Dehradun Dated: 25 September, 2018

Notification

In exercise of the powers conferred by section 13 of the Uttar Pradesh Public Service (Scheduled Caste, Schedule Tribe and Other Backward Class Reservation) Act, 1994 (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to accord sanction to amend Schedule-(II) (VI) (a) set out in column- 1 below as set out in column-2 as follows namely:-

Column-1 (Existing provision)	Column-2 (Substituted provision)
(VI) Income or Wealth Criteria	**(VI) Income or Wealth Criteria**
Son(s) and daughter(s) of (a) persons having gross annual income of Rs. 6.00 lack or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for period of three consecutive years.	Son(s) and daughter(s) of (a) the persons having gross annual income of Rs. 8.00 lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act, 1957 for a period of three consecutive years.

By Order,

(Radha Raturi)
Additional Chief Secretary.

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधित) अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2020)

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993}(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) को प्रतिस्थापित करते हुए, उपखण्ड (तीन) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित), और
(तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।"

निरसन और व्यावृत्ति 3 (1) उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) अध्यादेश, 2019 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड की लोक सेवाओं में पूर्व सैनिकों एवं विकलांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण का समुचित लाभ उत्तराखण्ड राज्य को प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू है। उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में शब्द **"आश्रित"** को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के अन्तर्गत पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) यथा पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) सम्मिलित है।

2— विभिन्न न्यायिक निर्णयों में न्यायालयों द्वारा **"आश्रित"** शब्द को परिभाषित किया गया है तथा लिंग आधारित विभेदीकरण में सुधार करना आवश्यक व समीचीन है। तत्क्रम में पुत्री के पुत्र/पुत्री और पुत्र के पुत्र/पुत्री को **"आश्रित"** में सम्मिलित किया जाना अपरिहार्य है।

3— उक्त के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) अध्यादेश, 2019 प्रख्यापित किया गया था।

4— प्रस्तावित विधेयक उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है तथा उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री।

No. 04/XXXVI(3)/2020/73(1)/2019
Dated Dehradun, January 03, 2020

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand {the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainik) Act, 1993} (Amendment) Act, 2019' (Act No. 01 of 2020).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 02 January, 2020.

The Uttarakhand {the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainik) Act, 1993} (Amendment) Act, 2019

(Uttarakhand Act No. 01 Year 2020)

AN

ACT

Further to amend the Uttarakhand {the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainik) Act, 1993} (Adaptation and Modification order, 2002) in the context of the State of Uttarakhand.

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Seventieth year of the Republic of India as follows:

Short title and Commencement

1 (1) This Act may be called the Uttarakhand {the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainik) Act, 1993} (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Section 2	2	In Clause (b) of section 2 of the Uttarakhand {the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainik) Act, 1993} (Adaptation and Modification order, 2002), substituting sub clause (ii), sub clause (iii) shall be inserted as follows, namely:- "(ii) grandson (son of a son) and grand daughter (daughter of a son) (married and unmarried) and; (iii)son/ daughter of the daughter, of the freedom fighter."
Repeal and saving.	3	(1) The Uttarakhand {the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainik) Act, 1993} (Amendment) Ordinance, 2019 is hereby repealed. (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

PREM SINGH KHIMAL,

Secretary.

Statement of Objects and Reasons

Uttarakhand state is getting appropriate benefits of horizontal reservation for Purva Sainik and Physically Handicapped, in the Public services of The Uttarakhand. The Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainik) Act, 1993 is also enacted in The Uttarakhand State. The word "dependent" is defined in sub clause (b) of section 2 of the above act. According to the definition of the "dependent of the freedom fighter" their son and daughter (married and unmarried), grandson (son of the son) and unmarried grand daughter (daughter of the son) are included.

2. The word "dependent" is defined by courts in various judiciary decisions and it is necessary and expedient to correct in sex based differentiations. Therefore it seems inevitable to include son/ daughter of the daughter and son/daughter of a son in word "dependent."

3. In context of the above The Uttarakhand {the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainik) Act, 1993} (Amendment) Ordinance, 2019 was promulgated.

4. The Proposed Bill is the replacing Bill of the aforesaid Ordinance and fulfills the above objectives.

Trivendra Singh Rawat
Chief Minister

पी0एस0यू0(आर0ई0) 03 विधायी/16–2020–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या– /XXX(2)/19/55(35)/2003

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 (अनापत्ती)

विषयः– लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई0डब्ल्यू0एस0) के अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–537/XXX(2)/2014 दिनांक 03.12.2014 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह "ग" के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारण किया गया था। उक्तानुसार निर्धारित आवेदन शुल्क को संशोधित करते हुए शासनादेश संख्या–03/XXX(4)/2015-03(3)/2015 दिनांक 04.09.2015 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह "ग" के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क अनूसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु ₹ 150.00 प्रति आवेदन एवं सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु ₹ 300.00 प्रति आवेदन, परीक्षा शुल्क तथा शासनादेश संख्या–17/XXX(2)/19/55(35)/2003 दिनांक 15.02.2019 के द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु ₹ 150.00 प्रति आवेदन परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है।

2. उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों में आवेदन हेतु राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई0डब्ल्यू0एस0) के अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क, अनूसूचित जाति/जनजाति एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क **₹ 150.00** प्रति आवेदन, के समान ही निर्धारित किया जाता है।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 986 (1)/XXX(2)/19/55(35)/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
7. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

संख्याः 224/XXX(2)/2016/30(15)/2016

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 30 अगस्त, 2016

विषयः– राज्य सरकार के अन्तर्गत गठित विभिन्न आयोगों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अन्तर्गत कतिपय विभागों द्वारा विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन कराये जाने हेतु समय–समय पर आयोगों का गठन किया गया है। सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व संविधान के अनुच्छेद–16(4) के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाता है। अतः ऐसे आयोगों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त होने वाले अध्यक्ष अथवा सदस्यों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भी सदस्य नामित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

2– इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया राज्याधीन विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु गठित किये गये आयोगों में अध्यक्ष/सदस्य के पदों पर नियुक्ति करते समय इस बात को भी संज्ञानित करने का कष्ट करें कि उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित हो सके।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या– (1)/XXX(2)/2016/30(15)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

संख्याः /XXX(2)/18/30(58)/2015

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी)
   उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाँऊ मण्डल/समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 28 मई, 2018

विषयः– राज्याधीन सेवाओं में पदों में आरक्षण की गणना करते समय राउण्डिंग ऑफ के सिद्धान्त के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001 दिनांक 18.07.2001 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायतशासी संस्थाओं में अनुसूचित जाति को 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 04 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिशत के आधार पर पदों के आंगणन में फ्रैक्शन को पूर्णांक में परिवर्तित किये जाने के संबंध में समय–समय पर स्थिति स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया जाता है।

3. उक्त के संबंध में श्री राज्यपाल महोदय, आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत की सीमा तक, राज्याधीन सेवाओं में रिक्तियों को आगणित करते समय फ्रैक्शन 1.5 से कम होने पर फ्रैक्शन को छोडते हुए 01 रिक्ति आगणित करने तथा रिक्तियों का फ्रैक्शन 1.5 से 1.99 तक होने पर फ्रैक्शन को सम्मिलित करते हुए 2 रिक्तियां आगणित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। किसी भी दशा में उक्तानुसार फ्रैक्शन की गणना संबंधित श्रेणियों के निर्धारित प्रतिशत से अधिक न हो।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्याः 145 / XXX(2)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–
1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्या– 130/XVII–2/2020–05(OBC)/2015
देहरादूनः दिनांक 28 जनवरी 2020

अधिसूचना

चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश शासन एवं राज्य गठन के पश्चात् उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचनाओं द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित समस्त जातियों एवं उपजातियों की सूची पुनरीक्षित किया जाना आवश्यक एवं समीचीन हो गया है।

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994, (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001 की धारा 2 के खण्ड (ख) सपठित धारा 13 तथा उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श के पश्चात् उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994, (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001 की अनुसूची–एक को संलग्न सूची के अनुसार पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(एल. फैनई)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 130 /XVII–2/20–05(OBC)/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2–वरिष्ठ निजी सचिव, मा॰मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3–वरिष्ठ निजी सचिव, मा॰समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4–वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5–वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
6–वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7–आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9–निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल।
10–निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11–सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून।
12–निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इण्डस्ट्रियल एरिया, रामनगर, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 100 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट 90 प्रविष्टियों में अन्य पिछड़ी जातियों/वर्गों की अधिसूचना संख्या– 130/XVII-2/20-05(OBC)/2015 दिनांक 28 जनवरी 2020 द्वारा पुनरीक्षित अनुसूची:–

अनुसूची–1

[देखिए धारा–2(ख)]

क्र.सं.	मूल जाति	उपजाति
1.	अहीर	अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंषी
2.	अरख	अरख, अर्कवंशीय
3.	काछी	काछी, काछी–कुषवाहा, शाक्य
4.	कहार	कहार, कश्यप
5.	केवट या मल्लाह	केवट या मल्लाह, निषाद
6.	किसान	
7.	कोइरी	
8.	कुम्हार	कुम्हार, प्रजापति
9.	कुर्मी	कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी–मल्ल, कुर्मी–सैंथवार
10.	काम्बोज	
11.	कसगर	
12.	कुजड़ा या राइन	
13.	गोसाई	
14.	गूजर	
15.	गड़ेरिया	गड़ेरिया, पाल, बघेल
16.	गद्दी	गद्दी, घोषी
17.	गिरि	
18.	चिकवा (कस्साब)	चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक
19.	छीपी	छीपी, छीपा

20.	जोगी	
21.	झोजा	
22.	दफाली	
23.	तमोली	तमोली, बरई, चौरसिया
24.	तेली	तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गंधी, अर्राक
25.	दर्जी	दर्जी, इदरीसी, काकुत्स्थ
26.	धीवर	
27.	नक्काल	
28.	नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)	
29.	नायक	
30.	फकीर	
31.	बंजारा	बंजारा, रंकी, मुकेरी और मुकेरानी
32.	बढ़ई	बढ़ई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जागिड़, धीमान
33.	बारी	
34.	बैरागी	
35.	विन्द	
36.	बियार	
37.	भर	भर, राजभर
38.	भुर्जी या भड़भूजा	भुर्जी या भड़भूजा, भूंज, कांदू, कशौधन
39.	भठियारा	
40.	माली, सैनी	
41.	मनिहार	मनिहार, कचेर, लखेरा
42.	मुराव या मुराई	मुराव या मुराई, मौर्य

43.	मोमिन (अंसार)	
44.	मिरासी	
45.	मुस्लिम कायस्थ	
46.	नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी	नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कडेरे, करण (कर्ण)
47.	मारछा	
48.	रंगरेज	रंगरेज, रंगवा
49.	लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी–राजपूत	
50.	लोहार	लोहार, सैफी
51.	लोनिया	लोनिया, नोनिया, गोले–ठाकुर, लोनिया–चौहान
52.	सोनार	सोनार, सुनार, स्वर्णकार
53.	स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)	स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
54.	हलवाई	हलवाई, मोदनवाल
55.	हज्जाम (नाई)	हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास
56.	राय सिक्ख	
57.	सक्का–भश्ती, भिश्ती–अब्बासी	
58.	धोबी (जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं)	
59.	कसेरा/ठठेरा, ताम्रकार	
60.	नानबाई	
61.	मीर शिकार	
62.	शेख सरवरी (पिराई) पीराही	
63.	मेव, मेवाती	
64.	कोष्टा/कोष्टी	

65. रोड़

66. खुमरा, संगतराश, हंसीरी

67. मोची

68. खागी—चौहान

69. तंवर सिंघाड़िया

70. कतुआ

71. माहीगीर

72. दांगी

73. धाकड़

74. गाड़ा

75. तंतवा

76. जोरिया

77. पटवा, पटहारा, पटेहारा, देववंशी

78. जाट

79. कलाल, कलवार, कलार

80. कुथलिया बोरा (जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर तथा ग्राम कल्याणपुर तहसील सितारगंज जनपद ऊधमसिंह नगर)

81. घृत, बाहती, चाहंग

82. गोरखा समुदाय

83. रंवाल्टा/जौनपुरी समुदाय

84. महर/गूजर महरा जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखण्ड में निवासरत के साथ विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत खालसी, जोखणी, नागणी, खदाड़ा, मगाणगांव एवं धारकोट गावों में निवासरत

85. जिला देहरादून, विकासखण्ड,

विकास नगर के छः राजस्व ग्राम मटोगी, मदरसू, भलेर, पपड़ियान, बावनधार तथा पस्टा में निवासरत बिन्हारी समुदाय (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को छोड़कर)

86. जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला में निवासरत् अनुवाल समुदाय में आने वाली जातियां 1. नेगी, 2. काला, 3. जेठा, 4. दानू, 5. कोरंगा, 6. रावत, 7. परिहार, 8. मेहता, 9. फर्सवाण, 10 बाछमी, 11. वर्ती, 12. पाना, 13. सुयाल, 14. महर, 15. देवुली, 16. कोश्यारी, 17. रौतेला, 18. खर्कवाल, 19. बहुगुणा, 20. ओली, 21. शर्मा, 22. कापड़ी, 23. अवस्थी, 24. भण्डारी, 25. बिष्ट, 26. वर्ती (बिष्ट), 27. दोसात, 28. पुरेह (बिष्ट), 29. मखवाल (बिष्ट), 30. दुवरिया (बिष्ट), 31. कनौली, 32. संगीला (बिष्ट), 33. लुन्तरी (बिष्ट), 34. बड़ौला (बिष्ट), 35. घिंघा (बिष्ट), 36. चिराल, 37. करछी, 38. लुम्याल, 39. बघरी, 40. गोरख्या, 41. कल्या, 42. कफौला, 43. लोबी, 44. टिमटया, 45. ज्वारी, 46. खड़ायत, 47. टाकुली, 48. सौरागी, 49. गड़िया एवं तहसील मुनस्यारी में रहने वाली 142 ज्ञातियां (अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर) 1. नेगी, 2. जेठा, 3. दानू, 4. रावत, 5. ढोक्टी, 6. कोरंगा 7. टाकुली, 8. सौरागी, 9. वाछमी, 10. परिहार, 11. मेहता, 12. महर, 13. फर्सवाण, 14. गडिया, 15. वर्ती, 16. धामी, 17. दौसात, 18. पाना, 19. सुयाल, 20. पुरेत, 21. राणा, 22. मखववाल, 23. दुबरिया, 24. कनौली, 25. देवली, 26. संगीला,

27. बिष्ट, 28. कोश्यारी, 29. लुम्बरी, 30. बडौला, 31. घींघा, 32. रौतेला, 33. चिराल, 34. भण्डारी, 35. करछी, 36. खर्कवाल, 37. बहुगुणा, 38. द्विवेदी, 39. पालीवाल, 40. पवार, 41. काला, 42. लुग्याल, 43. बधरी, 44. रथ्याल, 45. उप्रेती, 46. बोरा, 47. बथ्वाल, 48. कर्मयाल, 49. उपाध्याय, 50. ओली, 51. शर्मा, 52. सामन्त, 53. सावन्त, 54. सिमियाल, 55.गण्डी, 56. डोगरा, 57. खाती, 58. कल्या, 59. कफौला, 60. लोबी, 61. कनेडा, 62. टिमटया, 63. ज्वारी, 64. वैधारी, 65. कापड़ी, 66. अवस्थी, 67. पोखरिया, 68. बसेडा, 69. कठायत, 70. खडायत, 71. कोहली, 72. साहनी, 73. सूद, 74. अग्रवाल, 75. छितवाल, 76. वर्मा, 77. पन्त, 78. किश्चिन, 79. कुवर, 80. बडेरी, 81.मेहरा, 82. सयाल, 83. भदेलिया, 84. लोटनी, 85. डकूना, 86. ठाकुर, 87. भट्ट, 88. कार्की, 89. पिमोली, 90. भाकुनी, 91. खत्री, 92. दशौनी, 93. पण्डा, 94. कालाकोटी, 95. बाफिला, 96. क़नारी, 97. डोबरियाल, 98. झेक्वान, 99. कुमैयया, 100. पनेरा, 101. बृथवाल, 102. चुफाल, 103. गोगनी, 104. देउपा, 105. चन्द, 106. बम, 107. मल, 108. सौन, 109. शाही, 110. भकुटी, 111. इटवाल, 112. रूलिया, 113. जुमाल, 114. जोशी, 115. मिश्रा, 116. लोहनी, 117. पाठक, 118. पाण्डे, 119. त्रिपाठी, 120. शुक्ल, 221. तिवारी, 122. निगो, 123. पुदात, 124. खोलिया, 125. डिगारी, 126. जायसवाल, 127. विडला, 128. रौकाया, 129.

पिपलिया, 130. किरमोलिया, 131. दुमारी, 132. डाकुली, 133. तिगडी, 134. फर्त्याल, 135. पिंगल, 136. सिराकोटि, 137. धानिक, 138. थपरियाल, 139. जुमाल, 140. जेष्ठा, 141. नौरंगी, 142. किरमलीष

87. जिला टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में निवासरत् फिकवाल समुदाय (अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर)

88. जनपद पौड़ी गढ़वाल के घुडदौडस्यूँ, विडोलस्यूँ, बालीकण्डारस्यूँ, कण्डारस्यूँ, ढाईज्यूली, चोपड़ाकोट, चौथान एवं ढौडियालस्यूँ कुल आठ पट्टियों में निवासरत् राठी समुदाय (अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर)

89. जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में निवासरत् पैनखण्डा समुदाय (केवल मूल निवासी) (अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर)

90. जनपद टिहरी गढ़वाल के थौलधार में निवासरत् गंगाडी समुदाय (अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर)

—000—

(एल. फैनाई)
सचिव
समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड शासन

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the "Constitution of India," the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 130 /XVII-2/20-05(OBC)/2015 dated 28 January , 2020 for general information.

Government of Uttarakhand
Social Welfare Section-2
No. 130/XVII-2/20-05(OBC)/2015
Dehradun Dated: 28 January, 2020

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that the revision of the list of all castes and sub castes included in the list of other Backward Classes by notifications issued from time to time by the Government of Uttar Pradesh and Government of Uttarakhand before and after the creation of the State has become necessary and expedient.

Now, THEREFORE, the Governor, in exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 read with section 13 of the Uttarakhand (Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (Adaptation and Modification Order) 2001 and section 11 of the Uttarakhand Commission for Other Backward Classes Act, 2003 in consultation with the Commission for Other Backward Classes, is pleased to accord sanction to revise Schedule-I of the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Schedules Ttibes and Other Backward Classes) Act, 1994) Adaptation and Modification Order) 2001, in accordance with the enclosed list.

By Order,
(L-Fanai)
Secretary

Revised scheduled of Other Backward caste classes as specified in 90 entries in scheduled-1 of Uttarakhand (Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act 1994) Adaptation and Modification Order 2001 by No. 130 /XVII-2/20-05(OBC)/2015 Dated 28 January, 2020

SCHEDULE-1

[See Rule 2(b)]

S.No.	Original Caste	Sub-caste
1.	Aheer	Aheer, Yadav, Gwala, Yaduvanshi
2.	Arakh	Arakh, Arkvanshia
3.	Kachhi	Kachhi, Kachhi-Kushwaha, Shakya
4.	Kahaar	Kahaar, Kashyap
5.	Kevat or Mallah	Kevat or Mallah, Nisad
6.	Kissan	
7.	Koeri	
8.	Kumhar	Kumhar, Prajapati
9.	Kurmi	Kurmi, Chanau, Patel, Patanvar, Kurmi-Mall, Kurmi-Seinthvar
10.	Kamboj	
11.	Kasgar	
12.	Kujra or Raain	
13.	Gosai	
14.	Goojar	
15.	Gareriya	Gareriya, Pal, Baghel
16.	Gaddi	Gaddi, Gosi
17.	Giri	
18.	Chikwa (kassab)	Chikwa, Kassab, Kuraishi, Chak
19.	Chhipi	Chhipi, Chhipa
20.	Jogi	
21.	Jhoja	
22.	Daphali	
23.	Tamoli	Tamoli, Barai, Chaurasya

24	Teli	Teli, Samani, Rognagar, Sahu, Rouniyar, Gandhi, Arrak
25	Darzi	Darzi, Idrisi, Kakutshtha
26	Dheevar	
27	Nakkal	
28	Nut (which are not include in class of Scheduled Castes)	
29	Nayak	
30	Fakeer	
31	Banjara	Banjara, Rankee, Mukeri or Mukerani
32	Badhai	Badhai, Saifi, Vishwakarama, Panchal, Ramgadhiya, Jagir, Dhiman
33	Baari	
34	Bairagi	
35	Vind	
36	Biyar	
37	Bhar	Bhar, Rajbhar
38	Bhurji or Bharbhuja	Bhurji or Bharbhuja, Bhunj, Kandu, Kashodhan
39	Bhathiyara	
40	Mali, Saini	
41	Manihar	Manihar, Kacher, Lakhera
42	Murav or Murai	Murav or Murai, Mourya
43	Momin (Anshar)	
44	Mirasi	
45	Muslim Kayasth	
46	Naddaf (Dhuniya), Mansuri	Naddaf (Dhuniya), Mansuri, Kandere, Kadere, Karan (Karn)
47	Marchha	
48	Rangrej	Rangrej, Rangwa
49	Lodh, Lodha, Lodhi, Lot, Lodhi-Rajput	
50	Lohar	Lohar, Saifi

51	Loniya	Loniya, Noniya, Gole-Thakur, Loniya-Chauhan
52	Sonar	Sonar, Sunar, Swarnkar
53	Sweeper (Which are not include in Scheduled Castes Classes)	Sweeper (Which are not include in Scheduled Castes Classes)
54	Halwai	Halwai, Modanval
55	Hajjam (Nai)	Hajjam, Nai, Salmani, Savita, Srivas
56	Rai Sikkh	
57	Sakka-Bhashti, Bhishti-Abbasi	
58	Dhobi (which are not include in Scheduled Castes/Tribes Class)	
59	Kasera/Thathera, Tamrakar	
60	Nanbai	
61	Meer Shikar	
62	Shekh Sarvari (Pirai) Pirahi	
63	Mev, Mevati	
64	Kosta/Kosti	
65	Ror	
66	Khumra, Sangtrash, Hansiri	
67	Mochi	
68	Khagi-Chauhan	
69	Tanvar Singhariya	
70	Katua	
71	Mahigeer	
72	Dangi	
73	Dhakar	
74	Gara	
75	Tantava	
76	Joriya	
77	Patawa, Pathara, Patehara, Devavanshi	
78	Jaat	

10/ 9

79 Kalal, Kalvar, Kalar

80 Kuthaliya Bora (District- Pithoragarh, Almora, Nainital, Bageshwar and village kalyanpur of tahsil Sitarganj District Udhamsinghnagar)

81 Ghrit, Bahti,Chahang

82 Gorkha Samuday

83 Ranwalta/Jaunpuri samuday

84 Mahar/Gujar mahara Resident of Bhatwari Block of district Uttarkashi with Khalsi, Jokhni, Nagni, Khadara, Magangaon and Dharkot villages under Chinyalisaur Block

85 Binhari community (excluding Schedule Caste & Schedule Tribes) of six revenue villages Matogi, Mothersu, Bhaler, Papadiyan, Bawandhar and Pasta of Block Vikasnagar District Dehradun

86 Castes of Anuwal community residing in Tehsil Dharchula district Pithoragarh 1. Negi, 2. Kala, 3. Jetha, 4. Danu, 5. Koranga, 6. Rawat, 7. Parihar, 8. Mehta, 9. Farswan, 10. Bachmi, 11. Varti, 12. Pana, 13. Suyal, 14. Mahar, 15. Devuli, 16. Koshyari, 17. Rautela, 18. Kharkwal, 19. Bahuguna, 20. Oli, 21. Sharma, 22. Kaapdi, 23. Avasthi, 24. Bhandari, 25. Bisht, 26. Varti (Bisht), 27. Dosaat, 28. Pureh (Bisht), 29. Makhwal (Bisht), 30. Duvariya (Bisht), 31. Kanauli, 32. Sangeela (Bisht), 33. Luntari (Bisht), 34. Badola (Bisht), 35. Ghingha (Bisht), 36. Chiral, 37. Karchi, 38. Lumyal, 39. Baghri, 40. Gorkhya, 41. Kalya, 42. Kafola, 43. Lobi, 44. Timtiya, 45. Jwari, 46. Khadayat,

47. Takuli, 48. Sauragi, 49. Gariya and 142 castes resident of tehsil Munsiyari (excluding Schedule Castes & Scheduled Tribes) 1. Negi, 2. Jetha, 3. Danu, 4. Rawat, 5. Dhokti, 6. Koranga, 7. Takuli, 8. Sauragi, 9. Vachmi, 10. Parihar, 11. Mehta, 12. Mahar, 13. Farswan, 14. Gariya, 15. Varti, 16. Dhami, 17. Dausaat, 18. Pana, 19. Suyal, 20. Puret, 21. Rana, 22. Makhawwal, 23. Dubariya, 24. Kanauli, 25. Devali, 26. Sangeela, 27. Bisht, 28. Koshyari, 29. Lumbari, 30. Badola, 31. Ghingha, 32. Rautela, 33. Chiral, 34. Bhandari, 35. Karchi, 36. Khrkwal, 37. Bahuguna, 38. Dwivedi, 39. Paliwal, 40. Panwar, 41. Kala, 42. Lugyal, 43. Badhri, 44. Rathyal, 45. Upreti, 46. Bora, 47. Bathwal, 48. Karmyal, 49. Upadhyay, 50. Oli, 51. Sharma, 52. Samant, 53. Sawant, 54. Simiyal, 55. Gandi, 56. Dogra, 57. Khati, 58. Kalya, 59. Kafola, 60. Lobi, 61. Kaneda, 62. Timtaya, 63. Jwari, 64. Vedhari, 65. Kapdi, 66. Avasthi, 67. Pokhariya, 68. Baseda, 69. Kathayat, 70. Khadayat, 71. Kohli, 72. Sahni, 73. Sood, 74. Agrawal, 75. Chitwal, 76. Varma, 77. Pant, 78. Krishchan, 79. Kunwar, 80. Baderi, 81. Mehra, 82. Sayal, 83. Bhadeliya, 84. Lotani, 85. Dakuna, 86. Thakur, 87. Bhatt, 88. Karki, 89. Pimoli, 90. Bhakuni, 91. Khatri, 92. Dashauni, 93. Panda, 94. Kalakoti, 95. Bafila, 96. Kanari, 97. Dobariyal, 98. Jhekwan, 99. Kumeyya, 100. Panera, 101. Brithwal, 102. Chuphal, 103. Gogani, 104. Deupa, 105. Chand,

106. Bam, 107. Mal, 108. Saun, 109. Shahi, 110. Bhakuti, 111. Itwal, 112. Ruliya, 113. Jumal, 114. Joshi, 115. Mishra, 116. Lohani, 117. Pathak, 118. Pandey, 119. Tripathi, 120. Shukl, 121. Tiwari, 122. Nigo, 123. Pudat, 124. Kholiya, 125. Digari, 126. Jaiswal, 127. Vidla, 128. Raukaya, 129. Pipliya, 130. Kirmoliya, 131. Dumari, 132. Dakuli, 133. Tigdi, 134. Fartyal, 135. Pingal, 136. Sirakoti, 137. Dhanik, 138. Thapriyal, 139. Jumal, 140. Jeshtha, 141. Naurangi, 142. Kirmalish

87 Fikwal community (excluding Schedule Caste & Schedule Tribes) resident of Pratapnagar assembly area district Tehri Garhwal

88 Rathi community (excluding Schedule Caste & Schedule Tribes) resident of total eight strips Ghurdaurasyun, Vidolasyun, Balikandarsyun, Kandarsyun, Dhaijyuli, Choprakot, Chauthan and Dhaundhiyalsyun District Pauri Garhwal

89 Penkhanda Community (Only native) resident of block Joshimath district Chamoli (excluding Schedule Caste & Schedule Tribes)

90 Gangari Community (excluding Schedule Caste & Schedule Tribes) resident of Thauldhar district Tehri Garhwal

---00---

(L. Fanai)
Secretary
Social Welfare & Minority Welfare Department
Govt. of Uttarakhand

भाग–6

निलम्बन, आरोप–पत्र, अनुशासनिक कार्यवाही एवं शास्ति के निर्धारण से संबंधित शासनादेश एवं नियमावली

संख्या– 279/XXX(2)/2014

प्रेषक,

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 16 जून, 2014

विषयः– अनुशासनात्मक कार्यवाही के शीघ्र निस्तारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा समय–समय पर कार्मिकों के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही को शीघ्रता से निस्तारण किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। यह भी निर्देश निर्गत किये गये हैं कि किसी कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित होने के बाद उसका शीघ्रता से निस्तारण किया जाय, परन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि जब किसी कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रचलित होती है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण को अन्तिम रूप से निस्तारण करने में कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, जिसके कारण सम्बन्धित कार्मिकों की अनुशासनात्मक जाँच में अन्तिम निर्णय न हो पाने के कारण उसके सेवा–संबंधी मामलों में यथा–विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में निर्णय नहीं हो पाता है। सम्बन्धित कार्मिक की विभागीय जाँच लम्बित होने के कारण उनकी संस्तुति को बन्द लिफाफे में रखा जाता है और कभी–कभी उसमें तीन से चार वर्ष भी लग जाते हैं और इतनी लम्बी अवधि तक संबंधित कार्मिक की पदोन्नति के प्रकरण पर निर्णय नहीं हो पाता है।

2– अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों का निस्तारण छः माह से एक वर्ष के अन्दर अवश्य कर लिया जाय, ताकि संबंधित कार्मिक की पदोन्नति के मामले में मोहरबन्द लिफाफे की स्थिति बार–बार उत्पन्न न हो और अनुशासनात्मक कार्यवाही में लिये गये निर्णय के अनुसार उनकी पदोन्नति के समय मोहरबन्द लिफाफे को खोलने की कार्यवाही सम्पन्न हो सके।

कृपया उपुर्यक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या– 279 /XXX(2)/2014/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मण्डलायुक्त कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

2– समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4– सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

(7)

संख्या–767/XXX(2)/2017

सेवा में,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषक,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
   उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल
   उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 8 मई, 2017

विषय– लोक सेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2010 द्वारा अनुशासन अपील नियमावली, 2003 के नियम–7 जिसमें दीर्घ शास्तियां आधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, में संशोधन करते हुये अनुशासनिक कार्यवाही करने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है जिसके द्वारा अनुशासन अपील नियमावली के नियम–7 के प्रस्तर–2,4,5 तथा 8 को निम्नवत् प्राविधानित किया गया हैः–

7(2)– अवचार के ऐसे तथ्यों को जिन पर कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित हो, निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में रूपान्तरित किया जायेगा जिसे आरोप–पत्र कहा जायेगा। आरोप पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

7(4)– आरोप पत्र उसमें उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति और साक्षियों की सूची और उनके कथन, यदि कोई हों, के साथ आरोपित सरकारी सेवक को व्यक्तिगत रूप से या रिजस्ट्रीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पते पर तामील की जायेगी, उपर्युक्त रीति से आरोप–पत्र तामील न कराये जा सकने की दशा में आरोप–पत्र को व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील कराया जायेगा।

क्रमशः.....2

7(5)– आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी विनिर्दिष्ट दिनांक को जो आरोप पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिन से कम नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिरक्षा में एक लिखित कथन प्रस्तुत करे जिसमें वह स्पष्ट रूप से सूचित करे कि वह आरोप पत्र में उल्लिखित सभी या किन्हीं आरोपों को स्वीकार करता है अथवा नहीं। आरोपित सरकारी सेवक से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा में लिखित तथा मौखिक साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता है। उसको यह भी सूचित किया जायेगा कि विनिर्दिष्ट दिनांक को उसके उपस्थित न होने या लिखित कथन दाखिल न करने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिये कुछ नहीं है और उसके विरूद्ध एक पक्षीय रूप से जांच कार्यवाही प्रचलित की जायेगी।

7(8)– अनुशासनिक प्राधिकारी, उन आरोपों की, जो सरकारी सेवक ने स्वीकार नहीं किये हैं, जांच स्वयं कर सकेगा या यदि वह उचित समझें तो अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को इस प्रयोजन के लिये जांच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा जो कि यथा संभव आरोपति सरकारी सेवक के स्तर से कम से कम दो स्तर ऊपर का हो।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि आरोप पत्र निर्गत करते समय तथा जांच अधिकारी नियुक्त करते समय उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कभी–कभी यह भी देखने में आता है कि आरोप पत्र की तामीली उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित नहीं की जा रही है और आरोप पत्र निर्गत करने के साथ ही जांच अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाता है इसके अतिरिक्त आरोप पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी न करके स्वयं ही जांच अधिकारी द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं, जो कि अनुशासन अपील (संशोधित) नियमावली, 2010 में की गयी उपर्युक्त व्यवस्था के प्रतिकूल है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे लोक सेवकों के विरूद्ध गम्भीर कदाचार होने के बाद भी अनुशासनिक कार्यवाही नियमान्तर्गत न होने के कारण निरस्त की जाती है।

3– अतः इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रत्येक लोक सेवक के विरूद्ध कदाचार के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही करते समय अनुशासन अपील नियमावली के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करे। अनुशासन अपील नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किसी भी लोक सेवक के विरूद्ध कदाचार के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय लिये जाने के पश्चात् निम्नानुसार कार्यवाही की जाये:–

(1)– सर्वप्रथम केवल आरोप पत्र निर्गत किया जायेगा। आरोप पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किये जायेंगे जहां नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हों, वहां पर आरोप पत्र शासन के प्रमुख सचिव/सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत किये जायेंगे। जांच अधिकारी के हस्ताक्षर से या जांच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

क्रमशः.....3

(2)— आरोप पत्र के साथ अभिलेखीय साक्ष्यों की प्रतियां भी संलग्न करके संबंधित लोक सेवक को प्रेषित की जायेंगी और आरोप पत्र व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से लोक सेवक के पते पर प्रेषित किया जायेगा और उपर्युक्त रीति से आरोप पत्र तामील न होने पर आरोप पत्र व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील कराया जायेगा।

(3)— आरोप पत्र के अन्त में यह स्पष्ट उल्लिखित किया जायेगा कि आरोपी 15 दिन के अन्दर अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत करेगा कि वह आरोप पत्र में सभी या किन्हीं आरोपों को स्वीकार करता है अथवा नहीं। आरोपी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि यदि वह अपनी प्रतिरक्षा में लिखित या मौखिक साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे भी उल्लिखित करे।

(4)— आरोपी द्वारा आरोपों को अस्वीकार करने के पश्चात् आरोपी द्वारा धारित पद से दो स्तर ऊपर के अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया जायेगा और जांच अधिकारी को आरोप पत्र की प्रति, अभिलेखीय साक्ष्यों की प्रति प्रेषित किये जायेंगे। आरोप पत्र जांच अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत नहीं किये जायेंगे। क्योंकि जांच अधिकारी तब नियुक्त किया जायेगा जबकि आरोपी नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत या शासन के प्रमुख सचिव/सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत आरोप पत्र में उल्लिखित सभी या किन्हीं आरोपों को अस्वीकार करता है।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अनुशासनात्मक कार्यवाही करते समय उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या– 191 /XXX(2)/17-30(12)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल
उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।
5– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 28 जून, 2017

विषयः– निलम्बनकाल के वेतन भत्तों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा के दौरान गम्भीर दुराचरण करने के परिणामस्वरूप लोक सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अनुशासन अपील नियमावली के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत की जाती है। कभी–कभी गम्भीर दुराचरण की स्थिति में कतिपय लोक सेवकों को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पूर्व निलम्बित भी किया जाता है। अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त होने पर आरोपों के प्रमाणित होने की दशा में सम्बन्धित लोक सेवकों को वृहद्/लघु दण्ड भी दिया जाता है और कभी–कभी आरोप प्रमाणित न होने की स्थिति में ऐसे लोक सेवकों को बिना किसी दण्ड के सेवा में बहाल किया जाता है।

2– प्रायः यह देखने में आया है कि लोक सेवकों को जब अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप दण्ड दिया जाता है तो उनके निलम्बनकाल के वेतन भत्तों के संबंध में विभागों द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही नहीं की जाती है विभागों द्वारा दण्डादेश में ही निलम्बनकाल के वेतन भत्ते के संबंध में उल्लेख कर दिया जाता है और कतिपय विभागों द्वारा निलम्बनकाल के वेतन भत्तें के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है यह स्थिति उचित नहीं है।

3— लोक सेवकों को अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान निलम्बित किये जाने और उसके बाद अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त होने की स्थिति में निलम्बनकाल के वेतन भत्ते के संबंध में मूल नियम–54(3) में निम्न प्राविधान किये गये हैं:–

"जहां पुनः पदस्थ करने का आदेश देने वाले सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि निलम्बन बिलकुल ही न्याय संगत नहीं था वहां सरकारी सेवक को उपनियम (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पूरा वेतन तथा भत्ता दिया जायेगा जिसके लिए वह हकदार होता, यदि वह निलम्बित न किया गया हो। परन्तु जहां ऐसे प्राधिकारी की यह राय हो कि सरकारी सेवक के विरूद्ध संस्थित कार्यवाहियों की समाप्ति में प्रत्यक्षतः सरकारी सेवक के कारण विलम्ब हुआ है, वहां वह सरकारी सेवकों अपना अभ्यावेदन देने का अवसर देने के पश्चात और उसके प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो विचार करने के पश्चात उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह निदेश दे सकता है कि सरकारी सेवक को ऐसी विलम्ब अवधि के लिये केवल ऐसे वेतन और भत्ते की उतनी राशि (जो सम्पूर्ण राशि न हो) दी जायेगी जितनी वह अवधारित करें।"

इसी प्रकार अनुशासन अपील नियमावली, 2003 के नियम–5 में निम्न प्राविधान किया गया है:–

"इस नियमावली के अधीन यथास्थिति विभागीय जांच या आपराधिक मामले के आधार पर आदेश पारित हो जाने के पश्चात संबंधित सरकारी सेवक के वेतन और भत्तों के बारे में विनिश्चय और उक्त अवधि को ड्यूटी पर बिताया गया माना जायेगा अथवा नहीं पर विचार करते हुए उक्त सरकारी सेवक को नोटिस देकर फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के नियम–54 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्टकरण मांगने के पश्चात अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।"

4— शासन के संज्ञान में आया है कि उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार कतिपय विभागों द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। मूल नियम–54 की व्यवस्था से स्पष्ट है जहां लोक सेवकों विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही बिना किसी दण्ड के समाप्त हो जाती है वहां ऐसे लोक सेवकों को निलम्बनकाल के समस्त वेतन भत्ते अनुमन्य होते हैं उसी प्रकार जैसे कि वह निलम्बित न किया गया हो। परन्तु जहां पर अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप किसी लोक सेवक को आरोपों के किन्ही भाग प्रमाणित होने की स्थिति में दण्ड दिया जाता है वहां पर दण्डादेश निर्गत करने के बाद ऐसे लोक सेवक को मूल नियम–54 की व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक से कारण बताओ नोटिस दिये जाते हैं। कारण बताओ नोटिस का संबंधित लोक सेवक का उत्तर देने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके निलम्बनकाल के वेतन भत्ते के संबंध में निर्णय लिया जाता है कि क्या निलम्बनकाल के सम्पूर्ण वेतन भत्ते दिये जायं अथवा न दिये जायें और ऐसे

कारणों का उल्लेख करते हुए पृथक से आदेश निर्गत किये जाते हैं। दण्डादेश में निलम्बनकाल के वेतन भत्ते के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया जाता है क्योंकि निलम्बनकाल और निलम्बनकाल के वेतन भत्ते के संबंध में निर्णय दण्ड की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्योंकि उस अवधि में संबंधित लोक सेवक द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया होता है इसलिये निलम्बनकाल के वेतन भत्ते के संबंध में मूल नियम–54 के अन्तर्गत निर्णय लिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि मूल नियम–54 के अन्तर्गत दण्ड दिये जाने की स्थिति में लोक सेवक को कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक है और उसका सांविधिक बल है।

5— अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप किसी भी लोक सेवक के निलम्बनकाल के वेतन भत्ते के संबंध में उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

भाग–7

वार्षिक प्रविष्टियों का अंकन, प्रतिकूल प्रविष्टियों एवं प्रत्यावेदन से संबंधित शासनादेश एवं नियमावली

संख्याः 645 /XXX(2)/2014–55(26)/2002

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 23 सितम्बर, 2014

विषयः– वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों का समयबद्ध अंकन सुनिश्चित कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं एवं लोक सेवकों के संदर्भ में वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों के अंकन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में एम.जी.ओ. के अध्याय 140 में निहित प्राविधानों के क्रम में शासन के पत्रांक 780/कार्मिक–2/2002 दिनांक 25.07.2002 एवं 1712/कार्मिक–2/2003 दिनांक 18.12.2003 के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। तद्नन्तर, शासन के पत्रांक 914/XXX(2)/2005 दिनांक 08.04.2005, पत्रांक 1160/XXX(2)/2005 दिनांक 11.05.2005, पत्रांक 914/XXX(2)/2005 दिनांक 05.07.2005, पत्रांक 922/XXX(2)/2005 दिनांक 18.04.2006 तथा पत्रांक 496/XXX-2-55(26)/2002 दिनांक 01.06.2012 के माध्यम से भी कतिपय बिन्दुओं पर अनुपूरक दिशा–निर्देश के साथ वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों के अंकन सम्बन्धी निर्धारित समय–सारणी का अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने की अपेक्षा की गई थी।

2– शासन के संज्ञान यह तथ्य आया है कि कतिपय विभागों में कार्मिकों/अधिकारियों के वार्षिक चरित्र प्रविष्टि अंकन सम्बन्धी कार्य को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जा रहा है जिस कारण कार्मिकों/अधिकारियों के कई वर्षों की वार्षिक प्रविष्टियां अपूर्ण पड़ी हुई हैं। प्रविष्टियां पूर्ण न होने के कारण अनेक अधिकारी/कर्मचारी सेवा सम्बन्धी लाभ पाने में वंचित हो जाते हैं। यह स्थिति श्रेष्ठ कार्मिक प्रबन्धन की दृष्टि से उचित नहीं है।

3– अतएव, आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन विभाग/विभागों के अन्तर्गत कार्मिकों के वार्षिक प्रविष्टि के अंकन सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये नियम/दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। प्रत्येक प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकृता प्राधिकारी को भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अपने नियंत्रणाधीन कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टियां निर्धारित समय में अंकित करना सुनिश्चित करें। कृपया प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के उपरान्त प्रत्येक स्तर पर वार्षिक चरित्र प्रविष्टि के अंकन की प्रगति की समीक्षा भी अन्य शासकीय कार्यों के समान ही कराये जाने की भी व्यवस्था भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्याः (1)/XXX(2)/2014–55(26)/2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

2– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

क्रम संख्या–79

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 28 अप्रैल, 2015 ई0
बैशाख 08, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 155 / XXX(2) / 2015–30(39) 2014
देहरादून, 28 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरूद्ध प्रत्यवादेन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002 को अधिक्रमित करते हुये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ठ वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का प्रकटीकरण एवं उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा), नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ठ वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह समस्त प्रकार के सरकारी सेवकों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. यह नियमावली, किन्ही अन्य नियमों या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रभावी होगी।

परिभाषायें

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, पद–

(क) "समुचित प्राधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सरकार द्वारा यथास्थिति प्रतिवेदक प्राधिकारी, समीक्षक प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये सशक्त हो;

(ख) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है:

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है:

(घ) "सरकारी सेवक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन किसी पद से भिन्न संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर कार्य कर रहा हो;

(ड) "रिपोर्ट" से किसी सरकारी सेवक के कार्य, आचरण और सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में किसी समुचित प्राधिकारी, जिसने उस सरकारी सेवक का काम निरन्तर तीन मास से अन्यून अवधि तक देखा हो, द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये अभिलिखित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(च) "सचिवालय" से सरकार का सचिवालय अभिप्रेत है;

(छ) "वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

प्रतिकूल अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ठ रिपोर्ट की संसूचना और प्रत्यावेदन के निपटाने के लिये प्रक्रिया

4. (1) जहां किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में रिपोर्ट अन्तिम होने के पश्चात् पूर्णतः या अंशतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक या अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ठ हो, जिसे आगे रिपोर्ट कहा गया है, तो सम्बंधित सरकारी कर्मचारी को स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा जो प्रतिवेदक/प्राधिकारी से निम्न पंक्ति का न हो और स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट हो, रिपोर्ट को अभिलिखित किये जाने के दिनांक से 60 दिन की अवधि के भीतर संपूर्ण रिपोर्ट लिखित रूप में संसूचित की जायेगी और इस आशय का एक प्रमाण–पत्र रिपोर्ट में अभिलिखित किया जायेगा।

(2) सरकारी कर्मचारी, उपनियम (1) के अधीन प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट की संसूचना के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर, इस प्रकार संसूचित रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन लिखित में सीधे और उचित माध्यम से स्वीकर्ता प्राधिकारी से एक पंक्ति ऊपर के प्राधिकारी को, जिसे आगे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, और यदि कोई सक्षम प्राधिकारी न हो तो स्वीकर्ता प्राधिकारी को ही कर सकता है।

(3) सरकारी कर्मचारी यदि उपनियम (1) के अधीन संसूचित पूर्णतः या– अंशतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक या अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन देना चाहता है, तो वह ऐसी रिपोर्ट की संसूचना के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर इस प्रकार संसूचित रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन लिखित में सीधे और उचित माध्यम से स्वीकृता प्राधिकारी से एक पंक्ति ऊपर के प्राधिकारी को, जिसे आगे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, और यदि कोई सक्षम प्राधिकारी न हो, तो स्वीकर्ता प्राधिकारी को कर सकता है–

परन्तु यदि यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि सरकारी सेवक के पास उक्त अवधि के भीतर प्रत्यावेदन प्रस्तुत न कर सकने के पर्याप्त कारण हैं तो ऐसे प्रत्यावेदन की प्रस्तुति के लिये 45 दिन की अग्रेतर अवधि की अनुमति दे सकता है।

(4) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (2) तथा (3) के अधीन प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह से अनधिक अवधि के भीतर प्रत्यावेदन को समुचित प्राधिकारी को, जिसने प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट अभिलिखित की है, उसकी टीका–टिप्पणी के लिये भेजेगा जो प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से 45 दिन से अनधिक अवधि के भीतर अपनी टीका–टिप्पणी, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा–

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी टीका–टिप्पणी अपेक्षित नहीं होगी, यदि समुचित प्राधिकारी अपनी टीका–टिप्पणी भेजने से पहले सेवा में न रह गया हो या सेवानिवृत्त हो गया हो या निलम्बनाधीन हो।

(5) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट 45 दिन की समाप्ति के दिनांक से 120 दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी की टीका–टिप्पणी के साथ प्रत्यावेदन पर विचार करेगा और यदि कोई टिका–टिप्पणी प्राप्त न हुई हो तो टीका–टिप्पणी की प्रतीक्षा किये बिना–

(क) प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुये: या

(ख) प्रतिकूल रिपोर्ट को पूर्णतः या अंशतः जैसा वह उचित समझे निकालते हुये सकारण आदेश पारित करेगा।

(ग) अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट को जैसा कि उचित समझे सकारण आदेश पारित करते हुय उन्नत (upgrade) करेगा।

(6) जहां सक्षम प्राधिकारी, उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी प्रशासनिक कारण से प्रत्यावेदन का निपटारा करने में असमर्थ हों, तो वह इस सम्बन्ध में अपने उच्चतर प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रत्यावेदन के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिये ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।

(7) उपनियम (5) के अधीन पारित आदेश सम्बन्धित सरकारी सेवक को लिखित रूप में संसूचित किया जायेगा।

(8) जहां उपनियम (5) के अधीन प्रतिकूल प्रविष्टि निकालने का आदेश पारित किया जाये, वहां यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी इस प्रकार निकाली गयी प्रविष्टि को विलुप्त कर देगा।

(9) जहां उपनियम (5) के अधीन अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम प्रविष्टि को निकालकर उन्नत (upgrade) करने का आदेश पारित किया जाये, वहां यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी ऐसी प्रविष्टि को विलुप्त करके उन्नत (upgrade) की गई प्रविष्टि को रखेगा।

(10) उपनियम (5) के अधीन पारित आदेश अन्तिम होगा।

(11) जहां–

(एक) किसी प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ठ प्रविष्टि की संसूचना:

(दो) किसी प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन:

(तीन) समुचित प्राधिकारी को उसकी टीका–टिप्पणी के लिये प्रत्यावेदन भेजे जाने:

(चार) समुचित प्राधिकारी की टीका–टिप्पणी: या

(पांच) किसी प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन के निपटारे का कोई मामला इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को लम्बित हो वहां ऐसे मामलों पर इस नियम के अधीन उनके लिये विहित अवधि के भीतर विचार किया जायेगा और उसका निपटारा किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– इस उपनियम में विनिर्दिष्ट किसी मामले के लिये इस नियम के अधीन विहित अवधि की संगणना करने में इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को व्यतीत हो चुकी अवधि की गणना नहीं की जायेगी।

रिपोर्ट का प्रतिकूल न समझा जाना

5. वित्त हस्तपुस्तिका के खण्ड दो के भाग दो से चार में दिये गये उत्तर प्रदेश मूल नियम–56 में यथा उपबन्धित के सिवाय जहां कोई प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित नहीं की जाती है या जहां किसी प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध कोई प्रत्यावेदन नियम–4 के अनुसार नहीं निपटाया गया है वहां ऐसी प्रविष्टि को, सम्बन्धित सरकारी सेवक की पदोन्नति, और अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों के प्रयोजनार्थ प्रतिकूल नहीं समझा जायेगा।

अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट का उन्नत (upgrade) होने पर प्रभाव

6. जहां अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन पर विचार करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रविष्टि को उन्नत (upgrade) करने के आदेश पारित करते है, तो वहां, यदि सम्बन्धित कार्मिक ऐसी प्रविष्टि के कारण पदोन्नति के समय अनुपयुक्त हुआ है या अन्य सेवा संबंधी लाभ से वंचित हुआ हो, तो प्रविष्टियां उन्नत (upgrade) करने के पश्चात् उसकी पदोन्नति तथा अन्य सेवा संबंधी लाभ के संबंध में पुनः विचार किया जायेगा तथा "उपयुक्त" पाये जाने की स्थिति में उसे कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति या सेवा संबंधी लाभ दिये जायेंगे।

श्रेणी परिवर्तन के कारणों के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुव्यक्त आदेश (Speaking Order) जारी किया जायेगा।

रजिस्टर का रख–रखाव

7. यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी ऐसे प्रारूप में, जैसा समय–समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, एक रजिस्टर रखेगा और उसमें समुचित प्रविष्टियां करेगा।

शास्ति

8. (1) जहां सम्बन्धित सरकारी सेवक को किसी प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ठ प्रविष्टि को संसूचित करने के लिये विधिक रूप से बाध्य कोई अधिकारी या इस नियमावली के अधीन किसी प्रविष्टि के विरूद्ध किसी प्रत्यावेदन को निपटाने में विधिक रूप से सक्षम कोई अधिकारी, उसके लिये विहित अवधि के भीतर ऐसा करने में जानबूझकर विफल रहता है, वहां वह कदाचार का दोषी होगा और उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

(2) सचिवालय का अनुभाग अधिकारी और सचिवालय से भिन्न किसी कार्यालय का कोई प्रभारी अधिकारी या पदधारी प्रत्यावेदन को, उस पर समुचित प्राधिकारी की टीका–टिप्पणी और अन्य सुसंगत अभिलेखों को, यदि कोई हो, उनकी प्राप्ति के तुरन्त पश्चात्, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष रखेगा। इस निमित्त, उसकी तरफ से जानबूझकर किया गया कोई व्यक्तिक्रम कदाचार होगा और वह उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

व्यावृत्ति

9. नियम 4 के उपनियम (11) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व की गयी कोई कार्यवाही या किया गया कोई कृत्य इस नियमावली के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गयी कार्यवाही या किया गया कृत्य समझा जायेगा।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 कार्मिक/265–2015–100+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या– 198 / XXX(2) / 2016

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून , दिनांक 08 अगस्त, 2016

विषयः– राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत् अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को संसूचित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देव दत्त बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, सुखदेव सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा प्रभु दयाल खण्डेलवाल बनाम अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य में यह निर्णय पारित किया गया है कि प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को सभी प्रकार की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ यथा उत्कृष्ठ, अतिउत्तम, उत्तम, संतोषजनक, अच्छा तथा प्रतिकूल प्रविष्टियाँ संसूचित की जायेगी और उसके विरूद्ध संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों से प्रत्यावेदन प्राप्त करके उसका निस्तारण किया जायेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के आलोक में ही शासन द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा / सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ठ वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का प्रकटीकरण एवं उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2015 दिनांक 28.04.2015 को निर्गत की गयी है जिसके अनुसार प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को उसकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ संसूचित किये जाने, उसे विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने के संबंध में व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्त नियमावली के प्रख्यापित होने के बाद भी विभागों द्वारा विभिन्न सेवा संवर्गों में अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को संसूचित नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पदोन्नति बाधित होने पर कतिपय अधिकारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दायर की गयी हैं। शासन द्वारा नियमावली प्रख्यापित किये जाने के बाद प्रत्येक विभागों का यह दायित्व है कि प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को निर्धारित समय में संसूचित कर दिया जाये।

क्रमश.....2

3— अतः इस संबंध में यह निवेदन है कि कृपया कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ठ वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का प्रकटीकरण एवं उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2015 में किये गये प्राविधान के अनुसार अपने नियन्त्रणाधीन विभागों के अन्तर्गत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि उक्त नियमावली में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत संसूचित करते हुये उनसे प्रत्यावेदन प्राप्त करके निर्धारित समय के अन्तर्गत उक्त नियमावली में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करें ताकि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां संसूचित न होने और प्रत्यावेदन का अवसर प्राप्त न होने के कारण पदोन्नति से वंचित न होना पड़े।

4— कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव

संख्याः /XXX(2)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. सचिवालय के समस्त अनुभागं
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

संख्याः– 273/xxx (2)/2016/30(39)/2014

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः 28 अक्टूबर 2016**

विषयः– पदोन्नति हेतु आयोजित की जाने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पूर्व वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के संसूचित किये जाने तथा प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण के संबधं में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबधं में।

महोदय,

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा/संतोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ठ वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो का प्रकटीकरण एवं उसके विरूद्ध प्रत्योवदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2015 तथा शासनादेश संख्या–198/xxx (2)/2016, दिनांक 08 अगस्त, 2016 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देवदत्त बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, सुखदेव सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा प्रभु दयाल खण्डेलवाल बनाम अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य में पारित निर्णय के अनुपालन के कम में प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को सभी प्रकार की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ यथा उत्कृष्ठ, अतिउत्तम, उत्तम, संतोषजनक, अच्छा तथा प्रतिकूल प्रविष्टियॉ संसूचित करने तथा उसके विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्त नियमावली/शासनादेश के निर्गत होने के उपरान्त अभी भी विभागों द्वारा विभिन्न सेवा संवर्गो में अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को संसूचित कर प्रत्यावेदनों को प्राप्त करते हुए उनका निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

3– अतः इस संबधं में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों की राज्य गठन से लेकर आतिथि तक समस्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ संसूचित कर उसके विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण उक्त प्रख्यापित नियमावली के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

4– भविष्य में सभी विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा विभागीय चयन समिति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में इस आशय का प्रमाण–पत्र आवश्य प्रस्तुत किया जायेगा कि पात्रता सूची में आने वाले समस्त कार्मिकों को उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ संसूचित कर दी गई है, एवं उनके विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का सम्यक निस्तारण किया जा चुका है। यदि विभागीय चयन समिति की बैठक के समय अथवा उसके पश्चात वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ को संसूचित न करने अथवा प्रत्यावेदनों के अनिस्तारण की स्थिति संज्ञान में आता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विभागाध्यक्ष का होगा।

5 कृपया उक्त का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव

संख्याः– /xxx (2)/2016/30(39)/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड ।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमॉयू/गढवाल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय, के समस्त अनुभाग।
7. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8 महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
9 अधिशासी निदेशक, एन0आ0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
10 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

(8)

संख्याः २१७/XXX–2/2017

प्रेषकः

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक २२ सितम्बर, 2017

विषयः–**पदोन्नति हेतु आयोजित की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पूर्व वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के संसूचित किये जाने तथा प्राप्त प्रत्यावदनों के निस्तारण के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–273/XXX(2)/2016/30(39)2014 दिनांक 28.10.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा/संतोषजनक, उत्तम, अति उत्तम, उत्कृष्ठ वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का प्रकटीकरण एवं उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2015 तथा शासनादेश संख्या 198/XXX(2)/2016 दिनांक 08.08.2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 28.10.2016 के प्रस्तर'–4 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सभी विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा विभागीय चयन समिति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत किया जायेगा कि पात्रता सूची में में आने वाले समस्त कार्मिकों को उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ संसूचित कर दी गयी है एवं उनके विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का सम्यक् निस्तारण किया जा चुका है। यदि विभागीय चयन समिति की बैठक के समय अथवा उसके पश्चात वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को संसूचित न करने अथवा प्रत्यावेदनों के अनिस्तारण की स्थिति संज्ञान में आती है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विभागाध्यक्ष का होगा।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकृता अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों का अंकन नहीं किया जा रहा है तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्मिकों को न तो उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ संसूचित की जा रही हैं एवं न ही उनके विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का सम्यक् निस्तारण किया जा रहा है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कृपया शासनादेश संख्या 273/XXX(2)/2016/30(39)2014 दिनांक 28.10.2016 के माध्यम से निर्गत निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक विभाग–2

संख्याः 12/XXX–(2)/2014–55(41)/2004
देहरादून, 31 जनवरी, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली 2004 (समय–समय पर यथा संशोधित) को अधिक्रमित करते हुये राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा निर्धारण हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम तथा विवरण–

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2014 है।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अधिकतम आयु सीमा–

2. इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, हेतु अधिकतम आयु–सीमा 40 वर्ष होगी।

भर्ती के अवसरों पर प्रतिबन्ध का हटाया जाना–

3. किसी भी ऐसी सेवा में अथवा पद पर भर्ती के लिए विहित आयु सीमा की अवधि में अभ्यर्थी के भर्ती के अवसरों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

नियमावली का अध्यारोही प्रभाव–

4. यह नियमावली संगत सेवा नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सभी मामलों में प्रभावी होगी।

आयु की गणना–

5. किसी सेवा नियमावली में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी सेवा या पद के लिए चाहे वह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो या उसके बाहर, अभ्यर्थी को, जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां लोक सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय या यथास्थिति, ऐसी रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को सूचित की जायें उस वर्ष की पहली जुलाई को समय–समय पर यथाविहित न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए।

आज्ञा से,

(डा0 एस0 एस0 संधु)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 107 /XXX(2)/ 2014 55(41)2004
देहरादून:दिनांक: 25 फरवरी, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2014 में संशोधन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2 उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली 2014 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2– इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, हेतु अधिकतम आयु–सीमा 40 वर्ष होगी;	2– इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी; परन्तु यह कि इस संशोधन से पूर्व जारी विज्ञापनों में आयु सीमा यथावत रहेगी।

आज्ञा से,
(डॉ0 एस0एस0 संधु)
प्रमुख सचिव।

संख्याः /XXX (2)/2021-55(41)/2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

(3) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(4) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 18 जनवरी, 2021

विषयः राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'ग' के उच्च पदों पर भर्ती हेतु आवेदन में आयु सीमा में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश सं0 124/XXX (2)/2020-53(01)2001 दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि the ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt, in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs.

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकाशित विज्ञापनों में भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में आयु सम्बन्धी उक्तवत् दी गयी छूट के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा ऐसे आवेदनकर्ताओं के आवेदन पत्रों को विचार के लिए ले लिया जाय और उनके आवेदन पत्रों को निरस्त न किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 4/06(1)/XXX(2)/2021-55(41)2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : 1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
4. सचिव, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः /XXX (2)/2021-30(21)/2018

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

(3) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(4) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 18 फरवरी/जनवरी, 2021**

विषयः कतिपय श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों को उनके लिए आरक्षित सिविल सेवा में शैक्षिक अर्हता में समक्षता/छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्मिक, जन आकांक्षा एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 15012/8/82–स्थापना (डी), दिनांक 12 फरवरी, 1986 तथा भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास कार्यान्वयन समिति के प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 शासन द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में शासनादेश संख्या 15/5/1986–का–2/92, दिनांक 28 अप्रैल, 1992 निर्गत किया गया है, उक्त के क्रम में शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो मैट्रीकुलेट हों तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की सशस्त्र सेवा में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को उनके लिए आरक्षित सिविल पदों के समूह 'ग' की उन सेवाओं/पदों के लिए अर्ह माना जायेगा, जिनके लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित हो, परन्तु जहॉ उनके लिये तकनीकी या व्यावसायिक अनुभव अनिवार्य न हो या जहॉ गैर तकनीकी व्यावसायिक कार्य अनुभव अनिवार्य हो और नियुक्ति प्राधिकारी का सन्तोष हो जाये कि ऐसे भूतपूर्व सैनिक अल्प प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं।

(2) भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित सिविल सेवा के समूह 'ग' व 'घ' के ऐसे पदों, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रीकुलेशन निर्धारित हो, नियुक्ति प्राधिकारी अपने स्वविवेक से ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से छूट प्रदान कर सकते हैं, जिन्होंने इण्डियन आर्मी क्लास–1 परीक्षा या उसके समकक्षीय नौ सेना या वायु सेना की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और संघ की सशस्त्र सेवा में कम से

कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और अन्यथा कार्य अनुभव एवं अर्हताओं के आधार पर उन्हें उक्त पद के दायित्वों के निर्वहन के लिए उपयुक्त समझा जाये।

(3) यदि भूतपूर्व सैनिक समूह 'ग' व 'घ' के पदों के विरूद्ध निर्धारित सीमा तक चयनित न हो सकें तो दक्षता को कुप्रभावित किये बगैर सामान्य मापदण्ड को इस सीमा तक शिथिल किया जा सकता है जिससे आरक्षण का कोटा पूरा हो जाये।

2— कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 38 **(1)/XXX(2)/2021-30(21)/2018 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि : 1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
4. सचिव, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

भाग—9

अनिवार्य, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अधिवर्षिता आयु

(5)

संख्या–217/XXX(2)/2017/550

2001

प्रेषक :–

एस0रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
सेवा में,
उत्तराखण्ड शासन।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक: 06 जुलाई, 2017

विषय– राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–131/कार्मिक–2/2002 दिनांक 20.02.2002 तथा शासनादेश संख्या–611/कार्मिक–2/2003 दिनांक 30.06.2003 में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–56 की व्यवस्था के अन्तर्गत 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये जाने के संबंध में प्रतिवर्ष स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्रत्येक विभाग में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करते हुये यह भी निर्देश दिये गये हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रतिवर्ष नवम्बर माह के अन्तर्गत अवश्य करा ली जाये और इस संबंध में समस्त कार्यवाही करने के बाद 31, मार्च तक कार्मिक विभाग को निर्धारित पपत्र पर सूचना उपलब्ध करायी जाये।

2– विगत कुछ वर्षों से यह देखने में आया है कि विभागों द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों के आलोक में प्रतिवर्ष स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नहीं की जा रही है परिणामस्वरूप 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लोक सेवकों की सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। इस संबंध गुजरात बनाम उमेद भाई ए पटेल (AIR 2001 CS 1109) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त भी दिये गये है:–

(1)– जब किसी लोक सेवक की सेवा सामान्य प्रशासन के लिये उपयोगी नहीं रह गई है तो अधिकारी को लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

(2)– साधारणतया अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को अनु0 311 के अन्तर्गत दण्डस्वरूप नहीं माना जाना चाहिये।

(3)– अच्छे प्रशासन के लिये यह आवश्यक है कि मृतप्राय लकड़ी को काट दिया जाये, किन्तु छटनी का आदेश अधिकारी की सेवा के संपूर्ण रिकार्ड को ध्यान में रख कर ही पारित किया जाना चाहिये।

(4)– ऐसे आदेश को पारित करते समय अधिकारी के गोपनीय रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टि को ध्यान में रखना चाहिये और उसे यथोचित वरीयता देनी चाहिये।

(5)– यहां तक कि गोपनीय रिकार्ड में असंसूचित प्रविष्टि पर भी विचार किया जाना चाहिये।

(6)– अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश ऐसे संक्षिप्त तरीके से नहीं पारित किया जाना चाहिये ताकि विभागीय जांच से बचा जा सके जब कि ऐसा रास्ता अधिक वांछनीय है।

(7)– अधिकारी को गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल प्रविष्टि के बावजूद प्रोन्नति दी गयी है तो वह अधिकारी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण तथ्य होगा।

(8)– अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दण्डस्वरूप नहीं पारित किया जाना चाहिये।

3– इसी प्रकार विजयमोहन सिंह चोपड़ा बनाम पंजाब राज्य और वैद्यनाथ महापात्र बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में भी मा0 उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पारित करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाना चाहिये। न्यायालय ने इस संबंध में निम्नलिखित सिद्धान्त विहित किये हैं:–

(1)– अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दण्ड नहीं है।

(2)– आदेश लोकहित में पारित किया जाना चाहिये। सरकार का निर्णय व्यक्तिनिष्ठ (Subjective) होता है।

(3)– इस मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को कोई स्थान नहीं है। न्यायालय मनमानेपन के विरूद्ध जांच कर सकते हैं।

(4)– सरकार या पुनर्विलोकन समिति निर्णय लेने के पूर्व सेवक के पूर्ण रिकार्ड पर विचार करेगी और विशेषकर बाद के वर्षों में।

4– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग के अन्तर्गत 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रतिवर्ष कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें और वित्तीय वर्ष 2016–2017 के संबंध में यदि बैठक नहीं की गयी है तो तत्काल बैठक आहूत कराकर कृत कार्यवाही की सूचना कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें और यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि उपर्युक्त शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार प्रतिवर्ष स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

संख्याः /XXX(2)/2019–55(02)2001

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड

3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 14 अगस्त, 2019

विषयः– राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

उपर्युक्त विषयक सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति विषयक शासनादेश संख्या–131/कार्मिक–2/2002, दिनांक 20 फरवरी, 2002 के माध्यम से विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष से भिन्न अधिकारियों के संबंध में गठित स्क्रीनिंग कमेटी 03 (अ) को निम्नवत् पढा एवं समझा जाय।

(2) ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं–

(अ) विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष से भिन्न अधिकारियों के संबंध में–

(1) प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव– **अध्यक्ष**
(2) विभागाध्यक्ष– **सदस्य**
(3) प्रमुख सचिव/सचिव (यथा स्थिति) द्वारा नामित अधिकारी– **सदस्य**

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2002 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष यथावत रहेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 256 (1)/XXX(2)/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि –सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीन प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी को तद्नुसार सूचित करने का कष्ट करें।

2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 वल्दिया)
अपर सचिव।

संख्याः 218 /XXX(2)/19-55(2)/2001

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/ सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।
3— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।
4— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 24 जुलाई, 2019

विषयः राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–131/कार्मिक–2/2002 दिनांक 20.02.2002 तथा शासनादेश संख्या–611/कार्मिक–2/2003 दिनांक 30.06.2003 में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–56 की व्यवस्था के अन्तर्गत 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्रत्येक विभाग में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करते हुए यह निर्देश दिये गये हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रतिवर्ष नवम्बर माह के अन्तर्गत अवश्य करा ली जाये और इस सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही करने के बाद 31 मार्च तक कार्मिक विभाग को निर्धारित प्रपत्र पर सूचना उपलब्ध करायी जाय। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्त भी कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 217/ XXX(2)/2017-55(2)/2001 दिनांक 06 जुलाई, 2017 में निर्गत किये गये हैं।

2— प्रायः यह देखने में आया है कि विभागों द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों के आलोक में प्रतिवर्ष स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है परिणामस्वरूप 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लोक सेवकों की सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।

3— अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग के अन्तर्गत 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रतिवर्ष नियमित रूप से कराना सुनिश्चित करें तथा वित्तीय वर्ष 2018—19 के सम्बन्ध में यदि बैठक नहीं की गयी है तो तत्काल बैठक आहूत कर कृत कार्यवाही की सूचना कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्थाओं का अनुपालन समयान्तर्गत किया जाय।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्याः 51 /XXX(2)/2020-55(2)/2001

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांकः 05 मई फरवरी, 2020

विषयः उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवा संवर्गों के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग दो से चार के मूल नियम 56 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताये तीन मास की नोटिस अथवा तीन माह का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति प्राविधानित है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 131/कार्मिक–(2)/2002 दिनांक 20 फरवरी, 2002 एवं शासनादेश संख्या 217/XXX(2)/2017/55(2)/2001 दिनांक 06 जुलाई, 2017 तथा शासनादेश संख्या 256/XXX(2)/2019-55(2)/2001 दिनांक 14 अगस्त, 2019 को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवा संवर्गों के अन्तर्गत कार्यरत 50 वर्ष की आयु प्राप्त सरकारी सेवकों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु निम्नवत् मार्गदर्शक सिद्धान्त गठित किये जाते हैं :–

स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन

(1) ऐसे सरकारी सेवकों जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं :–

(क) विभागाध्यक्ष एवं अपर विभागाध्यक्ष;

(I)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष
(II)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग	–	सदस्य
(III)	प्रशासकीय विभाग के सचिव	–	सदस्य

(ख) उत्तराखण्ड सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारी (स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर सहित);

(I)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष
(II)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग	–	सदस्य
(III)	मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड	–	सदस्य

(ग) उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में;

(I)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष
(II)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग	–	सदस्य
(III)	सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग	–	सदस्य

(घ) विभागाध्यक्ष एवं अपर विभागाध्यक्ष से भिन्न अधिकारियों के सम्बन्ध में;

(I)	प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	–	अध्यक्ष
(II)	सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग	–	सदस्य
(III)	सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष	–	सदस्य

(2) ऐसे सरकारी सेवकों जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न हैं :–

(क) जहॉ विभागाध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी हों;

(I)	अपर विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा नामित वरिष्ठतम अधिकारी	–	अध्यक्ष
(II)	विभागाध्यक्ष द्वारा नामित दो अन्य अधिकारी	–	सदस्य

(ख) विभागाध्यक्ष से भिन्न नियुक्ति प्राधिकारी;

(I)	विभागाध्यक्ष द्वारा नामित तीन अधिकारियों में से वरिष्ठतम अधिकारी	–	अध्यक्ष
(II)	विभागाध्यक्ष द्वारा नामित अन्य दो अधिकारी	–	सदस्य

3. राज्याधीन ऐसे सेवा संवर्ग जहॉ नियुक्ति प्राधिकार राज्यपाल में निहित है, ऐसे सेवा संवर्गों में सम्बन्धित विभाग के सचिव/सचिव(प्रभारी) सदस्य सचिव के रूप में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष सम्बन्धित कार्मिकों के सम्पूर्ण संगत सेवा अभिलेखों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। यदि किसी विभाग में सचिव/सचिव(प्रभारी) तैनात न हों, उस स्थिति में सम्बन्धित विभाग के अपर सचिव स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक के सम्पूर्ण संगत सेवा अभिलेखों के विवरण पर सम्यक विचारोपरान्त संस्तुति नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित की जायेगी।

4. स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति पर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उचित माध्यम से इस आशय के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री/मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा और तद्नुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

5. अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवक के सेवाकाल के समस्त संगत सेवा अभिलेखों को देखा जायेगा किन्तु विशेषतः अन्तिम दस वर्षों के अभिलेखों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। ऐसी समीक्षा इस दृष्टिकोण से की जायेगी कि सरकारी सेवक की कार्य दक्षता/सत्यनिष्ठा का स्तर ऐसा है, जिसके आधार पर उसे जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना अपरिहार्य हो।

6. स्क्रीनिंग कमेटी की कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने का उत्तरदायित्व मूलतः नियुक्ति प्राधिकारी का होगा, जिनके द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी की कार्यवाही प्रतिवर्ष माह नवम्बर तक सम्पन्न करा ली जाएगी।

7. स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गयी समीक्षा/संस्तुति नियुक्ति प्राधिकारी को संदर्भित कर दी जायेगी एवं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पारित कर लिए जायेंगे।

8. स्क्रीनिंग कमेटी का कोई विधिक स्टेटस नहीं होगा बल्कि प्रतिवर्ष सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान में सहायतार्थ रहेगी।

9. अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य बनाम उम्मेद भाई एम. पटेल AIR 2001 SC 1109 में मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि :–

(क) लोक सेवक की सेवा सामान्य प्रशासन के लिए उपयोगी नहीं रह गई है तो ऐसे लोक सेवक को लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

(ख) साधारणतया अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत दण्डस्वरूप नहीं माना जायेगा।

(ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु छटनीशुदा कार्मिक के सेवा के सम्पूर्ण रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर आदेश पारित किया जाना चाहिए और उसे यथोचित वरीयता देनी चाहिए।

(घ) गोपनीय रिकॉर्ड में असंसूचित प्रविष्टि पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(ड.) विभागीय जॉच से बचने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश ऐसे संक्षिप्त तरीके से पारित नहीं किया जाना चाहिए, जहॉ पर जॉच की कार्यवाही वॉछनीय हो।

(च) अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु विचाराधीन किसी कार्मिक को गोपनीय प्रविष्टि में प्रतिकूल प्रविष्टि के बावजूद भी यदि पदोन्नति दी गयी हो तो वह कार्मिक के पक्ष में एक महत्वपूर्ण तथ्य होगा।

10. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा बृजमोहन सिंह चोपड़ा बनाम पंजाब राज्य AIR 1987 SC 948 और वैद्यनाथ महापात्रा बनाम उड़ीसा राज्य AIR 1989 SC 2218 में निम्न सिद्धान्त विहित किये गये हैं :–

(क) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दण्ड नहीं है।

(ख) आदेश लोकहित में पारित किया जाना चाहिए। सरकार का निर्णय व्यक्तिपरक (Subjective) होना चाहिए।

(ग) ऐसे मामलों में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का कोई स्थान नहीं है। न्यायालय मनमानेपन के विरूद्ध जांच कर सकते हैं।

(घ) सरकार या पुनर्विलोकन समिति निर्णय लेने के पूर्व सेवक के पूर्ण रिकॉर्ड पर विचार करेगी। विशेषकर बाद के वर्षों का।

11. अनिवार्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी आदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग दो से चार के मूल नियम–56(ग) के अन्तर्गत संलग्न प्रारूप के अनुसार निर्गत किये जायेंगे।

12. अनिवार्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी निर्णयों की सूचना प्रशासनिक विभाग के सचिव के माध्यम से प्रतिवर्ष 31 मार्च तक कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराई जायेगी। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्याः (1)/XXX(2)/2020-55(2)/2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त (गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल) पौड़ी/नैनीताल।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
8. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
9. सचिव, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
10. निबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
11. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु की गई स्क्रीनिंग से सम्बन्धित वार्षिक सूचना
वर्ष 20 —20

क्रमांक	कार्मिको की श्रेणी	50 वर्ष की आयु प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे गये कार्मिकों की कुल संख्या	कार्मिकों की कुल संख्या जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के योग्य समझे जाएं	अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के विचार से सहमत न होने के संक्षिप्त कारण	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे बिना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या, यदि कोई हो	अन्य विवरण यदि कोई हों
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	विभागाध्यक्ष / अतिरिक्त विभागाध्यक्ष							
2.	पी0सी0एस0 संवर्ग– (क) श्रेणी "क" के अधिकारी–							
	(ख) श्रेणी "ख" के अधिकारी–							
3.	पी0सी0एस0 संवर्ग के भिन्न अधिकारी– (क) श्रेणी "क"							
4.	(ख) श्रेणी "ख"							
5.	श्रेणी "ग"							
	श्रेणी "घ"							
	योग							

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के प्रालेख, जिनके नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल से कोई भिन्न अधिकारी हैं

नोटिस का प्रालेख

समय–समय पर यथासंशोधित फाइनेन्सियल हैण्ड बुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन प्राधिकारी का प्रयोग करके मैं (*) ..... जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति अधिकारी हूँ, जिस पर आप आरूढ़ हैं एतद्द्वारा नोटिस देकर आप से लोकहित में अपेक्षा करता हूँ कि आप (**) ----------इस नोटिस के आप पर तामील होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त होने पर सेवानिवृत्त हो जायें।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पदनाम

(*) यहाँ पर नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाय।

(**) यहाँ पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाय (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा हो, स्थानापन्न हो, तो उसका इसी रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए)

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अध्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (*)----------(जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है), को दिये गये नोटिस दिनांक----------के क्रम में मैं (**) ----------जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूँ, जिस पर उक्त व्यक्ति आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूँ कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हो, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पदनाम

(*) कर्मचारी का नाम व पद नाम।

(**) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम व पद नाम।

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अध्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (*)----------जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूँ, जिस पर श्री (**)---------- आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूँ कि श्री (**) ----------इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पदनाम

(*) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम, यदि प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न हों।
(**) कर्मचारी का नाम।

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति किये जाने के आदेश के प्रालेख, जिसके नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल हैं

नोटिस का प्रालेख

समय-समय पर यथासंशोधित फाइनेन्सियल हैण्ड बुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि आप (*)----------
इस नोटिस के आप पर तामील होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त हो जाने पर सेवा से निवृत्त समझे जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
सचिव।

(*) यहाँ पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाय (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा है स्थानापन्न हो, तो इसी रूप में इसका उल्लेख कर दिया जाना चाहिए)।

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख–

फाइनेन्सियल हैण्डबुक खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (*)----------(जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है), को दी गयी नोटिस दिनांक.....के क्रम में राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
सचिव।

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के
आदेश का प्रालेख–

फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि श्री (*)———————— इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
सचिव।

(*) उस कर्मचारी का नाम व पदनाम जिस पर आदेश तामील होता है।

भाग–10

दैनिक
वेतन / संविदा / आउटसोर्स से
संबंधित शासनादेश

संख्या 37 /रिट/XXX(2)/2014

प्रेषक,

सी0एम0एस0 बिष्ट,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 29 मई, 2014

विषयः– दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों के विनिमितीकरण नियमावली, 2013 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनिमितीकरण नियमावली, 2013 अधिसूचना संख्या 1298/XXX(2)/2013–3(1)/2006, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या 72(एस0बी)/2014 डॉ0 राधा शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2014 को निम्नवत् अंतरिम आदेश पारित किये गये हैं :–

"We agree to grant such time. However, until further orders, the law under challenge may only be implemented in relation to those persons, who came to serve the Government after having had stood the competition with people similarly placed before they were engaged.

This order will be prospective only."

2. मा0 उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के क्रम में मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.03.2014 द्वारा निम्नवत् अवगत कराया हैः–

"The Hon'ble Court has also specified that until further order the Rules under challenge shall not be implemented in favour of the persons for whom the same have been framed. The Hon'ble Court has also specified that the persons who have been benefitted from the said rules are not affected as such the order passed today is perspective in nature."

आपसे अनुरोध है कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी0एम0एस0 बिष्ट)
सचिव।

संख्या (1)/ XXX(2)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

अतिमहत्वपूर्ण

संख्याः 426 /XXX(2)/2014–3(15)/2012

प्रेषक,

सी0एम0एस0बिष्ट
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 12 सितम्बर, 2014

विषयः– राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 426/XXX(2)/2012 दिनांक 25 मई 2012, तद्विषयक शासनादेश संख्या 475/XXX (2)/2013–3(15)2012 दिनांक 5 अप्रैल, 2013, शासनादेश संख्या 695/XXX(2)/2013–3(15)2012 दिनांक 18 जून 2013 एवं शासनादेश संख्या–935/XXX(2)/ 2013– 3(15)2012 दिनांक 23 सितम्बर,2013 द्वारा व्यापक दिशा– निर्देश निर्गत किये गये हैं। यह भी अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–102/–।/XXX(2)/2014–30(05)2014 दिनांक 30 जून 2014 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत स्वीकृत पदो के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में क्षैतिज आरक्षण के प्राविधान लागू किये जाने के संबध में भी दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि उपर्युक्त निर्गत शासनादेशों में स्पष्ट निर्देश होने के पश्चात भी विभिन्न विभागों के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति उचित नहीं है।

3– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया राज्याधीन सेवाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर शासनादेश संख्या 426/XXX(2)/2012 दिनांक 25 मई 2012, एवं शासनादेश संख्या–102/–I/XXX(2)/2014–30 (05)2014 दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आरक्षण प्रदान करते हुए पदों पर आऊट सोर्सिंग से भरे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यदि इसके बाद भी किसी विभाग द्वारा उक्त आदेशों के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई, तो उसे शासन द्वारा निर्गत निर्देशों की अवहेलना मानते हुए संबंधित के विरूद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(सी0एम0एस0बिष्ट),
सचिव।

bonal GO file

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्याः 1298/XXX(2)/2013–3(1)/2006
देहरादूनःदिनांक 30 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं/पदों पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण किए जाने के लिए एतद्विषयक दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में पूर्व में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 2011 को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. इस नियमावली के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों हेतु बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

(क) किसी पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से संवर्ग के अन्तर्गत विनियमितीकरण हेतु विचारित होने वाले पद विशेष पर नियुक्त करने

के लिए संवर्ग की संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है।

दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों के विनियमितीकरण के लिए शर्तें।

4. **इस नियमावली के अधीन ऐसा कार्मिक विनियमितीकरण हेतु अर्ह होगाः–**

(1) नियमावली में उल्लिखित अन्य शर्तें पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र होंगे जिन्होंने इस नियमावली के प्रख्यापन की तिथि को इस रूप में कम से कम पॉच वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो;

(2) जो उपनियम (1) में सन्दर्भित ऐसी नियुक्ति के समय रिक्त/स्वीकृत पद के विरूद्ध नियुक्त किया गया हो और नियुक्ति के समय पर पद हेतु प्रचलित सेवा नियमों में निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं तथा आयु सीमा सम्बन्धी शर्तें पूर्ण करता हो; तथा

(3) जिसको विनियमित करने हेतु इस नियमावली के प्रख्यापन की तिथि को उस संवर्ग में पद स्वीकृत एवं रिक्त हो।

(4) उप नियम (1) में निर्धारित तिथि तक पात्रता सूची में अंकित सभी कार्मिकों को पद रिक्त होने तक विनियमित किया जायेगा।

विनियमितीकरण हेतु चयन समिति का गठन।

5. विनियमितीकरण के प्रयोजन से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें विभाग के दो अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। इस प्रकार गठित चयन समिति में सम्मिलित अधिकारियों में से कोई अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के न होने की स्थिति में इन श्रेणियों के एक–एक अधिकारी को अतिरिक्त रूप से चयन समिति का सदस्य नामित किया जायेगा।

विनियमितीकरण की प्रक्रिया।

6. (1) नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक पद के सम्बन्ध में उपर्युक्त नियम 4 की शर्तें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की एक अनन्तिम संयुक्त पात्रता सूची उस

ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा जैसा कि उस पद पर उनकी दैनिक वेतन/कार्यप्रभारित/संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/तदर्थ रूप में नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित हो। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक साथ नियुक्त हुए हों तो अनन्तिम संयुक्त पात्रता सूची उस क्रम में तैयार करेगा, जिस क्रम में उनके नाम उनकी नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित हों और यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक ही दिनांक को तथा एक ही श्रेणी में नियुक्त हुए हों तो सूची में उनका क्रम आयु में ज्येष्ठता के क्रम में अवधारित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि पद विशेष पर समान प्रकार/श्रेणी से नियुक्ति के स्थान पर भिन्न–भिन्न प्रकार/श्रेणी से (यथा दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक अथवा तदर्थ) नियुक्ति की गयी हो, तो अनन्तिम संयुक्त पात्रता सूची नियुक्ति आदेश के दिनांक के क्रम में तैयार की जायेगी; और यदि नियुक्ति आदेश का दिनांक समान हो तो आयु में ज्येष्ठता के क्रम में अनन्तिम संयुक्त पात्रता सूची में उनका क्रम अवधारित किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी अनन्तिम संयुक्त पात्रता सूची सूचीबद्ध कार्मिकों के मध्य परिचालित कर तथा अपनी विभागीय वेबसाईट, यदि हो, पर प्रदर्शित करते हुए हितबद्ध कार्मिकों से पन्द्रह दिनों में आपत्तियां आमंत्रित करेगा और तदोपरान्त एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर अन्तिम संयुक्त पात्रता सूची जारी करेगा।

(3) उपर्युक्त उपनियम (1) के अनुसार तैयार अन्तिम संयुक्त पात्रता सूची को अभ्यर्थियों के सुसंगत अभिलेखों के आधार पर, जो उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आवश्यक हों, चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा तथा चयन समिति प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर विचार करेगी।

(4) इस नियमावली के अधीन कार्मिक जिस वर्ग/श्रेणी (आरक्षित/अनारक्षित) से सम्बन्धित है, उसका विनियमितीकरण उसी वर्ग/श्रेणी (आरक्षित/अनारक्षित) में उपलब्ध पदों/रिक्तियों की सीमा तक किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि उपनियम (2) के अनुसार अन्तिम संयुक्त पात्रता सूची में आरक्षित श्रेणी का कोई कार्मिक अपनी ज्येष्ठता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति/पद के सापेक्ष विचार क्षेत्र में आ रहा हो, तो ऐसे कार्मिक को अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति के सापेक्ष विनियमित किया जायेगा, किन्तु यदि आरक्षित श्रेणी की रिक्ति हो और ऐसी रिक्ति के सापेक्ष विनियमितीकरण हेतु उस आरक्षित श्रेणी का पात्र कार्मिक उपलब्ध न हो तो उस रिक्ति के सापेक्ष किसी अन्य आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के कार्मिक को विनियमित नहीं किया जायेगा और ऐसी रिक्ति नियमित चयन के माध्यम से सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी से ही भरी जायेगी।

(5) चयन समिति विनियमितीकरण हेतु उपयुक्त चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। सूची में नाम संयुक्त पात्रता सूची की ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

आयु सीमा में छूट 7. उपर्युक्त नियम 6 के अनुसार विनियमितीकरण के लिए पात्र कार्मिकों को सम्बन्धित पद की सेवा नियमावली के अनुसार विहित अधिकतम आयु की सीमा सम्बन्धी शर्त से उतनी अवधि हेतु, जितनी कि विनियमितीकरण के दिनांक को आवश्यक हो, छूट प्रदान की जायेगी।

नियुक्तियां 8. (1) नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपर्युक्त नियम 6 के उपनियम (5) के अधीन तैयार की गयी सूची में से कार्मिकों के विनियमितीकरण के आदेश उस क्रम में पारित करेगा जिस क्रम में उनका नाम उक्त सूची में रखे गये हों। विनियमितीकरण का आदेश जिस तिथि को जारी किया जायेगा, उसी तिथि से कार्मिक

उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा और पूर्ववर्ती किसी तिथि से मौलिक रूप से नियुक्त नहीं माना जायेगा।

(2) छठवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में चतुर्थ श्रेणी के पदों को मृत काडर में परिवर्तित करने सम्बन्धी पूर्व आदेश इस नियमावली के अधीन विनियमितीकरण करके नियुक्त होने वाले चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के पदों पर लागू नहीं होंगे। इस नियमावली के अधीन विनियमित होकर नियुक्त होने वाले चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के सेवानिवृत्त, पदत्याग अथवा मृत्यु होने के फलस्वरूप उक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

नियुक्ति की विधिमान्यता

9. इस नियमावली के अधीन विनियमितीकरण के माध्यम से की गयी नियुक्ति संगत सेवा नियमों या आदेशों के, यदि कोई हों, के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

ज्येष्ठता

10. (1) इस नियमावली के अधीन विनियमित कोई कार्मिक इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् केवल मौलिक नियुक्ति की तिथि से उस संवर्ग/पद के सापेक्ष ज्येष्ठता का हकदार होगा और सम्बन्धित संवर्ग/पद के सापेक्ष उसकी ज्येष्ठता विनियमितीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व तक संगत सेवा नियमों अथवा यथा स्थिति विहित प्रक्रिया के अनुसार नियमित रूप से नियुक्त किए गए कार्मिक के नीचे निर्धारित की जायेगी।

(2) इस नियमावली के अधीन विनियमित किए गए कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उपर्युक्त नियम 6 के उपनियम (2) के अन्तर्गत तैयार की गयी अन्तिम संयुक्त पात्रता सूची में अंकित ज्येष्ठता के अनुरूप होगी।

आज्ञा से,

(डॉ एस0एस0 संधु)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 337/ XXX(2)/2016/03(01),2006
देहरादूनः दिनांक 14 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना
प्रकीर्ण

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं/पदों पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली,2013 में संशोधन करने हेतु दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण(संशोधन) नियमावली,2016 बनाते है।

दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली,2016

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना	1	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम का दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली,2016 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम–4(1) का प्रतिस्थापन	2	दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली,2013 के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–4(1)के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4(1) नियमावली में उल्लिखित अन्य शर्ते पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र होंगे जिन्होंने इस नियमावली के प्रख्यापन की तिथि को इस रूप में कम से कम पॉच वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो,	4(1) नियमावली में उल्लिखित अन्य शर्ते पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त ऐसे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र होंगे जो दिनांक 31–12–2011 तक इस रूप में नियुक्त हुए हो तथा जिन्होंने कम से कम पॉच वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद पर या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यॉकी)
सचिव

संख्या– 385/XXX(2)/18/3(01)/2006

प्रेषक,

अजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
सचिव/सचिव(प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/
कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार/
सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 01 दिसम्बर 2019

विषयः– रिट याचिका संख्या–616/एस०बी०/2018 श्री नरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के संबंध में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्देश के अनुपालन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के पत्र संख्या–368/XXX(2)/18/3(1)/2006 दिनांक 11.12.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण नियमावली, 2013 के आधार पर अग्रिम 10 दिनों तक कोई विनियमितिकरण न किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त के अनुक्रम में श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, उप महाधिवक्ता, मा० न्यायालय नैनीताल के पत्र दिनांक 14.12.2018 की संलग्न प्रति का भी अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त रिट याचिका में दिनांक 14.12.2018 को सुनवाई के दौरान मा० उच्च न्यायालय द्वारा दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण नियमावली, 2013 को स्थगित कर दिया गया है।

2. अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तांकित पत्र में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,
(अजीत सिंह)
अनु सचिव

संख्या : (1)/XXX-2/18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजीत सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
कार्मिक अनुभाग–2,
संख्या– 03 /XXX–2/19/3(01)/2006
देहरादून, दिनांक 07 जनवरी,2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण (संशोधन) नियमावली, 2016 को विखण्डित एवं अपास्त किये जाने के दृष्टिगत एतद्विषयक उक्त नियमावली एवं उसके प्रभाव को निरसित करते हुए, उक्त नियमावली के अन्तर्गत भरे गये पदों को रिक्त आगणित करते हुए, संगत सेवा नियमावली से तत्काल भरे जाने एवं तद्नुसार विनियमितिकरण (संशोधन) नियमावली, 2016 के अन्तर्गत विनियमित कार्मिकों को, संगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत होने वाली उक्त सीधी भर्ती में, एक बार के लिए वेटेज प्वाईंट (weightage point) एवं आयु सीमा में छूट दिये जाने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

विनियमितिकरण (संशोधन) नियमावली, 2016 के अन्तर्गत विनियमित कार्मिकों को सीधी भर्ती में वेटेज प्वाईंट (weightage point) एवं आयु सीमा में छूट नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम **विनियमितिकरण (संशोधन) नियमावली, 2016 के अन्तर्गत विनियमित कार्मिकों को सीधी भर्ती में वेटेज प्वाईंट (weightage point) एवं आयु सीमा में छूट नियमावली, 2018** होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्यारोही प्रभाव :

2 इस नियमावली के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों हेतु बनाए गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

पदों के भरे जाने की कार्यवाही:

3 सम्बन्धित विभाग द्वारा दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण (संशोधन) नियमावली, 2016 के अन्तर्गत विनियमितिकरण के माध्यम से भरे गये पदों को, रिक्त पदों के रूप में आगणित करते हुए, संगत सेवा नियमावली एवं इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल भरे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी

पात्रता: 4 इस नियमावली के अन्तर्गत प्राविधानित उपबन्ध केवल उन कार्मिकों/अभ्यर्थियों हेतु लागू होगें जोकि दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण (संशोधन) नियमावली, 2016 के अन्तर्गत विनियमित किये गये हों।

वेटेज प्वाईट (weightage point) का निर्धारण : 5 दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण (संशोधन) नियमावली, 2016 के आधार पर विभिन्न विभागों में विनियमित कार्मिकों को संगत पद पर सीधी भर्ती में चयन हेतु, उनके द्वारा विभाग में की गयी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 1.5 वेटेज प्वाईट (weightage point) अनुमन्य होगा,

परन्तु यह कि वेटेज प्वाईट (weightage point) की अधिकतम सीमा 10 अंक होगी तथा किसी भी परिस्थिति में कुल प्राप्तांकों का योग निर्धारित पूर्णांक से अधिक नहीं होगा।

आयु सीमा में छूट: 6 दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण (संशोधन) नियमावली, 2016 के आधार पर विभिन्न विभागों में विनियमित कार्मिकों को, संगत पद पर सीधी भर्ती हेतु आयु में, उस सीमा तक छूट प्रदान की जायेगी, जिस सीमा तक वह संगत पद पर आवेदन करने हेतु अर्हता की श्रेणी में आ जायें।

वेटेज प्वाईट (weightage point) एवं आयु सीमा में छूट हेतु प्रमाण पत्र: 7 उपर्युक्त नियम 5 एवं 6 के अनुसार क्रमशः वेटेज प्वाईट (weightage point) एवं आयु सीमा में छूट प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित विनियमित कार्मिक को नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वह संबंधित विभाग में दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण (संशोधन) नियमावली, 2016 के आधार पर विनियमित हुआ था।

वेटेज प्वाईट (weightage point) एवं आयु सीमा में छूट की वैधता : 8 उपर्युक्त नियम 5 एवं 6 में प्राविधानित लाभ संबंधित विनियमित कार्मिक को इस नियमावली एवं संगत सेवा नियमावली के अधीन आगामी चयन हेतु संगत पद पर, केवल एक बार के लिए ही अनुमन्य होगा।

निरसन: 9 दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण (संशोधन) नियमावली, 2016 एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

(राजा [illegible])
अपर मुख्य सचिव

संख्या–354/XXX(2)/2016/31(20)/2016

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्राभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3– मण्डलायुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल
उत्तराखण्ड।

4– समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

5– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

विषयः– राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत आउट सार्सिंग के कार्मिकों को संविदा पर रखे जाने विषय।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत आउट सोर्सिंग के कार्मिकों को, जो दिनांक 13.12.2016 को 08 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हैं और जो पद के लिये जिस पर वे कार्य कर रहे हैं, निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पूर्ण करते हों, को दिनांक 13.12.2016 को संविदा पर माने जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–323/XXX(2)/2016/31(20)/2016 दिनांक 19.12.2016 निर्गत किया गया है।

2– इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–323/XXX (2)/2016/31(20)/2016 दिनांक 19.12.2016 के प्रस्तर–1 में आंशिक संशोधन करते हुये आउट सोर्सिंग के माध्यम से तैनाती की अवधि 08 वर्ष को 07 वर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

3– कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव

क्रमशः.....2

संख्याः 354 /XXX(2)/2016/31(20)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कोषागार उत्तराखण्ड।
8. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः–323 /xxx (2)/2016/31(20)/2016

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयॉकी
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, कुमायू/गढवाल
उत्तराखण्ड।
4–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
5–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 19 दिसम्बर, 2016

विषयः– राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कार्मिकों को संविदा पर रखे जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये कार्मिकों को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन संविदा पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) राजकीय विभागों एवं निगमों में विभिन्न स्तरों पर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगाये गये ऐसे कार्मिक जो दिनांक 13–12–2016 को 08 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, और जो पद के लिए जिस पर वे कार्य कर रहे हैं, निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा आऊटसोर्सिंग पर रखने की तिथि को निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करते हों, उन्हें दिनांक 13–12–2016 को संविदा में नियुक्त मान लिया जाये। अन्य ऐसे आउटसोर्सिंग कार्मिक जिन्हें 08 वर्ष नहीं हुए हों, वे पूर्ववत् आउटसोर्सिंग की शर्तों के अनुसार सेवा में बने रहेंगे और भविष्य में जिस तिथि को 08 वर्ष पूर्ण करेंगे, उस तिथि को उन्हें संविदा में नियुक्त मान लिया जाये।

(2) विभागीय ढ़ॉचे के अन्तर्गत समूह "घ" के मृत संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग पर लगाये गये कार्मिकों को उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत संविदा में नियुक्त माने जाने की कार्यवाही पदों की उतनी संख्या की सीमा तक की जाये, जितनी संख्या में पद उस संवर्ग को मृत घोषित करने से पूर्व स्वीकृत विभागीय ढ़ॉचे में सृजित थे।

(3) संविदा पर नियुक्त माने जाने/प्रदान करने के उपरान्त ऐसे कार्मिकों की सेवा शर्तें संविदा पर नियुक्ति विषयक प्रचलित सेवा शर्तों के आलोक में पुनर्निर्धारित की जाये और ऐसे कामिकों को वर्तमान मे देय वेतन–लाभ को आगामी 03 वर्ष तक यथावत् रखा जाय।

(4) उक्तानुसार संविदा में नियुक्ति की प्रक्रिया के अन्तर्गत आरक्षण सम्बन्धी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाये और इस दृष्टि से आरक्षण पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त पद सृजन की आवश्यकता हो तो उस सीमा तक विभागीय ढ़ॉचे के अन्तर्गत अतिरिक्त पद सृजित किया जाए।

2. कृपया उक्त आदेश का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यॉकी)
प्रभारी सचिव

संख्याः– /xxx (2)/2016/31(20)/2016 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड ।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिवालय, के समस्त अनुभाग।
5. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कोषागार उत्तराखण्ड।
8 अधिशासी निदेशक, एन0आ0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
9 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः /XXX(2)/2018-30(12)/2018

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 17 अप्रैल, 2018

विषयः **विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।**

महोदय,

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 एवं अन्य सुसंगत अनुच्छेदों के अधीन गठित सुसंगत सेवानियमावलियों के प्राविधानों के अनुसार राज्याधीन सेवाओं/पदों पर नियमित नियुक्तियां किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है। इससे इतर कतिपय विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु रिक्त पदों के सापेक्ष अल्पकालिक, अंशकालिक एवं पूर्णकालिक आधार पर संविदा, कार्यप्रभारित, अंशकालिक, दैनिक वेतन, नियत वेतन एवं सेवा प्रदाता संस्था (बाह्य स्रोत) के माध्यम से कतिपय व्यक्तियों को नियोजित किया जा रहा है।

2. शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त नियोजित व्यक्तियों अथवा वाह्य स्रोत के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों को बिना व्यवधान के लम्बे समय तक रखे जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा प्रायः "समान कार्य समान वेतन" के आधार पर राज्य के नियमित पदधारकों के समान वेतनमान दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है तथा इस आशय की याचिकायें भी समय–समय पर मा0 न्यायालयों में योजित की जा रही हैं। शासन के समक्ष ऐसे मामले आये हैं, जिनमें उक्त व्यक्तियों द्वारा श्रम न्यायालय अथवा मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करके नियमित रूप से सेवायोजित कार्मिकों की भांति समान वेतनमान दिये जाने अथवा समकक्ष पदधारक के वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिये जाने के आदेश प्राप्त किये गये हैं। इसी प्रकार विभाग/अधिष्ठान में पद सृजित न होने पर

भी उक्तानुसार नियोजित व्यक्तियों द्वारा भी समान प्रकृति का कार्य वेतनमान दिये जाने के आदेश प्राप्त कर लिए गये।

3. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उड़ीसा राज्य व अन्य बनाम बलराम साहू व अन्य के मामले में ए0आई0आर0 2003 सु0 कोर्ट 33, में व्यवस्था दी है कि दैनिक वेतन, अस्थायी अथवा आकस्मिक श्रमिक नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान (Pay Scale) पाने का हकदार नहीं है। उक्त न्याय–निर्णय के क्रम में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 831/कार्मिक–2/2003 दिनांक 16 जून, 2003 में यह स्पष्ट किया गया है कि दैनिक वेतन/संविदा/तदर्थ/अंशकालिक/कार्यप्रभारित/नियत वेतन एवं वाह्य स्रोत से नियोजित व्यक्ति नियमित कर्मी की तरह समान वेतनमान पाने का हकदार नहीं है।

4. कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–1803/कार्मिक–2/2002 दिनांक 06 फरवरी, 2003 द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/दैनिक वेतन/तदर्थ/वाह्यस्रोत से की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक सम्बन्धी निदेश जारी किए गये हैं।

5. उक्त के क्रम में यह स्पष्ट किया जाना है कि वित्तीय नियमों में वेतनमान किसी पद के साथ सम्बद्ध रहता है। दैनिक वेतन एवं बाह्य स्रोत पर तैनात व्यक्ति कोई पद धारण नहीं करता है बल्कि उनकी ठेकेदार अथवा सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से विभागीय कार्य निस्तारण हेतु उनकी सेवायें ली जाती है। ऐसी स्थिति में इनकी नियमित कर्मियों के साथ कोई समानता निर्धारित नहीं की जा सकती है। समान कार्य के लिये समान वेतनमान की मांग के लिये यह आवश्यक है कि जिस नियमित पदधारक के साथ तुलना की जा रही है उसके साथ पूर्ण समानता हो अर्थात पद की भर्ती प्रकिया, शैक्षिक योग्यता, अभिमानी अर्हता, कार्य दायित्व, राज्य सरकार द्वारा गठित चयन संस्था के माध्यम से (खुली प्रतियोगी) से चयन, कार्यावधि, समान योग्यता, आयु सीमा, चरित्र सत्यापन, वैवाहिक प्रास्थिति, राष्ट्रीयता, पद की गोपनीयता एवं संवेदनशीलता के प्रति उत्तरदायित्व आदि मापदण्डों की समानता हो। इस संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–217 ऑफ 2013 स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य बनाम जगजीत सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.10.2016 के प्रस्तर–42 में 'समान कार्य समान वेतन' के निर्धारण हेतु कतिपय निम्न मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं :–

42. All the judgments noticed in paragraphs 7 to 24 hereinabove, pertain to employees engaged on regular basis, who were claiming higher wages, under the principle of 'equal pay for equal work'. The claim raised by such employees was premised on the ground, that the duties and responsibilities rendered by them, were against the same post for which a higher pay-scale was being

allowed, in other Government departments. Or alternatively, their duties and responsibilities were the same, as of other posts with different designations, but they were placed in a lower scale. Having been painstakingly taken through the parameters laid down by this Court, wherein the principle of 'equal pay for equal work' was invoked and considered, it would be just and appropriate, to delineate the parameters laid down by this Court. In recording the said parameters, we have also adverted to some other judgments pertaining to temporary employees (also dealt with, in the instant judgment), wherein also, this Court had the occasion to express the legal position with reference to the principle of 'equal pay for equal work'. Our consideration, has led us to the following deductions:-

(i) The 'onus of proof', of parity in the duties and responsibilities of the subject post with the reference post, under the principle of 'equal pay for equal work', lies on the person who claims it. He who approaches the Court has to establish, that the subject post occupied by him, requires him to discharge equal work of equal value, as the reference post (see – the Orissa University of Agriculture & Technology case10, Union Territory Administration, Chandigarh v. Manju Mathur15, the Steel Authority of India Limited case16, and the National Aluminum Company Limited case18).

(ii) The mere fact that the subject post occupied by the claimant, is in a"different department" vis-a-vis the reference post, does not have any bearing on the determination of a claim, under the principle of 'equal pay for equal work'. Persons discharging identical duties, cannot be treated differently, in the matter of their pay, merely because they belong to different departments of Government (see – the Randhir Singh case1, and the D.S. Nakara case2).

(iii) The principle of 'equal pay for equal work', applies to cases of unequal scales of pay, based on no classification or irrational classification (see – the Randhir Singh case1). For equal pay, the concerned employees with whom equation is sought, should be performing work, which besides being functionally equal, should be of the same quality and sensitivity (see – the Federation of All India Customs and Central Excise Stenographers (Recognized) case3, the Mewa Ram Kanojia case5, the Grih Kalyan Kendra Workers' Union case6 and the S.C. Chandra case12).

(iv) Persons holding the same rank/designation (in different departments), but having dissimilar powers, duties and responsibilities, can be placed in different scales of pay, and cannot claim the benefit of the principle of 'equal pay for equal work' (see – the Randhir Singh case1, State of Haryana v. Haryana Civil Secretariat Personal Staff Association9, and the Hukum Chand Gupta case17). Therefore, the principle would not be automatically invoked, merely because the subject and reference posts have the same nomenclature.

(v) In determining equality of functions and responsibilities, under the principle of 'equal pay for equal work', it is necessary to keep in mind, that the duties of the two posts should be of equal sensitivity, and also, qualitatively similar. Differentiation of pay-scales for posts with difference in degree of responsibility, reliability and confidentiality, would fall within the realm of valid classification, and therefore, pay differentiation would be legitimate and permissible (see – the Federation of All India Customs and Central Excise Stenographers (Recognized) case3 and the State Bank of India case8). The nature of work of the subject post should be the same and not less onerous than the reference post. Even the volume of work should be the same. And so also, the level of responsibility. If these parameters are not met, parity cannot be claimed under the principle of 'equal pay for equal work' (see - State of U.P. v. J.P. Chaurasia4, and the Grih Kalyan Kendra Workers' Union case6).

(vi) For placement in a regular pay-scale, the claimant has to be a regular appointee. The claimant should have been selected, on the basis of a regular process of recruitment. An employee appointed on a temporary basis, cannot claim to be placed in the regular pay-scale (see – the Orissa University of Agriculture & Technology case10).

(vii) Persons performing the same or similar functions, duties and responsibilities, can also be placed in different pay-scales. Such as -'selection grade', in the same post. But this difference must emerge out of a legitimate foundation, such as – merit, or seniority, or some other relevant criteria (see - State of U.P. v. J.P. Chaurasia4).

(viii) If the qualifications for recruitment to the subject post vis-a-vis the reference post are different, it may be difficult to conclude, that the duties and responsibilities of the posts are qualitatively similar or comparable (see – the

Mewa Ram Kanojia case5, and Government of W.B. v. Tarun K. Roy11). In such a cause, the principle of 'equal pay for equal work', cannot be invoked.

(ix) The reference post, with which parity is claimed, under the principle of 'equal pay for equal work', has to be at the same hierarchy in the service, as the subject post. Pay-scales of posts may be different, if the hierarchy of the posts in question, and their channels of promotion, are different. Even if the duties and responsibilities are same, parity would not be permissible, as against a superior post, such as a promotional post (see - Union of India v. Pradip Kumar Dey7, and the Hukum Chand Guptacase17).

(x) A comparison between the subject post and the reference post, under the principle of 'equal pay for equal work', cannot be made, where the subject post and the reference post are in different establishments, having a different management. Or even, where the establishments are in different geographical locations, though owned by the same master (see – the Harbans Lal case23). Persons engaged differently, and being paid out of different funds, would not be entitled to pay parity (see - Official Liquidator v. Dayanand13).

(xi) Different pay-scales, in certain eventualities, would be permissible even for posts clubbed together at the same hierarchy in the cadre. As for instance, if the duties and responsibilities of one of the posts are more onerous, or are exposed to higher nature of operational work/risk, the principle of 'equal pay for equal work' would not be applicable. And also when, the reference post includes the responsibility to take crucial decisions, and that is not so for the subject post (see – the State Bank of India case8).

(xii) The priority given to different types of posts, under the prevailing policies of the Government, can also be a relevant factor for placing different posts under different pay-scales. Herein also, the principle of 'equal pay for equal work' would not be applicable (see - State of Haryana v. Haryana Civil Secretariat Personal Staff Association9).

(xiii) The parity in pay, under the principle of 'equal pay for equal work', cannot be claimed, merely on the ground, that at an earlier point of time, the subject post and the reference post, were placed in the same pay-scale. The principle of 'equal pay for equal work' is applicable only when it is shown, that the incumbents of the subject post and the reference post, discharge similar

duties and responsibilities (see - State of West Bengal v. West Bengal Minimum Wages Inspectors Association14).

(xiv) For parity in pay-scales, under the principle of 'equal pay for equal work', equation in the nature of duties, is of paramount importance. If the principal nature of duties of one post is teaching, whereas that of the other is non-teaching, the principle would not be applicable. If the dominant nature of duties of one post is of control and management, whereas the subject post has no such duties, the principle would not be applicable. Likewise, if the central nature of duties of one post is of quality control, whereas the subject post has minimal duties of quality control, the principle would not be applicable (see - Union Territory Administration, Chandigarh v. Manju Mathur15).

(xv) There can be a valid classification in the matter of pay-scales, between employees even holding posts with the same nomenclature i.e., between those discharging duties at the headquarters, and others working at the institutional/sub-office level (see – the Hukum Chand Gupta case17), when the duties are qualitatively dissimilar.

(xvi) The principle of 'equal pay for equal work' would not be applicable, where a differential higher pay-scale is extended to persons discharging the same duties and holding the same designation, with the objective of ameliorating stagnation, or on account of lack of promotional avenues (see - the Hukum Chand Gupta case17).

(xvii) Where there is no comparison between one set of employees of one organization, and another set of employees of a different organization, there can be no question of equation of pay-scales, under the principle of 'equal pay for equal work', even if two organizations have a common employer. Likewise, if the management and control of two organizations, is with different entities, which are independent of one another, the principle of 'equal pay for equal work' would not apply (see – the S.C. Chandra case12, and the National Aluminum Company Limited case18).

6. इसी प्रकार अन्य प्रकरणों में भी मा0 न्यायालय द्वारा निम्नवत् स्पष्ट दिशा–निर्देश दिये गये हैं :–

(1) स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य बनाम सीनियर बोकेशनल स्टॉफ नार्सेज एसोसियेशन एवं अन्य सिविल अपील संख्या 632/2008 दिनांक 18.08.2017

(2) स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य बनाम जे0पी0 चौरसिया एवं अन्य (1989) 1 एससीसी 121

(3) श्याम बाबू वर्मा एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य (1994) 2 एससीसी 521

(4) पश्चिम बंगाल सरकार बनाम तरूण के0 राय एवं अन्य (2004) 1 एससीसी 347

7. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के क्रम में सभी विभागों द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

8. मा० न्यायालयों द्वारा 'समान कार्य समान वेतन' निर्धारण के सम्बन्ध में समय-समय पर स्थापित मानदण्डों के आलोक में विश्लेषण करने पर नियमित कार्मिकों एवं संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/दैनिक वेतन/वाह्य स्रोत से नियोजित व्यक्तियों की प्रास्थिति में सम्प्रति निम्नवत् भिन्नता स्पष्ट परिलक्षित होती है :–

क्र. सं.	निर्धारित मानक	नियमित कार्मिक हेतु निर्धारित मापदण्ड	संविदा/नियतवेतन/अंशकालिक/तदर्थ/कार्य–प्रभारित/दैनिक वेतन/वाह्यस्रोत से नियोजित व्यक्ति
1.	प्रास्थिति (Status)	संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गठित सुसंगत नियमावली के अधीन नियुक्त होने के कारण विधिक प्रास्थिति।	विहित विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नियुक्त न होने के कारण कोई विधिक प्रास्थिति नहीं है।
2.	भर्ती प्रक्रिया	सुसंगत सेवा नियमावली में वर्णित शैक्षिक अर्हता/आयु सीमा/राष्ट्रीयता/वैवाहिक प्रास्थिति/चरित्र आदि विषयक प्राविधानों के आलोक में विधिक संस्थाओं यथा चयन आयोग/चयन बोर्ड के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अनुरूप अवसर की समानता के आधार पर विज्ञापन (Open Market) के माध्यम से विहित विधिक प्रक्रिया द्वारा भर्ती।	संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/कार्यप्रभारित/दैनिक वेतन के आधार पर नियोजित व्यक्ति विहित विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नियोजित नहीं किये जाते है। आउटसोर्स आधारित नियोजन भी किसी आउटसोर्सिंग एजेन्सी या ठेकेदार जैसे तृतीय पक्ष के माध्यम से किया जाता है। उक्त नियोजन किसी विज्ञापन अथवा खुली चयन प्रक्रिया के आधार पर नहीं किया जाता है। जो अवसर की समानता के अनुरूप नहीं है।
3.	सेवा की शर्तें	संविधान के अनुच्छेद 309 एवं संगत अनुच्छेदों के अधीन प्रदत्त अधिकारों	कोई प्राविधान नहीं है।

		के तहत निर्मित नियमावलियों में वर्णित सेवा की शर्तें।	
4.	परिवीक्षा काल	नियुक्ति/पदोन्नति होने पर सुसंगत नियमावली के अनुसार परिवीक्षा काल पूर्ण करना अनिवार्य।	परिवीक्षा अवधि में रखे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।
5.	लियन/ स्थायीकरण	स्थाई पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने पर नियमित कार्मिक का लियन/स्थायीकरण की व्यवस्था उपबन्धित है।	कोई प्राविधान नहीं।
6.	नियोक्ता– कर्मचारी संबंध	नियोक्ता तथा नियमित कार्मिक के मध्य प्रत्यक्ष एवं विधिक सम्बन्ध होता है।	नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता संस्था के मध्य सम्बन्ध होता है। नियोजित व्यक्ति का संस्था से संबंध स्थापित होता है लेकिन नियोजित व्यक्ति का नियोक्ता से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है।
7.	भुगतान की प्रकृति	जिस पद के सापेक्ष नियुक्ति होती है उस पद हेतु वित्तीय नियमों/शासन द्वारा निर्धारित वेतन/भत्ते।	संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/ दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों को भुगतान उनके अनुबन्ध में उल्लेखित धनराशि पारिश्रमिक/ मानदेय के रूप में तथा आउटसोर्स पर नियोजित व्यक्तियों को पारिश्रमिक/मजदूरी के रूप में तृतीय पक्ष के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
8.	उत्तरदायित्व	विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नियुक्त होने के कारण अपने कार्यों एवं विभाग/संगठन के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी।	कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है।
9.	सेवाकाल	60 वर्ष की आयु तक सेवा अवधि।	अवधि निर्धारित नहीं।
10.	कार्य अवधि	सम्पूर्ण अवधि (24×7) सरकार के अधीन।	अधिकतम 08 घण्टे प्रतिदिन।
11.	दण्डात्मक कार्यवाही	कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 एवं अनुशासन एवं अपील नियमावली, 2003 के प्राविधानों के लघु एवं वृहद दण्ड का प्राविधान।	कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 एवं अनुशासन एवं अपील नियमावली, 2003 से आच्छादित नहीं है।
12.	गोपनीयता	Official Secret Act, 1923 के अन्तर्गत गोपनीयता के प्रतिबद्ध।	कार्यों की गोपनीयता के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं।
13.	संवेदनशीलता	सर्वोच्च कानून (संविधान) के अन्तर्गत शासकीय कार्य जनहित को लक्षित करके किये जाते हैं, फलस्वरूप अपने कार्यों के माध्यम से जनहित	जनहित के प्रति संवेदनशील होने के लिए बाध्य नहीं होते हैं।

		के प्रति संवेदनशील होने के लिए बाध्य होते हैं।	
14.	सेवा की प्रकृति	पूर्णकालिक नियोजन	अंशकालिक अथवा कार्यभोजना विशेष तक नियोजन।
15.	Volume of Work	संगत नियमों में प्राविधानित।	कार्य निस्तारण हेतु सेवायें ली जाती है।
16.	नियमों का आच्छादन	राज्य सरकार के वित्तीय नियमों एवं सुसंगत सेवा नियमों से आच्छादित।	भारत सरकार/राज्य सरकार के श्रम अधिनियम या अन्य सुसंगत अधिनियम से आच्छादित।
17.	आरक्षण	नियमित नियुक्ति के समय राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित आरक्षण का अनिवार्यता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।	——
18.	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन केवल नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों को ही किया जा सकता है।	कोई वित्तीय अधिकार प्रतिनिधानित नहीं किये जा सकते हैं।

9. उक्त प्रकार से प्रास्थिति में भिन्नता होने के कारण तदर्थ (Ad-hoc)/ संविदा (Contractual)/नियतवेतन (Fix pay)/अंशकालिक (Short term)/दैनिक वेतन (Daily wage)/कार्य–प्रभारित (Work charge), वाह्यस्रोत (Outsource) से नियोजित व्यक्तियों की नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों से समानता नहीं है इन आधारों तथा प्रास्थिति में भिन्नता के कारण उक्तानुसार नियोजित व्यक्ति 'समान कार्य समान वेतन' हेतु अर्ह नहीं है।

10. **मा0 उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सचिव, कर्नाटक राज्य व अन्य बनाम उमादेवी व अन्य (एआईआर 2006 एससी 1806) में सुसंगत नियमों से इतर की गई नियुक्तियों को अनियमित माना गया है।**

11. **रिट पिटीशन संख्या–814 (एस.एस)/2017 संजय कुमार जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित अपने आदेश दिनांक 12.04.2018 में संविदा पर नियोजित उक्त कार्मिक के नियमितीकरण एवं 'समान कार्य समान वेतन' की मांग सम्बन्धी याचिका खारिज कर दी गयी है। (छायाप्रति संलग्न)**

12. कृपया ऊपरिउल्लिखित प्रकार के मामलों में तत्परता से यथोचित कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित निर्देशो का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

(1) स्वीकृत पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में सुसंगत सेवानियमावली के अनुरूप नियमित चयन की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण की जाय।

(2) स्वीकृत पदों के सापेक्ष किसी भी दशा में संविदा/दैनिक वेतन/कार्य प्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक/तदर्थ नियुक्तियां बिना शासन की अनुमति के कदापि न की जांय। स्वीकृत पदों पर सुसंगत नियमावली से इतर की गयी नियुक्तियां शून्य मानी जायेंगी और यदि इस प्रकार की कोई नियुक्तियां भविष्य में की गयी तो उनके पारिश्रमिक का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी के वेतन/पेंशन से किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(3) विभागीय आवश्यकता होने पर कार्मिक विभाग की सहमति से कार्याधिक्य (Volume of work) के औचित्य के आधार पर संबंधित वित्तीय वर्ष में 11 माह अथवा कार्य समाप्ति तक, जो भी पहले हो, बाहय स्रोत के माध्यम से केवल सेवाए ली जा सकती है। उक्त सम्बन्ध में नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता एजेंसी के मध्य अनुबंध (Bond) निष्पादित किया जायेगा, न कि नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य, उक्त अनुबन्ध में ही दिये जाने वाले पारिश्रमिक एवं ली जाने वाली सेवा/कार्य का स्पष्ट उल्लेख हो।

(4) वाह्य स्रोत से जिन सेवाओं की मूल नियोक्ता को आवश्यकता हो, का सर्विस लेवल ऐग्रीमेन्ट, जिसमें सेवा प्रदान करने वाले आउटसोर्सिंग एजेन्सी के कर्मी का जॉब चार्ट सम्मिलित हो निर्मित किया जाय एवं तदनुसार ही अनुबन्ध पत्र निर्मित कर कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति से 11 माह अथवा कार्य समाप्ति तक, जो भी पहले हो, तक नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में अनुबन्ध (Bond) निष्पादित किया जाय। उक्त अनुबन्ध पत्र में ही पारिश्रमिक की दर और सेवावधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय। आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा पूर्व से नियोजित व्यक्ति के अनुबन्ध नवीनीकरण के समय रोटेशन की प्रकिया अपनायी जायेगी।

(5) उक्त योजित व्यक्तियों को उनकी सेवाओ हेतु सैनिक कल्याण विभाग अथवा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान सम्बन्धित आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से किया जाय। किसी भी दशा में विभाग/संगठन द्वारा नियोजित व्यक्ति को सीधे भुगतान नहीं किया जायेगा और न ही उन्हें संवर्गीय पदनाम अथवा नियमित पदों के सापेक्ष नियोजन अथवा पद का वेतनमान (Pay Scale) दिया जायेगा।

(6) शासन की अनुमति से इतर किये जाने वाले ऐसे भुगतान/नियोजन की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के वेतन/पेंशन से की जायेगी।

(7) यह भी स्पष्ट किया जाना है कि वेतनमान किसी पद के साथ सम्बद्ध रहता है, दैनिक वेतन कर्मी, कार्य–प्रभारित एवं बाह्यस्रोत के माध्यम से योजित व्यक्ति, जिनकी सेवाएं नियोक्ता द्वारा कार्य निष्पादन हेतु ली जा रही है, कोई पद धारण नहीं करते हैं और न ही उनकी प्रास्थिति नियमित कर्मियों की भांति होती है।

12. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा नियमित पदधारकों के समान वेतनमान (Pay Scale) प्रदान करने की जो विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत हों, उनका इस शासनादेश में उल्लिखित बिन्दुओं के आलोक में तत्परता से प्रतिवाद किया जाय। जहां आवश्यकता हो एवं समुचित आधार हो, ऐसे आदेशों के विरुद्ध सक्षम मा0 न्यायालय में अपील/विशेष अनुज्ञा याचिका दायर किये जाने हेतु शासन की अनुमति यथाप्रक्रिया प्राप्त कर ली जाय।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्याः 325 /XXVII(7)/2018 दिनांक 19 अप्रैल, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्याः III (1)/XXX(2)/2018-30(12)2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः /XXX(2)/2018-30(12)/2018

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 14 जून, 2018

विषयः **विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 111/XXX(2)/2018-30(12)/2018 दिनांक 27 अप्रैल, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर–12(4) का अन्तिम वाक्य "आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा पूर्व से नियोजित व्यक्ति के अनुबन्ध नवीनीकरण के समय रोटेशन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी" को सम्यक विचारोपरान्त विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– शासनादेश के शेष सभी दिशा–निर्देश यथावत् रहेंगे तथा उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 167 (1) /XXX(2)/2018-30(12)2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।

5. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

भाग–11

राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, सरकारी सेवक स्थाईकरण नियमावली, ज्येष्ठता नियमावली, सरकारी सेवक त्याग–पत्र नियमावली एवं सेवा समाप्ति नियमावली

संख्या– 64 / XXX(2)/16–30(07)2015

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 29 फरवरी, 2016

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कार्मिकों द्वारा अपनी सेवा से संबंधित हितों से सम्बद्ध किसी मामले में कोई राजनीतिक या अन्य बाह्य साधनों से स्वयं तथा अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा प्रभाव हेतु राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम–24 में प्राविधान किया गया है। राज्य सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का नियम–24 निम्नवत् हैः–

"**असरकारी या अन्य वाह्य प्रभाव का (Outside influence) मतार्थन**– कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से सम्बन्धित हितों से सम्बद्ध किसी मामले में कोई राजनीतिक या अन्य बाह्य साधनों से न तो स्वयं और नहीं अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा कोई प्रभाव डालेगा या प्रभाव डालने का प्रयास करेगा।

स्पष्टीकरण– सरकारी कर्मचारी की यथास्थिति पत्नी या पति या अन्य सम्बन्धी द्वारा किया गया कोई कार्य जो इस नियम की व्याप्ति के अन्तर्गत हो, के संबंध में, जब तक कि इसके विपरीत प्रमाणित न हो जायें, यह माना जायेगा कि वह कार्य सम्बन्धित कर्मचारी की प्रेरणा या मौन स्वीकृति से किया गया है।"

2– उपर्युक्त नियम में स्पष्ट व्यवस्था होने के पश्चात् भी प्रायः यह देखने में आया है कि कतिपय कार्मिक अपनी सेवा से संबंधित मामलों में यथा स्थानान्तरण, पदोन्नति तथा अन्य सेवा संबंधी प्रकरण में अपने कुटुम्ब के सदस्यों से यथा पत्नी, पिता, माता, पति तथा अन्य कुटुम्बजन के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–511/2015 बृजेश कुमार गुप्ता बनाम राज्य एवं

क्रमशः.....2

अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2015 को निम्न आदेश पारित किया गया है:–

"The Hon,ble Division Bench was further pleased to observe orally that the Government should not only deprecate the practice of entertaining repersentation made by the relative(s) on behalf of the empolyee but should also take disciplinary action against such empolyee on behalf of whom representation is made by wife/husband/mother/father etc. The court was also of the view that the Government should issue office instructions/memo to such effect to all the departments."

3– राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम–24 में उल्लिखित व्यवस्था तथा माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई कार्मिक अपनी सेवा से संबंधित हितो से सम्बद्ध किसी मामले में अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य यथा पत्नी, पिता, माता, पति तथा अन्य कुटुम्बजन से कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत कराता है या उसके कुटुम्बजन ऐसा कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे कार्मिकों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में एवं राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन होने के दृष्टिगत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

4– कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्याः 64 (1)/XXX(2)/16–30(07)2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

भाग–12

रोस्टर नीति

प्रेषक,

संख्याः 276/XXX(2)/2019-53(01)/2001

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
   सचिव/सचिव (प्रभारी),
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 11 सितम्बर, 2019

विषय : राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु लागू रोस्टर नीति संबंधी समस्त नियमों एवं शासनादेशों को अधिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन के संबंध में परिशिष्ट–1 (उर्ध्व आरक्षण) एवं परिशिष्ट–2 (क्षैतिज आरक्षण) के अनुसार रोस्टर निर्धारित करते हुए राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन हेतु निम्नवत् प्रकिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा :–

1. राज्याधीन सेवा संवर्गों के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट–1 के अनुसार 01 जुलाई, 2019 की प्रास्थिति में सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को रोस्टर क्रमांक के सम्मुख प्रतिस्थापित करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी।
2. संवर्गीय रोस्टर गठित होने के पश्चात् परिशिष्ट–2 के अनुसार पृथक–पृथक अनारक्षित/आरक्षित श्रेणियों हेतु क्षैतिज आरक्षण की गणना करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी।
3. नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व होगा कि प्रत्येक माह घटित होने वाली रिक्ति का कारण दर्शाते हुए रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसका दायित्व होगा कि प्रत्येक माह की पहली तिथि को रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जाय एवं इसकी सूचना संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। यदि संबंधित विभाग द्वारा सूचना प्रेषित नहीं करायी जाती है तो नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।
4. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शुद्ध एवं परिणामी रिक्तियों की गणना करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु अधियाचन संबंधित आयोग को समयांतर्गत प्रेषित की जाने की

कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान रोस्टर नीति के अनुसार सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत रिक्ति को रोटेट करते हुए अगले रोस्टर क्रमांक को भरे जाने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

5. क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जिन श्रेणियों में चयन हेतु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो ऐसे चयनों में उसी वर्ग के सामान्य श्रेणी से चयन की कार्यवाही करा ली जायेगी किन्तु उक्त रोस्टर क्रमांक रिक्त रखा जायेगा और अगले चयन वर्ष में पुनः प्रकिया अपनाई जायेगी।
6. दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण उन्हीं सेवा संवर्गों में अनुमन्य होगा, जो समाजकल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–196/xvii–2/2011–29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 द्वारा विभागों एवं संवर्गों हेतु निर्धारित किया गया है। दिव्यांगजन के चयन हेतु कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–232 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्धारित प्रकिया एवं दिशा–निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाय।
7. भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सन्दर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt.(SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease." का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी।
8. राज्याधीन सेवाओं में परिशिष्ट–1 एवं 2 के अनुसार पद आधारित रोस्टर निर्गत होने के उपरांत आरक्षण की गणना हेतु फैक्शन संबंधी शासनादेश संख्या–145, दिनांक 28 मई, 2018 को अधिक्रमित समझा जाय।
9. सीधी भर्ती के किसी चयन में सेवा संवर्ग के अंतर्गत यदि आरक्षित रिक्तियों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसे चयन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) की धारा 3 (4) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उक्तानुसार दिशा–निर्देशों का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 276 (1)/XXX(2)/2019-53(01)2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) इनमें किसी उत्तराखण्ड प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू करने के अनुरोध सहित।
3. सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के अनुरोध सहित।
4. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, संबंधित संस्थान/निगम उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्/नगर महापालिका/नगरपालिका, टाउन एरिया, उत्तराखण्ड।
9. निबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
12. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
13. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
14. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
15. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन।
16. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

परिशिष्ट–1

शासनादेश संख्या:276 /XXX(2)/2019-53(01)2001 दिनांक 11 सितम्बर जून, 2019 का संलग्नक।

राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति 19%, अन्य पिछड़ा वर्ग 14%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% तथा अनुसूचित जनजाति 4% निर्धारित ऊर्ध्व आरक्षण के सापेक्ष रोस्टर आधारित पदों की गणना।

पद	पद की श्रेणी	अनुसूचित जाति 19%	अन्य पिछड़ा वर्ग 14%	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%	अनुसूचित जनजाति 4%
1	अनारक्षित	0.19	0.14	0.10	0.04
2	अनारक्षित	0.38	0.28	0.20	0.08
3	अनारक्षित	0.57	0.42	0.30	0.12
4	अनारक्षित	0.76	0.56	0.40	0.16
5	अनारक्षित	0.95	0.70	0.50	0.20
6	अनुसूचित जाति	1.14	0.84	0.60	0.24
7	अनारक्षित	1.33	0.98	0.70	0.28
8	अन्य पिछड़ा वर्ग	1.52	1.12	0.80	0.32
9	अनारक्षित	1.71	1.26	0.90	0.36
10	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1.90	1.40	1.00	0.40
11	अनुसूचित जाति	2.09	1.54	1.10	0.44
12	अनारक्षित	2.28	1.68	1.20	0.48
13	अनारक्षित	2.47	1.82	1.30	0.52
14	अनारक्षित	2.66	1.96	1.40	0.56
15	अन्य पिछड़ा वर्ग	2.85	2.10	1.50	0.60
16	अनुसूचित जाति	3.04	2.24	1.60	0.64
17	अनारक्षित	3.23	2.38	1.70	0.68
18	अनारक्षित	3.42	2.52	1.80	0.72
19	अनारक्षित	3.61	2.66	1.90	0.76
20	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	3.80	2.80	2.00	0.80
21	अनुसूचित जाति	3.99	2.94	2.10	0.84
22	अन्य पिछड़ा वर्ग	4.18	3.08	2.20	0.88
23	अनारक्षित	4.37	3.22	2.30	0.92
24	अनारक्षित	4.56	3.36	2.40	0.96
25	अनुसूचित जनजाति	4.75	3.50	2.50	1.00
26	अनारक्षित	4.94	3.64	2.60	1.04
27	अनुसूचित जाति	5.13	3.78	2.70	1.08
28	अनारक्षित	5.32	3.92	2.80	1.12
29	अन्य पिछड़ा वर्ग	5.51	4.06	2.90	1.16
30	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	5.70	4.20	3.00	1.20
31	अनारक्षित	5.89	4.34	3.10	1.24
32	अनुसूचित जाति	6.08	4.48	3.20	1.28
33	अनारक्षित	6.27	4.62	3.30	1.32
34	अनारक्षित	6.46	4.76	3.40	1.36

35	अनारक्षित	6.65	4.90	3.50	1.40
36	अन्य पिछड़ा वर्ग	6.84	5.04	3.60	1.44
37	अनुसूचित जाति	7.03	5.18	3.70	1.48
38	अनारक्षित	7.22	5.32	3.80	1.52
39	अनारक्षित	7.41	5.46	3.90	1.56
40	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	7.60	5.60	4.00	1.60
41	अनारक्षित	7.79	5.74	4.10	1.64
42	अनुसूचित जाति	7.98	5.88	4.20	1.68
43	अन्य पिछड़ा वर्ग	8.17	6.02	4.30	1.72
44	अनारक्षित	8.36	6.16	4.40	1.76
45	अनारक्षित	8.55	6.30	4.50	1.80
46	अनारक्षित	8.74	6.44	4.60	1.84
47	अनारक्षित	8.93	6.58	4.70	1.88
48	अनुसूचित जाति	9.12	6.72	4.80	1.92
49	अनुसूचित जन जाति	9.31	6.86	4.90	1.96
50	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	9.50	7.00	5.00	2.00
51	अन्य पिछड़ा वर्ग	9.69	7.14	5.10	2.04
52	अनारक्षित	9.88	7.28	5.20	2.08
53	अनुसूचित जाति	10.07	7.42	5.30	2.12
54	अनारक्षित	10.26	7.56	5.40	2.16
55	अनारक्षित	10.45	7.70	5.50	2.20
56	अनारक्षित	10.64	7.84	5.60	2.24
57	अन्य पिछड़ा वर्ग	10.83	7.98	5.70	2.28
58	अनुसूचित जाति	11.02	8.12	5.80	2.32
59	अनारक्षित	11.21	8.26	5.90	2.36
60	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	11.40	8.40	6.00	2.40
61	अनारक्षित	11.59	8.54	6.10	2.44
62	अनारक्षित	11.78	8.68	6.20	2.48
63	अनुसूचित जाति	11.97	8.82	6.30	2.52
64	अनारक्षित	12.16	8.96	6.40	2.56
65	अन्य पिछड़ा वर्ग	12.35	9.10	6.50	2.60
66	अनारक्षित	12.54	9.24	6.60	2.64
67	अनारक्षित	12.73	9.38	6.70	2.68
68	अनारक्षित	12.92	9.52	6.80	2.72
69	अनुसूचित जाति	13.11	9.66	6.90	2.76
70	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	13.30	9.80	7.00	2.80
71	अनारक्षित	13.49	9.94	7.10	2.84
72	अन्य पिछड़ा वर्ग	13.68	10.08	7.20	2.88
73	अनारक्षित	13.87	10.22	7.30	2.92
74	अनुसूचित जाति	14.06	10.36	7.40	2.96
75	अनुसूचित जनजाति	14.25	10.50	7.50	3.00
76	अनारक्षित	14.44	10.64	7.60	3.04
77	अनारक्षित	14.63	10.78	7.70	3.08
78	अन्य पिछड़ा वर्ग	14.82	10.92	7.80	3.12

79	अनुसूचित जाति	15.01	11.06	7.90	3.16
80	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	15.20	11.20	8.00	3.20
81	अनारक्षित	15.39	11.34	8.10	3.24
82	अनारक्षित	15.58	11.48	8.20	3.28
83	अनारक्षित	15.77	11.62	8.30	3.32
84	अनारक्षित	15.96	11.76	8.40	3.36
85	अनुसूचित जाति	16.15	11.90	8.50	3.40
86	अन्य पिछड़ा वर्ग	16.34	12.04	8.60	3.44
87	अनारक्षित	16.53	12.18	8.70	3.48
88	अनारक्षित	16.72	12.32	8.80	3.52
89	अनुसूचित जाति	16.91	12.46	8.90	3.56
90	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	17.10	12.60	9.00	3.60
91	अनारक्षित	17.29	12.74	9.10	3.64
92	अनारक्षित	17.48	12.88	9.20	3.68
93	अन्य पिछड़ा वर्ग	17.67	13.02	9.30	3.72
94	अनारक्षित	17.86	13.16	9.40	3.76
95	अनुसूचित जाति	18.05	13.30	9.50	3.80
96	अनारक्षित	18.24	13.44	9.60	3.84
97	अनुसूचित जनजाति	18.43	13.58	9.70	3.88
98	अन्य पिछड़ा वर्ग	18.62	13.72	9.80	3.92
99	अनुसूचित जाति	18.81	13.86	9.90	3.96
100	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	19.00	14.00	10.00	4.00

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

शासनादेश संख्याः 276 /XXX(2)/2019-53(01)2001 दिनांक 11 सितम्बर जून, 2019 का संलग्नक। परिशिष्ट–2

राज्याधीन सेवाओं में सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु परिशिष्ट–1 के अनुसार प्रत्येक श्रेणी हेतु आगणित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण की गणना।

पद	पद की श्रेणी	उत्तराखण्ड महिला 30%	भूतपूर्व सैनिक 5%	दिव्यांगजन 4%	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%
1	अनारक्षित	0.30	0.05	0.04	0.02
2	अनारक्षित	0.60	0.10	0.08	0.04
3	अनारक्षित	0.90	0.15	0.12	0.06
4	**उत्तराखण्ड महिला**	**1.20**	0.20	0.16	0.08
5	अनारक्षित	1.50	0.25	0.20	0.10
6	अनारक्षित	1.80	0.30	0.24	0.12
7	**उत्तराखण्ड महिला**	**2.10**	0.35	0.28	0.14
8	अनारक्षित	2.40	0.40	0.32	0.16
9	अनारक्षित	2.70	0.45	0.36	0.18
10	**उत्तराखण्ड महिला**	**3.00**	0.50	0.40	0.20
11	अनारक्षित	3.30	0.55	0.44	0.22
12	अनारक्षित	3.60	0.60	0.48	0.24
13	अनारक्षित	3.90	0.65	0.52	0.26
14	**उत्तराखण्ड महिला**	**4.20**	0.70	0.56	0.28
15	अनारक्षित	4.50	0.75	0.60	0.30
16	अनारक्षित	4.80	0.80	0.64	0.32
17	**उत्तराखण्ड महिला**	**5.10**	0.85	0.68	0.34
18	अनारक्षित	5.40	0.90	0.72	0.36
19	अनारक्षित	5.70	0.95	0.76	0.38
20	**उत्तराखण्ड महिला**	**6.00**	1.00	0.80	0.40
21	**भूतपूर्व सैनिक**	6.30	**1.05**	0.84	0.42
22	अनारक्षित	6.60	1.10	0.88	0.44
23	अनारक्षित	6.90	1.15	0.92	0.46
24	**उत्तराखण्ड महिला**	**7.20**	1.20	0.96	0.48
25	**दिव्यांगजन**	7.50	1.25	**1.00**	0.50
26	अनारक्षित	7.80	1.30	1.04	0.52
27	**उत्तराखण्ड महिला**	**8.10**	1.35	1.08	0.54
28	अनारक्षित	8.40	1.40	1.12	0.56
29	अनारक्षित	8.70	1.45	1.16	0.58
30	**उत्तराखण्ड महिला**	**9.00**	1.50	1.20	0.60
31	अनारक्षित	9.30	1.55	1.24	0.62
32	अनारक्षित	9.60	1.60	1.28	0.64
33	अनारक्षित	9.90	1.65	1.32	0.66
34	उत्तराखण्ड महिला	10.20	1.70	1.36	0.68

35	अनारक्षित	10.50	1.75	1.40	0.70
36	अनारक्षित	10.80	1.80	1.44	0.72
37	उत्तराखण्ड महिला	11.10	1.85	1.48	0.74
38	अनारक्षित	11.40	1.90	1.52	0.76
39	भूतपूर्व सैनिक	11.70	1.95	1.56	0.78
40	उत्तराखण्ड महिला	12.00	2.00	1.60	0.80
41	अनारक्षित	12.30	2.05	1.64	0.82
42	अनारक्षित	12.60	2.10	1.68	0.84
43	अनारक्षित	12.90	2.15	1.72	0.86
44	उत्तराखण्ड महिला	13.20	2.20	1.76	0.88
45	अनारक्षित	13.50	2.25	1.80	0.90
46	अनारक्षित	13.80	2.30	1.84	0.92
47	उत्तराखण्ड महिला	14.10	2.35	1.88	0.94
48	अनारक्षित	14.40	2.40	1.92	0.96
49	दिव्यांगजन	14.70	2.45	1.96	0.98
50	उत्तराखण्ड महिला	15.00	2.50	2.00	1.00
51	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	15.30	2.55	2.04	1.02
52	अनारक्षित	15.60	2.60	2.08	1.04
53	अनारक्षित	15.90	2.65	2.12	1.06
54	उत्तराखण्ड महिला	16.20	2.70	2.16	1.08
55	अनारक्षित	16.50	2.75	2.20	1.10
56	अनारक्षित	16.80	2.80	2.24	1.12
57	उत्तराखण्ड महिला	17.10	2.85	2.28	1.14
58	अनारक्षित	17.40	2.90	2.32	1.16
59	अनारक्षित	17.70	2.95	2.36	1.18
60	उत्तराखण्ड महिला	18.00	3.00	2.40	1.20
61	भूतपूर्व सैनिक	18.30	3.05	2.44	1.22
62	अनारक्षित	18.60	3.10	2.48	1.24
63	अनारक्षित	18.90	3.15	2.52	1.26
64	उत्तराखण्ड महिला	19.20	3.20	2.56	1.28
65	अनारक्षित	19.50	3.25	2.60	1.30
66	अनारक्षित	19.80	3.30	2.64	1.32
67	उत्तराखण्ड महिला	20.10	3.35	2.68	1.34
68	अनारक्षित	20.40	3.40	2.72	1.36
69	अनारक्षित	20.70	3.45	2.76	1.38
70	उत्तराखण्ड महिला	21.00	3.50	2.80	1.40
71	अनारक्षित	21.30	3.55	2.84	1.42
72	अनारक्षित	21.60	3.60	2.88	1.44
73	अनारक्षित	21.90	3.65	2.92	1.46
74	उत्तराखण्ड महिला	22.20	3.70	2.96	1.48
75	दिव्यांगजन	22.50	3.75	3.00	1.50
76	अनारक्षित	22.80	3.80	3.04	1.52
77	उत्तराखण्ड महिला	23.10	3.85	3.08	1.54
78	अनारक्षित	23.40	3.90	3.12	1.56

79	भूतपूर्व सैनिक	23.70	3.95	3.16	1.58
80	उत्तराखण्ड महिला	24.00	4.00	3.20	1.60
81	अनारक्षित	24.30	4.05	3.24	1.62
82	अनारक्षित	24.60	4.10	3.28	1.64
83	अनारक्षित	24.90	4.15	3.32	1.66
84	उत्तराखण्ड महिला	25.20	4.20	3.36	1.68
85	अनारक्षित	25.50	4.25	3.40	1.70
86	अनारक्षित	25.80	4.30	3.44	1.72
87	उत्तराखण्ड महिला	26.10	4.35	3.48	1.74
88	अनारक्षित	26.40	4.40	3.52	1.76
89	अनारक्षित	26.70	4.45	3.56	1.78
90	उत्तराखण्ड महिला	27.00	4.50	3.60	1.80
91	अनारक्षित	27.30	4.55	3.64	1.82
92	अनारक्षित	27.60	4.60	3.68	1.84
93	अनारक्षित	27.90	4.65	3.72	1.86
94	उत्तराखण्ड महिला	28.20	4.70	3.76	1.88
95	अनारक्षित	28.50	4.75	3.80	1.90
96	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	28.80	4.80	3.84	1.92
97	उत्तराखण्ड महिला	29.10	4.85	3.88	1.94
98	दिव्यांगजन	29.40	4.90	3.92	1.96
99	भूतपूर्व सैनिक	29.70	4.95	3.96	1.98
100	उत्तराखण्ड महिला	30.00	5.00	4.00	2.00

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 124 /XXX(2)/2020-53(01)/2001

प्रेशक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
   सचिव/सचिव (प्रभारी),
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 22 मई, 2020

विशय :राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः 276/XXX(2)/2019-53(1)/2001 दिनांक 11 सितम्बर, 2019 द्वारा राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु रोस्टर नीति लागू की गई थी। उक्त शासनादेश को अधिक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या 97/XXX(2)/2020-53(1)/2001 दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा शासन के सम्यक विचारोपरान्त पूर्ववर्ती रोस्टर क्रमांक के अनुसार (अर्थात प्रथम पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित) राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज) रोस्टर नीति का निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन के संबंध में संलग्न परिशिष्ट–1 (उर्ध्व आरक्षण), परिशिष्ट–2 (क्षैतिज आरक्षण) एवं परिशिष्ट–3 (मॉडल रोस्टर) के अनुसार रोस्टर निर्धारित करते हुए राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन हेतु निम्नवत् प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा :–

1. राज्याधीन सेवा संवर्गों के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट–1 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को रोस्टर क्रमांक के सम्मुख प्रतिस्थापित करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी।

2. संवर्गीय रोस्टर गठित होने के पश्चात् परिशिष्ट–2 के अनुसार पृथक–पृथक अनारक्षित/आरक्षित श्रेणियों हेतु क्षैतिज आरक्षण की गणना करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी;

   परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019 यथा संशोधन नियमावली, 2020 के उपबन्ध केवल सामान्य श्रेणी के पदों के सापेक्ष ही लागू होंगे।

3. नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व होगा कि प्रत्येक माह घटित होने वाली रिक्ति का कारण दर्शाते हुए रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसका दायित्व होगा कि प्रत्येक माह के प्रथम

सप्ताह में रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जाय एवं इसकी सूचना संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। यदि संबंधित विभाग द्वारा सूचना प्रेषित नहीं करायी जाती है तो नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

4. राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होने की तिथि से आरक्षण की गणना की जायेगी, इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा बल्कि रोस्टर क्रमांक के अनुसार घटित होने वाली रिक्तियों के अनुसार पद आधारित आरक्षण की गणना की जायेगी।

5. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शुद्ध एवं परिणामी रिक्तियों की गणना करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु अधियाचन संबंधित आयोग को समयांतर्गत प्रेषित की जाने की कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान रोस्टर नीति के अनुसार सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत रिक्ति को रोटेट करते हुए अगले रोस्टर क्रमांक को भरे जाने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

6. क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जिन श्रेणियों में चयन हेतु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, ऐसे चयनों में दिव्यांगजन श्रेणी के रोस्टर क्रमांक को बैकलॉग हेतु रिक्त रखा जायेगा तथा शेष श्रेणियों में सम्बन्धित वर्ग के ही प्रवीणता क्रम से सामान्य चयन की कार्यवाही करा ली जायेगी।

7. दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण उन्हीं सेवा संवर्गों में अनुमन्य होगा, जो विभागों एवं संवर्गों हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–196/xvii–2/2011–29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 तथा समय–समय पर निर्धारित होने वाले वर्गीकरण के अनुसार किया गया हो। दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 का अनुपालन करते हुए कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–232 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सन्दर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt.(SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease." का प्राविधान राज्याधीन सेवाओं में लागू किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवा संवर्गों में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी।

9. राज्याधीन सेवाओं में परिशिष्ट–1, 2 एवं 3 के अनुसार पद आधारित रोस्टर निर्गत होने के उपरांत आरक्षण की गणना हेतु फैक्शन संबंधी शासनादेश संख्या–145, दिनांक 28 मई, 2018 को अधिक्रमित समझा जाय।

10. सीधी भर्ती के किसी चयन में सेवा संवर्ग के अंतर्गत यदि आरक्षित रिक्तियों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसे चयन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) की धारा 3 (4) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

11. राज्याधीन सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु रोस्टर प्रणाली को ऑन–लाइन किये जाने का प्रकरण कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के स्तर पर गतिमान है। अतः समस्त सचिव/विभागाध्यक्ष अपने–अपने नियन्त्रणाधीन सेवा संवर्गों में आरक्षित श्रेणी के बैकलॉक

सहित रोस्टर अद्यतन कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि यथाशीघ्र पद आधारित रोस्टर प्रणाली को ऑन–लाइन कराया जा सके।

उक्तानुसार दिशा–निर्देशों का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः —(1)/XXX(2)/2020-53(01)2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) इनमें किसी उत्तराखण्ड प्रदश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू करने के अनुरोध सहित।
3. सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के अनुरोध सहित।
4. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, संबंधित संस्थान/निगम उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्/नगर महापालिका/नगरपालिका, टाउन एरिया, उत्तराखण्ड।
9. निबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
12. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
13. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
14. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
15. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन।
16. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

परिशिष्ट–1

शासनादेश संख्याः\२५ /XXX(2)/2020-53(01)2001 दिनांक ५२ मई, 2020 का संलग्नक।

राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति 19%, अन्य पिछड़ा वर्ग 14%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% तथा अनुसूचित जनजाति 4% निर्धारित ऊर्ध्व आरक्षण के सापेक्ष रोस्टर आधारित पदों की गणना।

पद	पद की श्रेणी	अनुसूचित जाति 19%	अन्य पिछड़ा वर्ग 14%	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%	अनुसूचित जनजाति 4%
1	अनुसूचित जाति	0.19	0.14	0.10	0.04
2	अनारक्षित	0.38	0.28	0.20	0.08
3	अनारक्षित	0.57	0.42	0.30	0.12
4	अनारक्षित	0.76	0.56	0.40	0.16
5	अनारक्षित	0.95	0.70	0.50	0.20
6	अनुसूचित जाति	1.14	0.84	0.60	0.24
7	अन्य पिछड़ा वर्ग	1.33	0.98	0.70	0.28
8	अनारक्षित	1.52	1.12	0.80	0.32
9	अनारक्षित	1.71	1.26	0.90	0.36
10	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1.90	1.40	1.00	0.40
11	अनुसूचित जाति	2.09	1.54	1.10	0.44
12	अनारक्षित	2.28	1.68	1.20	0.48
13	अनारक्षित	2.47	1.82	1.30	0.52
14	अन्य पिछड़ा वर्ग	2.66	1.96	1.40	0.56
15	अनारक्षित	2.85	2.10	1.50	0.60
16	अनुसूचित जाति	3.04	2.24	1.60	0.64
17	अनारक्षित	3.23	2.38	1.70	0.68
18	अनारक्षित	3.42	2.52	1.80	0.72
19	अन्य पिछड़ा वर्ग	3.61	2.66	1.90	0.76
20	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	3.80	2.80	2.00	0.80
21	अनुसूचित जाति	3.99	2.94	2.10	0.84
22	अनारक्षित	4.18	3.08	2.20	0.88
23	अनारक्षित	4.37	3.22	2.30	0.92
24	अनुसूचित जनजाति	4.56	3.36	2.40	0.96
25	अनारक्षित	4.75	3.50	2.50	1.00
26	अनुसूचित जाति	4.94	3.64	2.60	1.04
27	अनारक्षित	5.13	3.78	2.70	1.08
28	अन्य पिछड़ा वर्ग	5.32	3.92	2.80	1.12
29	अनारक्षित	5.51	4.06	2.90	1.16
30	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	5.70	4.20	3.00	1.20
31	अनुसूचित जाति	5.89	4.34	3.10	1.24
32	अनारक्षित	6.08	4.48	3.20	1.28
33	अनारक्षित	6.27	4.62	3.30	1.32
34	अनारक्षित	6.46	4.76	3.40	1.36

35	अन्य पिछड़ा वर्ग	6.65	4.90	3.50	1.40
36	अनुसूचित जाति	6.84	5.04	3.60	1.44
37	अनारक्षित	7.03	5.18	3.70	1.48
38	अनारक्षित	7.22	5.32	3.80	1.52
39	अनारक्षित	7.41	5.46	3.90	1.56
40	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	7.60	5.60	4.00	1.60
41	अनुसूचित जाति	7.79	5.74	4.10	1.64
42	अन्य पिछड़ा वर्ग	7.98	5.88	4.20	1.68
43	अनारक्षित	8.17	6.02	4.30	1.72
44	अनारक्षित	8.36	6.16	4.40	1.76
45	अनारक्षित	8.55	6.30	4.50	1.80
46	अनुसूचित जाति	8.74	6.44	4.60	1.84
47	अनारक्षित	8.93	6.58	4.70	1.88
48	अनुसूचित जन जाति	9.12	6.72	4.80	1.92
49	अन्य पिछड़ा वर्ग	9.31	6.86	4.90	1.96
50	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	9.50	7.00	5.00	2.00
51	अनुसूचित जाति	9.69	7.14	5.10	2.04
52	अनारक्षित	9.88	7.28	5.20	2.08
53	अनारक्षित	10.07	7.42	5.30	2.12
54	अन्य पिछड़ा वर्ग	10.26	7.56	5.40	2.16
55	अनारक्षित	10.45	7.70	5.50	2.20
56	अनुसूचित जाति	10.64	7.84	5.60	2.24
57	अनारक्षित	10.83	7.98	5.70	2.28
58	अनारक्षित	11.02	8.12	5.80	2.32
59	अनारक्षित	11.21	8.26	5.90	2.36
60	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	11.40	8.40	6.00	2.40
61	अनुसूचित जाति	11.59	8.54	6.10	2.44
62	अनारक्षित	11.78	8.68	6.20	2.48
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	11.97	8.82	6.30	2.52
64	अनारक्षित	12.16	8.96	6.40	2.56
65	अनारक्षित	12.35	9.10	6.50	2.60
66	अनुसूचित जाति	12.54	9.24	6.60	2.64
67	अनारक्षित	12.73	9.38	6.70	2.68
68	अनारक्षित	12.92	9.52	6.80	2.72
69	अन्य पिछड़ा वर्ग	13.11	9.66	6.90	2.76
70	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	13.30	9.80	7.00	2.80
71	अनुसूचित जाति	13.49	9.94	7.10	2.84
72	अनुसूचित जनजाति	13.68	10.08	7.20	2.88
73	अनारक्षित	13.87	10.22	7.30	2.92
74	अनारक्षित	14.06	10.36	7.40	2.96
75	अनारक्षित	14.25	10.50	7.50	3.00
76	अनुसूचित जाति	14.44	10.64	7.60	3.04
77	अन्य पिछड़ा वर्ग	14.63	10.78	7.70	3.08
78	अनारक्षित	14.82	10.92	7.80	3.12

79	अनारक्षित	15.01	11.06	7.90	3.16
80	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	15.20	11.20	8.00	3.20
81	अनुसूचित जाति	15.39	11.34	8.10	3.24
82	अनारक्षित	15.58	11.48	8.20	3.28
83	अनारक्षित	15.77	11.62	8.30	3.32
84	अन्य पिछड़ा वर्ग	15,96	11.76	8.40	3.36
85	अनारक्षित	16.15	11.90	8.50	3.40
86	अनुसूचित जाति	16.34	12.04	8.60	3.44
87	अनारक्षित	16.53	12.18	8.70	3.48
88	अनारक्षित	16.72	12.32	8.80	3.52
89	अनारक्षित	16.91	12.46	8.90	3.56
90	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	17.10	12.60	9.00	3.60
91	अन्य पिछड़ा वर्ग	17.29	12.74	9.10	3.64
92	अनारक्षित	17.48	12.88	9.20	3.68
93	अनुसूचित जाति	17.67	13.02	9.30	3.72
94	अनारक्षित	17.86	13.16	9.40	3.76
95	अनारक्षित	18.05	13.30	9.50	3.80
96	अनुसूचित जनजाति	18.24	13.44	9.60	3.84
97	अनारक्षित	18.43	13.58	9.70	3.88
98	अन्य पिछड़ा वर्ग	18.62	13.72	9.80	3.92
99	अनारक्षित	18.81	13.86	9.90	3.96
100	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	19.00	14.00	10.00	4.00

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट–2

शासनादेश संख्याः–1125/XXX(2)/2020-53(01)2001 दिनांक–22 मई, 2020 का संलग्नक।

राज्याधीन सेवाओं में सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु परिशिष्ट–1 के अनुसार प्रत्येक श्रेणी हेतु आगणित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण की गणना।

पद	पद की श्रेणी	उत्तराखण्ड महिला 30%	भूतपूर्व सैनिक 5%	दिव्यांगजन 4%	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 5%
1	अनारक्षित	0.30	0.05	0.04	0.02	0.05
2	अनारक्षित	0.60	0.10	0.08	0.04	0.10
3	अनारक्षित	0.90	0.15	0.12	0.06	0.15
4	उत्तराखण्ड महिला	1.20	0.20	0.16	0.08	0.20
5	अनारक्षित	1.50	0.25	0.20	0.10	0.25
6	अनारक्षित	1.80	0.30	0.24	0.12	0.30
7	उत्तराखण्ड महिला	2.10	0.35	0.28	0.14	0.35
8	अनारक्षित	2.40	0.40	0.32	0.16	0.40
9	अनारक्षित	2.70	0.45	0.36	0.18	0.45
10	उत्तराखण्ड महिला	3.00	0.50	0.40	0.20	0.50
11	अनारक्षित	3.30	0.55	0.44	0.22	0.55
12	अनारक्षित	3.60	0.60	0.48	0.24	0.60
13	अनारक्षित	3.90	0.65	0.52	0.26	0.65
14	उत्तराखण्ड महिला	4.20	0.70	0.56	0.28	0.70
15	अनारक्षित	4.50	0.75	0.60	0.30	0.75
16	अनारक्षित	4.80	0.80	0.64	0.32	0.80
17	उत्तराखण्ड महिला	5.10	0.85	0.68	0.34	0.85
18	अनारक्षित	5.40	0.90	0.72	0.36	0.90
19	अनारक्षित	5.70	0.95	0.76	0.38	0.95
20	उत्तराखण्ड महिला	6.00	1.00	0.80	0.40	1.00
21	भूतपूर्व सैनिक	6.30	1.05	0.84	0.42	1.05
22	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	6.60	1.10	0.88	0.44	1.10
23	अनारक्षित	6.90	1.15	0.92	0.46	1.15
24	उत्तराखण्ड महिला	7.20	1.20	0.96	0.48	1.20
25	दिव्यांगजन	7.50	1.25	1.00	0.50	1.25
26	अनारक्षित	7.80	1.30	1.04	0.52	1.30
27	उत्तराखण्ड महिला	8.10	1.35	1.08	0.54	1.35
28	अनारक्षित	8.40	1.40	1.12	0.56	1.40
29	अनारक्षित	8.70	1.45	1.16	0.58	1.45
30	उत्तराखण्ड महिला	9.00	1.50	1.20	0.60	1.50
31	अनारक्षित	9.30	1.55	1.24	0.62	1.55
32	अनारक्षित	9.60	1.60	1.28	0.64	1.60
33	अनारक्षित	9.90	1.65	1.32	0.66	1.65
34	उत्तराखण्ड महिला	10.20	1.70	1.36	0.68	1.70

35	अनारक्षित	10.50	1.75	1.40	0.70	1.75
36	अनारक्षित	10.80	1.80	1.44	0.72	1.80
37	उत्तराखण्ड महिला	11.10	1.85	1.48	0.74	1.85
38	अनारक्षित	11.40	1.90	1.52	0.76	1.90
39	भूतपूर्व सैनिक	11.70	1.95	1.56	0.78	1.95
40	उत्तराखण्ड महिला	12.00	2.00	1.60	0.80	2.00
41	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	12.30	2.05	1.64	0.82	2.05
42	अनारक्षित	12.60	2.10	1.68	0.84	2.10
43	अनारक्षित	12.90	2.15	1.72	0.86	2.15
44	उत्तराखण्ड महिला	13.20	2.20	1.76	0.88	2.20
45	अनारक्षित	13.50	2.25	1.80	0.90	2.25
46	अनारक्षित	13.80	2.30	1.84	0.92	2.30
47	उत्तराखण्ड महिला	14.10	2.35	1.88	0.94	2.35
48	अनारक्षित	14.40	2.40	1.92	0.96	2.40
49	दिव्यांगजन	14.70	2.45	1.96	0.98	2.45
50	उत्तराखण्ड महिला	15.00	2.50	2.00	1.00	2.50
51	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	15.30	2.55	2.04	1.02	2.55
52	अनारक्षित	15.60	2.60	2.08	1.04	2.60
53	अनारक्षित	15.90	2.65	2.12	1.06	2.65
54	उत्तराखण्ड महिला	16.20	2.70	2.16	1.08	2.70
55	अनारक्षित	16.50	2.75	2.20	1.10	2.75
56	अनारक्षित	16.80	2.80	2.24	1.12	2.80
57	उत्तराखण्ड महिला	17.10	2.85	2.28	1.14	2.85
58	अनारक्षित	17.40	2.90	2.32	1.16	2.90
59	अनारक्षित	17.70	2.95	2.36	1.18	2.95
60	उत्तराखण्ड महिला	18.00	3.00	2.40	1.20	3.00
61	भूतपूर्व सैनिक	18.30	3.05	2.44	1.22	3.05
62	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	18.60	3.10	2.48	1.24	3.10
63	अनारक्षित	18.90	3.15	2.52	1.26	3.15
64	उत्तराखण्ड महिला	19.20	3.20	2.56	1.28	3.20
65	अनारक्षित	19.50	3.25	2.60	1.30	3.25
66	अनारक्षित	19.80	3.30	2.64	1.32	3.30
67	उत्तराखण्ड महिला	20.10	3.35	2.68	1.34	3.35
68	अनारक्षित	20.40	3.40	2.72	1.36	3.40
69	अनारक्षित	20.70	3.45	2.76	1.38	3.45
70	उत्तराखण्ड महिला	21.00	3.50	2.80	1.40	3.50
71	अनारक्षित	21.30	3.55	2.84	1.42	3.55
72	अनारक्षित	21.60	3.60	2.88	1.44	3.60
73	अनारक्षित	21.90	3.65	2.92	1.46	3.65
74	उत्तराखण्ड महिला	22.20	3.70	2.96	1.48	3.70
75	दिव्यांगजन	22.50	3.75	3.00	1.50	3.75
76	अनारक्षित	22.80	3.80	3.04	1.52	3.80
77	उत्तराखण्ड महिला	23.10	3.85	3.08	1.54	3.85
78	अनारक्षित	23.40	3.90	3.12	1.56	3.90

79	भूतपूर्व सैनिक	23.70	3.95	3.16	1.58	3.95
80	उत्तराखण्ड महिला	24.00	4.00	3.20	1.60	4.00
81	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	24.30	4.05	3.24	1.62	4.05
82	अनारक्षित	24.60	4.10	3.28	1.64	4.10
83	अनारक्षित	24.90	4.15	3.32	1.66	4.15
84	उत्तराखण्ड महिला	25.20	4.20	3.36	1.68	4.20
85	अनारक्षित	25.50	4.25	3.40	1.70	4.25
86	अनारक्षित	25.80	4.30	3.44	1.72	4.30
87	उत्तराखण्ड महिला	26.10	4.35	3.48	1.74	4.35
88	अनारक्षित	26.40	4.40	3.52	1.76	4.40
89	अनारक्षित	26.70	4.45	3.56	1.78	4.45
90	उत्तराखण्ड महिला	27.00	4.50	3.60	1.80	4.50
91	अनारक्षित	27.30	4.55	3.64	1.82	4.55
92	अनारक्षित	27.60	4.60	3.68	1.84	4.60
93	अनारक्षित	27.90	4.65	3.72	1.86	4.65
94	उत्तराखण्ड महिला	28.20	4.70	3.76	1.88	4.70
95	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	28.50	4.75	3.80	1.90	4.75
96	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	28.80	4.80	3.84	1.92	4.80
97	उत्तराखण्ड महिला	29.10	4.85	3.88	1.94	4.85
98	दिव्यांगजन	29.40	4.90	3.92	1.96	4.90
99	भूतपूर्व सैनिक	29.70	4.95	3.96	1.98	4.95
100	उत्तराखण्ड महिला	30.00	5.00	4.00	2.00	5.00

* उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

शासनादेश संख्याः XXX(2)2020-53(01)2001 दिनांक मई, 2020 का संलग्नक।

परिशिष्ट–3

मॉडल रोस्टर

	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th	14th	15th	16th	17th	18th	19th	20th	21st	22nd	23rd	24th
1	SC	UR	UR	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST
2	UR	UR	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST	
3	UR	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST		
4	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST			
5	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST				
6	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST					
7	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST						
8	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST							
9	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST								
10	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST									
11	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST										
12	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST											
13	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST												
14	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST													
15	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST														
16	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST															
17	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST																
18	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST																	
19	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST																		
20	EWS	SC	UR	UR	ST																			
21	SC	UR	UR	ST																				
22	UR	UR	ST																					
23	UR	ST																						
24	ST																							

संख्याः 51 /XXX(2)/2021-53(01)/2001

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
   सचिव/सचिव (प्रभारी),
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 09 फरवरी, 2021

विषय : राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का अनुपालन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः 97/XXX(2)/2020-53(01)2001 दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा शासन के सम्यक विचारोपरान्त पूर्ववर्ती रोस्टर क्रमांक के अनुसार (अर्थात प्रथम पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित) राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज) रोस्टर नीति का निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्याः 124 /XXX(2)/2020-53(01)/2001 दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन के संबंध में परिशिष्ट–1 (उर्ध्व आरक्षण), परिशिष्ट–2 (क्षैतिज आरक्षण) एवं परिशिष्ट–3 (मॉडल रोस्टर) के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। कतिपय विभागों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग तथा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उनके स्तर पर रोस्टर एवं चयन प्रक्रिया में आ रही कठिनाई से शासन को अवगत कराते हुए दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन हेतु निर्धारित रोस्टर नीति के अनुपालन हेतु निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं :–

1. राज्याधीन सेवा संवर्गों के अंतर्गत पूर्ववर्ती रोस्टर के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को रोस्टर क्रमांक के सम्मुख प्रतिस्थापित करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी।
2. राज्याधीन सेवा संवर्गों में पूर्ववर्ती रोस्टर को एकीकृत भर्ती पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा। पोर्टल पर पुराना रोस्टर अपलोड होने के उपरान्त सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसका भली–भांति परीक्षण कर लिया जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसे ही ऑनलाइन एकीकृत भर्ती पोर्टल पर पुराने रोस्टर को फ्रीज (Freeze) किया जायेगा तदोपरान्त ऑनलाइन एकीकृत भर्ती पोर्टल द्वारा रोस्टर नीति के परिशिष्ट–1 एवं परिशिष्ट–2 के अनुसार अनारक्षित/आरक्षित श्रेणियों हेतु उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण की रोस्टर पंजिका स्वतः तैयार हो जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नवीन रोस्टर का परीक्षण करते हुए सम्बन्धित पद का अधियाचन तैयार किया जायेगा और सक्षम स्तर से सम्बन्धित आयोगों को प्रेषित किया जायेगा।
3. उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019 यथा संशोधित नियमावली, 2020 के उपबन्ध केवल सामान्य श्रेणी के पदों पर लागू होंगे।

4. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एकबार पुराने रोस्टर को फ्रीज (Freeze) करने के उपरान्त नवीन रोस्टर जनरेट हो जाने पर उनके द्वारा पुनः पुराने रोस्टर पर किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तथापि यदि संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो तो नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के सचिव के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव से सकारण साक्ष्यों सहित इस आशय का अनुरोध किया जा सकेगा, तदोपरान्त ही कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा नोडल अधिकारी, ऑनलाइन एकीकृत भर्ती पोर्टल, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून को अनफ्रीज (Unfreeze) करने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जा सकेगा।
5. एकीकृत भर्ती पोर्टल पर सम्बन्धित विभाग के नामित नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में घटित होने वाली रिक्तियों को माह के प्रथम सप्ताह में अद्यतन किया जायेगा और इसकी सूचना संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी।
6. राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की गणना उक्त व्यवस्था लागू होने की तिथि से की जायेगी। इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा बल्कि रोस्टर क्रमांक के अनुसार घटित होने वाली रिक्तियों के अनुसार आरक्षण की गणना की जायेगी।
7. यदि, किसी भर्ती वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण बिना भरे रिक्त रह जाती है, तो सम्बन्धित भर्ती वर्ष की ऐसी रिक्ति अगले भर्ती वर्ष हेतु Backlog के रूप में अग्रेणीत नहीं की जायेगी और इस प्रकार की रिक्ति सामान्य श्रेणी के उपयुक्त अभ्यर्थी से भरी जायेगी।
8. यदि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कोई व्यक्ति, संदर्भित दिव्यांगजनों/पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोटा के सापेक्ष चयनित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित रोस्टर क्रमांक के सापेक्ष रखा जायेगा।
9. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शुद्ध एवं परिणामी रिक्तियों की गणना करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु अधियाचन संबंधित आयोग/चयन संस्था को प्रत्येक चयन वर्ष में 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाने की कार्यवाही कर ली जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक चयन वर्ष में रिक्तियों को भरे जाने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी/सम्बन्धित आयोग/चयन संस्था द्वारा सुनिश्चित करा ली जायेगी।
10. उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत दिव्यांगजन, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों के आधार पर क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। यदि किसी चयन में रिक्तियों की संख्या के आधार पर उक्त श्रेणियों हेतु निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के आधार पर रिक्ति उपलब्ध होती हो, किन्तु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में सम्बन्धित आयोग/चयन संस्था द्वारा रिक्ति को बैकलॉग के रूप में अग्रेनीत किया जा सकेगा;

    परन्तु जहॉ क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी में केवल पद आधारित रोस्टर के अनुसार चयन की कार्यवाही की जानी हो, ऐसे चयनों में उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो उसी वर्ग के सामान्य श्रेणी से चयन की कार्यवाही करा ली जायेगी।
11. दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण उन्हीं सेवा संवर्गों में अनुमन्य होगा, जिन विभागों एवं संवर्गों हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–196/xvii-2/2011-29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 तथा समय–समय पर निर्धारित होने वाले वर्गीकरण के अनुसार किया गया हो। दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 का अनुपालन करते हुए इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt.(SCT) dated 02.05.1985 एवं O.M. No. 36034/6/90-Estt.(SCT) dated 02.04.1992 के क्रम में भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-

serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease.

The ex-serviceman candidates who have already secured employment under the State Govt, in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs.

13. राज्याधीन सेवाओं में ऑनलाइन एकीकृत भर्ती पोर्टल के माध्यम से प्रेषित अधियाचनों में चयन संस्था यथा–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड आदि द्वारा कराये जाने वाले चयनों की संस्तुति, प्रवीणता सूची के साथ ही रोस्टर क्रमांक की सूची भी सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक रोस्टर क्रमांक के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी की (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण) श्रेणी एवं उपश्रेणी स्पष्ट अंकित की गयी हो, ऑनलाइन एकीकृत भर्ती पोर्टल पर अपलोड की जानी आवश्यक होगी।
14. सम्बन्धित विभागों द्वारा संस्तुतियां/आवंटन प्राप्त होने के एक माह के अन्दर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा अभ्यर्थी को प्रथमतः कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम एक माह का समय प्रदान किया जाय, जिसे अपरिहार्य परिस्थितियों में एक माह तक और बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
15. निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करते हुए, घटित रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष हेतु अग्रेनीत कर दिया जाय।
16. चयन सूची का उपयोग उसी चयन वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध किया जाय, जिसके लिए अधियाचन भेजा गया हो/चयन किया गया हो।
17. एकल संवर्ग के पदों को छोड़कर समस्त सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार के रिशफलिंग की कार्यवाही की जायेगी।
18. राज्याधीन सेवाओं में पद आधारित रोस्टर नीति लागू होने के उपरान्त कतिपय विभागों द्वारा उनके नियन्त्रणाधीन सेवा संवर्गों में एकल पद पर रोस्टर लागू किये जाने के सम्बन्ध में पृच्छा की गई है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि शासनादेश संख्याः 87/XXX(2)/2006 दिनांक 21 जनवरी, 2006 में पूर्व निर्धारित व्यवस्था, यदि किसी संवर्ग या प्रक्रम में सिर्फ एक ही पद हो तो सीधी भर्ती के उस प्रक्रम पर एकल पद पर आरक्षण नहीं होगा को यथावत् रखा गया है;

    परन्तु एकल पद पर सामान्य चयन के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को उनकी श्रेणी के अनुसार नई रोस्टर नीति के परिशिष्ट–3 में उनके नाम प्रतिस्थापित किये जा सकेंगे।
19. उपरोक्त के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त आदेशों/निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

उक्तानुसार दिशा–निर्देशों का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

संख्याः (1)XXX(2)/2021-53(01)2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) इनमें किसी उत्तराखण्ड प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त दिशा–निर्देशों को लागू करने के अनुरोध सहित।
3. सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त दिशा–निर्देशों को लागू कराने के अनुरोध सहित।
4. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, संबंधित संस्थान/निगम उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्/नगर महापालिका/नगरपालिका, टाउन एरिया, उत्तराखण्ड।
9. निबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
12. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
13. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
14. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
15. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
16. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन।
17. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
18. प्रभारी मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

भाग–13

वार्षिक स्थानान्तरण नीति

4. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एकबार पुराने रोस्टर को फ्रीज (Freeze) करने के उपरान्त नवीन रोस्टर जनरेट हो जाने पर उनके द्वारा पुनः पुराने रोस्टर पर किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तथापि यदि संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो तो नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के सचिव के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव से सकारण साक्ष्यों सहित इस आशय का अनुरोध किया जा सकेगा, तदोपरान्त ही कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा नोडल अधिकारी, ऑनलाइन एकीकृत भर्ती पोर्टल, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून को अनफ्रीज (Unfreeze) करने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जा सकेगा।
5. एकीकृत भर्ती पोर्टल पर सम्बन्धित विभाग के नामित नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में घटित होने वाली रिक्तियों को माह के प्रथम सप्ताह में अद्यतन किया जायेगा और इसकी सूचना संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी।
6. राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की गणना उक्त व्यवस्था लागू होने की तिथि से की जायेगी। इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा बल्कि रोस्टर क्रमांक के अनुसार घटित होने वाली रिक्तियों के अनुसार आरक्षण की गणना की जायेगी।
7. यदि, किसी भर्ती वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण बिना भरे रिक्त रह जाती है, तो सम्बन्धित भर्ती वर्ष की ऐसी रिक्ति अगले भर्ती वर्ष हेतु Backlog के रूप में अग्रेणीत नहीं की जायेगी और इस प्रकार की रिक्ति सामान्य श्रेणी के उपयुक्त अभ्यर्थी से भरी जायेगी।
8. यदि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कोई व्यक्ति, संदर्भित दिव्यांगजनों/पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोटा के सापेक्ष चयनित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित रोस्टर क्रमांक के सापेक्ष रखा जायेगा।
9. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शुद्ध एवं परिणामी रिक्तियों की गणना करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु अधियाचन संबंधित आयोग/चयन संस्था को प्रत्येक चयन वर्ष में 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाने की कार्यवाही कर ली जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक चयन वर्ष में रिक्तियों को भरे जाने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी/सम्बन्धित आयोग/चयन संस्था द्वारा सुनिश्चित करा ली जायेगी।
10. उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत दिव्यांगजन, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों के आधार पर क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। यदि किसी चयन में रिक्तियों की संख्या के आधार पर उक्त श्रेणियों हेतु निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के आधार पर रिक्ति उपलब्ध होती हो, किन्तु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में सम्बन्धित आयोग/चयन संस्था द्वारा रिक्ति को बैकलॉग के रूप में अग्रेनीत किया जा सकेगा;

    परन्तु जहॉ क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी में केवल पद आधारित रोस्टर के अनुसार चयन की कार्यवाही की जानी हो, ऐसे चयनों में उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो उसी वर्ग के सामान्य श्रेणी से चयन की कार्यवाही करा ली जायेगी।
11. दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण उन्हीं सेवा संवर्गों में अनुमन्य होगा, जिन विभागों एवं संवर्गों हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–196/xvii-2/2011-29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 तथा समय–समय पर निर्धारित होने वाले वर्गीकरण के अनुसार किया गया हो। दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 का अनुपालन करते हुए इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt.(SCT) dated 02.05.1985 एवं O.M. No. 36034/6/90-Estt.(SCT) dated 02.04.1992 के क्रम में भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-

serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose employment in Government would cease.

The ex-serviceman candidates who have already secured employment the State Govt, in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxa prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher g cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs.

13. राज्याधीन सेवाओं में ऑनलाइन एकीकृत भर्ती पोर्टल के माध्यम से प्रेषित अधिया चयन संस्था यथा–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेव आयोग एवं चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड आदि द्वारा कराये जाने वाले चयनों की प्रवीणता सूची के साथ ही रोस्टर क्रमांक की सूची भी सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिक प्रेषित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक रोस्टर क्रमांक के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी की (उ क्षैतिज आरक्षण) श्रेणी एवं उपश्रेणी स्पष्ट अंकित की गयी हो, ऑनलाइन एकीकृ पोर्टल पर अपलोड की जानी आवश्यक होगी।
14. सम्बन्धित विभागों द्वारा संस्तुतियां/आवंटन प्राप्त होने के एक माह के अन्दर आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा अभ्यर्थी को प्रथमतः ग्रहण करने हेतु अधिकतम एक माह का समय प्रदान किया जाय, जिसे अ परिस्थितियों में एक माह तक और बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
15. निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त क घटित रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष हेतु अग्रेनीत कर दिया जाय।
16. चयन सूची का उपयोग उसी चयन वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध किया जाय, जिस अधियाचन भेजा गया हो/चयन किया गया हो।
17. एकल संवर्ग के पदों को छोड़कर समस्त सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में सूची का निर्माण नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार के रिशफलिंग की क की जायेगी।
18. राज्याधीन सेवाओं में पद आधारित रोस्टर नीति लागू होने के उपरान्त कतिपय द्वारा उनके नियन्त्रणाधीन सेवा संवर्गों में एकल पद पर रोस्टर लागू किये जाने के में पृच्छा की गई है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि शासनादेश 87/XXX(2)/2006 दिनांक 21 जनवरी, 2006 में पूर्व निर्धारित व्यवस्था, यदि किसी या प्रक्रम में सिर्फ एक ही पद हो तो सीधी भर्ती के उस प्रक्रम पर एकल पद पर नहीं होगा को यथावत् रखा गया है;

परन्तु एकल पद पर सामान्य चयन के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को उनक के अनुसार नई रोस्टर नीति के परिशिष्ट–3 में उनके नाम प्रतिस्थापित किये जा स
19. उपरोक्त के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त आदेशों/निर्देशों को इस सीमा तक स समझा जाय।

उक्तानुसार दिशा–निर्देशों का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

संख्याः (1)XXX(2)/2021-53(01)2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों अवगत कराने का कष्ट करें :–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) इनमें किसी उत्तराखण्ड प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त दिशा–निर्देशों को लागू करने के अनुरोध सहित।
3. सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त दिशा–निर्देशों को लागू कराने के अनुरोध सहित।
4. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, संबंधित संस्थान/निगम उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्/नगर महापालिका/नगरपालिका, टाउन एरिया, उत्तराखण्ड।
9. निबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
12. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
13. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
14. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
15. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
16. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन।
17. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
18. प्रभारी मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

भाग–13

वार्षिक स्थानान्तरण नीति

अनिवार्य स्थानान्तरण के मानक

(क) ऐसे कार्मिक, जो सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर 04 वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात हैं, दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं धारा 10 के अधीन संभावित रिक्तियों की कुल संख्या की सीमा के प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किये जायेंगे;

(ख) ऐसे कार्मिक, जो सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर 04 वर्ष से कम अवधि से कार्यरत हैं किन्तु उनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, उन्हें भी सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उपरोक्तानुसार रिक्तियों/पदों की उपलब्धता के प्रतिबंधों के अधीन अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किये जायेंगे :

परन्तु यह कि सुगम क्षेत्र में कुल सेवाकाल की गणना हेतु एतद्विषयक धारा 3 में निर्दिष्ट परिशिष्टों के अनुसार सुगम क्षेत्र की परिभाषा के परन्तुक का भी संज्ञान लिया जायेगा;

(ग) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किए जाने वाले कार्मिकों को दुर्गम क्षेत्र में तैनाती सम्बन्धी न्यूनतम अवधि पूर्ण करने पर उन्हें अनिवार्य रूप से पुनः सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जायेगा और उनके दुर्गम स्थान से अवमुक्त होने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख उनके स्थानान्तरण आदेश में भी किया जायेगा;

(घ) निम्न श्रेणियों में आने वाले कार्मिकों को सुगम श्रेणी से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट होगी; अर्थात् :–

(एक) वरिष्ठ कार्मिक,

(दो) ऐसे कार्मिक, जो दुर्गम क्षेत्र में पूर्व में ही न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों; और

(तीन) धारा 3 के अधीन गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांगता की श्रेणी में आने वाले कार्मिक, जो कि सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

(चार) ऐसे पति–पत्नी जिनका एकलौता पुत्र/पुत्री विकलांगता की परिभाषा में सम्मिलित हों।

(पॉच) सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों की पति/पत्नी।

स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा

8. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी; अर्थात् :–

सुगम स्थान से दुर्गम स्थान में अनिवार्य स्थानान्तरण सम्बन्धित

संवर्ग में दुर्गम क्षेत्र में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक किया जायेगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की गणना सम्पूर्ण सेवा अवधि में सुगम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा की अवधि के क्रम में की जायेगी; अर्थात् ऐसे कार्मिक, जिनकी सुगम क्षेत्र में तैनाती की अवधि 04 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जिनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में कुल सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी हो तथा जो "छूट" की श्रेणी में नहीं आते हों, उन कार्मिकों को उनकी सुगम क्षेत्र में सम्पूर्ण अवधि की तैनाती के अनुसार अवरोही क्रम (Descending Order) में रखते हुए सम्बन्धित संवर्ग के दुर्गम क्षेत्र में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक ही स्थानान्तरण हेतु चिन्हित किया जायेगा।

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना एवं विकल्प मांगा जाना

9. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सीमा में पात्र कार्मिकों की सूची तैयार की जायेगी। सूची तैयार होने के पश्चात् ऐसी सूची, दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों तथा सूची के कार्मिकों की संभावित रिक्तियों की सूची प्रकाशित/परिचालित करते हुए पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 दुर्गम स्थानों, जहां वे तैनाती के इच्छुक हों, के लिए विकल्प मांगे जायेंगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तथा रिक्तियों को उत्तराखण्ड की वैबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानक

10. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के निम्न मानक होंगे; अर्थात् :—

(क) दुर्गम क्षेत्र में अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर 03 वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात कार्मिकों का सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण किया जायेगा ;

(ख) यदि कोई कार्मिक दुर्गम स्थान पर 03 वर्ष से कम अवधि से कार्यरत है किन्तु उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, तो वह भी दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्यतः स्थानान्तरित किए जाएंगे। ऐसी गणना करने के लिए धारा 3 में निर्दिष्ट परिशिष्टों में दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा के परन्तुक का भी संज्ञान लिया जायेगा :

परन्तु यह कि इस अवधि की गणना करते समय केवल वही अवधि ली जायेगी, जिसमें कार्मिक वास्तविक रूप में दुर्गम स्थान पर कार्यरत रहा हो। यदि वह सुगम स्थान पर सम्बद्ध रहा हो तो सम्बद्धता अवधि तथा एक वर्ष में एक माह से अधिक अवधि के लिए अवकाश पर रहा हो तो इस अवधि को दुर्गम स्थान की तैनाती की अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा

11. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी; अर्थात् :–

(क) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण सम्बन्धित संवर्ग में सुगम क्षेत्र में उपलब्ध एवं धारा 7 के अधीन संभावित रिक्तियों की कुल संख्या की सीमा तक ही किया जायेगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की गणना सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा की अवधि के क्रम में की जायेगी; अर्थात् :–

(ख) ऐसे कार्मिकों को, जो दुर्गम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर 03 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत है अथवा सम्पूर्ण सेवा अवधि में उनकी दुर्गम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, को उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र की तैनाती की कुल अवधि के अनुसार अवरोही क्रम (Descending Order) में रखते हुए संवर्ग में उपरोक्तानुसार सुगम क्षेत्र में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक ही अनिवार्य स्थानान्तरण किये जायेंगे।

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना एवं विकल्प मांगा जाना

12. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की एक सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूची, सुगम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों तथा कार्मिकों की सम्भावित रिक्तियों को प्रकाशित/परिचालित करते हुए स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तथा रिक्तियों को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

13. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए निम्नवत् प्रक्रिया अपनाई जायेगी; अर्थात् :–

(1) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए कोई भी कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र होगा;

(2) दुर्गम कार्यस्थल में न्यूनतम 03 वर्ष अथवा सम्पूर्ण सेवाकाल में दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के आधार पर सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में ही स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकेगा; किन्तु स्थानान्तरण हेतु इच्छुक स्थान उसके गृह विकास खण्ड के बाहर हो और ठीक पूर्व की तैनाती के स्थल पर ऐसे कार्मिक की भविष्य में पुनः तैनाती 06 वर्ष से पूर्व के अन्तराल पर नहीं की जायेगी।

(3) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति–पत्नी सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र में एक ही स्थान पर तैनाती हेतु इच्छुक हों तो वे तद्नुसार सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र में एक स्थान पर तैनाती हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे। किन्तु ऐसी तैनाती के उपरान्त जब भी पति/पत्नी किसी कार्य स्थल पर 05/03 वर्ष अथवा सेवाकाल कुल 10 वर्ष के सेवाकाल सम्बन्धी मानक पूर्ण करेंगे, तब पति–पत्नी, यथा लागू, सामान्य स्थानान्तरण के पात्र हो जायेगें ।

(4) कार्मिक स्वयं अपनी अथवा पति/पत्नी (यथा लागू) धारा–3 के खण्ड (घ) में यथानिर्दिष्ट गम्भीर रोगग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र/स्थान में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने हेतु पात्र होंगे;

(5) मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा ऐसे रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णतः लाचार है तथा देखभाल/नित्यकिया आदि के लिए पूर्णतः माता–पिता पर निर्भर है, ऐसी दशा में उनके माता–पिता मेडिकल बोर्ड के एतद्विषयक प्रमाण–पत्र के आधार पर अपने बच्चे की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था के लिए दुर्गम से सुगम अथवा सुगम से दुर्गम क्षेत्र/स्थान में स्थानान्तरण के अनुरोध करने हेतु पात्र होंगे; तथा

(6) विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा तथा वरिष्ठ कार्मिक अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी: अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन धारा 12 के अधीन प्रकाशित रिक्तियों के सापेक्ष ही किया जा सकेगा और भरे हुए पदों/कार्यस्थलों के लिए अनरोध अनुमन्य न होगा।

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन–पत्र मांगा जाना

14. उपलब्ध रिक्तियों तथा सम्भावित रिक्तियों को सम्बन्धित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए कार्मिकों से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प के साथ आवेदन–पत्र मांगे जाएंगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा।

स्थानान्तरण हेतु गणना के लिए नियत तिथि का निर्धारण

15. (1) स्थानान्तरण के उद्देश्य से अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष की 31 मई की तिथि के आधार पर की जायेगी।

(2) ऐसे सभी कार्यालय/अधिष्ठान, जहां पटल/कार्यभार परिवर्तन के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है, वहां, पटल/कार्यभार का परिवर्तन/स्थानान्तरण 05 वर्ष के अन्तराल पर किये जा सकेंगे।

स्थानान्तरण समिति का गठन एवं समिति के दायित्व

16. (1) कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने हेतु शासन स्तर पर, विभागाध्यक्ष, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग द्वारा स्थायी स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त एक अधिकारी दूसरे विभाग के भी नामित किए जायेंगे। शासन स्तर पर वन एवं अवस्थापना विकास आयुक्त शाखा, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा तथा समाज कल्याण आयुक्त शाखा को छोड़कर अन्य विभागों में स्थानान्तरण समिति में एक अधिकारी कार्मिक विभाग द्वारा नामित किया जायेगा। उपर्युक्त तीनों शाखाओं के अधीन विभागों में स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण समिति में शाखा के किसी अन्य विभाग के अधिकारी का नामांकन सम्बन्धित शाखा प्रमुख द्वारा किया जायेगा।

(2) जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर ही स्थानान्तरण हेतु बनाई गई प्रत्येक समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी होंगे।

(3) वार्षिक स्थानान्तरण हेतु प्राप्त सभी प्रस्ताव, आवेदन पत्र एवं विकल्प तथा दुर्गम एंव सुगम क्षेत्रों की रिक्तियों के विवरण सम्बन्धित विभाग द्वारा इस हेतु गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जायेंगे। उपरोक्त धारा 9, 12 एवं 13 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सत्यापित सूची भी स्थानान्तरण समिति के समक्ष रखी जायेगी।

(4) समिति स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले प्रत्येक कार्मिक, जिसका विवरण समिति के समक्ष रखा गया है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम में दिये गये उपबन्धों के आधार पर विचार करके कार्यवृत्त तैयार करेगी,

जिसमें स्थानान्तरित होने वाले कार्मिकों को रिक्ति आवंटित होने/करने का आधार यथा 'विकल्प', 'स्वयं के अनुरोध', 'चिकित्सा', 'विकलांगता', 'वरिष्ठ कार्मिक' आदि स्पष्टतः अंकित किया जायेगा। समिति अपने कार्यवृत्त में एक अलग सूची में उन कार्मिकों के सम्बन्ध में भी कारण सहित उल्लेख करेगी, जिनका स्थानान्तरण अधिनियम के अनुसार संस्तुत किया जाना संभव नहीं हो सका है।

(5) स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के अनुसार स्थानान्तरण आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए जायेंगे।

स्थानान्तरण समिति द्वारा स्थानान्तरण प्रस्तावों पर विचार किया जाना

17. (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण के प्रस्तावों पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा निम्न कमानुसार विचार किया जाएगा :–

(क) सुगम स्थान से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण :

स्थानान्तरण समिति द्वारा सर्वप्रथम सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा; अर्थात् –

सर्वप्रथम स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र में सम्पूर्ण सेवा अवधि में सबसे अधिक अवधि व्यतीत करने वाले कार्मिक से प्रारम्भ किये जायेंगे और दुर्गम क्षेत्र की रिक्ति के लिए कार्मिक द्वारा दिये गये विकल्प को स्वीकार किया जायेगा; अर्थात् –

सम्पूर्ण सेवा अवधि में सुगम स्थान पर तैनात रहे सबसे अधिक अवधि के कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम (Descending Order) में एक–एक करके कार्मिकों पर विचार किया जायेगा और विकल्प के अनुसार उपलब्ध रिक्ति उन्हें आवंटित की जायेगी ;

परन्तु यह कि यदि स्थानान्तरण हेतु चिन्हित कार्मिकों में से एक से अधिक कार्मिकों ने दुर्गम क्षेत्र की चिन्हित किसी रिक्ति विशेष हेतु समान प्राथमिकता क्रम में विकल्प दिया है तो ऐसी रिक्ति विकल्प देने वाले कार्मिकों में से ऐसे कार्मिक को आवंटित की जायेगी, जिसने सुगम क्षेत्र में सबसे कम अवधि की सेवा की हो ;

परन्तु यह और कि यदि उक्तानुसार विचार करने के पश्चात् भी कतिपय ऐसे कार्मिक अवशेष रहते हैं, जिन्हें उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार इच्छित स्थान प्राप्त नहीं हो सका है अथवा ऐसा कोई कार्मिक है, जिसने विकल्प नहीं दिया है तो स्थानान्तरण समिति द्वारा ऐसे अवशेष

कार्मिकों तथा अवशेष उपलब्ध रिक्तियों की सूची उनके मूल प्रकाशन/चिन्हीकरण के क्रमानुसार तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक कार्मिक को सूची में उसके क्रमानुसार रिक्तियों की सूची में समान क्रम में अंकित रिक्ति आवंटित कर दी जायेगी।

(ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण :–

खण्ड (क) के अनिवार्य स्थानान्तरण के पश्चात् अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के स्थानान्तरण पर स्थानान्तरण समिति द्वारा निम्नलिखित क्रम में विचार किया जायेगा :–

(एक)– गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी (यथालागू) की गंभीर रोगग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर अनुरोध;

(दो)– मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं लाचार बच्चों के माता पिता द्वारा अनुरोध;

(तीन)–सेवारत पति–पत्नी जिनका इकलौता पुत्र/पुत्री विकलांग हो;

(चार)–उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध;

(पाँच)–विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता, एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध;

(छः)–दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध;

(सातः) अन्त में, सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध;

(ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण :–

स्थानान्तरण समिति द्वारा खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में उल्लिखित स्थानान्तरण पर विचार करने के पश्चात् दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण को निम्नवत् निस्तारित किया जायेगा :–

(एक) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा के अनुसार अधिकतम अवधि के क्रम में सबसे अधिक अवधि के कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम (Descending Order) में सूचीबद्ध किया जायेगा;

(दो) उपर्युक्त के अनुसार तैयार की गई सूची में से उत्तराखण्ड सरकार

की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी को रिक्ति की स्थिति में ऐच्छिक स्थान आवंटित किया जायेगा;

(तीन) सूची में से दुर्गम स्थान पर तैनात रहे सबसे अधिक अवधि के कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार ऐच्छिक स्थान आबंटित किया जायेगा। इसी क्रम में अन्य कार्मिकों को भी अवरोही क्रम (Descending Order) में ऐच्छिक स्थान रिक्ति उपलब्ध होने पर आबंटित किया जायेगा ;

परन्तु यह कि यदि सुगम क्षेत्र की किसी रिक्ति विशेष के लिए एक से अधिक कार्मिकों द्वारा समान प्राथमिकता क्रम में विकल्प दिया जाता है तो ऐसी रिक्ति ऐसे कार्मिक को आबंटित की जायेगी, जिसने दुर्गम क्षेत्र में सबसे अधिक सेवा की हो ;

परन्तु यह और कि यदि उपरोक्तानुसार विचार करने के पश्चात भी कतिपय ऐसे कार्मिक अवशेष रहते हैं, जिन्हें उनके द्वारा दिये विकल्प के अनुसार रिक्त स्थान उपलब्ध न हो सके, तो स्थानान्तरण समिति द्वारा अवशेष कार्मिकों तथा अवशेष उपलब्ध रिक्तियों की सूची उनके मूल प्रकाशन/चिन्हीकरण के क्रमानुसार तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक कार्मिक को सूची में उसके क्रमानुसार रिक्तियों की सूची में समान क्रम में अंकित रिक्ति आबंटित कर दी जायेगी।

(2) स्थानान्तरण समिति कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण हेतु दिए गए विकल्पों पर विचार करते समय निम्नलिखित तथ्यों पर भी विचार करते हुए निर्णय लेगी:–

(क) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा;

(ख) समूह 'ग' के लिपिकीय एवं गैर–प्रशासकीय कार्मिकों तथा समूह 'घ' के कार्मिकों को गृह स्थान को छोड़कर उनके गृह जनपद में ही तैनात किया जा सकेगा। "गृह जनपद" से ऐसा गाँव/हल्का/तहसील आदि अभिप्रेत है, जिसका वह मूल निवासी है;

(ग) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सुगम से सुगम में नहीं किया जायेगा तथा प्रशासनिक आधार पर हटाये गये कार्मिक को किसी भी दशा में पुनः उसी जनपद/स्थान पर 05 वर्ष तक तैनात नहीं किया

जायेगा ;

(घ) सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से पद पर बने रहने अथवा 02 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, तक की अवधि में नहीं किये जा सकेंगे, परन्तु इस अधिनियम के शेष प्राविधान उन पर भी यथावत लागू होंगे।

(ड.) स्थानान्तरण संवर्गीय पद/कार्यस्थल के लिए ही किये जायेंगे तथा संवर्ग के बाहर (यथा जनपदीय/मण्डलीय संवर्ग के संदर्भ में अन्तर्जनपदीय /अन्तर्मण्डलीय) के पद/कार्यस्थल के सापेक्ष नहीं किये जायेंगे;

परन्तु यह कि दो कार्मिकों के मध्य विवाह के आधार पर किसी एक कार्मिक का ऐच्छिक संवर्ग परिवर्तन/संवर्ग के बाहर स्थानान्तरण अथवा विकास योजनाओं हेतु परिसम्पत्ति अधिग्रहण/दैवीय आपदा के कारण शासन द्वारा अन्यत्र विस्थापित किए गए कार्मिक का ऐच्छिक संवर्ग परिवर्तन/संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि परिवर्तित/नये संवर्ग में कार्मिक को कनिष्ठतम माना जायेगा और ऐसे परिवर्तन हेतु धारा 27 में गठित समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

नियुक्ति/पदोन्नति तथा अन्य स्थानान्तरण पर तैनाती की प्रकिया

18. वार्षिक/सामान्य स्थानान्तरण के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थितियों में भी नियुक्ति/पदोन्नति तथा अन्य स्थानान्तरणों पर तैनाती की प्रकिया निम्नवत् होगी :–

(1) प्रथम नियुक्ति के समय अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती की जायेगी;

(2) पदोन्नति के समय अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती धारा 7 के खण्ड (घ) के प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी ;

परन्तु यह कि यदि दुर्गम क्षेत्र में पदोन्नति का पद विद्यमान/रिक्त नहीं है तो पदोन्नति के बाद सुगम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष तैनात किया जा सकेगा;

(3) दो कार्मिकों द्वारा स्वेच्छा से एक दूसरे के स्थान पर (सुगम एवं दुर्गम अथवा दुर्गम एवं दुर्गम अथवा सुगम एवं सुगम कार्यस्थल में) पर

स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने पर पारस्परिक स्थानान्तरण किये जायेंगे जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा तथा सुगम कार्यस्थलों ही तैनात दो कार्मिकों को पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य न होगा;

(4) गम्भीर शिकायतों, उच्चाधिकारियों से दुर्व्यवहार एवं कार्य में अभिरूचि लेने आदि के आधार पर जाँच एवं आवश्यक पुष्टि के उपरान्त, जहाँ सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाय, ऐसे कार्मिकों के प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जा सकेंगे ;

परन्तु यह कि प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सामान्य प्रकार से शिकायतों के आधार पर प्रेरित होकर अथवा आकस्मिक रूप से नहीं किये जायेंगे और ऐसे स्थानान्तरणों के आदेश–पत्र में प्रशासनिक आधार अंकित किया जाना आवश्यक होगा;

(5) उपरोक्त खण्ड (1) से (4) के अनुसार की जाने वाली तैनाती/स्थानान्तरण सामान्य स्थानान्तरण से पृथक एवं भिन्न अवधि में भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये जा सकेंगे और इसके लिए प्रकरण को स्थानान्तरण समिति के समक्ष ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी ;

परन्तु यह कि प्रशासनिक आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर सक्षम अधिकारी को एक स्तर ऊपर के अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

दुर्गम क्षेत्र में तैनाती प्रोन्नति के लिए अनिवार्यता

19. (1) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति के लिए यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग कार्मिक द्वारा दुर्गम स्थान पर व्यतीत किया गया हो ;

(2) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 30.06.2020 तक की अवधि को संक्रमणकाल मानकर इस अवधि में प्रोन्नति की दशा में, यदि कार्मिक द्वारा, ऐसा आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत नहीं किया गया हो तो प्रोन्नति पर तभी विचार किया जायेगा, जब वह यह बंधपत्र दे कि ऐसा भाग पूरा होने की अवधि तक वह अनिवार्य रूप से दुर्गम स्थान पर तैनात रहेगा ;

परन्तु यह कि ऐसा कार्मिक यदि धारा 7 के खण्ड (घ) से आच्छादित होता हो तो उसे दुर्गम क्षेत्र में तैनात किए ज़ाने अथवा बंधपत्र देने की बाध्यता न होगी ;

परन्तु यह और कि यदि प्रथम पदोन्नति के समय बंधपत्र देकर दुर्गम

क्षेत्र में तैनात होने वाला कार्मिक बंधपत्र अनुसार निर्दिष्ट अवधि दुर्गम क्षेत्र में पूर्ण कर लेने के उपरान्त द्वितीय पदोन्नति हेतु कुल अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेता है तो ऐसे कार्मिक के लिए द्वितीय पदोन्नति प्राप्त करने हेतु द्वितीय पदोन्नति के लिए कुल अर्हकारी सेवा की भी आधी अवधि दुर्गम क्षेत्र में सेवा की अनिवार्यता सम्बन्धी प्राविधान बाध्यकारी नहीं होगा; अर्थात् प्रथम बंधपत्र की अवधि के उपरान्त ऐसा कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में, जितनी भी सेवा करने के उपरान्त द्वितीय पदोन्नति हेतु अन्य मानक पूर्ण करता हो तो उसे द्वितीय पदोन्नति हेतु पात्र माना जायेगा ;

(3) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति हेतु दुर्गम क्षेत्र में न्यूनतम अर्हकारी सेवा की व्यवस्था पूर्ण रूप से 1.07.2020 से प्रभावी होगी तथा इस तिथि से प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत करना अनिवार्य होगा, तभी प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। सेवा नियमावलियों में उक्त आशय का प्राविधान अलग से किया जाएगा।

(4) जो कार्मिक, अपने सेवा–काल में दुर्गम क्षेत्र में तैनात नहीं हो सके हैं, वे भविष्य में प्रोन्नति हेतु पात्र होने के लिए धारा 13 का खण्ड (1) के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती पर दिया जाने वाला प्रोत्साहन

20. दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की दशा में कार्मिक को प्रोत्साहन स्वरूप निम्न लाभ अनुमन्य होंगे ; अर्थात् :–

(क) यदि कोई कार्मिक किसी एक कार्यस्थल पर तैनात है, जो 7000 फीट से ज्यादा ... पर स्थित दुर्गम स्थान पर तैनात है तो वहां पर 1 वर्ष के की गई सेवा को 2 वर्ष के सुगम स्थान की सेवा के समतुल्य मानी जायेगी।

(ख) यदि कोई कार्मिक किसी एक कार्यस्थल पर तैनात है, जो 7000 फीट से कम की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम स्थान पर तैनात है तो वहां पर 1 वर्ष की की गई सेवा को 1 वर्ष 3 माह के सुगम स्थान की सेवा के समतुल्य मानी जायेगी।

स्थानान्तरण के अधिकार प्रदान किया जाना

21. (1) समूह 'क' के अधिकारियों के स्थानान्तरण, इस हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किये जायेंगे तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे ;

परन्तु यह कि जहां विभागाध्यक्ष का पद नहीं है, वहां समूह 'ख' के

अधिकारियों का स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्व
किए जायेंगे ;

(2) समूह 'ग' तथा 'घ' के जनपद स्तरीय कार्मिकों, जिनका स्थानान्त
जनपद में ही किया जाना है, के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण हेतु जन
स्तर पर गठित समिति (जिला अधिकारी अथवा उनके द्वारा नाम
अधिकारी की अध्यक्षता में) द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर नियु
प्राधिकारी द्वारा किये जायेंगे ;

(3) स्थानान्तरण हेतु धारा 23 में उल्लिखित समय–सारिणी के अनुसार इंग
तिथि के पश्चात् समूह 'क' तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्त
मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किये जा सकेंगे तथा समूह 'ग' तथा समूह
के कार्मिकों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण हेतु अधिकृत सक्षम स्तर से
स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा किये जायेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना

22. (1) स्थानान्तरण आदेशों में यह निर्देश अंकित किये जायेंगे कि वे आदेश
जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन
प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धि
प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त करें
स्थानान्तरण आदेश की प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी को भी प्रेषित
जायेगी ताकि वे स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी होने
सात दिन पश्चात् उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने क
कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time)'
उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही
सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य 'यात्रा अवधि (Jour
time)' का ही उपभोग कर सकेंगे;

(2) स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं कि
जायेगा;

(3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्य
ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्र
की जायेगी।

(4) स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान कि
सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत
के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर

अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिनके द्वारा एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी का मंतव्य प्राप्त करते हुए ऐसे प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जायेगा।

स्थानान्तरण हेतु समय सारिणी

23. प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण हेतु निम्नवत् समय–सारणी होगी; अर्थात्–

(1)	कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य स्थल का मानक के अनुसार चिन्हिकरण की तिथि	31 मार्च
(2)	सभी विभागों द्वारा शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मंडल स्तर तथा जनपद स्तर पर स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जाना–	01 अप्रैल
(3)	प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची प्रकाशित करना और उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना–	15 अप्रैल
(4)	अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाने की तिथि–	20 अप्रैल,
(5)	अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की तिथि–	30 अप्रैल
(6)	उक्त 3 व 4 में विकल्प/आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि–	15 मई
(7)	प्राप्त विकल्पों/आवेदन–पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना–	20 मई
(8)	स्थानान्तरण समिति की बैठक तथा सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति देने की अवधि–	25 मई से 05 जून
(9)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की अन्तिम तिथि–	10 जून
(10)	निर्गत किये गये स्थानान्तरण आदेश को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना–	स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 2 दिन के अन्दर

(11)	स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि–	स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर
(12)	स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि–	स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर

परन्तु यह कि राज्य सरकार समय–समय पर आदेश द्वारा समय–सारिणी में आवश्यक परिवर्तन कर सकेगी।

स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में दंड

24. (1) यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा;

(2) यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरूद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ;

(3) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

कार्यभार टिप्पणी

25. स्थानान्तरित समूह 'क' एव 'ख' के अधिकारी द्वारा कार्यभार से मुक्त होने से पूर्व उनके पटल के महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में एक कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा जिसकी एक प्रति गार्ड फाईल में रखी जायेगी और एक प्रति सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

संगत नियमों का स्थानान्तरण आदेशों में उल्लिखित किया जाना

26. इस अधिनियम के अनुसरण में किये जाने वाले "स्थानान्तरण आदेश" में सम्बन्धित कार्मिक का किए गए स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित धारा तथा स्थानान्तरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने के पश्चात् उन्हें उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण

27. (1) इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा ;

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें :–

(क) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वन एवं अवस्थापना विकास आयुक्त;
(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त;
(ग) प्रमुख सचिव, कार्मिक सदस्य होंगे, के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे और इस समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमन्य होगा।

(2) इस अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली किसी कठिनाई अथवा ऐसा अप्रत्याशित विषय, जो अधिनियम में सम्मिलित नहीं है, के सम्बन्ध में उक्त समिति विचार करके अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी, उसके उपरान्त राज्य सरकार यथा आवश्यक नियम बना सकेंगी।

स्थानान्तरण से सम्बन्धित

28. इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया सम्बन्धी पूर्ण दस्तावेज एवं समस्त अभिलेख अत्यन्त सावधानी पूर्वक संकलित करते

अभिलेखों का रखा जाना

हुए व्यवस्थित रूप में एक अलग पत्रावली में रखे जायेंगे और इन्हें प्रत्येक समय उच्चाधिकारियों के निरीक्षण हेतु तैयार रखा जायेगा। इस कार्य को सम्पादित किए जाने का दायित्व स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने वाले सक्षम अधिकारी का होगा। यह पत्रावली कार्मिकों के निरीक्षण हेतु प्रत्येक कार्यालय दिवस पर उपलब्ध होगी तथा किसी कार्मिक को यदि पत्रावली में से किसी प्रपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि की आवश्यकता हो तो उसे 2 प्रति पृष्ठ शुल्क लेकर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 विधायी/43–2018–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

परिशिष्ट–1

(देखिए धारा 3 का खण्ड (झ))

जनपद स्तरीय स्थल जिनकी तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है के आधार पर सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र का मानक

प्रत्येक विभाग में जिला से लेकर ग्राम स्तर तक की जाने वाली तैनाती के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विभाग की आवश्यकता के अनुरूप सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण अधिनियम में दिये गये मानकों के अनुसार किया जायेगा।

परन्तु यह कि जो कार्य–स्थल 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट–2

(देखिए धारा 3 का खण्ड (झ))

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है वहाँ मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रत्येक विभाग के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार जिलावार सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हींकरण किया जायेगा। जिसमें जिला मुख्यालय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र, विकासखण्ड मुख्यालय, जहाँ पर सामान्य आधारभूत सुविधायें यथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल तथा हवाई जहाज, की सुविधा के आधार पर सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र का चिन्हींकरण किया जायेगा।

परन्तु यह कि जो कार्य–स्थल 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट–3

(देखिए धारा 3 का खण्ड (झ))

सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती केवल जिला मुख्यालय/निदेशालय मुख्यालय पर की जाती है तथा उनका स्थानान्तरण शासन स्तर से अथवा विभागाध्यक्ष स्तर से किया जाता है उनके लिए विभाग की आवश्यकता की अनुरूप सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हींकरण प्रत्येक विभागवार सामान्य आधारभूत सुविधायें यथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल तथा हवाई जहाज, की सुविधाओं के आधार पर सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र का चिन्हींकरण उक्त मानकों के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

परन्तु यह कि जो कार्य–स्थल 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 विधायी/43–2018–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखंड शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्याः– /XXX-2/18/30(13)/2018

देहरादूनः दिनांक 25 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

(स्पष्टीकरण)

लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा–8 की सातवीं पंक्ति में उल्लेख है कि ऐसे कार्मिक, जिनकी सुगम क्षेत्र में तैनाती की अवधि 04 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जिनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में कुल सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी हो, के संदर्भ में कतिपय विभागों में भ्रांति उत्पन्न हो रही है।

विषयगत प्रकरण में अधिनियम की धारा–7 (क) एवं (ख) में "वर्तमान तैनाती" शब्द की भाँति लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा–8 की सातवीं पंक्ति में भी **"सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती की अवधि 04 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जिनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में कुल सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी हो,"** पढ़ा जाय, स्पष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है। अधिनियम की उक्त धारा की शेष शर्तें यथावत हैं।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्याः 159 / XXX(2)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाँऊ मण्डल/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्याः 30 /XXX–2/2018–30(13)2017

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

3– मण्डलायुक्त,
गढ़वाल, पौड़ी / कुमाऊं, नैनीताल,
उत्तराखण्ड।

4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 06 जनवरी, 2018

विषय–उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–1वर्ष 2018) के अनुपालन में विभिन्न विभागों के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्याधीन सेवाओं में (अखिल भारतीय सेवा, राज्य सिविल सेवा, राज्य पुलिस सेवा तथा मा0 उच्च न्यायालय के नियत्रणाधीन समस्त सेवाओं का छोड़कर) अधिकारियों / कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण को एक उचित निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी बनाने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम,2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) पारित किया गया है। उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों के स्तर पर स्थानान्तरण सत्र से पूर्व कतिपय तैयारियां की जानी आवश्यक हैं।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने नियंत्रणाधीन विभागों / कार्यालयों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम,2017(संख्या 1 वर्ष 2018) के उपबंधों के अधीन स्थानान्तरण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1–कार्मिकों की पद स्थापना हेतु वर्गीकरणः–(धारा–4)

विभाग के नित्रणाधीन संवर्गों के कार्मिकों को निम्नवत् श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायः–

1. ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना जनपद मुख्यालय से ग्राम स्तर तक किये जाने की व्यवस्था है।
2. ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना मण्डल स्तर तक किये जाने की व्यवस्था है।
3. ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना राज्य स्तरीय होती है तथा उनकी पद स्थापना शासन तथा विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है।

2–सुगम एवं दुर्गम स्थलों का चिन्हाकन और उसका प्रकटीकरणः–(धारा–5)

(1) प्रत्येक विभाग का कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष, यथास्थिति, उपरोक्त बिन्दु–1 (कार्मिकों की पद स्थापना हेतु वर्गीकरण) में उपबन्धित वर्गीकरण के अनुसार सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों से संबंधित कार्य स्थल को स्पष्ट करते हुए चिन्हाकन की कार्यवाही करेगा और उसके प्रकटीकरण के

लिए उत्तराखण्ड की वेबसाइड में प्रदर्शन सहित ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा, जैसे प्रकाशन एवं व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए आवश्यक होगा।

(2) प्रत्येक विभाग में जिला से लेकर ग्राम स्तर तक की जानी वाली तैनाती के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विभाग की आवश्यकता के अनुरूप सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण मानकों के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है वहाँ **मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा** प्रत्येक विभाग के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार जिलेवार सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया जायेगा, जिसमें जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र , जहाँ पर सामान्य आधारभूत सुविधायें यथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल तथा हवाई जहाज की सुविधा के **आधार** पर सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण किया जायेगा।

(4) जिन कार्मिकों की तैनाती केवल जिला मुख्यालय/निदेशालय मुख्यालय पर की जाती है तथा उनका स्थानांतरण **शासन स्तर** से अथवा **विभागाध्यक्ष** स्तर से किया जाता है, उनके लिए विभाग की आवश्यकता के अनुरूप सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण प्रत्येक विभागवार सामान्य आधारभूत सुविधायें यथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल तथा हवाई जहाज की सुविधा के आधार पर सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण उक्त मानकों के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

(5) परन्तु यह कि जो कार्य स्थल 7000 फिट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जायेगा।

3–वार्षिक स्थानांतरण के निम्नलिखित प्रकार होंगेः–(धारा–6)

1. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण।
2. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण।
3. अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण।

4–सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरणः–(धारा–7)

ऐसे कार्मिक, जिनकी सुगम क्षेत्र में तैनाती की अवधि 04 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जिनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में कुल सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हों, उन कार्मिकों को उनकी सुगम क्षेत्र में सम्पूर्ण अवधि की तैनाती के अनुसार अवरोही क्रम में रखते हुए संबंधित संवर्ग के दुर्गम क्षेत्र में कुल रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक ही स्थानांतरण हेतु चिन्हित किया जायेगा।

5–सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की गणना करना तथा पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना एंव विकल्प मांगा जानाः–(धारा– 9)

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिये दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की गणना करते हुए संबंधित कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाईड पर प्रदर्शित/प्रचालित किया जायेगा। सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं संभावित रिक्ति की सीमा तक स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तैयार की जाय। पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 दुर्गम स्थानों, जहां वह तैनाती के इच्छुक हों, के लिए विकल्प मांगे जायेगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा, जिसे उक्तानुसार नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाईड पर प्रदर्शित किया जाय।

6–दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र हेतु स्थानान्तरण के मानकः–(धारा–10)

(क) दुर्गम क्षेत्र में अपनी तैनाती के स्थान पर 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात कार्मिकों का सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण किया जायेगा।

(ख) यदि कोई कार्मिक दुर्गम स्थान पर 3 वर्ष से कम अवधि से कार्यरत है किन्तु उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, तो वह भी दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्यतः स्थानान्तरित किये जायेगे।

परन्तु यह कि अवधि की गणना करते समय केवल वही अवधि ली जायेगी, जिसमें कार्मिक वास्तविक रूप में दुर्गम स्थान पर कार्यरत रहा हो। यदि वह सुगम स्थान पर सम्बद्ध रहा हो तो सम्बद्धता अवधि तथा एक वर्ष में एक माह से अधिक अवधि के लिए अवकाश पर रहा हो तो इस अवधि को दुर्गम स्थान की तैनाती की अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

7–दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु मानक एवं उपलब्ध तथा सम्भावित रिक्तियों की गणना करना/पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना एंव विकल्प मांगा जानाः–(धारा–12)

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु सुगम क्षेत्र में उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की गणना करते हुए संबंधित कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाईड पर प्रदर्शित/प्रचालित किया जायेगा। दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जायें। सुगम क्षेत्र में उपलब्ध एवं संभावित रिक्ति की सीमा तक स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तैयार की जाय। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा, जिसे उक्तानुसार नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाईड पर प्रदर्शित किया जाय।

8– अुनरोध के आधार पर स्थानांतरणः–(धारा–13,14,17(1)(ख)

(1) अनुरोध प्रकाशित रिक्तियों के सापेक्ष ही किया जा सकेगा और भरे हुए पदों/कार्यस्थलों के लिये अनुरोध मान्य नहीं होगा।

(2) सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानातरण के लिए कोई भी कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र होगा।

(3) अनुरोध के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों तथा सम्भावित रिक्तियों को संबंधित कार्यालयों के नोटिश बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाइड पर प्रदर्शित करते हुए, कार्मिकों से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प के साथ आवेदन–पत्र मॉगे जायेंगे। कार्मिकों द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा।

(4) पात्र कार्मिकों के स्थानान्तरण पर, स्थानांतरण समिति निम्नलिखित क्रम में विचार करेगीः–

(एक) गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी (यथालागू) की गंभीर रोगग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर अनुरोध;

(दो) मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं लाचार बच्चों के माता पिता द्वारा अनुरोध;

(तीन) सेवारत पति–पत्नी जिनका इकलौता पुत्र/पुत्री विकलांग हो,

(चार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी, द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/ क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध;

(पाँच) विधवा,विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध;

(छः) दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध;

(सात) अन्त में, सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध;

9–स्थानान्तरण हेतु गणना के लिए नियत तिथि का निर्धारणः–(धारा–15)

स्थानान्तरण के उद्देश्य से अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष की 31 मई की तिथि के आधार पर की जायेगी, ऐसे सभी कार्यालय/अधिष्ठान, जहां पटल/कार्यभार परिवर्तन के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं है वहां पटल/कार्यभार का परिवर्तन/स्थानान्तरण 05 वर्ष के अन्तराल पर किये जा सकेंगे।

10– सभी विभागों द्वारा शासनस्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर तथा जनपद स्तर पर स्थानांतरण समितियों का गठनः–(धारा–16)

(1) कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने हेतु **शासन स्तर पर, विभागाध्यक्ष, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग द्वारा स्थायी स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जायेगा,** जिसमें सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त एक अधिकारी दूसरे विभाग के भी नामित किए जायेंगे। शासन स्तर पर वन एवं अवस्थापना विकास आयुक्त शाखा, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा तथा समाज कल्याण आयुक्त शाखा को छोड़कर अन्य विभागों में स्थानान्तरण समिति में एक

अधिकारी कार्मिक विभाग द्वारा नामित किया जायेगा। उपर्युक्त तीनों शाखाओं के अधीन विभागों में स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण समिति में शाखा के किसी अन्य विभाग के अधिकारी का नामांकन सम्बन्धित शाखा प्रमुख द्वारा किया जायेगा।

(2) जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर ही स्थानान्तरण हेतु बनाई गई प्रत्येक समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी होंगे।

11–स्थानांतरण समिति द्वारा अपेक्षित कार्यवाहीः–(धारा–17)

(1) स्थानांतरण समिति द्वारा सर्वप्रथम सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण पर विचार किया जायेगा। इसके पश्चात् अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र कार्मिकों के स्थानांतरण पर अनुमन्य क्रम में विचार किया जायेगा। तत्पश्चात् दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरणों का निस्तारण किया जायेगा।

(2) स्थानांतरण समिति द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जायेगाः–

(1) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा;

(2) समूह 'ग' के लिपिकीय एवं गैर–प्रशासकीय कार्मिकों तथा समूह 'घ' के कार्मिकों को गृह स्थान को छोड़कर उनके गृह जनपद में ही तैनात किया जा सकेगा। ''गृह जनपद'' से ऐसा गाँव/हल्का/ तहसील आदि अभिप्रेत है, जिसका वह मूल निवासी है;

(3) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सुगम से सुगम में नहीं किया जायेगा तथा प्रशासनिक आधार पर हटाये गये कार्मिक को किसी भी दशा में पुनः उसी जनपद/स्थान पर 05 वर्ष तक तैनात नहीं किया जायेगा ;

(4) सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/ सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से पद पर बने रहने अथवा 02 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, तक की अवधि में नहीं किये जा सकेंगे, परन्तु इस अधिनियम के शेष प्राविधान उन पर भी यथावत लागू होंगे।

12–स्थानान्तरण हेतु समय सारणीः–(धारा–23)

राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत प्रत्येक सामान्य स्थानान्तरण हेतु कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य स्थल के मानक के अनुसार 31 मार्च तक चिन्हीकरण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। सभी विभागों द्वारा शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर तथा जनपद स्तर पर स्थानान्तरण समितियों का गठन 1 अप्रैल तक कर लिया जाय। प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, पात्र कार्मिको तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची 15 अप्रैल तक प्रकाशित/वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से 20 अप्रैल तक 10 इच्छित स्थानों के विकल्प मांगे जायेंगे। अनुरोध के आधार पर आवेदन आंमत्रित करने की तिथि 30 अप्रैल तक होगी। अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों से विकल्प/आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि 15 मई होगी तथा प्राप्त विकल्प/आवेदन पत्र का विवरण 20 मई तक वेबसाईड पर प्रदर्शित किया जायेगा। स्थानान्तरण समिति की बैठक तथा सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति देने की अवधि 25 मई से 05 जून तक होगी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की अंतिम तिथि 10 जून होगी। स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के 02 दिन के अन्दर वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्तानुसार संगत अधिनियम के कतिपय प्राविधान एवं समयबद्धरूप से की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। शेष शर्तें एवं प्राविधान उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–01 वर्ष 2018) के अनुसार लागू होंगे। प्रत्येक विभाग के लिए यह अति आवश्यक है कि वह सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु तथा दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की पूर्व/वर्तमान तैनाती की सही स्थिति का ऑकलन करेंगे, क्योंकि इसी आधार पर पारदर्शी स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ हो

सकेगी। अधिनियम की प्रति संलग्न की जा रही है, जिसका अनुपालन प्रत्येक विभाग द्वारासुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संलग्न अधिनियम का भली–भाँति अध्ययन करते हुए प्रारम्भिक स्तर उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः यथोक्त

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्याः /XXX–2/2018–30(13)2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्याः /XXX(2)/18/30(11)/2018

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग,उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 6 जून, 2018

विषयः– **स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत कतिपय विभागों को स्थानांतरण अधिनियम के प्राविधानों से छूट दिये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्राविधान है कि :–

इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा;

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमन्य होगा।

2. उक्त के क्रम में सचिवालय प्रशासन विभाग, लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग, आबकारी विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग के स्थानांतरण अधिनियम से छूट दिये जाने संबंधी प्रकरणों पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैं:–

(1). सचिवालय सेवा के अधिकारी किसी एक विभाग अथवा शाखा से संबंधित न होकर राज्य के समस्त विभागों में अपनी सेवायें प्रदान करते हैं। उक्त के अतिरिक्त किसी अधिकारी/कार्मिक की अधिनियम की धारा–15(2) के अन्तर्गत पटल परिवर्तन की व्यवस्था का पालन करते हुए भी किसी कार्मिक एक ही विभाग के अन्तर्गत कई अनुभागों में कई वर्षों तक बने रहने की संभावना है, जो स्थानांतरण अधिनियम की मूल भावना के प्रतिकूल है। सचिवालय की विशिष्ट कार्य प्रकृति, संवेदनशीलता एवं तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत शासकीय हित में प्रशासनिक आधार, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति एवं दीर्घकालीन अवकाश आदि के परिपेक्ष्य में रिक्तियों को भरे जाने हेतु स्थानांतरण/तैनाती की जानी अपरिहार्य होती है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य सिविल सेवा स्थानांतरण अधिनियम की धारा 1(3) से मुक्त है। राज्य सचिवालय में कार्य की विशिष्ट प्रकृति, सुगम–दुर्गम के निर्धारण की प्रास्थिति न होने एवं कार्य की संवेदनशीलता को देखते हुए, सचिवालय के समस्त संवर्गों को स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा 1(3) से मुक्त करते हुए, सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2007 में निर्गित स्थानांतरण नीति के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाय।

(2). उत्तराखण्ड पुलिस विभाग के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा को स्थानांतरण अधिनियम की धारा 1(3) से मुक्त रखा गया है, किन्तु अधीनस्थ पुलिस सेवा के कार्मिक स्थानांतरण अधिनियम से आच्छादित होते हैं। अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों की सेवायें पुलिस फोर्सेस रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, 1966 से शासित होती हैं। उक्त के अतिरिक्त राज्य की कानून व्यवस्था, दंगा एवं अपराध नियंत्रण, जनता द्वारा उग्र एवं हिंसक आन्दोलनों को नियन्त्रित करने व मेलों, चारधाम यात्रा, चुनाव ड्यूटी, आतंकवाद, भूकम्प, बाढ़ एवं अन्य दैवीय आपदाओं से निपटने हेतु बिना किसी पूर्व सूचना के तैनात किया जाना अपरिहार्य होता है। इस स्थिति में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 से आच्छादित होने के कारण पुलिस कार्मिकों के दैनिक दायित्वों के निर्वहन में कठिनाई उत्पन्न होनी स्वाभाविक है।

इस संबंध में गृह विभाग के अन्तर्गत मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में पुलिस की विशिष्टता के कारण पुलिस विभाग एवं स्वायत्तता के दृष्टिगत बनाये गये पुलिस अधिनियम, 2007 एवं पुलिस फोर्सेस रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, 1966 से शासित कार्मिकों को लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की परिधि से छूट प्रदान की जाती है।

(3). अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय जनपद देहरादून में तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय जनपद देहरादून, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार तथा नैनीताल में गठित हैं।

उपर्युक्त स्थिति में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत कामिकों के संबंध में विभाग स्थानांतरण अधिनियम की धारा–15(2) के अनुसार कार्यवाही संपादित करे।

(4). औद्योगिक विकास विभाग के अधीन राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, उत्तराखण्ड राज्य का एकमात्र मुद्रणालय है, जिसमें शासन/प्रशासन तथा विभिन्न विभागों के मुद्रण कार्य उनकी मांग के अनुरूप मुद्रण सम्पूर्ति का कार्य किया जाता है तथा यह एक तकनीकी विभाग है। इसकी अन्य कोई शाखा राज्य में स्थापित नहीं है।

उक्त के दृष्टिगत औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित राजकीय मुद्रणालय, रूड़की की विशेष स्थिति के दृष्टिगत, संस्थान में कार्यरत कार्मिकों के स्थानांतरण/तैनाती के संबंध विभाग लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा–15(2) के अनुसार कार्यवाही संपादित करे।

(5). आबकारी विभाग के अन्तर्गत सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी आयुक्त, आबकारी निरीक्षक, उप आबकारी निरीक्षक, प्रधान आबकारी सिपाही तथा आबकारी सिपाही द्वारा राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति (रू० 2650 करोड़), प्रवर्तन कार्य, अवैध मदिरा के निर्माण एवं परिवहन की रोकथाम से संबंधित कार्यों का संपादन किया जाता है। इन कार्मिकों की तैनाती राज्य स्तर पर होती है। स्थानांतरण अधिनियम के अन्तर्गत स्थानांतरण की अवधि निश्चित होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपेक्षित स्तर का कार्य एवं दायित्व संपादन न कर पाने पर अन्यत्र स्थानांतरण होने का भय नहीं रहेगा, जिससे राजस्व प्राप्ति के साथ–साथ अवैध मदिरा की रोकथाम के कार्य भी प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पुलिसीय एवं न्यायिक कार्य संचालन भी किया जाता है।

आबकारी विभाग के अन्तर्गत कार्य की विशिष्ट प्रकृति एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि विभाग संवेदनशील पदों एवं तैनाती स्थलों के संबंध में एक सुस्पष्ट नीति का निर्धारण करते हुए प्रस्तावित नीति को समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करे। शेष पदों के संबंध में विभाग द्वारा स्थानांतरण अधिनियम के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाय।

(6).(क) लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) पर स्थानांतरण अधिनियम लागू नहीं है। वर्तमान में संविदा के आधार पर तैनात अभियन्ताओं को स्थानांतरण से मुक्त रखे जाने की दशा में

रिक्तियों के अभाव में सुगम से दुर्गम क्षेत्रों में स्थानांतरण हेतु पात्र नियमित कनिष्ठ अभियन्ताओं के लिए रिक्तियों की संख्या बहुत कम हो जायेगी तथा संविदा के आधार पर तैनात कार्मिक कई वर्षों के उपरांत भी स्थानांतरित नहीं होंगे।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना है कि शासनादेश संख्या–140/XXX-2/18/30(13)/2018 दिनांक 25.05.2018 अनुसार वर्तमान स्थानांतरण सत्र में स्थानांतरण 10 प्रतिशत तक सीमित रखे जाने के आदेश हैं, जहाँ तक कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) पर स्थानांतरण अधिनियम लागू न होने का प्रश्न है, प्रशासकीय विभाग कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) को उनकी वर्तमान तैनाती स्थान से कभी भी अन्यत्र तैनात कर सकता है। अतः उक्त कार्मिक इस अधिनियम से आच्छादित नहीं होंगे।

(ख) लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के प्रस्तर–17(2)(ख) के अनुसार समूह "ग" के लिपिक एवं गैर प्रशासनिक कार्मिक तथा समूह "घ" के कार्मिकों को गृह स्थान को छोड़कर उनके गृह जनपद में तैनात किया जायेगा। गृह जनपद से ऐसा गाँव/हल्का/तहसील आदि अंकित है, जिनका वह मूल निवासी है। इस प्रकार लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता संवर्ग/वृत्तीय संवर्ग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कार्मिक समूह "घ" के अन्तर्गत आते हैं, परन्तु जिला मुख्यालयों में प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता संवर्ग/वृत्तीय संवर्ग का केवल 01–01 ही कार्यालय होने के कारण उक्तानुसार जिले के अन्तर्गत स्थानांतरण संभव नहीं है।

स्थानांतरण अधिनियम की धारा–17(2)(ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार ऐसे कार्मिक, जिनका पद ग्राम स्तर/हल्का स्तर/तहसील स्तर का हो, उन्हें गृह जनपद में ही गृह स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर तैनात किये जाने का स्पष्ट प्राविधान है। प्रशाासकीय विभाग तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे।

उक्त के अतिरिक्त प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता संवर्ग/वृत्तीय संवर्ग के कार्यालय एक ही स्थान पर होने के दृष्टिगत उक्त अधिकारियों का परस्पर स्थानांतरण किये जाने की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग करे।

(ग). लोक निर्माण विभाग में जीप/कार चालक/ट्रक टिपर/टैंकर/ट्रैक्टर/रोलर चालक, डोजर/जे०सी०बी० आपरेटर का मशीन ही मुख्यालय होता है उक्त के अतिरिक्त मेट/बेलदार/वर्क एजेण्ट/मिस्त्री/वर्क सुपरवाइजर को भी भौगोलिक परिस्थितियों के विभिन्न मार्गों पर आवश्यकतानुसार तैनात किया जाता है। कार्य की प्रकृति को देखते हुए इन कार्मिकों अधिनियम से मुक्त रखा जाता है।

(घ). **लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक रसायनज्ञ तथा प्रयोगशाला सहायक के पद सुगम में स्थापित होने के कारण विभाग स्थानांतरण अधिनियम की धारा–15(2) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे।**

7. ग्रामीण निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारत सरकार का ध्वजवाहक कार्यक्रम है तथा इसका संचालन भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप सम्पन्न किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण, अनुरक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के मानक निर्धारित हैं, जो अन्य विभागों से भिन्न हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन खण्डों एवं वृत्तों में वेतन, अधिष्ठान संबंधी बजट व्यवस्था का प्राविधान ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से किया जाता है। इस हेतु अनुभवी एवं कुशल तकनीकी एवं मिनिस्ट्रीयल अधिकारियों का होना आवश्यक है। 05 वर्ष से पूर्व परियोजना से अधिकारियों के स्थानांतरण किये जाने पर कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस परियोजना में अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं अन्य मिनिस्ट्रीयल संवर्ग की तैनाती अन्य विभागों से की जाती है।

इस परियोजना में तैनात पी०आई०यू० के कार्यभार एवं कार्यों की आवश्यकतानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का परियोजना हित में स्थानांतरण किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उक्त योजना का कार्य वर्ष 2019 तक पूर्ण किया जाना है। उक्त के दृष्टिगत परियोजना में वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों को परियोजना के मध्य परस्पर स्थानांतरण किया जाये।

8. अतः उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संबंधित विभाग उक्तानुसार लिए गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 163 / XXX(2)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः—
1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

संख्याः 206/XXX(2)/2020/30(13)/2017 टी0सी0

भूपाल सिंह मनराल,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 31 अगस्त, 2020

विषयः– **स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत कतिपय विभागों को स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों से छूट दिये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्राविधान है कि :–

इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा;

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर मा0 मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमन्य होगा।

2– वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–19 (1) के अनुसार " प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग कार्मिक द्वारा दुर्गम स्थान पर व्यतीत किया जायेगा।"

अधिनियम की धारा–19(2) के अनुसार "इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 30.06.2020 तक की अवधि को संक्रमणकाल की अवधि मानकर इस अवधि में प्रोन्नति की दशा में, यदि कार्मिक द्वारा, ऐसा आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत नहीं किया गया हो तो प्रोन्नति पर तभी विचार किया जायेगा, जब वह यह बंधपत्र दे कि ऐसा भाग पूरा होने की अवधि तक वह अनिवार्य रूप से दुर्गम स्थान पर तैनात रहेगा।"

3– स्थानान्तरण अधिनियम लागू होने के पश्चात भी राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में विगत 02 वर्षों में केवल 10 प्रतिशत स्थानान्तरण किये गये तथा वर्तमान में स्थानान्तरण सत्र को शून्य किया गया है। विभागों में कार्यरत स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों में से मात्र 10 प्रतिशत कार्मिकों का स्थानान्तरण होने तथा अवशेष पात्र कार्मिकों का स्थानान्तरण न हो पाने के कारण उक्त कार्मिकों द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवायें नहीं दी जा सकी हैं। उक्त के दृष्टिगत धारा–19 (2) में उल्लिखित संक्रमण काल

की अवधि को न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि में विस्तारित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, जिससे कार्मिकों की प्रोन्नति बाधित न हो।

4— अतः अधिनियम की धारा–19 (2) के कियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा–19 (2) में उल्लिखित संक्रमण काल की अवधि को न्यूनतम 02 वर्ष अर्थात दिनांक 30 जून, 2022 तक की अवधि हेतु विस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

5— उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम में किये गये प्राविधानों एवं तद्संबंध में निर्गत किसी भी आदेश से इतर कार्यवाही किये जाने पर उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभागों का होगा।

भवदीय,

(भूपाल सिंह मनराल)
सचिव (प्रभारी)।
O/C

संख्याः 206 / XXX(2)/20/30(13)/2017 टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः—
1. प्रमुख निजी सचिव, मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।
O/C

भाग—14

निःशक्त व्यक्तियों के लिए शासनादेश

संo : 32 /XXX(2)/2014-03(11)/2012

प्रेषक,

सी0एम0एस0बिष्ट
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 06 मई 2014**

विषयः– निःशक्तजन को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संo: 17/जी0आई0/कार्मिक–2/2003, दिनांक 03 जून, 2003 तथा कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संo: 1673/XXX(2)/2010, दिनांक 10 नवम्बर, 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निःशक्तता की तीन श्रेणियों (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (ख) श्रवणह्रास अथवा (ग) चलन क्रिया के अनुसार पद चिन्हित करते हुये निःशक्तजन को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने विषयक प्रक्रिया के सम्बन्ध में वृहद् दिशानिर्देश जारी किये गये थे।

2– सिविल अपील संख्या : 9096/2013, भारत सरकार व अन्य बनाम् राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2013 निम्न व्यवस्था निर्धारित की गयी है :–

"Thus, after thoughtful consideration, we are of the view that the computation of reservation for persons with disabilities has to be computed in case of group A,B,C,D in identical manner viz; "Computing 3% reservation on total number of vacancies in the cadre strenth" which is the intention of the legislature."

3– मा0 उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्तानुसार निःशक्तजनों के अधिकार को सुरक्षित रखने तथा आरक्षण नीति के समुचित क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है :– "The "appropriate Government" to compute the number of vacancies available in all the "establishment" and further identify the posts for disabled persons within a period of three months from today and implement the same without default."

4– मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय एवं दिशा–निर्देशों के क्रम में राज्याधीन सेवाओं में निःशक्तजनों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं :–

"समूह 'क','ख','ग', व 'घ' संवर्ग में सीधी भर्ती कोटे में सृजित समस्त पदों की कुल संख्या के आधार पर समूह 'क','ख','ग' व 'घ' के पदों पर निःशक्तजनों के लिए आरक्षण का आगणन किया जायेगा तथा आगणित पदों पर विकलांगता की श्रेणी चिन्हित करते हुये अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। "

निःशक्तजनों के आरक्षण के सम्बन्ध में इस शासनादेश से पूर्व निर्गत कार्यालय–ज्ञाप व शासनादेश उपर्युक्त शासनादेश में विहित प्रावधानों से असंगति की सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(सी0एम0एस0 बिष्ट)
सचिव

संख्या 102-A /XXX(2)/2014 30(5)2014

प्रेषक,

सी0एम0एस0 बिष्ट,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/ प्रभारी सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 30 जून, 2014

विषयः– राज्याधीन सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में क्षैतिज आरक्षण के प्राविधान लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 एवं यथा संशोधित (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के प्राविधानों तथा कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 द्वारा राज्य सरकार के अधीन राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित को 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2– वर्तमान में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर विभिन्न कारणों से समयान्तर्गत सेवा नियमावलियों में निहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न न होने अथवा मितव्ययता के दृष्टिगत विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं से आउटसोर्सिंग द्वारा सेवायोजन की कार्यवाही की जा रही है किन्तु आउटसोर्सिंग के द्वारा सेवायोजन में **विकलांग** श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऐसे सेवायोजन में पर्याप्त अवसर एवं प्रतिनिधित्व सुलभ नहीं हो पा रहे हैं।

3– अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के विभागों एवं राज्याधीन निगमों, परिषदों, स्वायत्तशासी संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं में यदि विभागीय ढ़ॉचे में पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष नियमित चयन की कार्यवाही सम्भव है। किन्तु किन्हीं कारणों से नियमित चयन के स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिक/सेवाओं की व्यवस्था की जाती है अथवा यदि विभागीय ढ़ॉचे में स्वीकृत संवर्ग/पद "मृत संवर्ग" घोषित हो जाने के कारण उनके सापेक्ष नियमित चयन निषिद्व है, किन्तु इस प्रकार रिक्त हो रहे पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों/सेवाओं की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसे प्रकरणों में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कार्मिकों को सेवायोजित करने हेतु निःशक्तजनों के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत आरक्षण का भी पालन किया जायेगा।

4— उक्त के निमित्त प्रकिया यह अपनायी जायेगी कि विभाग विशेष द्वारा सेवा प्रदाता संस्था को मांग प्रेषित करने से पूर्व सम्बन्धित संवर्ग/पद के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण की विद्यमान स्थिति का आँकलन करते हुए विकलाँग कर्मियों की संख्या भी उनको अनुमन्य श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षण के अनुसार आँकलित की जायेगी और तद्नुसार ही चयनित बाह्य सेवा प्रदाता संस्था को माँग प्रेषित किया जायेगा, जिसके कम में बाह्य सेवा प्रदाता संस्था द्वारा श्रेणीवार इंगित संख्या में कार्मिकों की सेवायें सुलभ करायी जायेंगी।

5— अन्य प्रकरणों में जहाँ विभाग के संरचनात्मक ढाँचे में पद सृजित नहीं है, किन्तु नियतकालिक आधार पर सेवाओं की व्यवस्था की जानी है अथवा कार्य को ठेके पर ही किये जाने की व्यवस्था है, उन मामलों में आरक्षण सम्बन्धी नियम लागू नहीं होंगे और ऐसी सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु "उत्तराखण्ड राज अधिप्राप्ति नियमावली 2008" के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6— कृपया आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजन के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी0एम0एस0 बिष्ट)
सचिव।

संख्या (1)/XXX(2)/2014 30(5)2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
5. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

संख्या 143/XXX(2)/2015 30(5)2014

प्रेषक,

पी0एस0 जंगपांगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 26 मार्च, 2015

विषयः– राज्याधीन सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में क्षैतिज आरक्षण के प्राविधान लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 102–A/XXX(2)/2014 30(5)2014 दिनांक 30 जून, 2014 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 की अन्तिम लाईन में "स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित को 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है" त्रुटिवश टंकण हो गया है।

अतः उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 की अन्तिम लाईन में "स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित" के स्थान पर **"विकलांग व्यक्ति"** पढ़ा जाय तथा उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 जून, 2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(पी0एस0 जंगपांगी)
सचिव।

संख्या (1)/XXX(2)/2014 30(5)2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, लोक सेवा आंयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
5. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

संख्या–148/ XXX(2)/2016

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 20 जून, 2016

विषयः– राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगों के लिये निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्तियों की गणना करते हुये बैकलॉग पूर्ण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को 03 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के लिये राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण की अनुमन्यता हेतु भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.12.2005 तथा 26.04.2008 में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं जिसके अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के लिये सीधी भर्ती के मामले में 03 प्रतिशत रिक्तियों की गणना निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये आरक्षित रखी जायेगी जिसमें से एक–एक प्रतिशत रिक्तियां (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (ख) श्रवणह्रास और (ग) चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये उन निःशक्तताओं के लिये उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षित होंगी।

2– यह भी निर्देश निर्गत किये गये थे कि प्रत्येक विभाग द्वारा निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये 03 श्रेणीयों के अनुसार पदों को चिन्हित किया जायेगा और भविष्यमें चिन्हित किये जाने वाले पदों पर विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को 03 प्रतिशत आरक्षण को प्रभाव में लाने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा। इसी क्रम में यह भी निर्देश दिये गये है कि यदि कोई निःशक्तता की एक श्रेणी के लिये उपयुक्त चिन्हित किया गया हो तो उस पद में आरक्षण उस निःशक्तता वाले व्यक्तियों को ही दिया जायेगा। ऐसे मामले में तीन प्रतिशत का आरक्षण कम नहीं किया जायेगा तथा उस पद में पूर्ण आरक्षण उस निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिया जायेगा जिसके लिये वह चिन्हित किया गया

क्रमशः.....2

हो। इसी तरह किसी पद को निःशक्तता की दो श्रेणियों के लिये चिन्हित किये गये होने की स्थिति में जहां तक सम्भव हो, आरक्षण निःशक्तता की उन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया जायेगा, तथापि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अधिष्ठान में आरक्षण, विभिन्न पदों में इस तरह विभाजित किया जाये कि निःशक्तता की तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों को यथा सम्भव समान प्रतिनिधित्व मिले। उपर्युक्त के अनुसार विभिन्न विभागों में पदों का चिन्हिकरण करने के बाद बैकलॉग की स्थिति स्पष्ट करने पर बैकलॉग के पदों को भरने के लिये शासनादेश दिनांक 17.01.2011 द्वारा स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये थे।

3— शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अभी भी कतिपय विभागों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिये चिन्हित पदों के सापेक्ष निर्धारित क्षैतिज आरक्षण के रूप में पदों को नहीं भरा गया है और बैकलॉग बना हुआ है।

4— इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कृपया राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों के लिये निर्धारित 03 प्रतिशत आरक्षित पदों को भरने के लिये शासनादेश दिनांक 17.01.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुये प्रत्येक श्रेणी के बैकलॉग को आगणित कर लें और ऐसी श्रेणियों को आगणित करने के पश्चात् इस संबंध में प्रत्येक श्रेणियों के पदों के लिये सीधी भर्ती के माध्यम से चयन की कार्यवाही दिनांक 31.07.2016 तक करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5— कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव

संख्याः /XXX(2)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड।
3. सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. सचिवालय के समस्त अनुभागं
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

संख्या– 210 /XXX(2)/2017

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

3– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

4– समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 3 जुलाई, 2017

विषयः–राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगों के लिये निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्तियों की गणना करते हुए बैकलॉग पूर्ण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या–148/XXX(2)/2016 दिनांक 20 जून, 2016 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि कतिपय विभागों में दिव्यांगों व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष निर्धारित क्षैतिज आरक्षण के रूप में पदों को नहीं भरा गया है और बैकलॉग बना हुआ है। अतः दिव्यांगों व्यक्तियों के लिए निर्धारित 03 प्रतिशत आरक्षण भरने के लिए शासनादेश दिनांक 17.01.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रत्येक श्रेणी के बैकलॉग को आगणित कर लें और ऐसी श्रेणियों को आगणित करने के पश्चात् इस संबंध में प्रत्येक श्रेणियों के पदों के लिये सीधी भर्ती के माध्यम से चयन की कार्यवाही दिनांक 31.07.2016 तक करना सुनिश्चित करें। शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि अभी तक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चिन्हित क्षैतिज आरक्षण के बैकलॉग को पूर्ण नहीं किया गया है।

2– अतः इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–148/XXX(2)/2016 दिनांक 20 जून, 2016 के आलोक में पुनः यह निर्देशित किया जाता है कि कृपया दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चिन्हित 03 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण, जिसमें से (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि के लिए 01 प्रतिशत (ख) श्रवणह्रास के लिए 01 प्रतिशत और (ग) चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 01 प्रतिशत, को प्रत्येक सेवा–संवर्ग में चिन्हित करते हुए बैकलॉग का निर्धारण करने का कष्ट करें और जहाँ–जहाँ ऐसे पदों को चिन्हीकरण किया गया है, वहाँ–वहाँ उस श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के आधार पर बैकलॉग आगणित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित किया जाय और विज्ञापन में

क्रमशः 2

इस पद का उल्लेख कर दिया जाय कि दिव्यांग व्यक्तियों को किस श्रेणी के लिए संबंधित पद चिन्हित किये गये है और तद्नुसार ही पदों को चिन्हित करके बैकलॉग को पूर्ण करते हुए चिन्हित पदों को भरे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

संख्या— (1)/XXX(2)/2017/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
2— सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड।
3— सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5— अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
6— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7— गाई फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव

संख्या– 209 /XXX(2)/2017

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

3– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

4– समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 3 जुलाई मई, 2017

विषयः–दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण संबंधी रोस्टर का क्रियान्वयन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10 नवम्बर, 2010 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 29.12.2005 तथा 26.04.2008 के अनुरूप दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित 03 प्रतिशत का आरक्षण उपयुक्त नौकरियों/पदों की पहचान और उसके अनुसार आरक्षण प्रदान किये जाने और दिव्यांग व्यक्तियों के रोस्टर को ध्यान में रखने हेतु रोस्टर के लिए प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया था। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10 नवम्बर, 2010 के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित प्रतिशत के आधार पर रोस्टर का निर्धारण नहीं किया गया है।

2– अतः इस संबंध में कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10 नवम्बर, 2010 की छायाप्रति संलग्नकों सहित संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त कार्यालय–ज्ञाप द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित 03 प्रतिशत के आरक्षण के अनुसार प्रत्येक श्रेणी हेतु चिन्हित पदों के लिए रोस्टर का निर्धारण करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

संख्या— (1)/XXX(2)/2017/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
2— सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड।
3— सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5— अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
6— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7— गाई फाईल।

आज्ञा से,

maharsingh

(महावीर सिंह)
उप सचिव

(10)

संख्या– /XXX(2)/17/30(5)/2014-TC

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव,/
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः **दिनांक 27 अक्टूबर, 2017**

विषयः– राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में दिव्यांगों के लिए निर्धारित 03 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 04 प्रतिशत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–1144/कार्मिक–2–2001–53(1)2001 दिनांक 18.7.2001 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में विकलांगों (परिवर्तित नाम दिव्यागों) को 03 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–196/XVII-2/2011-29 (स०क०)/2003 दिनांक 25.03.2011 के द्वारा पदों का चिन्हांकन किया गया है। शासनादेश संख्या–1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10.11.2010 के द्वारा विकलांगों (परिवर्तित नाम दिव्यागों) को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण की अनुमन्यता एवं तत्संबंधी प्रक्रिया तथा आरक्षण संबंधी रोस्टर के क्रियान्वयन इत्यादि बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.12.2005 एवं दिनांक 26.04.2008 को तद्नुसार प्रदेश सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों/पदोन्नतियों में लागू किया गया है।

2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49 वर्ष, 2016) की धारा 34की उपधारा (1) में सरकारी सेवाओं में दिव्यांगों के आरक्षण के संबंध में निम्नवत् व्यवस्था की गयी है:–

"Every appropriate Government shall appoint in every Government establishment not less than **four percent** of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts meant to be filled with persons with benchmark disabilities of which, one percent. each shall be reserved for persons with benchmark disabilties under clauses (a), (b) and (c) and one percent, for persons with benchmark disabilities under clauses (d) and (e), namely:-

(a) blindness and low vision (अंधता और निम्न दृश्यता)।

(b) deaf and hard of hearing (बधिर और कम सुनाई देना)।

(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है।)

(d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग।)

(e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities (खण्ड (a) से (d) के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है।)"

3. इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यागजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49 वर्ष, 2016) की धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल, उत्तराखण्ड की राज्याधीन सेवाओं में उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगों को अनुमन्य 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के स्थान पर 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, उक्तानुसार "निर्देश–चिह्न दिव्यांगजन" को अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या 312 (1) /XXX(2)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त कुमाँऊ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त, निःशक्तजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. अधिशासी निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्याः /XXX–2/2018–30(05)2014

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

2–मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊं/ पौड़ी/ नैनीताल,
उत्तराखण्ड।

3–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

4–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 14 जून, 2018

विषय– राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगों को समूह क, ख, ग तथा घ के पदों में पदोन्नति में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगों को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण की अनुमन्यता एवं तत्संबंधी प्रक्रिया तथा आरक्षण संबंधी रोस्टर के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10.11.2010 के द्वारा दिशा–निर्देश प्रदान किये गये हैं। सम्प्रति भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 वर्ष–2016) प्रख्यापित किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 वर्ष–2016) की धारा 34(1) में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत् हैः–

Every appropriate Government shall appoint in every Government establishment not less than **four percent** of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts meant to be filled with persons with benchmark disabilities of which, one percent, each shall be reserved for persons with benchmark disabilities under clauses (a), (b) and (c) and one percent , for persons with benchmark disabilities under clauses (d) and (e), namely:-

(a). blindness and low vision, (अन्धता और निम्न दृष्यता)

(b). deaf and hard of hearing; (बधिर और कम सुनाई देना)

(c). locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, (चलन दिव्यागंता, जिसके अन्तर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है)

(d). autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ठ दिव्यागता और मानसिक रोग)

(e). multiple disabiltites from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities: (स्तम्भ–1 से 4 के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों से बहु दिव्यागंता जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है)

Provided that the reservation in promotion shall be in accordance with such instructions as are issued by the appropriate Government from time to time:

Provided further that the appropriate Government, in consultation with the Chief Commissioner or the State Commissioner, as the case may be, may, having regard to the type of work carried out in any Government establishment, by notification and subject to such conditions, if any, as may be specified in such notifications exempt any Government establishment from the provisions of this section.

(2) Where in any recruitment year any vacancy cannot be filled up due to nonavailability of a suitable person with benchmark disability or for any other sufficient reasons, such vacancy shall be carried forward in the succeeding recruitment year and if in the succeeding recruitment year also suitable person with benchmark disability is not available, it may first be filled by interchange among the five categories and only when there is no person with disability available for the post in that year, the employer shall fill up the vacancy by appointment of a person, other than a person with disability:

Provided that if the nature of vacancies in an establishment is such that a given category of person cannot be employed, the vacancies may be interchanged among the five categories with the prior approval of the appropriate Government.

2. उपरोक्त प्राविधान के अनुपालन में शासनादेश संख्या–312/XXX(2)/17/30(5)/2014 दिनांक 27.10.2017 के द्वारा उत्तराखण्ड में राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में सीधी भर्ती हेतु दिव्यांगों के लिए निर्धारित क्षैतिज आरक्षण को बढ़ाकर 04 प्रतिशत अनुमन्य कर दिया गया है। उक्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 वर्ष–2016) की धारा 34(1) के परन्तुक में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार शासन द्वारा दिव्यांगों को समूह क, ख, ग एवं घ के पदोन्नति के चिन्हांकित पदों में 04 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने का निर्णय इस प्रतिबन्ध के साथ लिया गया है कि समूह क, ख, ग तथा घ के पदों पर, जिनमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, पदोन्नति के मामले में 04 प्रतिशत रिक्तियाँ "निर्देश–चिन्ह दिव्यांगजन" के लिए आरक्षित रखी जायेंगी, जिसमें 01–01 प्रतिशत रिक्तियाँ निम्नानुसार a से c तक चिन्हाकित पदों हेतु तथा 01 प्रतिशत रिक्तियाँ d व e हेतु चिन्हित पदों के लिए आरक्षित होंगी:–

(a). blindness and low vision, (अन्धता और निम्न दृष्यता)

(b).deaf and hard of hearing; (बधिर और कम सुनाई देना)

(c).locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, (चलन दिव्यागंता, जिसके अन्तर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है)

(d). autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ठ दिव्यागता और मानसिक रोग)

(e). multiple disabiltites from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities: (स्तम्भ–1 से 4 के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियो से बहु दिव्यागंता जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है)

3. उपरोक्तानुसार 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की गणना कुल प्रोन्नति कोटे के स्वीकृत पदों के सापेक्ष जायेगी तथा प्रस्तर–2 के अधीन सम्प्रति (a) blindness and low vision (अंधता और निम्न दृश्यता) (b) deaf and hard of hearing (बधिर और कम सुनाई देना), (c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy (चलन दिव्यांगता, जिसके अर्न्तगत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और

शीय दुर्विकास, में पद पूर्व से चिन्हित हैं। अतः उक्त श्रेणियों में अनुमन्यता के आधार पर प्रोन्नतियां दी जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग,(e) multiple disabiltites from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities, {(a) से (d) के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है)"}, हेतु अनुमन्य शेष 01 प्रतिशत प्रोन्नति के पदों पर पदोन्नतियाँ, इस हेतु पदों के चिन्हांकन व इन पदों पर नियुक्तियों के उपरांत यथासमय यथास्थिति की जायेगी।

4. कार्मिक विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यागजनों हेतु पूर्व में चिन्हित किये गये सीधी भर्ती चिन्हित पदों के सापेक्ष लाभान्वित कार्मिकों को भविष्य में भी प्रोन्नति का अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त होता रहेगा।

5. अतः इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है उक्तानुसार पदोन्नति में क्षैतिज आरक्षण संवर्ग में "निर्देश–चिन्ह दिव्यांगजन" हेतु चिन्हित पदों के लिए अनुमन्य होगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या //२ (1) /XXX(2)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, निःशक्तजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. अधिशासी निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव

क्रम संख्या–142

पंजीकरण संख्या– यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0ए0–10 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 ई0

आश्विन 02, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 232 / XXXVI(3) / 2019 / 44(1) / 2019

देहरादून, 24 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) के अधीन माननीय राज्यपाल ने "उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (संशोधन) अध्यादेश, 2019" पर दिनांक 19 सितम्बर, 2019 की अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अध्यादेश संख्या: 04, वर्ष–2019 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993} (संशोधन) अध्यादेश, 2019

(उत्तराखण्ड अध्यादेश **संख्याः 04 वर्ष, 2019)**

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993}(अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अध्यादेश

{ भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित}

चूँकि, उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है,

अतएव, अब, राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ **1.** (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) अध्यादेश, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन **2.** उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) को प्रतिस्थापित करते हुए, उपखण्ड (तीन) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित), और

(तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।"

बेबी रानी मौर्य
राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

No. 232/XXXVI(3)/2019/44(1)/2019
Dated Dehradun, September 24, 2019

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of "The Uttarakhand [the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped. Depandents of Freedom Fighters and Purva Sainik) Act. 1993] (Amendment) Ordinance, 2019" (Uttarakhand Ordinance No. 04 of 2019)

As assented to by the Governor on 19 September, 2019.

The Uttarakhand {the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainik) Act, 1993} (Amendment) Ordinance , 2019

(Uttarakhand Ordinance No. 04 of 2019)

(Promulgated by the Governor in Seventieth Year of the Republic of India)

An

Ordinance

Further to amend the Uttarakhand {the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainik) Act, 1993} (Adaptation and Modification order, 2002) in the context of the State of Uttarakhand.

WHEREAS, the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title and Commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttarakhand {the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainik Act, 1993} (Amendment) Ordinance, 2019.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Section 2

2. In Clause (b) of Section 2 of the Uttarakhand {the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainik) Act, 1993} (Adaptation and Modification order, 2002), substituting sub clause (ii), sub clause (iii) shall be inserted as follows, namely:-

"(ii) grandson (son of a son) and grand daughter (daughter of a son) (married or unmarried) and;

(iii) son/ daughter of the daughter, of the freedom fighter. "

Baby Rani Maurya
Governor, Uttarakhand.

By Order,

PREM SINGH KHIMAL,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 विधायी/449–2019–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या-- /XXX(2)/19/55(35)/2003

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।**
2. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।**
3. **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।**
4. **समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।**

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग--2 देहरादूनः दिनांक 15 फरवरी, 2019

विषयः-- **लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों में आवेदन हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या--537/XXX(2)/2014 दिनांक 03.12.2014 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह "ग" के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारण किया गया था। उक्तानुसार निर्धारित आवेदन शुल्क को संशोधित करते हुए शासनादेश संख्या--03/XXX(4)/2015-03(3)/2015 दिनांक 04.09.2015 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह "ग" के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क अनूसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु ₹ 150.00 प्रति आवेदन एवं सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु ₹ 300.00 प्रति आवेदन, परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया।

2. उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों में आवेदन हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क, अनूसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क के समान ही निर्धारित किया जाता है।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 17 (1)/XXX(2)/19/55(35)/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित --

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
7. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव

उत्तराखंड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्याः– /XXX(2)/2018/30(05)/2014
देहरादूनः दिनांक 26 सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में क्षैतिज आरक्षण की अनुमन्यता के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या–1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10.11.2010 एवं तत्संबंधी समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए, भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या–49/ 2016) दिनांक 27.12.2016 के संदर्भ में शासनादेश संख्या–312/XXX(2)/2018-30(05)2014 दिनांक 27.10.2017 एवं शासनादेश संख्या–112/XXX(2)/2018-30(05)2014 दिनांक 14.06.2018 के क्रम में राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजन हेतु विकलांगता की श्रेणी हेतु निहित प्राविधान के अन्तर्गत राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में निम्नवत् प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ हैः–

1. **दिव्यांगजन हेतु आरक्षण की मात्राः–** दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में भारत सरकार के अधिनियम, 2016 द्वारा निम्नलिखित श्रेणी a, श्रेणी b व श्रेणी c के लिए 1–1 प्रतिशत आरक्षण तथा श्रेणी d व श्रेणी e, दोनों के लिए कुल 1 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया गया हैः–

(a). blindness and low vision, (अन्धता और निम्न दृष्यता)

(b). deaf and hard of hearing; (बधिर और कम सुनाई देना)

(c). locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है)

(d). autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ठ दिव्यांगता और मानसिक रोग)

(e). multiple disabiltites from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities: (स्तम्भ–1 से 4 के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियो से बहु दिव्यागंता जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है)

2. **दिव्यांगजनों हेतु पदों का चिन्हांकनः–**

राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजनों हेतु सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षित पदों के चिन्हांकन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–01/XXX (2)/18/30(05)/14 दिनांक 03.03.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित द्वारा संस्तुत समूह क, ख, ग एवं घ के पदों पर नियमानुसार लागू होगा।

3. **दिव्यांगजन हेतु उपयुक्त पदों का चिन्हांकनः–**

समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत दिव्यांगजन की विकलांगता के दृष्टिगत पदों को अधिसूचित किया जायेगा। संबंधित विभागों को समाज कल्याण विभाग द्वारा पहले से चिन्हित पदों के अतिरिक्त, पदों की पहचान करने का अधिकार समिति को होगा। समिति द्वारा दिव्यांगजन की संबंधित पद पर कार्य करने की सुविधा/उपयोगिता के संबंध में प्रत्येक 03 वर्ष में चिन्हांकित पदों का पुनः परीक्षण किया जायेगा। समिति दिव्यांगता हेतु चिन्हित पदों को दिव्यांगता की समस्त अथवा एक से अधिक श्रेणी के लिए चिन्हित कर सकती है, जिसमें राज्य में दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर विचार किया जायेगा।

4. **दिव्यांगजन आरक्षण से मुक्त रखा जानाः–**

यदि किसी विभाग द्वारा किसी प्रतिष्ठान को दिव्यांगजन आरक्षण से अंशतः अथवा पूर्णतः मुक्त रखा जाना आवश्यक समझा जाय तो संबंधित विभाग यथास्थिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष

अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए, समिति की संस्तुति मा० मुख्यमंत्री जी के विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

5.दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद के समूह एवं ग्रेड के संबंध में:–

दिव्यांगता हेतु चिन्हित किसी पद के वेतनमान अथवा एक समूह (ग्रेड) से दूसरे समूह (ग्रेड) में परिवर्तित होने पर भी उस पद चिन्हांकन बना रहेगा।

6.अनारक्षित पदों पर नियुक्ति:–

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है। इस तरह की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

7.योग्यता के आधार चयनित उम्मीदवारों का समायोजन:–

मानदण्डों में शिथिलीकरण के बिना, योग्यता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों के साथ सीधी भर्ती से चयनित दिव्यांगताग्रस्त व्यक्ति का समायोजन आरक्षित रिक्ति के सापेक्ष नहीं किया जायेगा। आरक्षित रिक्तियाँ ऐसे दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी जो अन्यथा शिथिलीकृत मानदण्डों में चयन हेतु उपयुक्त हों।

8.दिव्यांगता प्रमाण पत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी:–

राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सरकार द्वारा गठित राज्य मेडिकल बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा। मेडिकल में बोर्ड में कम से कम तीन सदस्य हाने आवश्यक हैं, जिनमें से कम से कम एक सदस्य यथा चलन प्रक्रिया संबंधी दिव्यांगता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात/दृष्टिहीनता या कम दृष्टि की विकलांगता/श्रवण ह्रास/आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ठ दिव्यांगता और मानसिक रोग, जैसा भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ सदस्य होना चाहिए।

9.मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की वैधता:–

मेडिकल बोर्ड समुचित जाँच–पड़ताल के पश्चात स्थायी दिव्यांगता के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करेगा, जहाँ दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन संभावना न हो। मेडिकल बोर्ड ऐसे मामलों में प्रमाण पत्र जारी करने की वैधता अवधि इंगित करेगा, जिनमें दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन की संभावना हो। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदक को सुनने का समुचित अवसर दिया जायेगा तथा मेडिकल बोर्ड आवेदक के अभ्यावेदन पर समस्त परिस्थितिजन्य तथ्यों एवं साक्ष्यों की समीक्षा कर अपने विवेकानुसार आदेश पारित कर सकेगा।

10.सीधी भर्ती में आरक्षण की गणना:–

राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के मामले में दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों हेतु यद्यपि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की भर्ती उनके लिए उपयुक्त चिन्हित पदों पर ही की जायेगी तथापि क्षैतिज आरक्षण की गणना समूह "ख", "ग" एवं "घ" (यदि समूह "घ" का पद मृत संवर्ग से बाहर हो) रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर की जायेगी।

11.पदोन्नति में आरक्षण की गणना:–

राज्याधीन सेवाओं में समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ" के पदों पर पदोन्नति हेतु संबंधित अधिष्ठान में समूह "ख" "ग" एवं "घ" से सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत उपयुक्त चिन्हित एवं भरे गये पदों के आधार पर गणना की जायेगी एवं यथासंभव जहाँ आवश्यक समझा जाय, वहाँ पात्रता क्षेत्र में विस्तार किया जा सकेगा। चूँकि वर्तमान में राज्यान्तर्गत किसी भी श्रेणी को पदोन्नति में आरक्षण अनुमन्य नहीं है, अतः दिव्यांगजनों की पदोन्नति हेतु उपयुक्त चिन्हित पदों पर नियम 13 में उल्लिखित रोस्टर के अनुसार गणना की जायेगी।

12.दिव्यांग आरक्षण हेतु रोस्टर का रखरखाव:–

(क).राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों का उपयुक्त चिन्हित पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती हेतु समूह "ख" "ग" एवं "घ" के पदों का 100 बिन्दुओं वाला पृथक–पृथक रोस्टर

संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा। इसी प्रकार समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ" के पदों का 100 बिन्दुओं वाला पृथक–पृथक रोस्टर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा।

(ख).नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार रोस्टर में 100 बिन्दुओं को चार खण्डों में विभाजित किया जायेगाः–

(क)	अन्धता और निम्न दृष्यता	रोस्टर क्रमांक 25
(ख)	बधिर और कम सुनाई देना	रोस्टर क्रमांक 50
(ग)	चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है	रोस्टर क्रमांक 75
(घ)	आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग।	रोस्टर क्रमांक 100
	या	
	उपरोक्त से क से घ के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों से बहु दिव्यागंता, जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता, जैसी भी स्थिति हो,	

परन्तु यदि किसी प्रखण्ड में चिन्हित दिव्यांगता की श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी एक बार के लिए अगली श्रेणी की दिव्यांगता से रिक्ति को भरा जा सकेगा। ऐसी भरी गयी रिक्ति का समायोजन अगले चयन वर्ष अथवा चयन वर्षों में कर लिया जायेगा। यदि दिव्यांग आरक्षण के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी रिक्ति को अन्य सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकता है किन्तु अगले चयन वर्ष में पुनः दिव्यांग अभ्यर्थी पर विचार किया जायेगा। इसी प्रकार सतत् प्रक्रिया जारी रहेगी।

13.सेवाकाल में दिव्यांग हुए कार्मिकों हेतु आरक्षणः–

राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत सेवाकाल में दिव्यांग हुए कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण हेतु इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के पश्चात् राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा किन्तु ऐसा आरक्षण उन्हीं पदों पर लागू होगा, जो दिव्यांगता हेतु चिन्हित हों।

14. आयु सीमा में छूटः–

राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति हेतु दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए शासनादेश संख्या–1244/XXX(2)/2005 दिनांक 21.5.2005 के अनुसार आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी, भले ही पद आरक्षित हो अथवा नहीं।बशर्ते कि पद दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया हो।

15. उपयुक्तता मानदण्डों में छूटः–

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को संबंधित विभाग की सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानानुसार उपयुक्तता के निर्धारित मानदण्डों में भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमन्य होगी।

16. स्वास्थ्य परीक्षाः–

दिव्यांगजन को सरकारी सेवा में प्रवेश के समय दिव्यांगता की श्रेणी से भिन्न सामान्य स्वास्थ्य उपयुक्तता का प्रमाण पत्र नियमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

17. परीक्षा शुल्क व आवेदन शुल्क से छूटः–

राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विहित आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। यह छूट उन्हीं दिव्यांगजनों को उपलब्ध होगी, जो अन्यथा

आवेदित पद पर चयन हेतु उपयुक्तता के मानदण्ड के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे।

18. रिक्तियों हेतु नोटिसः–

राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगता हेतु चिन्हित पदों का रोजगार केन्द्रों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि को नोटिस/विज्ञप्ति प्रकाशित करते समय निम्न तथ्यों का संज्ञान लिया जायः–

1.सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित पदों की विज्ञप्ति निर्गत करते समय (a). blindness and low vision, (अन्धता और निम्न दृष्यता) (b). deaf and hard of hearing; (बधिर और कम सुनाई देना) (c). locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है) (d). autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ठ दिव्यांगता और मानसिक रोग) (e). multiple disabiltites from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities: (स्तम्भ–1 से 4 के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियो से बहु दिव्यागंता जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है) आदि हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या स्पष्ट रूप से दर्शायी जाय, जैसा कि समय–समय पर श्रेणीवार उपयुक्त चिन्हित किया गया हो।

2. दिव्यांगता हेतु चिन्हित पदों पर चयन हेतु दिव्यांगता का मानक वही होगा, भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में प्राविधानित है।

19. मांगकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्रः–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि के माध्यम से अथवा अन्य रीति से पद पर चयन हेतु मांगपत्र प्रेषित कर समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत अनिवार्य होगाः–

"प्रमाणित किया जाता है कि इस माँगपत्र को भेजते समय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में निहित सुसंगत प्राविधानों का पालन किया गया है तथा दिशा–निर्देश के प्रस्तर 13 में उल्लिखित रोस्टर चक्र का पालन किया गया है।"

20. दिव्यागंता से ग्रस्त व्यक्तियों के अभ्यावेदनों से संबंधित वार्षिक रिपोर्टः–

क. समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष की माह जनवरी में विभागवार एवं पदवार प्रत्येक दिव्यागंता हेतु चिन्हित पदों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसमें पदों की कुल संख्या, उनके विरूद्ध कार्यरत कार्मिकों की संख्या तथा रिक्तियों की वास्तविक संख्या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जायेगी। किसी विभाग विशेष में रिक्ति की उपलब्धता के दृष्टिगत संबंधित प्रशासकीय विभाग को सूचित किया जायेगा और प्रशासकीय विभाग द्वारा अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जायेगा।

ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संविधिक, अर्द्ध सरकारी, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के संदर्भ में इस आशय की सूचना का विवरण सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा संबंधित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

ग. समाज कल्याण विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया समेकित विवरण कार्मिक विभाग को भी प्रेषित किया जायेगा।

21. विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए नोडल अधिकारीः–

प्रत्येक प्रशासकीय विभाग द्वारा सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत दिव्यांगता हेतु चिन्हित पदों के आरक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित करने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो विभाग में होने वाले चयनों में विज्ञप्ति प्रकाशित होने/चयन समिति द्वारा विचार करने से पूर्व निगरानी/पर्यवेक्षण करेगा।

22. विकलांगताओं की परिभाषाः–

(a). blindness and low vision, (अन्धता और निम्न दृष्यता) (b). deaf and hard of hearing; (बधिर और कम सुनाई देना) (c). locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है) (d). autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ठ दिव्यांगता और मानसिक रोग) (e). multiple disabiltites from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities: (a से d के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियो से बहु दिव्यागंता जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है) आदि दिव्यांगताओं की परिभाषाएं भारत सरकार द्वारा जारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार होगी।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या 232 (1) /XXX(2)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
7. आयुक्त, निःशक्तजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. अधिशासी निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(अजीत सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः– /XXX(2)/2020/30(05)2014
देहरादूनः दिनांक 12 नवम्बर, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में क्षैतिज आरक्षण की अनुमन्यता के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या–232, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 द्वारा भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या–49/2016) दिनांक 27.12.2016 के क्रम में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

2– राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या–124, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण किया गया है।

3– राज्य में पद आधारित रोस्टर नीति लागू होने के उपरांत दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26 सितम्बर, 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर 11, 12(क), 12(ख) एवं 19 को निम्नवत् पढ़ा जायः–

11. पदोन्नति में आरक्षण की गणनाः–

राज्याधीन सेवाओं में समूह ''क'' ''ख'' ''ग'' एवं ''घ'' के पदों पर पदोन्नति हेतु संबंधित अधिष्ठान में समूह ''ख'' ''ग'' एवं ''घ'' से सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत उपयुक्त चिन्हित एवं भरे गये पदों के आधार पर गणना की जायेगी एवं यथासंभव जहां आवश्यक समझा जाय, वहां पात्रता क्षेत्र में विस्तार किया जा सकेगा। चूंकि वर्तमान में राज्यान्तर्गत किसी भी श्रेणी को पदोन्नति में आरक्षण अनुमन्य नहीं है। अतः दिव्यांगजनों की पदोन्नति हेतु उपयुक्त चिन्हित पदों पर प्रस्तर 12 में उल्लिखित रोस्टर के अनुसार गणना की जायेगी।

12. दिव्यांग आरक्षण हेतु रोस्टर का रखरखावः–

(क).राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों का उपयुक्त चिन्हित पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती हेतु समूह ''ख'' ''ग'' एवं ''घ'' के पदों का 100 बिन्दुओं वाला पृथक–पृथक रोस्टर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा। इसी प्रकार पदोन्नति के पदों हेतु समूह ''क'' ''ख'' ''ग'' एवं ''घ'' के पदों का 100 बिन्दुओं वाला पृथक–पृथक रोस्टर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा।

(ख).नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार रोस्टर में 100 बिन्दुओं को चार खण्डों में विभाजित किया जायेगाः–

(क)	अन्धता और निम्न दृष्यता	रोस्टर क्रमांक 25
(ख)	बधिर और कम सुनाई देना	रोस्टर क्रमांक 49
(ग)	चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है	रोस्टर क्रमांक 75
(घ)	आटिज्म, बौद्विक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग।	रोस्टर क्रमांक 98
	या	
	उपरोक्त से क से घ के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता, जैसी भी स्थिति हो;	

परन्तु यदि किसी प्रखण्ड में चिन्हित दिव्यांगता की श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक बार के लिए अगली श्रेणी की दिव्यांगता से रिक्ति को भरा जा सकेगा। ऐसी भरी गयी रिक्ति का समायोजन अगले चयन वर्ष अथवा चयन वर्षों में कर लिया जायेगा। यदि दिव्यांग आरक्षण के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी रिक्ति को अन्य सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकता है किन्तु अगले चयन वर्ष में पुनः दिव्यांग अभ्यर्थी पर विचार किया जायेगा। इसी प्रकार सतत् प्रक्रिया जारी रहेगी।

19. **मांगकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्रः–**

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि के माध्यम से अथवा अन्य रीति से पद पर चयन हेतु मांगपत्र प्रेषित करते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत अनिवार्य होगाः–

''प्रमाणित किया जाता है कि इस मांगपत्र को भेजते समय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में निहित सुसंगत प्राविधानों का पालन किया गया है तथा दिशा–निर्देश के प्रस्तर 12 में उल्लिखित रोस्टर चक्र का पालन किया गया है।''

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः–392/XXX(2)/2020/30(05)2014 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री , उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
7. आयुक्त, निःशक्तजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

संख्याः /XXX(2)/2019-30(05)/2014 TC

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   सचिव/सचिव (प्रभारी),
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

देहरादून : दिनांकः २७ नवम्बर, 2019

विषयः **राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु लिखित परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक (लेखन सहायक) एवं अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 वर्ष–2016) के दृष्टिगत शासनादेश संख्याः 312/XXX(2)/17-30(5)/2014-TC दिनांक 27.10.2017, शासनादेश संख्याः 112/XXX-2/2018-30(05)/2014 दिनांक 14.6.2018 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्याः–232/XXX(2)/2018/30(05)/2014 दिनांक 26.9.2018 के माध्यम से उक्त अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों को राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के सन्दर्भ में लागू किया गया है। शासन के संज्ञान में आया है कि उपरोक्त शासनादेशों द्वारा लागू व्यवस्था का चयन आयोगों/विभागों द्वारा दिव्यांगता संबंधी उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–320/XXX(2)2011 दिनांक 18 मार्च, 2011 को अधिक्रमित करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) के कार्यालय ज्ञाप संख्याः F. NO. 34-02/2015-DD-III दिनांक 29 अगस्त, 2018 **(प्रति संलग्न)** से जारी Guidelines for conducting written examination for persons with benchmark disabilities, 2018 के सभी उपबन्ध उत्तराखण्ड राज्य के राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों पर यथा प्रभावी लागू किये जाते हैं। उपरोक्त के क्रम में सभी चयन आयोग/संस्थाओं द्वारा राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के चयनों में भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप में संदर्भित उपबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय,

(भूपाल सिंह मनराल)
सचिव (प्रभारी)।

संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
6. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
7. सचिव, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
8. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू, पौड़ी/नैनीताल।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

F. No. 34-02/2015-DD-III

Government of India

Ministry of Social Justice & Empowerment

Department of Empowerment of of Persons with Disabilities (Divyangjan)

***

Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
C.G.O. Complex, New Delhi - 110003
Dated: the 29th August, 2018

Office Memorandum

Subject: Guidelines for conducting written examination for Persons with Benchmark Disabilities

The undersigned is directed to say that this Department had issued the guidelines for conducting written examination for persons with disabilities defined in terms of erstwhile Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection for Rights and Full Participation) Act, 1995 vide OM No. 16-110/2003-DD.III dated 26/02/2013. The Department had constituted a Committee under the Chairmanship of Secretary, DEPwD in March, 2015 to review the said guidelines based on the issues raised by Union Public Service Commission and others. Meanwhile the Central Government enacted the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act, 2016) which came into force from 19.04.2017. The Act provides for reservation in Government jobs for persons with benchmark disabilities as defined under section 2 (r) of the said Act.

Based on the findings of the Committee, the Central Government hereby lays down the revised guidelines for conducting written examination for persons with benchmark disabilities in supersession of the earlier guidelines issued vide OM No. 16-110/2003-DD.III dated 26/02/2013 as under:

I. These guidelines may be called as "Guidelines for conducting written examination for persons with benchmark disabilities 2018".

II. There should be a uniform and comprehensive policy across the country for persons with benchmark disabilities for written examination taking into account improvement in technology and new avenues opened to the persons with benchmark disabilities providing a level playing field. Policy should also have flexibility to accommodate the specific needs on case-to-case basis.

III. There is no need for fixing separate criteria for regular and competitive examinations.

IV. The facility of Scribe/Reader/Lab Assistant should be allowed to any person with benchmark disability as defined under section 2(r) of the RPwD Act, 2016 and has limitation in writing including that of speed if so desired by him/her.

In case of persons with benchmark disabilities in the category of blindness, locomotor disability (both arm affected-BA) and cerebral palsy, the facility of scribe/reader/lab assistant shall be given, if so desired by the person.

In case of other category of persons with benchmark disabilities, the provision of scribe/reader/lab assistant can be allowed on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write, and scribe is essential to write examination on his behalf, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government health care institution as per proforma at **APPENDIX-I**.

V. The candidate should have the discretion of opting for his own scribe/reader/lab assistant or request the Examination Body for the same. The examining body may also identify the scribe/ reader/lab assistant to make panels at the District/Division/ State level as per the requirements of the examination. In such instances the candidates should be allowed to meet the scribe **two days** before the examination so that the candidates get a chance to check and verify whether the scribe is suitable or not.

VI. In case the examining body provides the scribe/reader/lab assistant, it shall be ensured that qualification of the scribe should not be more than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of the scribe/reader should always be matriculate or above.

In case the candidate is allowed to bring his own scribe, the qualification of the scribe should be one step below the qualification of the candidate taking examination. The persons with benchmark disabilities opting for own scribe/reader should submit details of the own scribe as per proforma at **APPENDIX-II**

VII. There should also be flexibility in accommodating any change in scribe/reader/lab assistant in case of emergency. The candidates should also be allowed to take more than one scribe/reader for writing different papers especially for languages. However, there can be only one scribe per subject.

VIII. Persons with benchmark disabilities should be given, as far as possible, the option of choosing the mode for taking the examinations i.e. in Braille or in the computer or in large print or even by recording the answers as the examining bodies

can easily make use of technology to convert question paper in large prints, e-text, or Braille and can also convert Braille text in English or regional languages.

IX. In case, the persons with benchmark disabilities are allowed to take examination on computer system, they should be allowed to check the computer system one day in advance so that the problems, if any in the software/system could be rectified. Use of own computer/laptop should not be allowed for taking examination. However, enabling accessories for the computer based examinations such as keyboard, customized mouse etc should be allowed.

X. The procedure of availing the facility of scribe should be simplified and the necessary details should be recorded at the time of filling up of the forms. Thereafter, the examining body should ensure availability of question papers in the format opted by the candidate as well as suitable seating arrangement for giving examination.

XI. The disability certificate issued by the competent medical authority at any place should be accepted across the country.

XII. The word "extra time or additional time" that is being currently used should be changed to "compensatory time" and the same should not be less than 20 minutes per hour of examination for persons who are allowed use of scribe/reader/lab assistant. All the candidates with benchmark disability not availing the facility of scribe may be allowed additional time of minimum of one hour for examination of 3 hours duration. In case the duration of the examination is less than an hour, then the duration of additional time should be allowed on pro-rata basis. Additional time should not be less than 5 minutes and should be in the multiple of 5.

XIII. The candidates should be allowed to use assistive devices like talking calculator (in cases where calculators are allowed for giving exams), tailor frame, Braille slate, abacus, geometry kit, Braille measuring tape and augmentative communication devices like communication chart and electronic devices.

XIV. Proper seating arrangement (preferably on the ground floor) should be made prior to the commencement of examination to avoid confusion or distraction during the day of the exam. The time of giving the question papers should be marked accurately and timely supply of supplementary papers should be ensured.

XV. As far as possible, the examining body should also provide reading material in Braille or E-Text or on computers having suitable screen reading software for open book examination. Similarly online examination should be in accessible format i.e. websites, question papers and all other study material should be accessible as per the international standards laid down in this regard.

XVI. Alternative objective questions in lieu of descriptive questions should be provided for Hearing-Impaired persons, in addition to the existing policy of giving alternative questions in lieu of questions requiring visual inputs, for persons with Visual Impairment.

XVII. As far as possible the examination for persons with disabilities should be held at the ground floor. The examination centres should be accessible for persons with disabilities.

2. It is requested to ensure that the above guidelines are scrupulously followed while conducting examination for persons with benchmark disabilities. All the recruitment agencies, Academics/Examination Bodies etc. under the administrative control of each Ministry/Deapartment may be advised appropriately to ensure compliance of implementing these guidelines. Action taken in this regard may be intimated to this office.

3. The above guidelines are issued with the approval of Hon'ble Minister (Social Justice & Empowerment).

Yours faithfully,

(D.K. Pannda)
Under Secretary to the Government of India
Tele. No. 24369059

To

1. Secretary of all Ministries/Department.

2. Secretary, UPSC, Shahjahan Road, New Delhi.

3. Chairman, SSC, Block No.12, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.

4. Chairman, University Grants Commission with a request to issue necessary instructions to all universities including Deemed Universities for compliance.

5. Chairman, Railway Board

6. All National Institutes and RCI under administrative control of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of SJ&E, New Delhi

Copy for information to: CCPD, Sarojini Bhawan, Bhagwan Dass Road, New Delhi

APPENDIX- I

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs _____ (name of the candidate with disability), a person with _____ (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o _____, a resident of _____ (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government health care institution

Name & Designation.

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note:

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Prthopaedic specialist/PMR).

APPENDIX- II

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

I _____, a candidate with _____ (name of the disability) appearing for the _____ (name of the examination) bearing Roll No. _____ at _____ (name of the centre) in the District _____, _____ (name of the State). My qualification is _____.

I do hereby state that _____ (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is _____. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with Disability)

Place:

Date:

भाग–15

लिपिक संवर्गीय पदों का पुनर्गठन एवं पदोन्नति हेतु पात्रता

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या /XXX(2)/15–30(51)2015
देहरादूनः दिनांकः 06 अक्टूबर, 2015

कार्यालय–ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न संबंधी कार्यालय–ज्ञाप संख्या 183/XXX(2)/2010, दिनांक 11.02.2010 में संशोधन करते हुए सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल निम्नवत् संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न
1.	कनिष्ठ सहायक	32%	32%
2.	वरिष्ठ सहायक	30%	28%
3.	प्रधान सहायक	18%	18%
4.	प्रशासनिक अधिकारी	20%	10%
5.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	—	10%
6.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	—	2%

2. जिन कार्यालयों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पूर्व से सृजित हैं, को समाप्त नहीं किया जायेगा।

3. कृपया अपने विभाग के संरचनात्मक ढाँचे में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों के संबंध में उपरोक्त निर्णयानुसार संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुए प्रत्येक विभाग विभागीय संरचनाओं में प्रतिशत के आधार पर पदों का वर्गीकरण तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 761/XXVII(7)/2015 दिनांक 25 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव,

संख्या 3550/XXX(2)/15–30(51)2015, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग/निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्याः 90 /XXX(2)/2016-30(51)15
देहरादूनः दिनांकः 26 जुलाई, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप संख्या 355/XXX(2)/15-30(51)2015 दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 में संशोधन करते हुए सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल निम्नवत् संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0सं0	पदनाम	वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न
1	कनिष्ठ सहायक	32%	32%
2	वरिष्ठ सहायक	28%	28%
3	प्रधान सहायक	18%	18%
4	प्रशासनिक अधिकारी	10%	8%
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	10%	8%
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	2%	6%

2. जिन कार्यालयों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पूर्व से सृजित हैं, को संशोधित स्टाफिंग पैटर्न में समायोजित किया जायेगा।

3. कृपया अपने विभाग के संरचनात्मक ढॉचे में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्णयानुसार संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुए विभागीय संरचनाओं का पुनर्गठन तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः /XXX(2)/2016-30(51)15 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द लोहनी)
अपर सचिव।

भाग–16

चल, अचल सम्पत्ति का विवरण

संख्या–408/नि0स0/प्र0स0का0/2014

प्रेषक,

डा0 एस0 एस0 संधु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक २१ अगस्त, 2014

विषय– राज्य सरकार के अधीन कार्यरत् समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अचल सम्पत्ति का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–192/XXX(2)/2012–25/27/2002 दिनांक 26.03.2012 द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण प्रेषित किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश द्वारा निर्गत किये गये दिशा–निर्देशों में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिवर्ष नियमित रूप से अगली 31 जनवरी तक नियुक्ति प्रधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उनके विरूद्ध राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लघंन मानते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

2– शासन के संज्ञान में यह आया है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों के पश्चात् अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपनी सम्पत्ति के विवरण प्रेषित नहीं किये जा रहे हैं। यह स्थिति उचित नहीं है, जब कि राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम–22 में अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है।

3– इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 26.03.2012 में आंशिक संशोधन करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि समूह 'क' 'ख' तथा 'ग' के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी अपनी सम्पत्ति का विवरण प्रतिवर्ष

क्रमशः.....2

31 जुलाई तक कि स्थिति के अनुसार 31 अगस्त तक अपने नियुक्ति प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करायेंगे तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपनी सम्पत्ति का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया हो, तो वे 10 सितम्बर, 2014 तक सम्पत्ति का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर अपने नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध करायें। यदि श्रेणी 'क' 'ख' तथा 'ग' के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपरोक्त निर्देशों के पश्चात् भी अपनी सम्पत्ति का विवरण निर्धारित अवधि तक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ प्रत्येक अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय से अवगत कराते हुये आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 एस0एस0 संधु)
प्रमुख सचिव

संख्या– /नि0स0/प्र0स0का0/2014/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. सचिव, लोकायुक्त, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध
संख्याः 418 / XXX(2) / 2014

प्रेषक,

डॉ0एस0एस0संधु
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 28 अगस्त, 2014

विषयः– राज्य सरकार के अधीन कार्यरत् समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा अचल सम्पत्ति का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्रांक 408 / नि0स0 / प्र0स0का0 / 2014 दिनांक 21.08.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण 31 जुलाई तक की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक अपने नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराये जाने के दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में अचल सम्पत्ति का विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु **दिनांक 10 सितम्बर, 2014** की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें, कि अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों की अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित तिथि 10 सितम्बर, 2014 तक आपके पास प्रत्येक दशा में उपलब्ध हो जाय।

उक्त वर्णित निर्धारित तिथि 10.09.2014 तक अचल सम्पत्ति का विवरण न उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उनके नाम एवं पदनाम सहित समस्त सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक 15.09.2014 तक शासन में अपने प्रशासकीय विभाग एवं कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ0एस0एस0संधु)
प्रमुख सचिव।

संख्या (1) / XXX(2) / 2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. सचिव, लोकायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय
7. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण–पत्र

(वर्ष ..... के लिए दिनांक 01 जनवरी,..... की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा .....
2. संवर्ग .....
3. वर्तमान धारित पद .....
4. वर्तमान वेतनमान .....

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान :.....
दिनांक : .....

हस्ताक्षर .....
अधिकारी का नाम .....
पद नाम .....
विभाग .....

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक–पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक–पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

भाग—17

विविध

संख्या–450/XXX(2)/2014

प्रेषक,

एन0 रवि शंकर
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 03 नवम्बर, 2014

विषय– **श्रेणी 'ख' तथा श्रेणी 'ग' के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

भारतीय संविधान की संकल्पनाओं के अनुरूप समाज के निर्माण एवं विकास के लिये विभिन्न वर्ग, सम्प्रदाय, धर्म एवं सामाजिक परिवेश से अधिकारी/कर्मचारी लोक सेवाओं में नियुक्त किये जाते हैं। लोक सेवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्धारित भूमिकाओं एवं दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करें तथा जन अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को दृष्टि में रखकर शासन की नीति तथा योजनाओं का क्रियान्वयन करें। लोक सेवकों की बदलती भूमिका विशेषकर शासन–प्रशासन के क्षेत्र में निरन्तर बढ़ती हुयी जटिलताओं, नित्यप्रति उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभावी निदान के साथ–साथ विकास में सहायक एवं उत्प्रेरक की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में लोक सेवकों को प्रभावी प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है, जिसके माध्यम से अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य कार्य संस्कृति पैदा करना, उचित मार्गदर्शन की क्षमता और कार्य का उचित वातावरण पैदा करना भी है।

2– प्रायः यह देखने में आया है कि अधिकारियों/कर्मचारियों को कुशल लोक सेवकों की भूमिका के निर्वहन के लिये व्यवसायिक एवं मानवीय मूल्यों के प्रति अभिप्रेरित करने हेतु प्रभावी रूप से प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों की गुणवत्ता में कमी, कार्य संस्कृति की कमी, उचित मार्गदर्शन का अभाव तथा उचित वातावरण का अभाव देखने को मिल रहा है।

3– इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

(1)– लोक सेवकों में प्रशिक्षण के माध्यम से कार्य संस्कृति, उचित मार्गदर्शन की क्षमता, कार्य का उचित वातावरण, अभिप्रेरणा के माध्यम से व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं मानवीय मूल्यों को अभिप्रेरित करने के लिये प्रत्येक विभाग एवं सेवा में समूह 'ख' तथा समूह 'ग' के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से

क्रमांक.....2

Induction course कम से कम एक माह का निर्धारित किया जाये।

(2)– जिन विभागों में अधिकारी/कर्मचारी पूर्व से नियुक्त हों और Induction course का प्रशिक्षण प्राप्त न किया गया हो, उन्हें भी Mid Career के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

(3)– प्रथम नियुक्ति के समय तथा Mid Career प्रशिक्षण के समय श्रेणी 'ख' तथा श्रेणी 'ग' के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के रूप में Office Managment, Financial Managment, अधिष्ठान नियम, शिष्टाचार, कार्य संस्कृति, सम्प्रेषण, अभिप्रेरणा, प्रोटोकॉल तथा दृष्टिकोण परिवर्तन इत्यादि विषयों को प्रशिक्षण में सम्मिलित करते हुये प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(4)– उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी द्वारा प्रत्येक विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुये उपरोक्त विषयों पर विभागवार प्रशिक्षण का वार्षिक कलेण्डर तथा प्रशिक्षण नीति तैयार करके उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जायेगी।

(5)– प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न संवर्ग में प्रथम नियुक्ति के समय श्रेणी 'ख' तथा श्रेणी 'ग' के कार्मिकों को अनिवार्य Induction course के संबंध में उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी से समन्वय करते हुये प्रशिक्षण की रूप–रेखा तैयार करेंगे।

4– आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये श्रेणी 'ख' तथा श्रेणी 'ग' के कर्मचारियों को प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्रदान किये जाने की व्यवस्था करने के साथ ही प्रशिक्षण की नीति अविलम्ब तैयार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन0 रवि शंकर)
मुख्य सचिव

संख्या– /XXX(2)/2014तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण नीति तथा वार्षिक कलेण्डर प्रत्येक विभाग से समन्वय करके तैयार करके कार्मिक विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्याः 522/XXX(2)/2014–30(78)2014
देहरादूनः दिनांकः 11 दिसम्बर, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त, सेवायोजन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने के उद्देश्य से निम्नवत् निर्णय लिये गये हैंः–

(1) सेवायोजन हेतु आवेदन करते समय संलग्न किये जाने वाले शैक्षिक एवं तत्सम्बन्धी अन्य प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपियाँ स्वीकार की जाए। साक्षात्कार के समय अथवा किसी पद विशेष हेतु साक्षात्कार की बाध्यता न होने पर नियुक्ति से पूर्व मूल प्रमाण–पत्रों से मिलान कर लिया जाए।

(2) आवेदन–पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली एक या एक से अधिक फोटो को भी स्वप्रमाणित होने पर स्वीकार किया जाए। लिखित परीक्षा के समय कक्ष अन्तरीक्षक द्वारा अभ्यर्थी के फोटो का मिलान कर लिया जाए, और उसी फोटोग्राफ को साक्षात्कार/नियुक्ति के समय संज्ञान में लिया जाए।

(3) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों से भी स्वप्रमाणित जाति प्रमाण–पत्र स्वीकार किए जाँए तथा साक्षात्कार/नियुक्ति के समय मूल प्रमाण–पत्रों से उनका मिलान कर लिया जाए।

2– कृपया उपर्युक्त निर्देशों का सभी सेवायोजन सम्बन्धी परीक्षाओं में अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

N. Ravi Shankar
(एन0 रवि शंकर)
मुख्य सचिव।

संख्याः 522/XXX(2)/2014–30(78)2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
6. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की, हरिद्वार।
7. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
9. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी सचिवालय परिसर देहरादून।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सी0एम0एस0 बिष्ट)
सचिव।

संख्या- 248/XXX(2)/2014

प्रेषक,

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग—2 देहरादून, दिनांक 16 जून, 2014

विषयः— कर्मचारी संगठनों से उनके सेवा—संबंधी मामलों में वार्ता करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कर्मचारी संगठनों द्वारा समय—समय पर अपने सेवा—संबंधी मामलों में माँग—पत्र शासन को प्रेषित किये जाते हैं और कभी—कभी ऐसे माँग—पत्र मा0 मुख्यमंत्री जी को भी प्रेषित किये जाते हैं, जबकि शासन द्वारा पूर्व में भी इस सम्बन्ध में दिशा—निर्देश निर्गत किये गये हैं कि प्रत्येक सचिव/विभागाध्यक्ष कर्मचारी संगठनों की माँगों के सम्बन्ध में अपने स्तर पर कर्मचारी संगठनों से वार्ता करेंगे, ताकि कर्मचारी संगठन व विभागीय स्तर पर संवाद बना रहे। शासन के समक्ष यह तथ्य लाया गया है कि कर्मचारी संगठनों की माँगों के सम्बन्ध में सचिव/विभागाध्यक्ष स्तर पर कर्मचारी संगठनों से वार्ता नहीं हो रही है, जो कि उचित नहीं है।

2— अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी संगठनों की माँगों के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सचिव तथा विभागीय स्तर पर विभागाध्यक्ष कर्मचारी संगठनों से प्रत्येक माह वार्ता करेंगे और जिन मामलों में वित्तीय उपाशय निहित हो, उन माँगों को छोड़कर अन्य माँगों को अपने स्तर पर निस्तारित करेंगे। शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा कर्मचारी संगठनों से की गयी वार्ताओं के संबंध में मुख्य सचिव के स्तर पर अनुश्रवण किया जायेगा।

3— अतः कृपया कर्मचारी संगठनों की माँगों के सम्बन्ध में प्रत्येक सचिव/विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाकर प्रत्येक माह वार्ता करेंगे और वित्तीय उपाशय से सम्बन्धित माँगों को छोड़कर शेष माँगों का निस्तारण करते हुए प्रत्येक माह शासन को अवगत करायेंगे।

कृपया उपुर्यक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्याः 187 / रिट / XXX(2) / 2014–31(13)2014

प्रेषक,

एन0 रवि शंकर,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त / समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 8 दिसम्बर, 2014

विषयः– जनहित याचिका संख्या 175 / 2014 मांगे राम सिरोही बनाम राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उक्त जनहित याचिका में मुख्य स्थायी अधिवक्ता के फैक्स दिनांक 26.11.2014 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के निम्नवतः आदेश से अवगत कराया गया है :–

"The Hon'ble court has now passed an order by which the respondents have been restrained henceforth to transfer/attach any employee at the Camp Office(s). The Hon'ble Court has further directed that the Officers situated in remote areas should not be allowed unnecessarily or frequently to visit the Camp Offices situated in plane area on the ground of attending meetings and instead they should be allowed to conversate through the method of Video Conferencing."

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

N. Ravi Shanker.

(एन0 रवि शंकर)
मुख्य सचिव।

संख्या (1) / XXX(2) / 2014–31(13)2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 227 / XXX(2) / 2014

प्रेषक,

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2–. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 16 जून, 2014

विषयः– **विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न सेवा–संवर्गों में रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक चयन वर्ष की प्रथम तिथि से पूर्व आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अभी भी कतिपय विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं हो रही है अथवा विलम्ब से हो रही है, यह स्थिति उचित नहीं है।

2– इस सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक सेवा–संवर्ग में रिक्त पदों के सापेक्ष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक चयन वर्ष की प्रथम तिथि 01 जुलाई से पूर्व जून के माह में आयोजित कर ली जाय, ताकि कार्मिकों की पदोन्नति निर्धारित समय पर सुनिश्चित हो सके। इसकी त्रैमासिक समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपुर्यक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या– /XXX(2)/2006/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मण्डलायुक्त कुमायूँ / गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
2– समस्त कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

संख्या 223 /XXX(2)/ 2014

प्रेषक,

सी0एम0एस0बिष्ट,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 19 मई, 2014

विषयः– **विभागीय पदोन्नति समिति (डी0पी0सी0) की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित विभाग/शासन द्वारा नामित सदस्यों की सूचना लोक सेवा आयोग हरिद्वार कार्यालय को प्रेषित किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि आयोग में डी0पी0सी0 की तिथि निर्धारित करने के उपरान्त भी संबंधित विभाग/शासन से डी0पी0सी0 हेतु नामित सदस्यों के आने की सूचना निर्धारित तिथि से पूर्व अथवा निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होती है जबकि आयोग के डी0पी0स0 हेतु नामित अध्यक्ष/सदस्य निर्धारित तिथि पर डी0पी0सी0 सम्पन्न कराने हेतु प्रतीक्षारत रहते है, जिससे आयोग के अन्य कार्य भी प्रभावित होते है और अन्ततः संबंधित विभाग/शासन द्वारा डी0पी0सी0 की तिथि परिवर्तित करने का अनुरोध पत्र प्रेषित कर दिया जाता है।

2– अतः आयोग द्वारा अपेक्षा की गई है की डी0पी0सी0 की तिथि से एक दिन पूर्व विभाग/शासन से संबंधित कार्मिक समस्त दस्तावेजों के साथ आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों से मिलान करवाए, जिससे निर्धारित तिथि को डी0पी0सी0 सम्पन्न हो सके। यदि विभाग/शासन द्वारा नामित सदस्य डी0पी0सी0 हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने में असमर्थ, हों, तो भी डी0पी0सी0 की निर्धारित तिथि से पूर्व आयोग कार्यालय को कारण सहित सूचना प्रेषित कर दी जाय। ताकि डी0पी0सी0 हेतु नामित अध्यक्ष/सदस्य आयोग के अन्य कार्य भी कर सकें।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया लोक सेवा आयोग में सम्पन्न होने वाले डी0पी0सी0 के संबंध में उक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी0एम0एस0बिष्ट)
सचिव,

संख्या 276 /XXX/(2)/2014–30(13)/2014

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 27 जून, 2014

विषयः– राजकीय विभागों में तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों को अधिमान दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर राजकीय विभागों में 3 वर्ष या इससे अधिक अवधि से तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों को राज्याधीन सेवाओं में जिस विभाग में ऐसे तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिक तैनात है उन विभागों में संबंधित पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के समय 10 प्रतिशत का अधिमान यथाप्रकिया अनुमन्य किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या /XXX/(2)/2014–30(13)/2014,तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूं, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून को वैबसाईड में प्रदर्शित करने हेतु।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या /XXX/(2)/2014–3(1)/2012

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 27 मार्च, 2014

विषयः– राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन गठित आयोगों/निगमों/संस्थाओं में पुनर्नियुक्ति/अनुबंधात्मक रूप से नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी विभागों, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों,स्थानीय निकायों तथा परिषदों में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुर्ननियुक्ति अथवा अनुबंधात्मक रूप से तैनाती प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–173/XXX (2)/2013–3(1)/2012, दिनांक 20 फरवरी, 2013 द्वारा व्यापक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। यह भी निर्देश निर्गत किये गये हैं कि ऐसे प्रस्ताव का भली–भॉति परीक्षण करके औचित्य के साथ वित्त विभाग तथा कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त करके मुख्य सचिव, मा0 विभागीय मंत्री के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन गठित आयोगों/निगमों/संस्थाओं में पुर्ननियुक्ति/अनुबंधात्मक रूप से नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त ही लिया जायेगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या 140/XXX/(2)/2014–3(1)/2012तद्दिनांकित–

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूं, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून को वैबसाईड में प्रदर्शित करने हेतु।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

संख्या 442/XXX(2)/2014

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 20-10-2014

विषयः राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के स्थानान्तरण, कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु वार्षिक स्थानान्तरण नीति दिनांक 29 मई, 2008 को निर्गत की गई थी और इस नीति में कार्मिकों के स्थानान्तरण, कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी विविध प्राविधान किए गए हैं।

2. प्रायः यह देखने में आया है कि कतिपय विभागों में सुगम से दुर्गम स्थान में स्थानान्तरण के फलस्वरूप अधिकारी/कर्मचारी को उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा कार्यभार से अवमुक्त नहीं किया जाता है और यदि कार्यभार से अवमुक्त किया जाता है तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तथा अपने स्थानान्तरण को रूकवाने अथवा निरस्त करवाने का प्रयास किया जाता है, जिससे जहॉ एक ओर शासन के आदेशों की तथा स्थानान्तरण नीति की स्पष्ट अवहेलना होती है, वहीं दूसरी ओर दुर्गम स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने के कारण पद रिक्त रहने से शासकीय कार्य प्रभावित होते हैं।

3. उक्त प्रस्तर–2 में इंगित स्थिति के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त "वार्षिक स्थानान्तरण नीति–2008" में निहित सामान्य प्राविधानों के अतिरिक्त जनहित में निम्नांकित अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं :–

(1) प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले स्थानान्तरणों के लिए सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी द्वारा विभाग के अन्तर्गत चिन्हित सुगम एवं दुर्गम स्थानों पर कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु एक संयुक्त सूची/प्रस्ताव तैयार कर उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, किन्तु स्थानान्तरण आदेश निम्न क्रम में निर्गत किए जायेंगे :–

(i) सर्वप्रथम सुगम से दुर्गम स्थान, दुर्गम से दुर्गम स्थान एवं सुगम से सुगम (यथा लागू) स्थान के लिए स्थानान्तरण आदेश निर्गत किए जायेंगे और उनका कियान्वयन स्थानान्तरण आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर सुनिश्चित कराया जायेगा।

(ii) दुर्गम से सुगम स्थान के लिए अनुमोदित स्थानान्तरण आदेश सम्बन्धित कार्मिक अथवा उसके नियंत्रक अधिकारी को सीधे निर्गत नहीं किए जायेंगे और ऐसे आदेश की प्रति कार्मिक के दुर्गम स्थान में तैनाती के जिले से सम्बन्धित विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ उपलब्ध कराये जायेंगे कि विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी के स्तर पर जब इस बात की पुष्टि हो जाय कि सम्बन्धित कार्मिक की नियुक्ति के स्थान पर सुगम से दुर्गम अथवा दुर्गम से सुगम स्थान हेतु किए गए पूर्व स्थानान्तरण आदेशों के फलस्वरूप प्रतिस्थानी की तैनाती हो चुकी है और उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तभी विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा दुर्गम

से सुगम वाले स्थानान्तरण आदेश सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी/कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करने/होने के निर्देश के साथ उपलब्ध/निर्गत किये जायेंगे। सम्बन्धित विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा किसी भी दशा में दुर्गम से सुगम स्थान के लिए स्थानान्तरण अनुमोदित कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश उसके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निर्गत नहीं किया जायेगा, अन्यथा इसे विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी के स्तर पर अनुशासनहीनता मानकर शासन द्वारा इसका समुचित संज्ञान लिया जायेगा।

(2) सुगम से दुर्गम स्थान, दुर्गम से दुर्गम स्थान एवं सुगम से सुगम स्थान के लिए स्थानान्तरित कार्मिकों को नियंत्रक अधिकारी द्वारा 03 दिन के अन्दर कार्यमुक्त किए जाने का उल्लेख स्थानान्तरण आदेश में किया जायेगा। इसी प्रकार, प्रतिस्थानी के कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त दुर्गम स्थान से सुगम स्थान हेतु स्थानान्तरित होने वाले कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश में भी नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिस्थानी के कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त तत्काल कार्यमुक्त किए जाने का निर्देश उल्लिखित होगा।

(3) स्थानान्तरण आदेश में निर्दिष्ट समयावधि के अन्दर कार्मिक को कार्यमुक्त न करने वाले नियंत्रक अधिकारी को सक्षम अधिकारी द्वारा तत्काल एक विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देकर तत्सम्बन्धी विवरण उसकी व्यक्तिगत पत्रावली/सेवा अभिलेख में रखा जायेगा ताकि ऐसे नियंत्रक अधिकारी की भविष्य में पदोन्नति के समय ऐसे विवरण का भी संज्ञान लिया जा सके।

(4) स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के उपरान्त निर्दिष्ट समयावधि में कार्यमुक्त न होने वाले अथवा कार्यमुक्ति के बाद अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण समय' (Joining Time) का उपभोग करने के उपरान्त नियत तिथि तक नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण न करने वाले कार्मिक को भी तत्काल एक विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ–साथ ऐसे कार्मिक के विरूद्ध अन्य कठोर दण्डनीय कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी और ऐतद्विषयक समस्त विवरण, उसकी व्यक्तिगत पत्रावली/सेवा अभिलेख में संरक्षित रखा जायेगा ताकि ऐसे कार्मिक की भविष्य में पदोन्नति के अवसर पर उसका संज्ञान लिया जा सके।

(5) स्थानान्तरित किए गए कार्मिक का वेतन, स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्ति हेतु निर्दिष्ट तिथि के उपरान्त पूर्व तैनाती के स्थान/जनपद से आहरित नहीं किया जायेगा और ऐसे कार्मिक को नियंत्रक अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई अवकाश भी स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ऐतद्विषयक उल्लेख स्थानान्तरण आदेश में भी अंकित करते हुए स्थानान्तरण आदेश की प्रति सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी को भी पृष्ठांकित की जायेगी।

(6) स्थानान्तरित किए गए कार्मिक का स्थानान्तरण आदेश उसकी व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित रखा जायेगा और उस पर कार्मिक के कार्यमुक्त होने हेतु निर्दिष्ट तिथि, कार्यमुक्त होने की वास्तविक तिथि तथा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि अंकित की जायेगी। ऐसे विवरण का संज्ञान सम्बन्धित कार्मिक की भविष्य में होने वाली पदोन्नति के अवसर पर भी लिया जायेगा।

(7) उपर्युक्त निर्देशों के आलोक में कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश में अन्य बातों के साथ–साथ पृष्ठांकन प्रति पर जिन बिन्दुओं का उल्लेख/समावेश किया जायेगा, इसका नमूना निम्नवत् है :–

(i) .....(सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी) को इस निर्देश के साथ कि वे कृपया श्री..... को ..... दिन के अन्दर कार्यभार से अवमुक्त करते हुए उन्हें नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। आदेश का अनुपालन न करने की दशा में इसे शासन के आदेशों की अवहेलना तथा अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा नियंत्रक अधिकारी के विरूद्ध विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(ii) .....(सम्बन्धित विभाग/अनुभाग) को इस निर्देश के साथ कि इसे सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जाये तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि, कार्यमुक्त होने की तिथि तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि का विवरण अंकित किया जाय जिसका भविष्य में पदोन्नति के समय संज्ञान लिया जायेगा।

(iii) वरिष्ठ कोषाधिकारी.....उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि इस आदेश में कार्यमुक्ति हेतु निर्दिष्ट तिथि के बाद श्री ..... का वेतन जनपद ..... से आहरित नहीं किया जायेगा।

4. शासन द्वारा लिए गए उक्त नवीन निर्णयों/निर्देशों से असंगतता की सीमा तक 'वार्षिक स्थानान्तरण नीति--2008' संशोधित समझी जायेगी और उसके अन्य प्राविधान पूर्ववत् लागू रहेंगे। अतः अनुरोध है कि कृपया विभाग के अन्तर्गत किए जाने वाले स्थानान्तरणों के संदर्भ में उक्त नवीन निर्णयों/निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या : /XXX(2)/2014/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

संख्या– /xxx-2/2014

सेवा में,

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषक,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग– 2 देहरादून, दिनांकः 30 जनवरी, 2014

विषय– टी0आर0एस0 सुब्रमण्यम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में।

महोदय,

रिट पिटीशन (सिविल) 234/2011 टी0आर0एस0 सुब्रमण्यम व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2013 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:–

"We, therefore, direct all the State governments and Union Territories to issue directions like Rule 3(3) of the All India Services (Couduct) Rules, 1968, in their respective States and Union Territories Which will be carried out with in three months from today."

2. अखिल भारतीय सेवायें (आचरण), नियमावली, 1968 के नियम 3(3) में निम्न प्राविधान किये गये हैं:–

3(i) No member of the service shall, in the performance of his official duties, or in the exercise of power conferred on him, act otherwise than in his own best judgment to be true and correct except when he is acting under the direction of his official superior.

(ii) The direction of the official superior shall ordinarily be in writing. where the issue of oral direction becomes unavoidable, the official superior shall confirm it in writing immediately thereafter.

(iii) A member of the Service who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing, as early as possible and in such case, it shall be the duty of the official superior to confirm the direction writing.

3. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा निम्नानुसार प्रस्तर–2 के अनुक्रम में निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :–

(1) प्रत्येक लोक सेवक, अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में या उसको प्रदत्त शक्तियों के क्रियान्वयन में अपने विवेक से सत्य व उचित कार्य करेगा सिवाय इसके वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में कार्य कर रहा हो।

क्रमशः 2

(2) उच्चाधिकारियों के निर्देश सामान्यतया लिखित में प्राप्त होंगे, जहां पर मौखिक आदेश अपरिहार्य हो जायें तो उच्चाधिकारी तत्काल बाद उसकी पुष्टि करेगा।

(3) लोक सेवक जिसे अपने उच्चाधिकारी से मौखिक निर्देश प्राप्त हुआ हो वह उसकी पुष्टि लिखित में यथाशीघ्र करेगा, तथा सम्बन्धित शासकीय उच्चाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह दिये गये निर्देशों की लिखित में पुष्टि करेंगे।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या– 46/xxxi(1)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद्।
2. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
6. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

संख्या 110 /XXX/(2)/2014–30(7)/2014

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूं, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 03 मार्च 2014

विषयः– उर्दू अनुवादकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियॉ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–80 सीएम/ 47– का–4–94–15/10/94, दिनांक 24 मार्च, 1994 द्वारा प्रत्येक विभाग के कार्यालय में एक उर्दू अनुवादक की नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके कम में उर्दू अनुवादकों के पदों का कालान्तर में सृजन किया गया है।

2– राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों पर चयन कराने हेतु समय–समय पर दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन विभागों में उर्दू अनुवादकों के पद सृजित हैं तथा रिक्त हैं वहॉ उर्दू अनुवादकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चयन की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ कर दी जाय।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या /XXX/(2)/2014–30(7)/2014,तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की, हरिद्वार।
3. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून को वैबसाईड में प्रदर्शित करने हेतु।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

संख्याः 161/XXX(2)/2014

प्रेषक,

एन0 रविशंकर,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 03 नवम्बर, 2014

विषयः– उत्तराखण्ड कलक्ट्रेट मिनिस्टीरियल कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड कलक्ट्रेट मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न मांगों के लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने के कारण जनसामान्य को हो रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर जनहित याचिका संख्या 167/2014 तथा जनहित याचिका संख्या 166/2014 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2014 को निम्नवतः आदेश पारित किये गये हैंः–

"State Government should take strike of the Ministerial staff very seriously. We request the Chief Secretary to take appropriate action against the striking staff. We also request that unless and until the striking staff return to their work, no salary shall be paid to them. Payment of salary shall be considered only after the striking staff calls off their strike. We also direct the State Government to consider for alternative arrangement. In case strike is not called off, the State Government is requested to consider invoking provisions of Uttar Pradesh Essential Service Maintenance Act, 1966 as applicable to the State of Uttarakhand."

2– मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में शासन द्वारा "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त को लागू किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गये हैंः–

(1) "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के अनुरूप हड़ताल/कार्य बहिष्कार पर रहने वाले कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाए। हड़ताली कर्मचारियों का विवरण आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से कोषागार को उपलब्ध कराया जाएगा तथा कोषागार द्वारा तद्नुसार हड़ताल/कार्य बहिष्कार पर रहने वाले कर्मचारी का हड़ताल/कार्य बहिष्कार अवधि के वेतन का भुगतान न किया जाए।

(2) जिन सेवाओं में अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के प्रावधान प्रभावी हैं, वहां उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाए।

(3) हडताल/कार्य बहिष्कार के दौरान कार्यालयों में तालाबन्दी करने वाले एवं तालाबन्दी के लिए प्रेरित करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के प्राविधानों के अधीन अविलम्ब कार्यवाही की जाय।

(4) हड़ताल/कार्य बहिष्कार अवधि को बाद में किसी भी दशा में उपार्जित अवकाश या अन्य प्रकार के अवकाश के रूप में अगणित नहीं किया जाएगा बल्कि इस अवधि का सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सेवा में व्यवधान माना जाएगा।

(5) हड़ताल/कार्य बहिष्कार की अवधि में जो कर्मचारी कार्य पर आते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।

(6) हड़ताल/कार्य बहिष्कार अवधि में अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी कर्मचारी को सामान्य रूप से अवकाश स्वीकृत न किया जाए।

(7) प्रत्येक विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारी की उपस्थिति की कड़ाई से जांच की जाए और यदि कोई कर्मचारी उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें भी हड़ताल/कार्य बहिष्कार में सम्मिलित माना जाए एवं उनके सम्बन्ध में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाय।

(8) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/जिलाधिकारी का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता की दशा में उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन0 रविशंकर)
मुख्य सचिव।

संख्याः 1611/जी(1)/XXX(2)/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड
2— अधिशासी निदेशक, एन0आइ0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
3— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सी0एम0एस0 बिष्ट)
सचिव।

संख्या–490/XXX(2)/2015

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारीसचिव
उत्तराखण्ड शासन।

3– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

4– मण्डलायुक्त
गढ़वाल/कुमाऊ, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015

विषयः– एक शासकीय विभाग से दूसरे शासकीय विभाग में तैनाती पर प्रास्थिति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–2 भाग–2 से 4के मूल नियम 110 के अधीन सरकारी सेवकों को स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि में वाह्य सेवा पर भेजे जाने का प्राविधान है। ऐसी वाह्य सेवा को प्रतिनियुक्ति की संज्ञा दी जाती है और प्रतिनियुक्ति की अवधि उस पद पर वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु मूल नियम 26(c) के अन्तर्गत गिनी जाती है जिस पद से वह वाह्य सेवा पर गया हो तथा पैतृक विभाग के समय–समय पर देय प्रोन्नतियों का लाभ भी उसको मूल नियम 113 के अन्तर्गत देय होता है तथा तद्नुसार वाह्य सेवा में उसको देय वेतन एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता को विनियमित किया जाता है।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि है कपितय सरकारी विभागों में कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारी की एक शासकीय विभाग से दूसरे शासकीय विभाग में तैनाती की जाती है तो वह उसे वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति की संज्ञा दी जा रही है और प्रतिनियुक्ति की शर्ते लागू की जा रही हैं। जब कि एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग में कार्य हित में जब किसी अधिकारी की तैनाती की जाती है तो वह प्रतिनियुक्ति नहीं है क्योंकि एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग में की जाने वाली तैनाती सेवा स्थानान्तरण है, प्रतिनियुक्ति नहीं है।

3– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग में कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति के रूप में तैनात न किया जाये बल्कि ऐसी तैनाती सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनाती मानी जायेगी।

4– कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

क्रमांक.....2

संख्या / XXX(2)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. अधिशासी अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

संख्या– 190 / XXX(2) / 2015

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

3– समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

4– मण्डलायुक्त
गढ़वाल / कुमाऊ, उत्तराखण्ड।

5– समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 21 मई 2015

विषयः– सेवा नियमावलियों के प्रख्यापन से पूर्व लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 में राज्य लोक सेवा आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वे ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिये जिनके लिये विशेष अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की स्कीम बनाने और उनका प्रवर्तन करने के लिये उन राज्यों की सहायता करे तथा सिविल सेवाओं में और सिविल पदों, उससे संबंधित विषयों पर भी राज्य सरकार को परामर्श देंगे।

2– उपर्युक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 में भी सीधी भर्ती, पदोन्नति द्वारा चयन, अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप दण्ड तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के पदों पर तथा ऐसे पदों पर जिनके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं, सेवा नियमावली प्रख्यापित करने से पूर्व लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है।

3– प्रायः यह देखने में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा सेवा नियमावली के आलेख, नयी सेवा नियमावली हो अथवा सेवा नियमावली संशोधन का प्रस्ताव हो, कार्मिक नियमावली सैल तथा विधायी विभाग से विधीक्षित कराकर सीधे माननीय मंत्रिमण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे जाते हैं परन्तु जहां सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती हो या जहां पद के नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हों, वहां सेवा नियमावली के आलेख पर राज्य लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त नहीं किया जाता है जो कि उचित प्रक्रिया नहीं है।

4– इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक संवर्ग में जिन पदों पर सीधी भर्ती तथा पदोन्नति लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है अथवा जिन पदों पर नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल है, की सेवा नियमावली तथा सेवा

क्रमशः.....2

नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर कार्मिक नियमावली सैल तथा विधायी विभाग से विधीक्षित होने के बाद सर्वप्रथम सेवा नियमावली के आलेख पर राज्य लोक सेवा आयोग का परामर्श/सहमति अवश्य प्राप्त की जायेगी। राज्य लोक सेवा आयोग का परामर्श /सहमति प्राप्त होने के पश्चात् सेवा नियमावली के आलेख को माननीय मंत्रिमण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

5– कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या– 190/XXX(2)/2015/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड।
2. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. अधिशासी अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

संख्या– 80 /XXX(2)/2015

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 04/03/2015

विषयः– सेवा नियमावली प्रख्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समय–समय पर विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न संवर्गों की सेवा नियामवली में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव माननीय मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।

2– प्रायः यह देखने में आया है कि विभागों द्वारा माननीय मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली टिप्पणियों में सेवा नियमावली के प्रख्यापन संबंधी प्रस्ताव में वर्तमान प्रचलित नियम, जिसे संशोधित किया जा रहा है तथा प्रस्तावित नियम का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है जिससे यह स्पष्ट होने में कठिनाई होती है कि वर्तमान प्राविधान क्या है और उसमें विभाग क्या संशोधन करना चाहते हैं?

3– इस संबंध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कृपया भविष्य में माननीय मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली टिप्पणियों में, जिनमें किसी संवर्ग की सेवा नियमावली के किसी नियम में संशोधन किया जाना प्रस्तावित हो, वहां वर्तमान नियम तथा प्रस्तावित नियम का तुलनात्मक विवरण भी माननीय मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत की जाने वाली टिप्पणियों में अंकित करने का कष्ट करें।

4– अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या— /XXX(2)/2015/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

महत्वपूर्ण
संख्या–112/XXX(2)/2015

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

4– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24 जुलाई, 2015

विषयः– **सेवा नियमावलियों में बदलते परिवेश तथा नवीनतम उपाधियों के अनुरूप शैक्षिक अर्हताओं का पुनर्निर्धारण किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य गठन की तिथि से 02 वर्ष तक अथवा जब तक उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अपने नये सेवा नियम, अधिनियम तथा अधिसूचना जारी नहीं की जाती हैं, उत्तर प्रदेश में लागू नियम, अधिनियम तथा अधिसूचना, आदेश उत्तराखण्ड में भी यथावत लागू रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की उक्त धारा के अन्तर्गत पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा समय–समय पर विभिन्न सेवा संवर्ग के लिये जारी की गयी सेवा नियमावलियाँ उसी रूप में उत्तराखण्ड में भी लागू हैं यदि उत्तराखण्ड द्वारा उनकी संवर्गों की सेवा नियमावलियाँ नहीं बनाई गयी हो, तो इस संबंध में शासनादेश संख्या–1963/का0–2/2001–55(4)/2001 दिनांक 10.01.2002 द्वारा सेवा नियमावलियों में वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन/संशोधन की कार्यवाही किये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उपर्युक्त दिशा–निर्देश के पश्चात् भी अनेक विभागों में अभी तक पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नियमावलियां लागू हैं तथा यदि उत्तराखण्ड राज्य में नयी नियमावलियां बनाई भी गयी हैं तो उनमें शैक्षिक अर्हतायें तथा अन्य अर्हतायें पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही रखी गयी हैं जब कि ऐसी अर्हतायें आज के बदलते परिवेश में प्रासंगिक नहीं रह गयी हैं। शासन द्वारा समय–समय पर विभिन्न संवर्गों में उत्तराखण्ड की सेवा नियमावलियाँ बनाने के लिये दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

क्रमशः.....2

3– अतः इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने नियन्त्रणाधीन विभागों के अन्तर्गत विभिन्न सेवा संवर्गों की सेवा नियमावलियों में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता तथा अन्य वांछित अर्हताओं के संबंध में वर्तमान परिवेश में परीक्षण करने का कष्ट करें और यदि आवश्यकता हो, तो वर्तमान परिवेश के अनुसार संबंधित सेवा नियमावलियों में परिवर्तन/संशोधन करने की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्याः 112(1)/XXX(2)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
6. सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
7. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

संख्या– 55 /XXX(2)/ 2015

प्रेषक,

पी0एस0 जंगपांगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 6 फरवरी, 2015

विषय– विभागीय संरचनाओं के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय संरचनाओं के संबंध में विभिन्न पदों के सृजन के प्रस्ताव सहमति हेतु पत्रावलियों के माध्यम से समय–समय पर कार्मिक विभाग को प्रेषित किये जा रहे हैं। स्थापित व्यवस्था के अनुसार विभागीय संरचनायें तैयार करते समय वर्तमान में स्वीकृत पद, उसके सापेक्ष कार्यरत् कार्मिकों, रिक्त पदों की गणना तथा पदों के रिक्त रहने के औचित्य स्पष्ट करते हुये अर्थात् पदों के सृजन का प्रस्ताव औचित्य के साथ परामर्शदात्री विभाग को परामर्श हेतु प्रेषित किया जाता है।

2— प्रायः यह देखने में आया है कि विभागों द्वारा इस प्रकार के प्रस्तावों का सम्यक रूप से परीक्षण नहीं किया जा रहा है। विभागाध्यक्ष स्तर से प्राप्त प्रस्तावों को उसी रूप में परामर्शदात्री विभागों को परामर्श हेतु संदर्भित कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप वर्तमान में स्वीकृत पद उसके सापेक्ष कार्यरत् कार्मिकों तथा रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट न होने, रिक्त पदों का आचित्य स्पष्ट न होने और नये पदों के सृजन का औचित्य स्पष्ट न होने के कारण कार्मिक विभाग को परामर्श अंकित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

अतः इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि कृपया भविष्य में विभागीय संरचनाओं में पदों के सृजन के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को परामर्श हेतु संदर्भित करने से पूर्व प्रशासकीय प्रबन्धन को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में स्वीकृत पदों उसके सापेक्ष कार्यरत् कार्मिकों तथा रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट करते हुये रिक्त पदों का औचित्य तथा नये प्रस्तावित पदों के सृजन के औचित्य को स्पष्ट करते हुये प्रस्ताव समुचित परीक्षण के पश्चात् ही कार्मिक विभाग को संदर्भित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0एस0 जंगपागी)
सचिव

क्रमश.....2

संख्या– 55 /XXX(2)/2014/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

संख्या 310 /XXX(2)/2015

प्रेषक,

रमेश चन्द्र लोहनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनःदिनांक 28 जुलाई, 2015

विषयः–राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित व्यक्तियों को समूह 'ग' के पद हेतु आवेदन करने के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण से छूट प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र सं0 106/12/ई–1/डी.आर.(ए.आर.आई.)/2014–15 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता के क्रम में यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है कि राज्याधीन सेवा का तात्पर्य राज्य की सेवाओं के लिये है अथवा इसमें केन्द्र की सेवायें भी सम्मिलित है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग के पत्र सं0 1097/XXX(2)/2011 दिनांक 8.8.2011 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 'जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है' को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है। अतः उक्त से स्पष्ट है कि समूह 'ग' के पद हेतु केवल राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति को ही सेवायोजन कार्यलाय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है, जिसमें केन्द्र अथवा अन्य राज्य की सेवायें सम्मिलित नहीं है।

भवदीय

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

संख्याः 224/XXX(2)/2016/30(15)/2016

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 30 अगस्त, 2016

विषयः– राज्य सरकार के अन्तर्गत गठित विभिन्न आयोगों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अन्तर्गत कतिपय विभागों द्वारा विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन कराये जाने हेतु समय–समय पर आयोगों का गठन किया गया है। सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व संविधान के अनुच्छेद–16(4) के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाता है। अतः ऐसे आयोगों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त होने वाले अध्यक्ष अथवा सदस्यों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भी सदस्य नामित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

2– इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया राज्याधीन विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु गठित किये गये आयोगों में अध्यक्ष/सदस्य के पदों पर नियुक्ति करते समय इस बात को भी संज्ञानित करने का कष्ट करें कि उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित हो सके।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या– (1)/XXX(2)/2016/30(15)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

(17)

संख्याः 381 /XXX–2/2017–30(48)/2017

प्रेषकः

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/ सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
3–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

विषयः–विभिन्न संवर्ग में रिक्त पदों पर विभागीय चयन समिति की बैठक के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 2627/XXX(2)/2006 दिनांक 29.12.2006, संख्या 953/XXX(2)/2010 दिनांक 09.07.2010, संख्या 175/XXX(2)/2007 दिनांक 01.06.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष में विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति किये जाने हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्धारित समय पर पात्रता सूची का निर्धारण, रिक्तियों की गणना करने के पश्चात एक अभियान के रूप में विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये थे।

2– शासनादेश संख्या 1712/कार्मिक–2/2003 दिनांक 18.12.2003 "चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक प्रविष्टियॉ, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र, प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करना, उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन और प्रत्यावेदन के निस्तारण की प्रकिया" विषयक शासनादेश निर्गत किया गया है जिसमें चरित्र प्रविष्टियों के अंकन हेतु समय सारणी निर्धारित की गयी है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 708/XXX(2)/2010 दिनांक 19.07.2010 संख्या 277/XXX(2)/2010 दिनांक 22.09.2017 द्वारा भी निर्देशित किया गया था परन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त निर्देशों के बावजूद विभिन्न विभागों में प्रत्यके सेवा संवर्ग में अभी भी पदोन्नति कोटे के पदों पर रिक्तियां बनी हुई हैं जिसके कारण विभागों में शासकीय कार्य बाधित हो रहे हैं जो स्थिति उचित नहीं है।

3– सेवारत राजकीय कार्मिकों को निर्धारित समय सारणी के अनुसार चरित्र पंजिकाओं में प्रविष्टियॉ अंकित न होने से उनके पदोन्नति सम्बन्धी प्रकरणो में अनावश्यक विलम्ब होता है जिससे कार्मिकों में रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है विभिन्न सेवा संघों के पदाधिकारियों द्वारा उच्च स्तर पर आयोजित बैठकों में भी इस प्रकार के प्रकरण उठाये जाते रहे हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेशों में उल्लिखित समय सारणी के अनुसार वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों का अंकन करना सुनिश्चित करें तथा विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की बैठकें आयोजित कर पात्र कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की जाय।

उक्त के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष विभागीय कार्मिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक एवं विचार विर्मश कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्याः /XXX–2/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
2– समस्त, जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(एच0पी0तिवारी)
अनु सचिव

संख्याः 385/XXX(2)/2017-03(9)/2012

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमांऊ, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 26 दिसम्बर, 2017

विषय : सेवा संघों/परिसंघों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्बन्ध में उ0प्र0 सेवा संघों को मान्यता नियमावली, 1979 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 166/कार्मिक–2/2002 दिनांक 28 फरवरी, 2002 द्वारा सेवा संघों को मान्यता नियमावली के नियम–5(ग), (ड.) एवं (च) में निम्न प्राविधान हैं :–

(ग) 'संघ की सदस्यता कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के (जिसके अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है) एक सुभिन्न प्रवर्ग तक सीमित हों और इसमें उस विशिष्ट प्रवर्ग की कुल सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व हो।'

(ड.) 'कोई ऐसा व्यक्ति, जो कार्यरत सरकारी सेवक न हो, संघ के कार्यकलापों से सम्बद्ध न हों।'

(च) 'पदाधिकारी जिसके अन्तर्गत संघ के कार्य समिति के सदस्य भी हैं, केवल उसके सदस्यों में से ही (सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छोड़ते हुए) नियुक्त किये जायेंगे।

2– शासन के संज्ञान में आया है कि राज्याधीन सेवाओं में विभिन्न सेवा संवर्गों के अन्तर्गत गठित संघों/परिसंघों/महासंघों में सेवानिवृत्त कार्मिक संघ के सदस्य एवं संघ के पदाधिकारी के रूप में संघ के कार्यकलापों से सम्बद्ध हैं, जो कि सेवा संघों को मान्यता नियमावली, 1979 के अनुरूप नहीं है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने नियंत्रणाधीन विभागों के सेवा संघों/परिसंघों/महासंघों में यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी मान्यता प्राप्त सेवा संघ में सेवानिवृत्त कार्मिक संघ के कार्यकलापों में सम्बद्ध हों तो उन संघों की मान्यता समाप्त किये जाने का प्रस्ताव यथाशीघ्र कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जाय।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः (1)/XXX(2)/2017-03(9)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव।

(12)

संख्याः 322/XXX–2/2017/30(78) 2014

प्रेषकः

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव,
2–प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
4–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 02 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2017

विषयः–राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाले अभिलेखों के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–522/XXX(2)/2014-30(78)2014 दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सेवायोजन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने के उद्देश्य से शैक्षिक एवं तत्सम्बन्धी अन्य प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतियॉ स्वीकार किये जाने सम्बन्धी निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त के अतिरिक्त शासकीय कार्यों में भी कतिपय अभिलेखों की छायाप्रतियाँ संबंधित प्रार्थना पत्रों एवं आवेदन पत्रों के प्रारूपों के साथ अनिवार्यता की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन सामान्य को सुविधा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाले ऐसे अभिलेखों, जो अब तक राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होने पर ही स्वीकार किये जाते थे, के स्थान पर स्व–प्रमाणित अभिलेखों को स्वीकार किया जायेगा। सम्बन्धित कार्य के औपचारिक/अन्तिम रूप से स्वीकृत किये जाने से पूर्व स्वीकर्त्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा स्व–प्रमाणित अभिलेखों का मिलान मूल अभिलेखों से अवश्य कर लिया जाय तथा संतुष्ट होने के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही संपादित की जाय।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्याः– 09 /xxx (2)/2015/30(56)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयॉकी
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 03 ~~दिसम्बर~~ जनवरी 2015

विषयः– सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के समान राजकीय वाहन चालकों को शासकीय व्यय पर न्यायालय में चल रहे वादों के प्रतिवाद की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के संबधं मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबधं में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय वाहन चालक महासंघ उत्तराखण्ड द्वारा राजकीय वाहन चालकों को शासकीय मद पर न्यायालय में चल रहे प्रतिवाद की सुविधा अनुमन्य कराये जाने की मॉग की जा रही है।

2– इस संबधं में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय वाहन चालकों के वाहन से शासकीय डयूटी के दौरान कोई एक्सीडेन्ट होता है और संबंधित अधिकारी या महानुभाव, जिसके साथ शासकीय वाहन सम्बद्ध है, द्वारा लिखित में संस्तुति करने पर राजकीय वाहन चालकों को शासकीय मद पर मा0 न्यायालयों में चल रहे वादों पर प्रतिवाद किये जाने में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जायेगी कि यदि वाद में संबंधित वाहन चालक दोषी पाया जाता है तो सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति की धनराशि वापस राजकोष में जमा किया जाना होगा तथा वाद में हुए व्यय का वहन वाहन चालक द्वारा स्वयं किया जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयॉकी)
प्रभारी सचिव

संख्याः– 09 /xxx (2)/2015/30(56)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयॉकी
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 03 जनवरी दिसम्बर, 2015

विषयः– सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के समान राजकीय वाहन चालकों को शासकीय व्यय पर न्यायालय में चल रहे वादों के प्रतिवाद की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के संबधं मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबधं में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय वाहन चालक महासंघ उत्तराखण्ड द्वारा राजकीय वाहन चालकों को शासकीय मद पर न्यायालय में चल रहे प्रतिवाद की सुविधा अनुमन्य कराये जाने की मॉग की जा रही है।

2– इस संबधं में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय वाहन चालकों के वाहन से शासकीय डयूटी के दौरान कोई एक्सीडेन्ट होता है और संबंधित अधिकारी या महानुभाव, जिसके साथ शासकीय वाहन सम्बद्ध है, द्वारा लिखित में संस्तुति करने पर राजकीय वाहन चालकों को शासकीय मद पर मा0 न्यायालयों में चल रहे वादों पर प्रतिवाद किये जाने में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जायेगी कि यदि वाद में संबंधित वाहन चालक दोषी पाया जाता है तो सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति की धनराशि वापस राजकोष में जमा किया जाना होगा तथा वाद में हुए व्यय का वहन वाहन चालक द्वारा स्वयं किया जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयॉकी)
प्रभारी सचिव

(3) यह नियमावली भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सै के आश्रित को राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार परिशिष्ट–1 पर उल्लिखित समूह "ग" एवं "घ" के पदों सेवायोजन पर ही प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें **2.** जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, नियमावली में–

(क) **'सैनिक/अर्द्धसैनिक'** का तात्पर्य रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अन्तर्गत भारतीय सेना (थल सेना, वायु सेना व नौ सेना) गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन अर्द्धसैनिक (बी0एस0एफ0, आई0टी0बी0पी0, सी0आर0पी0एफ0, एस0 बी0, एस०पी०जी०, एन०एस०जी०, सी0 आई0 एस0 एफ, अ राईफल्स) उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी श सैनिक/अर्द्धसैनिक से है।

(ख) "शहीद" का तात्पर्य सीमान्त युद्ध/आन्तरिक सुरक्षा में भार सेना/अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक (उत्तराखण्ड के स्थ निवासी) से है, जिनके अभिलेख सेना मुख्यालय अथवा सम्ब अर्द्धसैनिक बल के महानिदेशालय से Battle Casuality अ Operational Casuality के रूप में जारी किया गया हो।

(ग) **'कुटुम्ब'** का तात्पर्य भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के श सैनिक के निम्नलिखित सम्बन्धी से है:–

1. यदि सैनिक विवाहित हो:–
   (i) पत्नी या पति,
   (ii) पुत्र,
   (iii) अविवाहित पुत्रियां, विधवा पुत्रियां,
   (iv) तलाकशुदा पुत्रियाँ,
2. यदि सैनिक अविवाहित हो तो कुटुम्ब में:–
   (i) विधवा माता,
   (ii) अविवाहित भाई,
   (iii) अविवाहित बहन,
   (iv) विधवा बहन,
   (v) तलाकशुदा बहन

नियमावली का लागू किया जाना **3.** यह नियमावली उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग/उत्तरा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परिधि के बाहर, नियमावली परिशिष्ट–1 में उल्लिखित समूह "ग" एवं "घ" के पदों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव **4.** इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नि विनियमों या आदेशों के अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के हुए भी, यह नियमावली प्रभावी होगी।

शहीद के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती

5. इस नियमावली के प्रवृत्त होने पर, भारतीय सेना/ अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक के कुटुम्ब के किसी एक सदस्य को, जो केन्द्र सरकार, अन्य राज्य सरकारों अथवा उत्तराखण्ड सरकार या ऐसी सरकारों के नियंत्रणाधीन किसी निगम/परिषद्/आयोग/ उपक्रम आदि में पहले से सेवायोजित न हो, को यथासंभव उसी जनपद में सेवायोजित किया जायेगा जिस जनपद का शहीद सैनिक स्थायी निवासी हो, बशर्ते वह राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन की शर्तें पूर्ण करता हो।

सेवायोजन के लिए आवेदन पत्र

6. इस नियमावली के अधीन शहीद सैनिक का आश्रित, सेना मुख्यालय अथवा सम्बन्धित अर्द्धसैनिक बल के महानिदेशालय से Battle Casuality अथवा Operational Casuality के रूप में सैनिक के शहीद होने संबंधी आदेश निर्गत होने की तिथि से 02 वर्ष के भीतर अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा संबंधित जिलाधिकारी की संस्तुति पर सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा परिशिष्ट–2 के प्रस्तर 5 के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

परन्तु शहीद सैनिक के आश्रित को राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजित किये जाने के पश्चात् यदि भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बल में कुटुम्ब के किसी सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजित किया जाता है तो उत्तराखण्ड राज्य सरकार में अनुकम्पा के आधार पर प्राप्त नियुक्ति स्वतः समाप्त मान ली जायेगी।

ज्येष्ठता

7. राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजित भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक के आश्रित को जिलाधिकारी कार्यालय के अन्तर्गत संबंधित संवर्ग में ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में निहित प्राविधानानुसार अवधारित की जायेगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

8. राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है, जिसे वह उचित व्यवहार या लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे।

परिशिष्ट "1"

अधिसूचना संख्याः 261/XXX(2)/18–30(05)/2018 दिनांक 20 नवम्बर, 2018 का अनुलग्नक

भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक (उत्तराखण्ड. के स्थायी निवासी) के आश्रितों की राज्याध सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन हेतु संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय के अन्तर्गत नि तालिकानुसार पदों का सृजनः–

क्र.सं.	जनपद	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद
1.	उत्तरकाशी	कनिष्ठ सहायक	19800–63200 पे मैट्रिक्स लेवल 2	2
		अनुसेवक	18000–56900 पे मैट्रिक्स लेवल 1	2
2.	चमोली	कनिष्ठ सहायक	19800–63200 पे मैट्रिक्स लेवल 2	2
		अनुसेवक	18000–56900 पे मैट्रिक्स लेवल 1	2
3.	टिहरी	कनिष्ठ सहायक	19800–63200 पे मैट्रिक्स लेवल 2	2
		अनुसेवक	18000–56900 पे मैट्रिक्स लेवल 1	2
4.	रूद्रप्रयाग	कनिष्ठ सहायक	19800–63200 पे मैट्रिक्स लेवल 2	2
		अनुसेवक	18000–56900 पे मैट्रिक्स लेवल 1	2
5.	पौड़ी	कनिष्ठ सहायक	19800–63200 पे मैट्रिक्स लेवल 2	2
		अनुसेवक	18000–56900 पे मैट्रिक्स लेवल 1	2
6.	देहरादून	कनिष्ठ सहायक	19800–63200 पे मैट्रिक्स लेवल 2	2
		अनुसेवक	18000–56900 पे मैट्रिक्स लेवल 1	2
7.	हरिद्वार	कनिष्ठ सहायक	19800–63200 पे मैट्रिक्स लेवल 2	2
		अनुसेवक	18000–56900 पे मैट्रिक्स लेवल 1	2
8.	पिथौरागढ़	कनिष्ठ सहायक	19800–63200 पे मैट्रिक्स लेवल 2	2
		अनुसेवक	18000–56900 पे मैट्रिक्स लेवल 1	2
9.	चम्पावत	कनिष्ठ सहायक	19800–63200 पे मैट्रिक्स लेवल 2	2
		अनुसेवक	18000–56900 पे मैट्रिक्स लेवल 1	2
10.	अल्मोड़ा	कनिष्ठ सहायक	19800–63200 पे मैट्रिक्स लेवल 2	2
		अनुसेवक	18000–56900 पे मैट्रिक्स लेवल 1	2
11.	बागेश्वर	कनिष्ठ सहायक	19800–63200 पे मैट्रिक्स लेवल 2	2
		अनुसेवक	18000–56900 पे मैट्रिक्स लेवल 1	2
12.	नैनीताल	कनिष्ठ सहायक	19800–63200 पे मैट्रिक्स लेवल 2	2
		अनुसेवक	18000–56900 पे मैट्रिक्स लेवल 1	2
13.	उधमसिंहनगर	कनिष्ठ सहायक	19800–63200 पे मैट्रिक्स लेवल 2	2
		अनुसेवक	18000–56900 पे मैट्रिक्स लेवल 1	2

1. उपरोक्तानुसार सृजित पद जिलाधिकारी कार्यालय के अन्तर्गत सृजित पदों के अतिरिक्त होंगे।
2. अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजित कार्मिक जिलाधिकारी कार्यालय के संबंधित संवर्ग नियमानुसार पदोन्नत किये जा सकेंगे। उक्तानुसार पदोन्नति/सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप पद केवल भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक (उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी आश्रितों की राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन से ही भरे जा सकेंगे।
3. उक्त नियमावली के अधीन सृजित समूह "घ" के पद राज्य सरकार द्वारा घोषित मृत संवर्ग परिधि से मुक्त रहेंगे।

परिशिष्ट "2"

अधिसूचना संख्याः 261/XXX(2)/18–30(05)/2018 दिनांक 20 नवम्बर, 2018 का अनुलग्नक

भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक (उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी) के आश्रितों की राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन हेतु परिशिष्ट–1 में सृजित पदों को भरे जाने हेतु दिशा–निर्देशः-

1. शहीद सैनिक उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो।
2. शहीद सैनिक सीमान्त युद्ध/आन्तरिक सुरक्षा में भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी शहीद सैनिक से है, जिनके अभिलेख सेना मुख्यालय अथवा सम्बन्धित अर्द्धसैनिक बल के महानिदेशालय से Battle Casuality अथवा Operational Casuality के रूप में जारी किया गया हो।
3. शहीद सैनिक का आश्रित नियमावली में उल्लिखित कुटुम्ब की परिभाषा से आच्छादित हो।
4. शहीद सैनिक का आश्रित केन्द्र सरकार, अन्य राज्य सरकारों अथवा उत्तराखण्ड सरकार या ऐसी सरकारों के नियंत्रणाधीन किसी निगम/परिषद्/आयोग/उपक्रम आदि में पहले से सेवायोजित न हो।
5. अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन हेतु शहीद सैनिक के आश्रित द्वारा आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा, जिसके एक माह में परीक्षणोपरांत आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से एक माह में सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जायेगा। सचिव, सैनिक कल्याण विभाग द्वारा एक माह में मा० विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
6. शहीद सैनिक के आश्रित को आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख एवं प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे:–
    1. सेना मुख्यालय अथवा सम्बन्धित अर्द्धसैनिक बल के महानिदेशालय से Battle Casuality अथवा Operational Casuality संबन्धी प्रमाण पत्र।
    2. उत्तरजीवी प्रमाण पत्र।
    3. शहीद के अविवाहित होने अथवा न होने संबन्धी प्रमाण पत्र।
    4. इस आशय का शपथ पत्र कि सैनिक के शहीद होने के उपरांत आश्रितों के आजीविका का कोई साधन नहीं है।
    5. चरित्र प्रमाण पत्र।
    6. स्वस्थता प्रमाण पत्र।
    7. शहीद सैनिक की एक से अधिक जीवित पत्नी न होने और किसी महिला शहीद सैनिक की दशा में उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, संबन्धी प्रमाण पत्र।
7. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या–6 के अनुसार आवेदन का परीक्षण किया जायेगा, ऐसा सेवायोजन (अनुकम्पा के आधार पर) :–
    1. सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण से मुक्त होगा।
    2. मृतक आश्रित, पद पर चयन की विहित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करता हो,
    3. सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो,
    4. शहीद सैनिक के आश्रित को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत किया जायेगा। यथासंभव ऑनलाईन आवेदन की भी व्यवस्था की जायेगी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 कार्मिक/714–2018–100+300 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–98 (क)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, सोमवार, 01 जुलाई, 2019 ई0

आषाढ़ 10, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

संख्या 163/XXX-2/19–30(5)/2018

देहरादून, 01 जुलाई, 2019

अधिसूचना

सा0 प0 नि0–09

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक (उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी) के आश्रितों की राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थात्

भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक (उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी) के आश्रितों की राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.(1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों शहीद सैनिक (उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी) के आश्रितों राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन (संशो नियमावली, 2019 है।
	(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 2 का प्रतिस्थापन	2.	भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक (उत्तराखण्ड स्थायी निवासी) के आश्रितों की राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा आधार पर सेवायोजन नियमावली, 2018 में नीचे स्तम्भ–1 में गये विद्यमान नियम 2 के खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में गया खण्ड निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
"(क) सैनिक/अर्द्धसैनिक' का तात्पर्य रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत भारतीय सेना (थल सेना, वायु सेना व नौ सेना) तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन अर्द्धसैनिक बलों (बी0एस0एफ0, आई0टी0बी0पी0, सी0आर0पी0एफ0, एस0एस0 बी0, एस०पी०जी०, एन०एस०जी०, सी0 आई0 एस0 एफ, असम राईफल्स) उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी शहीद सैनिक/अर्द्धसैनिक से है।"	**"(क) सैनिक/अर्द्धसैनिक'** से रक्षा मंत्रा भारत सरकार के अन्तर्गत भारतीय (थल सेना, वायु सेना व नौ सेना) तथा मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणा अर्द्धसैनिक बलों (बी0एस0ए आई0टी0बी0पी0, सी0आर0पी0ए एस0एस0 बी0, एस०पी०जी०, एन०एस० सी0 आई0 एस0 एफ, असम राईफ भारतीय तटरक्षक, स्पेशल फ्रंटियर फो (उत्तराखण्ड के स्थायी) निवासी श सैनिक/अर्द्धसैनिक अभिप्रेत है।"

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव

In pursuance of the provisions of Clause (3) of the Article 348 of the constitution, the Govern pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 163/XXX-2 30(5)/2018,** Dated July 01, 2019 for general information :

No. 163/XXX-2/19-30(5)/2018
Dated Dehradun, July 01, 2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of "The Constitution of the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the "The dependant of soldiers of Indian Army/ Paramilitary Forces (Permanent Resident of Uttarakhand) on compass basis in State Services employment Rules, 2018"; namely

"The dependant of martyr soldiers of Indian Army/ Paramilitary Forces (Permanent Resident of Uttarakhand) on compassionate basis in State Services employment (Amendment) Rules, 2019.

Short title and commencement	**1.**	(1)	These Rules may be called "The dependant of martyr soldiers of Indian Army/ Paramilitary Forces (Permanent Resident of Uttarakhand) on compassionate basis in State Services employment (Amendment) Rules, 2019".
		(2)	They shall come into force at once.
Amendment of rule 2	**2.**		In The dependant of martyr soldiers of Indian Army/ Paramilitary Forces (Permanent Resident of Uttarakhand) on compassionate basis in State Services employment Rules, 2018, for clause (a) of rule 2 as set out in column 1 below, clause as set out in column 2 shall be substituted namely;

Column 1	**Column 2**
Existing Rule	**Rules as hereby Substituted**
2(a) 'Soldier/Paramilitary' means martyr soldier /Paramilitary soldier (Permanent Resident of Uttarakhand) of Indian Army (Army, Air force and Navy) under Defence Ministry of Indian Government and Paramilitary Forces (B.S.F, I.T.B.P, C.R.P.F, S.S.B, S.P.G, N.S.G, C.I.S.F, Assam Rifles) under Ministry of Home affairs Government of India.	**2(a) 'Soldier/Paramilitary' means** martyr soldiers/Paramilitary Soldier (Permanent Resident of Uttarakhand) of Indian Army (Army, Air force and Navy) under Defence Ministry Government of India and Paramilitary Forces (B.S.F, I.T.B.P, C.R.P.F, S.S.B, S.P.G, N.S.G, C.I.S.F. Assam Rifles, Indian Coast Guard, Special Frontier Force) under Ministry of Home affairs Government of India.

By Order,

RADHA RATURI,
Additional Chief Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 कार्मिक/304—2019—100+300 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्याः /XXX(2)/2020/30(1)/2012

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी)
   उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 08 सितम्बर अगस्त, 2020

विषयः– अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों को पुनर्नियुक्ति अथवा अनुबन्धात्मक रूप से तैनाती प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–173/XXX(2)/ 2013-3(1)/2012 दिनांक 20.02.2013 द्वारा अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों को पुनर्नियुक्ति अथवा अनुबन्धात्मक रूप से तैनाती प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश इस आशय से निर्गत किये गये थे कि पुनर्नियुक्ति/संविदा पर नियोजन विधिक, प्राविधिक, वैज्ञानिक एवं ऐसी प्रकृति के पदों, जिनके लिये विशेष प्रशिक्षण एवं दक्षता की आवश्यकता हो, पर उसी दशा में की जायेगी, जबकि संबंधित पद हेतु प्रयास के बाद भी उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो और जनहित में तैनाती किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया हो।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि विभागों में सेवा संवर्ग के समस्त पदों पर नियमित चयन के उपरान्त भी प्रशासकीय विभागों द्वारा पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की सहमति हेतु सन्दर्भित किये जा रहे हैं और यदि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा किन्हीं प्रकरणों में सहमति नहीं दी जा रही है, तो वित्त विभाग एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त करते हुए चार से पांच अथवा उससे भी अधिक विशेष कार्याधिकारी या अन्य पदनामों से सेवानिवृत्त कार्मिकों को तैनात किया जा रहा है, जिससे एक ओर जहां सम्बन्धित विभाग में कार्यरत मानव संसाधन तथा उक्त सेवा के अधिकारियों की कार्यक्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, वहीं दूसरी ओर पुनर्नियुक्ति के माध्यम से तैनात कार्मिकों की वजह से राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। यह भी संज्ञान में आया है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा समूह 'ग' एवं 'घ' के ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिकों, जो विशेष योग्यता धारित नहीं करते हैं, को भी पुनर्नियुक्ति दी जा रही है।

3. प्रशासकीय विभागों के अन्तर्गत नियोजन, विधिक, **प्राविधिक**, वैज्ञानिक एवं ऐसे प्रकृति के कार्य, जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण एवं दक्षता की आवश्यकता होती हो, ऐसे कार्य प्रायः किसी अधिकारी विशेष से कराये जाते हैं। अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को इन कार्य/योजनाओं में सम्मिलित न करने के कारण अनुभव की कमी होना स्वाभाविक है। यदि विभागों में तैनात विशिष्ट योग्यताधारी अधिकारियों द्वारा समानान्तर अन्य अधीनस्थों को भी प्रशिक्षित कर दिया गया होता, तो पुनर्नियुक्ति जैसी प्रास्थिति उत्पन्न नही होती।

4. **उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में भारीभरकम ढांचे स्वीकृत होने के उपरान्त भी पुनर्नियुक्ति की परम्परा स्थापित हो गई है। इस परम्परा को हतोत्साहित करने के लिये राज्य हित में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी विभाग द्वारा किसी पद विशेष पर पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रस्ताव के साथ विभाग को इस आशय का प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराना होगा कि विभाग में कार्यरत अन्य सभी अधिकारी अपने दायित्वों/कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं हैं, इस कारण पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही विभाग द्वारा कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को दिये गये प्रमाण–पत्र का संज्ञान विभागीय पदोन्नति समिति को उक्त अधिकारियों की पदोन्नति के समय भी दिया जायेगा तथा ऐसे अपात्र व अक्षम अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भी विचार किया जायेगा। जिन विभागों में विभागाध्यक्ष/अपर विभागाध्यक्ष के पद पूर्णतः भरे हुये हो, उन विभागों में पुनर्नियुक्ति किसी भी दशा में नहीं की जायेगी।**

5. राज्य हित में जिन विभागों के अन्तर्गत वर्तमान में विशिष्ट कार्यों के सम्पादन हेतु कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति की गई है, ऐसे विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि विशिष्ट कार्यों हेतु पुनर्नियुक्त अधिकारी विभाग के अन्य अधिकारियों को 06 माह के भीतर प्रशिक्षित कर लेंगे, ताकि भविष्य में किसी कार्य विशेष हेतु पुनर्नियुक्ति की आवश्यकता न हो। जिन विभागों के अन्तर्गत अधिवर्षता आयु सामान्य अधिवर्षता आयु से अधिक है अर्थात् 62 वर्ष या उससे अधिक हो, ऐसे कार्मिकों को पुनर्नियुक्ति किसी भी दशा में न दी जाय।

6. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी विभाग में सेवा संवर्ग के अन्तर्गत कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकारी, अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं करते हों और पदों के लम्बे समय तक रिक्त रहने की सम्भावना हो, तो ऐसी अतिविशिष्ट परिस्थितियों में ही पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव कार्मिक विभाग की सहमति हेतु सन्दर्भित किये जायें। किसी भी दशा में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की पूर्व सहमति के बिना पुर्ननियुक्ति नहीं की जा सकेगी। ऐसी पुनर्नियुक्ति 06 माह अथवा अधिकतम 01 वर्ष तक के लिए होगी। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की सहमति के बिना की

गयी अनियमित पुनर्नियुक्तियों को गम्भीर कदाचार समझा जायेगा। अनियमित नियुक्तियों के प्रकरण प्रकाश में आने पर सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा पुनर्नियुक्त अधिकारी का वेतन रोक दिया जायेगा।

7. जिन प्राधिकारियों/आहरण वितरण अधिकारियों, द्वारा उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करके अनियमित पुनर्नियुक्तियॉ की जायेगी, ऐसे अनियमित पुनर्नियुक्त कार्मिक के वेतन/भत्तों पर किये गये समस्त व्यय को सम्बन्धित प्राधिकारियों/आहरण वितरण अधिकारियों से वसूला जायेगा और ऐसी अनियमित पुनर्नियुक्ति को तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा।

8. शासनादेश संख्या–173/XXX(2)/ 2013-3(1)/2012 दिनांक 20.02.2013 की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

संख्याः 152/XXX(2)/ 2020/3(1)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 223/XXX(2)/2020-30(22)/2018
देहरादूनः दिनांकः 7 अगस्त, 2020

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के परित्याग (Forgo) की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने एवं कार्मिकों को अनुशासित बनाये रखने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो –

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से उत्तराखण्ड राज्य में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति हेतु सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) ''आयोग'' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ग) ''संविधान'' से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(घ) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है; और

(ङ) ''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत

है।

पदोन्नति का परित्याग (Forgo)

3. राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत कार्मिकों द्वारा पदोन्नति का परित्याग (Forgo) करने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जा सकेगी –

(1) राज्याधीन सेवाओं में विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति आदेश में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम पन्द्रह दिन की अवधि निर्धारित की जायेगी, किन्तु सम्बन्धित कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु लिखित अनुरोध पर अपरिहार्य परिस्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पन्द्रह दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा;

(2) यदि किसी कार्मिक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण न कर, लिखित रूप में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) प्रथम बार किया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे प्रकरणों में गुण–दोष के आधार पर निर्णय ले सकेंगे;

(3) यदि उसी चयन वर्ष में पुनः विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत की जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपनियम (2) के अनुसार लिये गये निर्णय से विभागीय पदोन्नति समिति को अवगत कराया जायेगा और पदोन्नति का परित्याग (Forgo) करने वाले कार्मिक से कनिष्ठ (पदोन्नति हेतु पात्र/उपयुक्त) कार्मिक की पदोन्नति की संस्तुति हेतु अनुरोध किया जा सकेगा;

परन्तु पदोन्नति का परित्याग (Forgo) करने वाला कार्मिक किसी नियम या शासनादेश में किसी बात के होते हुए भी कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति का दावा नहीं कर सकेगा;

(4) यदि किसी कार्मिक के द्वारा विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व ही सम्भावित चयन/पदोन्नति का परित्याग (Forgo) करने का लिखित अनुरोध किया जाता है तो ऐसा किया गया

अनुरोध अनुशासनहीनता माना जायेगा एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 18(2) के अन्तर्गत सम्भावित स्थानान्तरण से बचने का प्रयास तथा उसे कार्य के प्रति अभिरूचि न लेने आदि के आधार पर धारित पद पर ही उक्त अधिनियम की धारा 18(4) के अन्तर्गत प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा;

(5) यदि किसी कार्मिक द्वारा उसे दी गयी पदोन्नति को द्वितीय बार परित्याग (Forgo) किये जाने का लिखित अनुरोध किया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक के अनुरोध पर नियुक्ति प्राधिकारी उप नियम (3) एवं (4) के अनुसार कार्यवाई कर सकेंगे;

(6) यदि किसी कार्मिक द्वारा दो से अधिक बार पदोन्नति का परित्याग (Forgo) किये जाने का लिखित अनुरोध किया जाता है तो उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 अथवा अन्य किसी नियम/शासनादेश में किसी बात के होते हुए भी ऐसे कार्मिक पदोन्नति के पद पर अपनी ज्येष्ठता खो देंगे तथा खोई हुई ज्येष्ठता को पुनः प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

नियमावली का लागू होना

4. यह नियमावली राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों की नियमित पदोन्नति के सम्बन्ध में लागू होगी।

अनुशासनिक कार्यवाही का किया जाना

5. इस नियमावली के उपबन्धों को लागू करने में शिथिलता बरते जाने पर उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के उपबन्धों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the "Constitution of India," the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. /XXX(2)/2020-30(22)/2018 dated August, 2020 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel and Vigilance Section-2
No.127/XXX(2)/2020-30(22)/2018
Dehradun Dated: 7 August, 2020

Notification

Miscellaneous

In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules for the purpose of discouraging the tendency to forgo the promotion and keep the personnel disciplined in Uttarakhand state services:-

The Uttarakhand State Services Forgo of Promotion Rules, 2020

Short title and commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand State Services Forgo of Promotion Rules, 2020.

(2) It shall come into force at once.

Defination

2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) "Appointing Authority" means appointing authority as mentioned in concerned Service Rules for appointment on public services and posts in the State of Uttarakhand;

(b) "Commission" means the Uttarakhand Public Service Commission;

(c) "Constitution" means the Constitution of India;

(d) "Government" means the Government of Uttarakhand; and

(e) "Governor" means the Governor of

Uttarakhand.

Forgo of promotion

3. The following procedure may be adopted by the Appointing authority on the forgo of the promotion by personnel under the state services-

(1) On the recommendation of the Departmental Promotion Committee in the state services, a maximum period of fifteen days shall be fixed by the Appointing authority for joining in the promotion order, but in the inevitable circumstances, on the written request by the concerned personnel to take charge, additional time of fifteen days by the appointing authority may be given;

(2) If a personnel, by not joining the post of promotion within the prescribed period, forgo the promotion in writing for the first time, the Appointing authority may take decision based on merit in such cases;

(3) If the meeting of the departmental promotion committee is called again in the same selection year, the decision taken by the appointing authority as per sub-rule (2) shall be conveyed to the departmental promotion committee and recommendation of promotion of the junior personnel (eligible/ fit for promotion) to the personnel forgoing the promotion may be requested;

Provided that the personnel forgoing the promotion shall not be able to claim the notional promotion from the date of promotion of junior notwithstanding anything in any rule or government order;

(4) If a written request is made by any personnel to forgo the possible selection/promotion before the departmental promotion process starts, such request shall be considered as indiscipline and under section 18(2) of the Uttarakhand Annual Transfer for Public Servants Act, 2017 the attempt to avoid

possible transfer and on the basis of not taking interest in the work, etc. under section 18(4) of the Act, he may be transferred on administrative basis on his holding post;

(5) If a written request is made to forgo the promotion given to him by a personnel for the second time, the appointing authorities shall be able to take action as per sub-rule (3) and (4) on the request of the concerned personnel;

(6) If a written request is made by a personnel to forgo of promotion more than two times, notwithstanding anything contained in the Uttarakhand Government Servant Seniority Rules, 2002 or any other Rule/Government Orders, such personnel shall lose their seniority in the post of promotion and shall not be able to recover the lost seniority.

Application of Rules

4. These rules shall be applicable in relation to regular promotion of personnel appointed under the State Government Services.

Disciplinary action to be taken

5. Disciplinary proceedings may be instituted under the provisions of the Uttarakhand State Employees Conduct Rules, 2002 and the Uttarakhand Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 2003, if the provisions of these rules are relaxed to implement.

By Order,

(Radha Raturi)
Additional Chief Secretary.

संख्या 1130 /XXX(2)/2013

प्रेषक,

रमेश चन्द्र लोहनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 13 दिसम्बर, 2013

विषयः–रिट याचिका (पी0आई0एल0) संख्या 67 वर्ष 2011 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.2013 विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 442/राज्य आन्दो0/गोपन/2013 दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान किये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय के रिट याचिका (पी0आई0एल0) संख्या 67/2011 in the matter of Appointments of Activists Vs State of Uttarakhand & others में पारित अन्तरिम आदेश 26.08.2013 द्वारा रोक लगाई गई है। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध गृह विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 दायर की गई है।

2– अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 दायर होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा जिन पदों पर चयन की कार्यवाही के उपरान्त चयन परिणाम घोषित किये जाने हैं, उनके सम्बन्ध में राज्य आन्दोलनकारियों के लिये चिन्हित पदों को छोड़ते हुये शेष चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन घोषित कर दिये जायें।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

संख्या 54/XXX(2)/2017

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनःदिनांक 23 फरवरी, 2017

विषयः–जनहित याचिका 67/2011 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पत्र संख्या 325 सिविल दिनांक 12.1.2017 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 5.1.2017 शासन को उपलब्ध कराया गया है जो कि निम्नवत हैः–

".....Since the recommendation of the State Public Service Commission is pending for more than one year, it is hereby directed that the Public Service Commission is at liberty to declare all the results,except 10% horizontal reservation for rajya *Andolankaris*. Meaning thereby, the result of 10 percent reservation for Rajya *Andolankaris* shall not be declared or recommended for appointment by the Commission until further orders of this Court....."

2. इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों की प्रति को संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यावाही करते हुए कृत कार्यावाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– /XXX(2)/18/30(36)/2014

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
सचिव/सचिव(प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/
कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार/
सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 05 दिसम्बर, 2018

विषयः– रिट याचिका संख्या–67/2011 के संबंध में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 07.03.2018 को पारित निर्णय के अनुपालन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है राज्याधीन सेवाओं में राज्य आन्दोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने विषयक समस्त परिपत्रों एवं नियमों/अधिसूचनाओं की वैधता को चुनौती प्रदान करने वाली जनहित याचिका संख्या–67/2011 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2018 को निम्न निर्णय पारित किया हैः–

Therefore, all consequential orders of the Government making appointments in pursuance of the above Circular Letters and Rules / Notifications shall stand quashed and set aside.

2. उक्त से स्पष्ट है कि राज्य आन्दोलनकारियों को आरक्षण प्रदान किये जाने संबंधी राज्य सरकार द्वारा निर्गत समस्त परिपत्रों एवं नियमों/अधिसूचनायें मा० न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से निरस्त हो गयी हैं।

3. अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यथाआवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या : 364 (1)/XXX-2/18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–1. महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजीत सिंह)
अनु सचिव

संख्या /XXX(2)2018/04/का0–2/13

प्रेषक,

अजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुँमायू मण्डल उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 13 दिसम्बर 2018

विषयः विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा किये जाने वाले कार्यबहिष्कार विषयक प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञानित जनहित याचिका संख्या 115/ 2018 In the matter of Prevention of Recurrent Strikes Organized by various Government/Non Government Unions/Organizations में दिनांक 29.08.2018 को निर्णय (प्रतिसंलग्न है) पारित किया गया, जिसमें विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा किये जाने वाले कार्यबहिष्कार एवं तद्विषयक विभिन्न मामलों में कातिपय दिशा–निर्देश दिये गये जो कि निम्नवत् हैंः–

11. Accordingly, we dispose of the writ petition at the admission stage by issuing the following directions:-

A. No employees in the State of Uttarakhand, serving under the State Government as well as Public Undertakings including Local Authorities, shall resort to illegal strike. We direct the State Government to invoke Section 3 of Act of 1966 as adopted by the State of Uttarakhand to prohibit strikes in certain employments by way of publication including Education, Public Health, Transport Service, Public Works Department, Irrigation Department, Revenue Department etc.

B. The State Government is authorized to withdraw the recognition of service association in case the employees resort to illegal strikes.

C. We direct the State Government to impose penalty, as provided under Section 4 of the Act, on any person, who goes or otherwise takes part in any illegal strike.

D. The employees cannot hold the entire system to ransom. The employees, who resort to illegal strikes, are not entitled to salary. It shall be open to the State Government to order break-in-service of the employees resorting to illegal strikes. The period of willful absence can also be declared as dies non.

E. We also make it abundantly clear that in the case of illegal strike, it shall be open to the State Government to invoke 'No work No Pay' principle in the larger public interest.

F. All the Service Association Federation shall not go on illegal strikes or go slow practice with a view to disturb or obstruct the smooth functioning of the Government.

G. Members of the Service Essentials are directed not to indulge directly or indirectly in any act so as to intimidate or obstruct or prevent any Government servant from attending office or carrying his official duties.

H. The State Government is directed to constitute Redressal Grievance Committees presided over by the Secretary, Head of Department of the respective Department with one nominee of the recognized Association/Federation/Confederation, to address the genuine grievance(s) of the employees, within eight weeks from today. This Committee shall meet after every 3 months.

2. उपरोक्त जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में जनहित याचिका संख्या 115/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.18 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से मुझे प्रेषित करने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 न्यायालय के निर्णय का अध्ययन कर, उसमें दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोक्त

भवदीय,

(अजीत सिंह)
अनु सचिव।

संख्या 280 /XXX(2)2018/04/का0–2/13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
3. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

(अजीत सिंह)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक विभाग–2
संख्याः 752 /xxx(2)/2007
देहरादूनः दिनांकः 25 अप्रैल, 2007

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 88/नि.स./मु.स.–2007 दिनांक 03 मार्च 2007 द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रकिया को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने के निर्देश दिये गये थे ।

2. विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रकिया को सुस्पष्ट, निष्पक्ष और सुचितापूर्ण बनाये जाने के उद्देश्य से इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:–

(1) भर्ती हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions with Multiple Choice) की रखी जायेगी ।

(2) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी ।

(3) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में हो तथा परीक्षा के बाद डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी ।

(4) लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक (Negative Marking) की व्यवस्था की जाय ।

(5) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर प्रकाशन किया जायेगा ।

(6) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों को उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर प्रकाशन किया जाये ।

(7) साक्षात्कार की व्यवस्था न रखी जाय । जहाँ साक्षात्कार की व्यवस्था रखी जानी अपरिहार्य हो, वहाँ समुचित परीक्षण करके सक्षम स्तर से निर्णय लेकर कार्यवाही की जाय ।

(8) जिन विभागों की चयन प्रकिया गतिमान है और लिखित परीक्षा अभी आयोजित नहीं हुई है, वहाँ उक्त बिन्दुओं के अनुसार सेवा नियमों में संशोधन करने के पश्चात् अग्रिम चयन की कार्यवाही की जाय ।

(9) जिन विभागों में चयन प्रकिया गतिमान है और अग्रिम कार्यवाही सेवा नियमों में संशोधन के पश्चात् की जानी है, ऐसे विभागों में संशोधन के तुरन्त पश्चात् नियमानुसार सार्वजनिक विज्ञापन देकर यदि और कोई अभ्यर्थी आवेदन करने के इच्छुक हैं तो उनसे आवेदन पत्र भी प्राप्त किये जाये । तत्पश्चात् अग्रिम चयन प्रकिया की कार्यवाही पूर्ण की जाये । जो अभ्यर्थी पूर्व विज्ञापन के अनुसार आवेदन पत्र दे चुके हैं, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी । पूर्व में आवेदन कर चुके सभी अभ्यर्थियों पर अग्रिम चयन प्रकिया में स्वतः ही विचार किया जायेगा ।

(10) कृपया भविष्य में जब भी रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही की जानी हो, संबंधित सेवा नियमों में उपर्युक्त के अनुसार संशोधन के पश्चात् ही चयन कार्यवाही की जायेगी ।

3. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

डी0 के0 कोटिया
सचिव ।

संख्या: 752 (1)/XXX(2)/2007, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव ।

51-7

संख्याः 1209/xxx(2)/2007

प्रेषक,

डी0 के0 कोटिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 10 जुलाई, 2007

विषयः– समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार समाप्त करते हुए वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्याः 752/xxx (2)/2007, दिनांक 25 अप्रैल, 2007 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार परीक्षा समाप्त करते हुए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (objective) रखी जाय तथा तद्नुसार ही सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में संशोधन करने के निर्देश दिये गये हैं ।

2. इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सेवा नियमों में लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (objective) रखे जाने की व्यवस्था करते समय कृपया एकरूपता के दृष्टिगत यह भी व्यवस्था करने का कष्ट करें कि "प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जायेगा तथा प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा ।"

3. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया सेवा नियमावलियों में संशोधन करते समय उपरोक्त व्यवस्था का उल्लेख भी परीक्षा की प्रक्रिया में करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(डी0 के0 कोटिया)
सचिव ।

संख्याः 1209(1)/xxx(2)/2007,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव ।

G.O.Karmik-II